लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]





[खंड 35 में अंक 21 से 29 तक हैं / Vol. XXXV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

22 दिसम्बर, 1969 । 1 पौष , 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि

पंक्ति 7 के बाद निम्न पढ़िये :

`कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी
के बारे में `

' Re Arrest of some Members

अंक 27, सोमवार, 22 दिसम्बर, 1969/1 पौष, 1891 (शक)
No. 27, Monday, December 22, 1969/Pausa I, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
721. गुजरात में इल्यूमिना संयंत्र की स्थापना	Installation of Alumina Plant at Gujarat ..	1—3
724. दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण के पुनर्विलोकन सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Delhi Hospital Review Committee ..	3—7
725. वायु का दूषित होना	Air Pollution ..	7—9
726. उद्योगपतियों को कर प्रोत्साहन	Tax Incentive for Industrialists ..	9—11
727. धनबाद जिले में कोयला खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों का धंस जाना	Subsiding of Areas Around Collieries in Dhanbad District ..	11—12
728. केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तुलना में रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते और उनके लिये रेलवे पास की सुविधा	Salary and Allowances of Railway Board's Employees Vis-a-vis other Central Government Employees and Facility of Railway passes to them ..	13—14
729. तेल के सूखे कुओं से तेल निकालने की विधि का विकास	Development of Technique of getting Oil from Dry Oil Wells ..	14—16
732. दामोदर घाटी निगम के बारे में समिति का गठन	Constitution of a Committee on working of DVC ..	16—17

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
733. रूस और चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Coal Based Fertilizer Plant with USSR and Czechoslovakian Collaboration ..	17—19
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
4. अमरपुर दियारा गांव, थाना बक्सर (बिहार) में संघर्ष	Clash in Village Amarpur Diyara, Thana Baxar (Bihar) ..	19—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
722. अधिशेष जल के उपयोग के लिये पंजाब तथा हरियाणा की सरकारों के साथ बातचीत	Discussion with Punjab and Haryana Governments for Utilization of Surplus Water ..	24—25
723. भारत में चिकित्सा शिक्षा	Medical Education in India	25—26
730. विभिन्न राज्यों में गांवों में मकानों के निर्माण-कार्य में प्रगति	Development of Rural Housing in various States ..	26
731. पुतलियों पर आयात कर	Import Duty on Cornea ..	26—27
734. ट्रैक्टरों के आयात के लिये पंजाब को विश्व बैंक द्वारा ऋण	World Bank Loan to Punjab for Import of Tractors ..	27
735. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	Foreign Exchange Reserve ..	27—28
736. दिल्ली में यमुना पार की बस्तियां	Trans-Yumna Colonies in Delhi	28
737. हाल ही में आये तूफान से आंध्र प्रदेश को हुई हानि	Loss Sustained by Andhra Pradesh during the Recent Cyclone ..	28—29
738. बैंक, जीवन बीमा निगम तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में विषमता	Disparity in the Pay Scales of Bank, LIC and Central Government Employees ..	29
739. गोआ में बिड़ला उर्वरक कारखाने के लिये धनराशि	Funds for Birlas' Fertilizers Plant in Goa ..	29—30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
740. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने की मांग	Demand for Abolition of Gold Control Act	30
741. दन्त चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण की कमी	Shortage of Denture Equipment ..	30—31
742. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को विनियमित करना	Regularising of Unauthorised Colonies in Delhi ..	31
743. पेय जल संसाधनों का उपयोग करना	Tapping of Drinking Water Resources ..	31—32
744. नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस पर अधिकार करना	Taking over of Birla House, New Delhi ..	32
745. कर्णफूली बांध के कारण जल निमग्न भूमि के सम्बन्ध में पाकिस्तान से मिलने वाला मुआवजा	Compensation due from Pakistan in Respect of Land Submerged by Karna Phuli Dam ..	32
746. तीसरी तथा चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत	Interim Relief to Class III and IV Central Government Employees ..	32—33
747. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता	Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta ..	33
748. जीवन बीमा निगम के बारे में लाल समिति का प्रतिवेदन	Lall Committee Report on LIC	33—34
749. मुद्रा की तस्करी करने वालों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	International Gang of Currency Smugglers ..	34
750. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश में निर्मित मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग	Switching over to Indigenous Machinery and Equipment by Oil and Natural Gas Commission ..	35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4751. भारत में विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Foreign Books in India ..	35—36
4752. ताप्ती नदी पर बांध बनाना	Construction of embankment on Tapti River ..	36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4753.	मध्य प्रदेश में खनिजों का उत्पादन	Minerals production in Madhya Pradesh ..	36—37
4754.	मध्य प्रदेश की तवा तथा सुकता परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Tawa and Sukata Projects in Madhya Pradesh ..	37
4755.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance asked for by M. P. Government for Development of their Urban Areas	37—38
4756.	अल्युमिनियम कारखानों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरें	Rates of Electricity supplied to Aluminium Factories ..	38
4757.	विदेशी मुद्रा कम्पनियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि को उनकी भारत में निर्यात आय के साथ जोड़ना	Linking of Remittance of Foreign Exchange Companies to their Export Earnings in India	39
4758.	शिमला में एक दण्डाधीश द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एक डाक्टर के साथ हाथापाई	Manhandling of CHS Doctor by a Magistrate at Simla ..	39—40
4759.	कल्यानी, कलकत्ता में चिकित्सा कालेज की स्थापना	Setting up of Medical College at Kalyani, Calcutta ..	40
4760.	नौवहन कम्पनियों तथा नौवहन एजेंटों द्वारा कदाचार	Malpractices Indulged in by Shipping Companies and Shipping Agents	40—41
4761.	प्रवर्तन निदेशालय की मद्रास शाखा द्वारा चैकों वाले लिफाफों का पकड़ा जाना	Seizure of covers containing cheques by Madras Branch of Enforcement Directorate	41—42
4762.	वित्त मंत्रालय में कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transferring of Employees in the Ministry of Finance ..	42
4763.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नगर प्रतिकर भत्ते की दर में वृद्धि	Revision of Rate of City Compensatory Allowance to Central Government Employees	42—43
4764.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों की पदावनति	Reversion of Assistant Engineers in C.P.W.D..	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4765. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों का अलग संवर्ग	Separate Cadre of Junior Engineers in C. P. W. D. ..	43—44
4766. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफिसर	Sectional Officers in C. P. W. D.	44
4767. भारत सेवक समाज, बिहार को दी गई धनराशियां	Advances made to Bharat Sewak Samaj, Bihar ..	45
4768. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के संयुक्त निदेशक द्वारा कथित अभद्र व्यवहार	Alleged Misbehaviour by Joint Director of C. G. H. S. Scheme ..	45—46
4769. नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिये प्रयत्न	Efforts for finding New Oil Fields ..	46—47
4770. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इन्जीनियरिंग सेवा में भर्त्ती	Recruitment for Central Engineering Services in C. P. W. D. ..	47
4771. तेल की खोज तथा उर्वरक उत्पादन कार्यक्रमों के लिये निर्बाध विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Free Foreign Exchange for Oil Exploration and Fertilizer Production Programmes ..	47—48
4772. रूसी दल की भूकम्पीय अभियान सम्बन्धी आन्ध्र प्रदेश की यात्रा	Russian Team's Seismic Expedition of Andhra Pradesh ..	48—49
4773. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आगे की कार्यवाही के रूप में अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन	Conference of Economists as a follow up Measure after Bank Nationalisation	49
4774. महाराष्ट्र का सोने की तस्करी का मामला	Maharashtra Gold Smuggling Case	49—50
4775. आदर्श कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उधना से ज्ञापन	Memoranda from Adarsh Chemicals and Fertilizers Ltd., Udhna ..	50
4776. केन्द्रीय सरकार द्वारा कालाकोटे बिजली घर को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Kalakote Power Plant by Centre ..	50—51
4777. बैंकों को चक्षु दान	Donation of Eyes to Banks ..	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4778.	हैदराबाद में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of coal based fertilizer Factory in Hyderabad ..	51—52
4779.	आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Public Sector in Andhra Pradesh ..	52
4780.	वाणिज्यिक बैंकों में निर्यात विभाग	Export Cells in Commercial Banks	52—53
4781.	करारोपण की तुलना में विनियोजन	Investment in relation to Taxation	53—54
4782.	पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in West Bengal ..	54—55
4783.	नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations ..	55
4784.	उड़ीसा के खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास	Development of roads in mining areas of Orissa ..	55—56
4785.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा श्रीलंका में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Establishment of Fertilizer Plant in Ceylon by Fertilizer Corporation of India ..	56
4786.	पश्चिम जर्मनी के स्वयंसेवक	West German Volunteers	56—57
4787.	लोकटाक जल विद्युत योजना	Loktak Hydro-Electric Project	57
4788.	आर्थिक स्थिति के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के प्रतिवेदन	Reports of National Council of Applied Economic Research on Evaluation of Economic Situation	57—58
4789.	मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के विरुद्ध बागलकोट सीमेन्ट कम्पनी से सम्बन्धित आरोपों की जांच की मांग	Demand for Enquiry into the charges against former Chief Minister of Mysore in regard to Bagalkot Cement Company	58
4790.	भारतीय और विदेशी बैंकों की पूंजी	Capital of Indian and Foreign Banks	59
4791.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान	Payment of Salaries to Government Employees who participated in the Strike of 19th September, 1968 ..	59—60
4792.	मालगांव (महाराष्ट्र) में उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty in Malgaon (Maharashtra) ..	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
4793.	बेरोजगार डाक्टर — Unemployed Doctors	60—61
4794.	पोंग बांध क्षेत्र से हटाये गये व्यक्तियों को मुआवजा — Compensation paid to Pong Dam Qustees	61
4795.	अपने मजदूरों की मजूरी में कटौती करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा प्रस्ताव — Proposal by NCDC for making Deductions from Wages of their Workers	62
4796.	चौथी पंचवर्षीय योजना में अलुमीना तथा अलुमिनियम की आवश्यकता — Alumina and Aluminium Requirements during Fourth Plan	62—63
4797.	कच्चा माल आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा — Foreign Exchange for Import of Raw Material	64
4798.	हिसार के एक वकील द्वारा स्थापित फर्जी फर्म — Ghost Firms set up by an Advocate of Hissar	64—65
4799.	भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को रोपड़, हरीके तथा फिरोजपुर बांधों का सौंपना — Handing over of Rupor, Harike and Ferozepur Dams to Bhakra Control Board	65
4800.	पाकिस्तान में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण — Nationalisation of Indian Banks in Pakistan	65
4801.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षण — Training to Laboratory Assistants in All India Institute of Medical Sciences	65—66
4802.	राज्य वित्त निगमों के लिये समान ऋण नीति की आवश्यकता — Need for an even Credit Policy by State Finance Corporations.	66—67
4803.	विदेशी सहायता का पूरा उपयोग न करना — Under-utilisation of Foreign Aid	67—68
4804.	केरल के आयकर विभाग में अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति — Promotion of UDCs in Income Tax Department, Kerala	68
4805.	राष्ट्रपति शासन के अधीन बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता — Central Assistance to Bihar Government under President's Rule	68—69
4806.	बिहार में कमला बालान बांध — Kamla-Balan Embankment in Bihar	69
4807.	तेल, उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन में आत्म-निर्भरता — Self-Sufficiency in Oil, Fertilizers and Petro-Chemicals	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4808.	सरकारी उपक्रमों में पूंजी विनियोजन	Investment in Public Undertakings ..	69—70
4809.	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में जांच प्रतिवेदन	Report of Enquiry into Haldia Barauni Pipeline Affair ..	70
4810.	आयकर तथा सम्पत्ति कर के मामलों में अनिर्णीत अपीलें	Pending Appeals on Income Tax and Wealth Tax Cases ..	71
4811.	खुले बाजार में चीनी का टैरिफ मूल्य	Tariff Value of Free sale Sugar ..	71
4812.	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट द्वारा डीजल शन्टिग इन्जनों की खरीद	Purchase of diesel shunter engine by Sindri Unit of FCI ..	72
4813.	धनबाद जिले की कोयला खानों पर बकाया कर	Taxes due from Collieries of Dhanabad District	72—73
4814.	चौथी तथा पांचवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी	Shortage of Power in Uttar Pradesh during Fourth and Fifth Plans. ..	73
4815.	गैस द्वारा बिजली ट्रांसमिट करने की नई प्रणाली	New method for Transmitting Electricity through Gas ..	74
4816.	उर्वरकों के उत्पादन के लिये अशोधित तेल का उपयोग	Use of Crude Oil for producting Fertilizers	74
4817.	केन्द्रीय मन्त्रियों को फार्मों से आय	Farm Income of Central Ministers ..	74
4818.	दिल्ली में झुग्गी निवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Jhuggi Dwellers in Delhi..	75
4819.	दिल्ली में आवास के लिये धनराशि	Funds for Housing in Delhi	75—76
4820.	नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि	Extension of Irrigation Facilities through Tubewells ..	76
4821.	गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कम्पनियों की ओर बकाया आयकर	Income Tax due from Fertilizers Companies in Private Sector ..	77
4822.	कुछ राज्यों में ग्रामीण गृह निर्माण परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Rural Housing Scheme in Certain States ..	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4823.	ग्रामीण गृह निर्माण परियोजना के अधीन गलियां तथा नालियां बनाने के कार्य में सुधार के लिये केन्द्रीय सहायता	Gentral Assistance for Improvement in Laying of Streets and Drains under the Rural Housing Scheme ..	78—79
4824.	बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना का विकास	Development of Chhotanagpur and Santhal Pargana of Bihar ..	79
4825.	सिंचाई तथा विद्युत् सुविधाओं का विकास	Development of Irrigation and Power Facilities ..	79—80
4826.	अनुसूचित जातियों तथ अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर व्यय	Expenditure on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. ..	80—81
4827.	प्रतिनियुक्ति पर रखे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों में असन्तोष	Resentment among DVC Staff on Retention of Deputationists ..	81
4828.	दामोदर घाटी निगम के उप महाप्रबन्धक को अन्तिम अवकाश देने से इन्कारी	Refusal of Terminal Leave to Deputy General Manager, DVC	81—82
4829.	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की दामोदर घाटी निगम में प्रतिनियुक्ति	Deputation to DVC of Personnel from All India Service Cadre ..	82
4830.	दामोदर घाटी निगम द्वारा नियुक्त नायर समिति का प्रतिवेदन	Report of Nair Committee set up by DVC	82—83
4831.	धनी तथा निर्धन की औसत आय	Average Income of Rich and Poor ..	83—84
4832.	औषधियां/भेषजों की चोरी को रोकने के लिये कार्यवाही	Measure to Check Pilferage of Medicines/ Drugs ..	84—85
4833.	प्रस्तावित वेतन आयोग के निदेशपद	Terms of Reference of the proposed Pay Commission	85
4834.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा सरकार को देय ऋण	Loan due to Government from the Tata Iron and Steel Company ..	86
4835.	नई दिल्ली में नवम्बर, 1969 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी समिति का विश्व सम्मेलन	Meeting of World Conference of Society for International Development in November 1969 in New Delhi ..	87—88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4836. इटली से ऋण राहत सहायता	Debt Relief Assistance from Itally	88
4837. खानों पर हुई हानि को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सहायता देने का प्रस्ताव	Proposal for giving relief to National Mineral Development Corporation to offset losses incurred over mines	88
4838. विश्व बैंक के ब्याज दर में वृद्धि	Increase in World Bank Interest Rate	89
4839. राजस्थान में पाइपों के जरिये सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facilities in Rajasthan through Pipes ..	89
4840. वित्त मंत्रालय में बैंकिंग सैल के लिये कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Staff for Banking Cell in the Ministry of Finance ..	89—90
4841. दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हरिजनों का पुनर्वास	Rehabilitation of Harijans by DDA in Delhi	90
4842. राजस्थान में पलाना कोयला खान का बन्द होना	Closure of Palana Coal Mines in Rajasthan ..	90—91
4843. विभाजन के पूर्व पंजाब तथा काश्मीर बैंक में जमा राशियों का भुगतान	Payment of Deposits in Punjab and Kashmir Bank prior to Partition ..	91
4844. दिल्ली में चारों ओर नलकूपों के लिये बिजली कनेक्शन	Electricity connection for the tube well around Delhi	91—92
4845. बिहार के मुख्य बिजली इन्जीनियर के कृत्य	Functions of Chief Electrical Engineer of Bihar	92—93
4846. बिहार बिजली विभाग के निर्माण डिवीजन में सामान (स्टोर्स) की खरीद	Purchase of stores in the Works Division of the Bihar Electricity Department	93
4847. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के गया तथा भागलपुर सर्कल और बिजली निर्माण डिवीजन की लेखा-परीक्षा	Audit of Gaya and Bhagalpur Circle of Bihar State Electricity Board and Electric Works Division ..	94
4848. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में प्रशासनिक आधिकारी	Administrative Officers in the Central Revenue Control Laboratory	94—95
4849. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में खपाये गये फालतू कर्मचारी	Surplus Staff Absorved in Central Revenue Control Laboratory ..	95—96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4850.	तेल शोधन क्षमता बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाही और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये आयात पर खर्च की गई मुद्रा	Steps taken to increase Refining Capacity and Foreign Exchange Spent on Importing Petroleum Products ..	96—97
4851.	भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक	Meeting of aid india Consortium ..	97
4852.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres ..	97—98
4853.	मानव स्वास्थ्य पर धूम्रपान का प्रभाव	Effects of smoking on human Health ..	98
4854.	खेतड़ी तांबा परियोजना को सीमलैस पाइपों की सप्लाई में कथित धांधली	Alleged bungling in supply of Seamless Pipes to Khetri Copper Project ..	98—99
4855.	सम्पत्ति कर का निर्धारण	Assessment of Property Tax ..	99—100
4856.	दिल्ली में श्रमिकों के लिये बस्ती	Colony for Labourers in Delhi ..	100
4857.	ईरान में अमोनिया का कारखाना	Ammonia Factory in Iran ..	100
4858.	सिंचाई कार्यों के लिये समान दरें	Uniform Rates for Irrigation Purposes ..	101
4859.	दामोदर घाटी निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार के वेतन मान तथा सेवा की अन्य शर्तें लागू करना	Adoption by DVC of Central Government's Pay Scales and other Service Conditions for DVC Employees ..	101—102
4860.	राष्ट्रीय बैंकों के अंशधारियों को प्रतिकर	Compensation to Shareholders of Nationalised Banks ..	102
4861.	विभिन्न मंत्रालयों में अपव्यय को रोकना	Avoidance of Wasteful Expenditure in Various Ministries ..	102—103
4862.	प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा प्राप्त किया गया यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता	Receipt of T.A. and DA by Prime Minister and other Ministers ..	103
4863.	खेतडी तांबा परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists at Khetri Copper Project ..	103—104
4864.	सियूल परियोजना की आय में हिमाचल प्रदेश सरकार का अंश	Himachal Pradesh Government Share in the Income of Seul Project ..	104

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4865. सियूल परियोजना चम्बा (हिमाचल प्रदेश) का निर्माण	Construction of Seul Project in Chamba (H.P.) ..	104—105
4866. कुछ यूरोपीय देशों द्वारा नेत्र दान	Donation of Eyes by some European countries ..	105
4867. ब्रिटेन में रह रहे पंजाबियों द्वारा अपने राज्य पंजाब में विनियोजन	Investment by Punjabis staying in U.K. in their Home State ..	105
4868. कर संग्रह सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	Experts Committee on Tax Collection ..	105—106
4869. उप नियंत्रक मुद्रण मुख्यालय के पद का कार्यकाल	Tenure of Post of the Deputy Controller Printing (Headquarter) ..	106
4870. बिहार में बकाया आयकर	Income Tax due from Bihar ..	106—107
4871. बिहार में टाटा, डालमिया तथा अन्य व्यक्तियों पर बकाया कर	Tax Due from Tatas, Dalmias others in Bihar ..	107
4872. बिहार में नगरपालिकाएं	Municipal Committee of Bihar ..	107—108
4873. पटना विकास न्यास के धन का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of Funds of Patna Development Trust ..	108
4874. पानी के कुएं खोदने के लिये रिग	Rigs for Drilling Water Wells ..	108—109
4875. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के चीफ केमिस्ट द्वारा नमूनों की परीक्षा	Examination of Samples by Chief Chemist Central Revenues Control Laboratory ..	109—110
4876. दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और अनुसंधान केन्द्र	Ayurvedic Hospital and Research Centres in Delhi ..	110—111
4877. बम्बई रेलवे स्टेशन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अपने आप को उत्पादन शुल्क अधिकारी बताकर यात्रियों को तंग किया जाना	Harassment by Customs Officials posing as Excise Duty Officials Bombay Railway Station ..	111
4878. दिल्ली में धौला कुंआ और नजफगढ़ रोड के बीच रिंग रोड पर बिजली लगाना	Electrification of Ring Road between Dhaula Kuan and Najafgarh Road, Delhi ..	111—112

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4879.	गांधी शताब्दी वर्ष में दिल्ली में हरिजन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करना	Provision of Civic Amenities for Harijan Basties in Delhi in Gandhi Centenary Year ..	112
4880.	नागार्जुन सागर (बांध) और कोसी बांध के पानी से निर्धारित किया गया सिंचाई लक्ष्य	Irrigation Targets fixed from the Water of Nagarjuna Sagar and Kosi Dams ..	112—113
4881.	अहमदाबाद जिले के करमवाला ग्राम में तस्करी की घड़ियों तथा अन्य समान का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Watches and other Goods at Karamwala Village	113
4882.	शास्त्री भवन, नई दिल्ली की सजावट के लिये टेंडर का स्वीकार किया जाना	Acceptance of Tender for decoration of Shastri Bhavan, New Dehi	114
4883.	इटारसी जबलपुर सैक्शन के गाडरवाडा रेलवे स्टेशन पर विदेशी मार्किंग के सोने के बिस्कुट का पकड़ा जाना	Seixure of Gold Biscuits bearing Foreign Markings at Gadarwara Railway Station of Itarsi Jabalpur Section ..	114
4884.	बम्बई में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Watches by Customs Authorities in Bombay ..	115
4885.	देश में निरोध का उत्पादन	Production of Nirodh in the country ..	115
4886.	पन्ना की हीरे की खानों से निकाले गये हीरे	Diamonds extracted at Panna Diamond Mines ..	115—116
4787.	वेतन के पैकटों के साथ निरोधों का वितरण	Distribution of Niroth with Pay Packet ..	116
4888.	पंजाब में बार बिचुरेट की बिक्री	Sale of Barbiturates in Punjab ..	117—118
4889.	श्री जगजीवन राम का आय कर विवरण	Income Tax Returns of Shri Jagjiwan Ram..	118
4890.	विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधन करार	Refinary Agreements with Foreign Oil Companies ..	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4891.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation..	119
4892.	कूच बिहार में बाढ़ से मिट्टी कटाव को रोकने के लिये सुरक्षात्मक कार्य-वाई	Protective measures for flood erosion in Cooch Behar ..	119—120
4893.	कैंसर के इलाज के लिये आकाशबेल	Akashbel Herb for Cancer cure ..	120
4894.	सूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for supply of Drinking water in the rural areas of Mysore State ..	120—121
4895.	राष्ट्रीय बचत संगठन के माध्यम से बचत की राशि जुटाने का अभियान	Drive for mobilising Savings through National Savings Organisation	121
4896.	उड़ीसा राज्य के सुरेन्द्र गढ़ जिले में लौह अयस्क निक्षेपों का पाया जाना	Location of Iron Ore Deposits in Sundergarh District, (Orissa State) ..	121
4897.	विदेशी पूंजी का राष्ट्रीय-करण	Nationalization of Foreign Capital	122
4898.	कलकत्ता में क्षय रोग	T. B. in Calcutta	122
4899.	वित्त मंत्रालय में तकनीकी सहायक	Technical Assistants in the Ministry of Finance ..	123
4900.	चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों की विद्युतीकरण की प्रक्रिया तथा शर्तों के सरलीकरण की योजना बनाना	Plan to simplify the procedure and conditions for Rural Electrification during Fourth Plan ..	123—124
4901.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टरों का आरक्षण	Reservation of residential accommodation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government Employees ..	124
4902.	कच्चे तेल का उत्पादन और शोधन	Production and Refining of crude oil ..	125
4903.	विटामिन सी का उत्पादन	Production of Vitamin 'C' ..	125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4904.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में भेदभाव बरता जाना	Discrimination in CGHS Dispensaries ..	125—126
4905.	महात्मा गांधी के हत्या स्थल पर उनका स्मारक	Memorial for Mahatma Gandhi at the place of Assassination ..	126
4906.	नवम्बर, 1969 में सफदर-जंग अस्पताल, नई दिल्ली में रोगियों का भरती होना	Admission to Safdarjung Hospital, New Delhi in November, 1969 ..	126—127
4907.	विलिंगडन अस्पताल में रोगियों का भरती करने का आधार	Criteria for admission of patients in Willingdon Hospital ..	127
4908.	सफदरजंग अस्पताल में रोगियों के प्रति डाक्टरों तथा नर्सों का व्यवहार	Behaviour of Doctors and Nurses towards Patients in Safdarjung Hospital ..	127—128
4909.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की उड़ीसा में खोली गई नई शाखायें	New Branches of Nationalised Banks in Orissa ..	128
4910.	ऐसिडों का आयात	Import of Acids ..	129
4911.	उर्वरक कारखाना, ट्राम्बे (बम्बई) में उर्वरकों का उत्पादन	Fertiliser Production at Fertilizer Plant Trombay (Bombay) ..	129—130
4912.	उपक्रमों में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति	Employment of executives in undertakings ..	130
4913.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी तथा इसमें पंजाब का हिस्सा	Investment by Government in Public Sector undertakinks and the share of Punjab ..	130—131
4914.	ज्योतिष कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी	Government Employees Practising Astrology	131
4915.	राजस्व तथा बीमा विभाग में अनुवादकों के पद	Posts of Translators in Revenue and Insurance Department ..	131—132
4916.	कोसी नहर परियोजना के लिये खरीदा गया माल	Materials purchased for the Kosi Canal Project ..	132
4917.	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पियरसन समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों को छोड़ने में देरी	Delay in Clearance of copies of Pearson Committee Report by Customs ..	132—133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4918.	प्रधान मंत्री के नई दिल्ली में सरकारी निवास स्थान का मूल्यांकन	Valuation of Prime Minister's Official Residence in New Delhi	133—134
4919.	संसद् सदस्यों को जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रतियां देना	Supply of copies of Annual Reports of LIC to MPs	134
4920.	कटनी तथा अन्य स्थानों पर कच्चे लोहे के संयंत्र लगाने की योजना	Schemes for Establishment of Pig Iron Plants at Katni and other Places	135
4921.	निषिद्ध पदार्थ रखने के अपराध में नई दिल्ली में पकड़े गये विदेशी	Arrest of Foreigners in Delhi in Possession of Contraband Goods	135
4922.	दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार वाली सम्पत्ति पर गृहकर निर्धारण	Assessment of House Tax on Properties Under Jurisdiction of Municipal Corporation of Delhi	135—136
4923.	बम्बई की एक फर्म के पास पाये गये रामपुर की बेगम के आभूषण	Begum of Rampur's Jewellery found with a Bombay firm	136
4924.	स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट के दो बैचों को बाजार से वापिस लेना	Withdrawal of Batches of Streptomycin Sulphate from Market	136—137
4925.	नर्मदा नदी घाटी परियोजना के लिये चौथी योजना में धनराशि की व्यवस्था	Provision of Outlay for Narmada River Valley Project during Fourth Plan	137—138
4926.	भारत में बिजली की मांग में वार्षिक वृद्धि	Rate of Annual Growth of Demand for Power in India	138
4927.	तरल अमोनिया के वितरण के लिये आसाम से दिल्ली तक पाइप लाइन बिछाना	Construction of Pipe-Line from Assam to Delhi for Distributing Liquid Ammonia	139
4928.	हिन्दुस्तान अलुमीनियम कारपोरेशन, रेणुकूट को बिजली देना	Supply of Electricity to the Hindustan Aluminium Corporation Renukoot	139
4929.	क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के कृत्य	Function of Regional Electricity Board	139—141
4930.	चलचित्र कम्पनियों की ओर बकाया आयकर	Income Tax due Film Companies	141

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4931. नई दिल्ली तथा बम्बई में छविगृहों के मालिकों की ओर बकाया आयकर	Income Tax due from Theatre Owners in New Delhi and Bombay ..	141—142
4932. पार्श्व गायकों की ओर बकाया आयकर	Income Tax due from Play Back Singers ..	142—143
4933. राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Nationalised Banks ..	143—144
4934. कंकरबाग, पटना में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Middle Income Group Quarters at Kankerbag, Patna	144
4935. मेरठ जिले के कृषकों को कृषि योजनाओं के लिए ऋण	Loans to Farmers in Meerut District for Agricultural Schemes ..	144—145
4936. भारतीय तेल निगम के तेल शोधन प्रभाग और विपणन प्रभाग में उच्च पद	Higher Posts in Refinery and Marketing Division of IOC ..	145
4937. सरकारी उपक्रमों द्वारा रिहायशी मकानों तथा बस्तियों पर खर्च	Expenditure on Residential Buildings and Townships by Public Undertakings ..	145—146
4938. गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना के प्रति उदासीनता	Reluctance shown by Private Sector in Setting up Chemical Fertiliser Factories ..	146
4939. मोम तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अधिक होना	High Prices of Wax and other Petroleum Products ..	147
4940. विदेश गये अधिकारी	Officials who went Abroad ..	147—148
4941. भारत से बाहर चलचित्र फिल्माने के लिए भारतीय अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Indian actors and actresses for Shooting Films outside India ..	148
4942. वन संसाधन के विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण कार्यालय तथा इसके दिल्ली में कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to Office of Pre-investment of Forest Resources and their Staff in Delhi ..	148—149

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4943. गांधी सिक्कों के लिये विशेष प्रकार के फोल्डरों का अधिक मूल्य	High Prices of Special Folders for Gandhi Coins	.. 149
4944. राजस्थान नहर क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधाएं देना	Medical Facilities to Labourers Working in Rajasthan Canal Area	.. 150
4945. कुवेत के सहयोग से पेट्रो रासायनिक उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Petro Chemical Enterprises with Kuwait Collaboration	.. 150
4946. कांगड़ा घाटी (हिमाचल प्रदेश) में सदाथा जल संभरण परियोजना	Sadatha Water Supply Project in Kangra Valley (H. P.)	.. 150—151
4947. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों के नुस्खे पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों द्वारा औषधियां दी जाना	Issue of Medicine by CGHS Dispensaries on Prescription by Specialists of All India Institute of Medical Sciences	.. 151—152
4948. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये भर्ती नियम	Recruitment Rules for Class I and II Officers	.. 152—153
4949. दफ्तरियों के वेतनक्रम	Pay Scales of Daftaries	153
4950. सरकारी स्टाफ कारों का दुरुपयोग	Misuse of Government Staff Cars	.. 153—154
आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against All India Radio	.. 154—156
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 157—159
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Absence of Members from Sittings of the House—Minutes	195
केरल में स्थिति के बारे में	Re : Situation in Kerala	.. 156,159-160
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sitting of the House	.. 160—161
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—तिरपनवां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings—Fifty-third Report	161
सीमेन्ट विनियंत्रण के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Cement Decontrol	.. 161—162

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	.. 161—162
बिहार विनियोग विधेयक, 1969 पुर:स्थापित	Bihar Appropriation Bill, 1969—Introduced	.. 162—168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 162—163
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	.. 162—163
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh	.. 164
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	164
श्री लखन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	.. 164—165
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	.. 165
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	165
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	.. 165—166
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 166
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	166
श्री रंगा	Shri Ranga	.. 167
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	.. 168
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	168
भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक	Indian Tariff (Amendment) Bill	168—184
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 168
चौधरी राम सेवक	Chaudhary Ram Sewak	.. 168
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	.. 173
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 173—175
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	176
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 176—177
श्री वी० ना० शास्त्री	Shri Biswanarayana Shastri	.. 177
श्री एस० के० सम्बन्धन	Shri S. K. Sambandhan	178
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 178—179
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	.. 179
श्री जि० मो० विस्वास	Shri J. M. Biswas	.. 180
श्री म० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	.. 180
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 180—181

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	..	181
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	..	182—184
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	183
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	..	183
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	..	183—184
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	..	184
विद्यार्थियों और युवकों की मांगों के बारे में याचिका	Petition re : Demands of Students and Youth	..	173
आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक	Assam Reorganisation (Meghalaya) Bill	..	184—200
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	..	184
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	184—185
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	..	188—189
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri		189
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki		190
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	..	191
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	..	192—193
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	..	193—194
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigarhi		194
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	..	194
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	..	195
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	..	195—196
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	..	196—197
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	..	197
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes		197
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon		198
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	..	198—199
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	..	199—200
खंड 2	Clause 2	..	200

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
आधे घन्टे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
जीवन बीमा निगम की प्रीमीयम दरों में परिवर्तन	Changes in LIC Premium Rates	.. 201—203
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	.. 201—202
श्री रा० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	.. 203—205
सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of Members	.. 205—206

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 22 दिसम्बर, 1969/1 पौष, 1891 (शक)
Monday, December 22, 1969/Pausa 1, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना

*721. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में निर्यात-उन्मुख 'एल्युमिना संयंत्र' स्थापित करने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार किया गया तकनीकी आर्थिक संभावनाओं सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं कि सरकार 'एल्युमीनियम' के बजाय 'एल्युमिना' का निर्यात करने का विचार कर रही है जबकि हमारे देश में "एल्युमीनियम" के बारे में सभी प्रकार की तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और जिसके निर्यात से 'एल्युमीना' की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी क्योंकि एल्युमीनियम बनाने के लिये एल्युमिना कच्चा माल होता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से पांच अंकों की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। संयंत्र के स्थापना स्थल, विस्तार तथा अनुमानित लागत आदि के सम्बन्ध में रिपोर्ट से लिये गये ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(1)	स्थापना स्थल	माण्डवी ताल्लुक (जिला कच्छ) में सीसगढ़।
(2)	विस्तार :	2,00,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष।
(3)	पूंजीगत लागत (केवल एल्युमिना संयंत्र की)	48.32 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के साथ 2201.72 लाख रुपये।
(4)	बाक्साइट की उपलभ्य राशियां	141.6 लाख मैट्रिक टन

(ग) बाक्साइट की वर्तमान ज्ञात उपलभ्य राशियों को विचार में रखते हुये यह महसूस किया जाता है कि विशेष रूप से प्रादेशिक आर्थिक सहयोग तथा पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक विकास के संदर्भ में एल्यूमिना का साधारण निर्यात भी अनुपयुक्त नहीं हो सकता। बाक्साइट एल्यूमिना के क्रय के सम्बन्ध में अन्य देशों से प्राप्त हुई पूछताछों के विचार से देश में पश्चिमी तट पर विशेष महत्व के साथ, बाक्साइट निक्षेपों के गहन समन्वेषण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह बाक्साइट/एल्यूमिना/एल्यूमिनियम के निर्यात के सम्बन्ध में नीति सुनिश्चित करने में सहायक होगा। सम्भाव्यता रिपोर्ट पर निर्णय लेते समय सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : विवरण में कहा गया है कि सरकार एल्यूमिना का निर्यात करने के बारे में विचार कर रही है। एल्यूमीनियम के मूल्य की तुलना में एल्यूमिना का मूल्य केवल 16 प्रतिशत है। सरकार निर्मित वस्तु निर्यात करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है जिससे हमें 16 रुपये की बजाय 100 रु० प्राप्त हों ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं। एल्यूमिना का मूल्य 550 रु० प्रति टन है जबकि एल्यूमीनियम का मूल्य 3800 रु० प्रति टन है। किन्तु आज की स्थिति में निर्मित वस्तु तो अलग रही, हम एल्यूमीनियम धातु का निर्यात करने की स्थिति में भी नहीं हैं। अतः हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि यदि संभव हो सके तो हम एल्युमीनियम केबलों का ही निर्यात करें। किन्तु आज हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि ईरान जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारा आर्थिक सहयोग है, इसलिये हमें यह देखना होगा कि क्या हम किसी हद तक एक अल्प-कालीन उपाय के रूप में एल्यूमिना का निर्यात कर सकते हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : हम 7 से 8 करोड़ रु० तक एल्यूमीनियम के उत्पादों का निर्यात कर पाये हैं। क्या कुछ पड़ोसी देशों के कहने से हमें एल्यूमिना के निर्यात पर राजी हो जाना

चाहिये । पड़ोसी देश तो सदैव ही यह चाहेंगे कि हम सस्ती वस्तुएं निर्यात करें और वे यह नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसी वस्तु का निर्यात करें जिससे हमें 7 गुना अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है । अतः मेरा निवेदन है कि पड़ोसी देशों के विचारों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हम अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं । मैं इस सम्बन्ध में सरकार से आश्वासन चाहता हूं ।

श्री जगन्नाथ राव : हम एल्यूमिना इसलिये निर्यात करना चाहते हैं कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके अथवा इसके बदले में गंधक और जस्ता प्राप्त हो सके क्योंकि हमारे देश में उसकी कमी है । अतः यह कोई दीर्घकालीन उपाय नहीं है । आर्थिक सहयोग में पड़ोसी देशों में से ईरान ने रुचि दिखाई है ।

Shri K. N. Tiwary : May I know the names of the countries with which we are having negotiations and the stage at which the negotiations are at present ?

श्री जगन्नाथ राव : हम केवल ईरान के मामले पर विचार कर रहे हैं । अन्य देश जिन्होंने रुचि दिखाई है उनके नाम हैं, जापान, रूस और संयुक्त अरब गण राज्य ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जिला कच्छ, जो कि पाकिस्तान के बहुत समीप है, के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस प्रदेश में विद्युत जनन के लिये कोई कार्यवाही की है ताकि कच्छ के माण्डवी ताल्लुक में एल्यूमीनियम का उत्पादन किया जा सके ?

श्री जगन्नाथ राव : एल्यूमीनियम उद्योग के विकास के लिये बिजली आधारभूत वस्तुओं में से एक है । गुजरात सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सब गुजरात सरकार पर निर्भर करता है कि क्या 1973-74 तक आण्विक शक्ति उपलब्ध होगी अथवा निम्न श्रेणी के कोयले से उत्पादित तापीय बिजली । ये सब बातें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्रश्न संख्या 722 के बारे में
RE : QUESTION No. 722

अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृष्ण गुप्त । माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है । अतः इस प्रश्न को नहीं लिया जा सकता ।

दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण के पुनर्विलोकन सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

+

*724. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री वंश नारायण सिंह** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में पुनर्विलोकन सम्बन्धी समिति की स्वीकार की गई

139 सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित करना सम्भव हो सका है ?

(ख) यदि हां, तो किस-किस अस्पताल में कौन-कौन सी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है और शेष सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) कौन-कौन सी सिफारिशों को किन कारणों से क्रियान्वित करना अस्पतालों के लिये सम्भव नहीं हो सका है और इस सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) चौथी योजना अवधि में वर्ष-वार कितनी और सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). सफदरगंज अस्पताल, विलिग्डन अस्पताल और उपचर्या गृह तथा लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के बारे में उपलब्ध अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2453/69]**

(घ) शेष 76 सिफारिशों के बारे में निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायगा । इनमें से ऐसी अधिकांश सिफारिशों का कार्यान्वयन जो मान्य पायी जायेगी, चौथी योजना अवधि में प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है।

Shri Prem Chand Verma: The Hon. Minister has said in the statement that some of the recommendations have been referred to the Director General. May I know the time by which the Director General is required to give his comments and whether these recommendations will be implemented in the light of the comments of the Director General?

May I know whether Government have received complaints regarding the attempts at molestation of nurses by doctors in Irwin, Willingdon and other hospitals of Delhi and if so, the action taken thereon?

श्री के० के० शाह : जहां तक महा निदेशक का सम्बन्ध है, वह दिल्ली प्रशासन के हैं। स्वीकृत सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये दिल्ली प्रशासन को भी भेजा गया है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है अथवा वे क्रियान्वित की जा रही हैं। यह सच है कि कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है किन्तु ऐसा हम शीघ्र कराने का प्रयत्न करेंगे। जहां तक नर्सों का सम्बन्ध है, एक प्रथक जांच की गई थी और प्रत्येक नर्स के मामले में जिसे तंग किया गया था, सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की गई है।

Shri Prem Chand Verma: My question has not been answered. After the submission of the Enquiry Committee Report, you have received a number of complaints regarding this. Is the Hon. Minister aware of the case of a nurse of Irwin Hospital who was raped by a doctor at night and which was widely reported in the press? Has any complaint been received in this regard?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच की जा रही है और जांच के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Prem Chand Verma: Secondly, may I know the steps being taken by the Government in regard to the treatment meted out to the patients by the doctors and staff of these hospitals as also in regard to the sale of hospital medicines outside by the hospital staff while the patients do not get these medicines?

श्री के० के० शाह : जहां तक रोगियों की शिकायतों का सम्बन्ध है, हमने काफी सुधार किया है। अब भी हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

जहां तक दवाइयों की चोरी का सम्बन्ध है, हमारे प्रशासन, संभरणकर्ताओं और फुटकर विक्रेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक की जा रही है और उपायों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has taken a number of steps for effecting improvements in Delhi hospitals, but inspite of that they are an apology for hospitals. During the last 3-4 months I had the occasion to go to Willingdon hospital twice or thrice. The condition of its Emergency Ward is most appalling. It has inadequate number of doctors and nurses. People have to move their patients themselves in the trollies. I also had to do so in the case of my relative patient. That hospital does not have sufficient number of beds for the patients. The patients are not given proper treatment. I want that in all needy cases the patients should be given beds and in all serious cases treatment should be given instantly.

What steps the Government are taking to ensure proper arrangements in the emergency wards?

In the Central Government Hospitals the number of Doctors and nurses is determined on the basis of number of patients. Will the Hon. Minister introduce that very basis in respect of Hospitals run by Delhi Administration? You have not accorded financial sanction to Delhi Administration for that although it has been repeatedly asked for. What are the reasons therefor?

Shri K. K. Shah: The Hon. Member is correct. But he is well aware that while there is capacity for 1200 patients, we have to admit 1600 to 1800 patients. Sometimes we have to keep the patients between the lines when their number rises.

इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम बराबर कोशिश करते रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इस समय विलिंगडन अस्पताल जायें तो वे वहां बाह्य रोगी विभाग में भी पर्याप्त सुधार पाएंगे।

दिल्ली प्रशासन के अन्य अस्पतालों में भी यही स्थिति है।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वे डाक्टरों और नर्सों की संख्या के निर्धारण के लिये रोगियों की संख्या को दिल्ली प्रशासन के लिये भी आधार मानने के तिए तैयार हैं? उसके लिए आप वित्तीय अनुदान भी नहीं दे रहे हैं।

श्री के० के० शाह : ऐसी दशा में मुझे अतिरिक्त रोगियों की भरती बन्द करनी पड़ेगी और डाक्टरों की संख्या के अनुपात से रोगी प्रवेश पा सकेंगे। इन कठिनाइयों के कारण मैं और क्या कर सकता हूं।

श्री पीलु मोदी : उनके प्रशासन काल में इतने अधिक व्यक्ति रोगग्रस्त क्यों हो रहे हैं?

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Mr. Speaker, it is correct that the Hon. Minister after taking over Health port folio visited Willingdon Hospital and even other Hospitals twice or thrice. But as a result of his visits 75 per cent expenditure is being incurred on nursing home and the remaining on general wards. As such, the bed sheets in these wards are torn and unwashed and the surgical instruments etc. are not made available to the medical staff.

Will the Hon. Minister ensure that a large part of the expenditure earmarked for Hospitals is incurred on general wards and not on Nursing House, so that inconveniences of the common people may be minimised.

Shri K. K. Shah : A few such complaints were received and still some somemay be there. Sometimes I go and see without giving any intimation.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : My statement is based on the basis of my visit made last week.

Shri K. K. Shah : I shall again look into it.

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker.....

अध्यक्ष महोदय : पर्याप्त समय हो गया है । अब मुझे दूसरे दलों को समय देना चाहिए ।

Shri Balraj Madhok : This is a local question and party has nothing to do with it. Members from Delhi would naturally like to ask questions about it.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में और नर्सिंग होम में दिल्ली के दूसरे अस्पतालों की तुलना में रोगियों की अच्छी चिकित्सा की जाती है । यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री के० के० शाह : चिकित्सा का सब जगह एक ही स्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ध्यान रखें कि इस प्रश्न का सम्बन्ध पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों से है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, since Delhi is the capital of the country, a large number of persons from nearly cities come here in the hope of better treatment. Due to that the hospitals are overcrowded and the Doctors are not in a position to give as much time to the patients as they ought to do. Taking into consideration all these factors, whether Government would raise the number of beds in Delhi Hospitals and also open new Hospitals in Fourth Five Year Plan so that the patients who come here for treatment are properly treated.

श्री के० के० शाह : यह बहुत अच्छा सुझाव है और हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Tulshidas Jadhav : People come to Hospitals, these days even for minor ailments and as such these hospitals become over crowded. Do the recommendations of the committee contain some suggestion that medical squads should visit the colonies for providing medical aid to the people and to advise them such precautions as may help them live in good health, so that the people with minor ailments may not over crowd the Hospitals. Whether there is any recommendation to that effect or whether the Government is thinking for such a remedy.

Shri K. K. Shah : This is included in the recommendations and we are considering to run mobile hospitals.

केवल वाह्य रोगी विभाग होंगे ताकि अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम हो सके। रोगियों को अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जायेगा। यह योजना विचाराधीन है।

Shri Balraj Madhok : The Hon. Minister stated in reply to a question by Shri Kanwar Lal Gupta that a number of patients are not admitted in hospitals due to shortage of accommodation. The population of Delhi has increased from 4 lakhs to 40 lakhs during the last few years and the hospital facilities are limited to certain areas. Taking in view the expansion of Delhi, will Government state by when action would be taken to open big hospitals across Jumna and at Najafgarh Road under the fourth five year plan, so that it may reduce pressure on the existing hospitals ?

श्री के० के० शाह : नई दिल्ली और पुरानी की मांगों को पूरा करने का मामला विचाराधीन है।

श्री बलराज मधोक : दो सुझाव आये हैं; एक जमुना पार के लिये और दूसरा नजफगढ़ रोड के लिये। उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री के० के० शाह : मैंने इस बात को काफी स्पष्ट कर दिया है। जैसाकि मैंने बताया प्रश्न यह है कि क्या सरकारी अस्पताओं में बैड बढ़ाना उचित रहेगा अथवा गैरस्वामित्वाधिकार वाली चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देकर उनमें सरकारी बैड सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।

श्री बलराज मधोक : आपने मेरे प्रश्न को समझा नहीं है।

श्री के० के० शाह : मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है। दो स्थानों पर अस्पताल खोलने के प्रस्ताव आये हैं। इसलिए मैंने कहा था कि क्या सरकार बैड बढ़ाती रहेगी तथा नए अस्पताल खोलती रहेगी अथवा स्वामित्वाधिकार रहित चिकित्सालयों को स्वीकृति देगी जिनमें सरकारी खर्च पर बैड सुरक्षित रखे जायें, जिससे कि रोगियों को दोनों व्यवस्थाओं में से विकल्प मिल सके।

श्री म० ला० सोंधी : इनमें से अधिकांश अस्पताल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। ऐसा लगता है मंत्री महोदय ब्राउनिंग की तरह ऐसा मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में है और संसार में सब कुछ ठीक है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उनका आगामी 12 महीनों में इन अस्पतालों के अध्यक्षों से मिलने का क्या कार्यक्रम है ?

श्री के० के० शाह : मैं उनसे किसी भी समय मिलने के लिये तैयार हूं। मैं उन्हें निमन्त्रित करूंगा। यह अच्छा सुझाव है।

वायु का दूषित होना

+

*725. **श्री भगवान दास :**

श्री बदरुद्दुजा :

श्री कं० हाल्दर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ क्षेत्रों में वायु बहुत अधिक दूषित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो वायु के दूषित होने में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इससे प्रभावित क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : भारत में वायु दूषण किस सीमा तक है, इसके बारे में भारत सरकार के पास कोई विशेष सूचना नहीं है । इस विषय पर अध्ययन जारी है ।

Shri Bhagwan Das : Air pollution has become severe in the industrial areas due to the smoke coming out from the factories of the areas. May I know whether the Government have made any arrangements for draining out the smoke out of the towns through underground Channels ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : मैं केवल यह कह सकता हूं कि पानी को गंदा करने पर रोक लगाने के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जाने वाला है । इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि क्या हवा को गंदा करने के विरुद्ध भी रोक लगाई जा सकती है परन्तु इसके लिये व्यापक अध्ययन की जरूरत होगी और यह पता लगाने के लिये कि नाइट्रोजन, आक्सीजन तथा कार्बन इत्यादि की कितनी प्रतिशतता होगी, काफी धन खर्च करना होगा ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : यह बहुत दयनीय स्थिति है कि सरकार कहती है कि वायु के गंदा होने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों का अध्ययन नहीं किया गया है । सर्वप्रथम सरकार को औद्योगिक विधान बनाना होगा । मैं सरकार से विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में उद्योग से किस प्रकार की सहायता प्राप्त करेगी ताकि हवा के गंदा होने की समस्या इतनी गंभीर न हो जाये, कि हल ही न हो सके ?

श्री के० के० शाह : अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य संस्थान के शरीर शास्त्र तथा औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान अनुभाग ने हवा के गन्दे होने के सम्बन्ध में अध्ययन किया है तथा उन्होंने अब हमें चेतावनी दी है कि इसके लिये व्यापक अध्ययन की जरूरत है । अध्ययन से पता चला है कि हमें बहुत गहराई में जांच करनी पड़ेगी और विस्तारपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा जिसका अर्थ है कि भारी धन खर्च करना पड़ेगा । हमें यह निश्चित करना होगा कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, आक्सीजन तथा कार्बन इत्यादि की अनुमति दी जा सकती है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार किस प्रकार का विधान बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री के० के० शाह : जब पानी के गंदा करने पर रोक लगाने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जायेगा तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हवा को गंदा करने पर रोक लगाना भी सम्भव है ।

श्री श्रीचंद गोयल : क्या मंत्री महोदय को पता है कि चीनी कारखानों से जहां खोई को मुख्य ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, निकलने वाली धूल से हवा इतनी गंदी हो जाती है, कि उस से लोगों के मुंह काले हो जाते हैं? क्या सरकार ने इसे रोकने के लिये कड़ी कार्यवाही की है ?

श्री के० के० शाह : इसके लिये पहले ही उपबन्ध है कि चिमनी की एक विशेष ऊंचाई होनी चाहिये। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे मोटर कारों आदि से धुएं का निकलना। इन सब से हवा गंदी होती है। इन बातों का पता है परन्तु देखना यह है कि इस सम्बन्ध में कितना कुछ किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ काम आरम्भ कर दिया है।

उद्योगपतियों को कर-प्रोत्साहन

+

*726. **श्री महेन्द्र माझी** :
श्री वि० नरसिम्हाराव :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री धी० ना० देव :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन उद्योगपतियों ने अभी हाल ही में अपनी बैठक नई दिल्ली में की थी उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें समुचित कर-प्रोत्साहन दिया जाये तो वे अपनी और अधिक क्षमताओं और संसाधनों को सामाजिक सेवाओं के विकास में लगाने को तैयार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संभवत: माननीय सदस्यों का संकेत नई दिल्ली में 21 और 22 नवम्बर, 1969 को हुए अखिल भारतीय कर-कार्यकारी अधिकारियों के उस सम्मेलन की ओर है, जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों के फेडरेशन के तत्वावधान में हुआ था। प्रेस रिपोर्टों से लगता है कि व्यापारी-समुदाय ने समाज-कल्याण योजनाओं के विकास में रुचि दिखाई है और इस प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, कर सम्बन्धी प्रोत्साहन के प्रश्न पर सम्मेलन में चर्चा की गयी। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार को अभी तक भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डलों के फेडरेशन की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री महेन्द्र माझी : क्या सरकार ने नवम्बर में नई दिल्ली में कर-कार्यकारी अधिकारियों की विचार गोष्ठी, जिसमें विभिन्न व्यापार गृहों का प्रतिनिधित्व था, की कार्यवाही पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा है कि हमें इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री महेन्द्र माझी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इटली, आयरलैंड, नीदरलैंड तथा ब्रिटेन आदि देशों में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत विकासशील क्षेत्रों में स्थित नये कारखानों को कर से छूट दी जाती है और क्या ऐसी व्यवस्था यहां भी संभव है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय ऐसी कोई रियायत मुहैय्या नहीं है। शहरी क्षेत्रों से देहाती क्षेत्रों में उद्योगों को ले जाने पर अब कुछ रियायतों की व्यवस्था की गई है। यदि कहीं उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से देहाती क्षेत्रों में ले जाया जाता है, तो उन्हें कुछ रियायतें दी जाती हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब उद्योगपतियों ने करों में कुछ रियायतों की मांग की है, तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनके पास कितनी राशि उपलब्ध है तथा किस स्रोत से वह उसे पुनः औद्योगिक क्षेत्र में लगाना चाहते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में कहा है, हमें उन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब उन्होंने प्रोत्साहनों की मांग की थी तो क्या उन्होंने सरकार को बताया था कि उनके पास कितनी राशि उपलब्ध है, जिसे वे पुनः उद्योग में लगायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जब ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, हम अवश्य उन पर विचार करेंगे।

श्री क० लकप्पा : उद्योगपतियों की यह बहुत बड़ी चाल प्रतीत होती है। देश भर में वाणिज्य मंडलों पर बड़े-बड़े व्यापार गृहों तथा उद्योगपतियों का नियंत्रण है। समाज की सेवा के नाम पर वे देश को धोखा दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इन उद्योग गृहों ने कितना कर अपवंचन किया है और यदि हां, तो करों की राशि को वसूल करने के लिये सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक आय कर तथा धन कर के अपवंचन का प्रश्न है, इन मामलों का निबटारा कानून के अधीन किया जाता है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो वह मुझे दे दें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति व्यक्तिगत मामलों में किसी व्यक्ति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे रियायतें देने की है अथवा इस सम्बन्ध में रियायत देने से काफी समय पहले, कम से कम एक वर्ष पहले एक नियमित नीति बनाई जाती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा था कि हमें इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। विधि में जो कुछ उपबन्ध किया गया है, वह आयकर अधिनियम की धारा

32 (1) (4), 36 (1) (ए), 80 बी, 80 जी, 80 एच, 80 यू और 280 जैड ए० में उल्लिखित है । आयकर संशोधन विधेयक इस समय प्रवर समिति के समक्ष है और उनके समक्ष भी एक अथवा दो प्रस्ताव हैं । इसके अतिरिक्त कानून में कोई अन्य व्यवस्था नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार के अनुमान के अनुसार कर की कितनी राशि का अपवंचन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशिष्ट प्रश्न पूछे ।

श्री लोबो प्रभु : उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के बारे में दो मत हो सकते हैं, परन्तु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में दो मत नहीं हो सकते । हमारे उद्योग क्षमता से आधा काम कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कर प्रमाण पत्रों की तरह, जैसा कि उन्हें पहले दिये जाते थे, सरकार उन्हें कुछ रियायतें देगी । मैं अपने माननीय मित्र से कहना चाहता हूं कि इससे देश में अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे तथा देश उत्पादन में वृद्धि होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे कुछ प्रोत्साहन विशेष रूप से कर प्रमाण पत्र आदि देने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि बेकार पड़ी क्षमता को काम में लाया जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बेकार पड़ी क्षमता का सम्बन्ध है, हम यह अवश्य चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाये तथा पूरा उत्पादन किया जाये । परन्तु प्रश्न काल में करों सम्बन्धी रियायतों के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

श्री के० एम० अब्राहम : इस बात को देखते हुए कि औद्योगिक विकास मुख्यतया औद्योगिक नियोजन पर निर्भर है, क्या सरकार औद्योगिक श्रमिकों को और प्रोत्साहन देगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : मुख्य प्रश्न व्यापार गृहों की कुछ समाज कल्याण सेवाओं तथा उनके लिए प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में मैंने कई रियायतों का उल्लेख किया है जो कुछ समाज कल्याण सेवाओं के लिये दी जाती हैं ।

धनबाद जिले में कोयला खानों के निकटवर्ती क्षेत्रों का धंस जाना

*727. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि धनबाद जिले में कोयला खानों के आसपास के अधिकांश क्षेत्र धंस गये हैं जिसके कारण ये कृषि के लिये अनुपयुक्त हो गये हैं तथा उन पर बने हुए मकानों को क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या यह सच है कि भूस्वामियों और मालिक मकानों को उक्त क्षति के लिये कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन क्षेत्रों के धंसने का कारण कोयला निकालने के बाद खानों में पूरी तरह रेत का न भरा जाना है ;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार का विचार संसदीय समिति के माध्यम से शिकायतों की जांच करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहिये, परन्तु मैं आप को बताना चाहता हूं कि खानों में पर्याप्त मात्रा में रेत न भरे जाने के कारण वहां बहुत खतरा उत्पन्न हो गया है । इस विभाग में बहुत भष्टाचार है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । क्या अभी ही शिकायत करना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खान मालिकों को बड़े खतरनाक और अवैज्ञानिक ढंग से खनन की अनुमति दी गई है । ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि धनबाद की कोयला खानों में कुल कितनी मात्रा में रेत डाली गई है ।

श्री जगन्नाथ राव : रेत डाली गई थी । खान सुरक्षा के महा निदेशक खानों का दौरा करते हैं । जब तक खानों में रेत नहीं डाली जाती वहां कार्य नहीं हो सकता । इस प्रकार का केवल एक मामला कोयला बोर्ड के समक्ष आया है । वह एना खान के बारे में था । भूमि धसने का और कोई मामला कोयला बोर्ड के ध्यान में नहीं लाया गया । धनबाद कोयला खान में 18 सीम हैं । 1967 में जब 10 वीं सीम पर कार्य हो रहा था, उस समय रेत भरा गया था प्रयोग के आधार पर अनुमति दी गई थी । यह सफल रही और कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली । यदि शिकायतें मिले, तो अवश्य ही कार्यवाही की जाती है । स्टोइंग का तरीका धनबाद और आसनसोल के क्षेत्र की खानों में अपनाया जाता है । वहां पूरी सावधानी बर्ती जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खनन विभाग के नियमों के उल्लंघन करने पर धनबाद जिले के कोयलाखान मालिकों के विरुद्ध कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

श्री जगन्नाथ राव : श्रम मन्त्रालय कोयला खान सुरक्षा अधिनियम को लागू करता है । खान सुरक्षा के महानिदेशक श्रममन्त्रालय के अधीन हैं । अतः वह मन्त्रालय इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में होगा ।

Shri Deven Sen : May I know whether any colliery has been closed in Dhanbad area during the last two or three years, if so, the reasons therefor ?

श्री जगन्नाथ राव : उसके कई कारण है । यदि वह कोई विशेष कारण बताएं तो मैं पता करुंगा ।

केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की तुलना में रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते और उनके लिये रेलवे पास की सुविधा

*728. **श्री राम चरण:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते मन्त्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों के बराबर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में एक बार भारत में कहीं भी जाने और वापिस आने के लिये एक निःशुल्क रेलवे पास दिया जाता है जब कि सचिवालय तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी जातीं ।

(ग) क्या सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को ऐसे निःशुल्क रेलवे पास देने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां, समतुल्य पदों के सम्बन्ध में ।

(ख) से (घ). रेलवे कर्मचारियों को, और रेलवे बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को भी, कुछ निर्धारित पैमाने पर हर साल मुफ्त रेलवे पास और रियायती टिकट आदेशों की सुविधा मिली हुई हैं । केन्द्रीय सरकार के सचिवालय तथा अन्य सम्बन्ध कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी प्रत्येक दो कैलेण्डर वर्षों की अवधि में एक बार अपने मूल निवास स्थान को जाने आने के लिये अवकाश यात्रा का लाभ योग्यता आदि सम्बन्धी कुछ शर्तों के अधीन पाने का हक है । केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को मुफ्त रेलवे पास जारी करने का कोई खयाल नहीं है, क्योंकि रेलवे यात्रा सम्बन्धी इस प्रकार की विशेष यात्रा रियायत सदैव रेलवे बोर्ड में अथवा उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित रही है ।

Shri Ram Charan : Sir, the appointments on class three and four posts in the Ministries and Railway Board are made through U. P. S. C. A combined competitive examination is held for this, some of the successful persons are posted in Railway Board and others in other Ministries. Those who go to ministries do not get P. T. O. concessions like the persons in Railway Board. Those persons working in Ministries get P. T. O. concessions whose usual residence is beyond 250 miles. I had fifteen years of service. I did not get even a single chance to go out of Delhi, because I was not entitled to concession. They talk of socialism, benefits to employees and their uplift. I want to know whether Government will consider giving benefit to those clerks, Assistants and S. O.'s whose usual residences are not far off.

I want to know further that whether this concession will be given for their families also, so that they could go to any part of India with families at least once in two years, as has been done in the case of M. Ps.

श्री प्र० चं० सेठी : रेलवे कर्मचारियों को जो सुविधा मिलती है वह समूचे विश्व में सभी वाहन सेवाओं के कर्मचारियों को उपलब्ध है। जहां तक अन्य सरकारी कर्मचारियों की बात है उनको अपने स्थाई घर तक जाने के लिये रियायत दी जाती है । सभी सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा देने पर तभी विचार किया जा सकता है जब हम वित्तीय दृष्टि से ऐसा करने की स्थिति में होंगे ।

Shri Ram Charan : Government employees used to get free pass for hill stations before independence, I want to know whether Government is prepared to give that concession once in three years ?

श्री प्र० चं० सेठी : उस समय सरकारी कार्यालय भी पहाड़ी स्थान पर स्थानान्तरित किये जाते थे। अतः यह सुविधा उपलब्ध थी ।

श्री ई० के० नायनार : सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दे रखी हैं। रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सर्दियों के ऊनी वर्दियां और कम्बल नहीं दिये जाते। क्या सरकार ये वस्तुएं सप्लाई करने पर विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं रेलवे कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यात्रा रियायत के बारे में उत्तर दे रहा था। रेलवे कर्मचारियों को वर्दी देने के बारे में प्रश्न रेलवे मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

Development of Technique of getting Oil From Dry Oil-Wells

*729. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new technique of getting oil from almost dry oil-wells by the use of nitro glycerine has been developed in America by which they have started getting 22 barrels of oil daily from the oil-wells yielding 1/4 barrel of oil ;

(b) whether it is a fact that the wax and asphalt get frozen and block the passage of the oil and that the new technique melts them away and pumps them out ; and

(c) if so, the steps being taken to apply the said technique in regard to the dry oil-wells in Assam as there is a large quantity of wax in the Assam oil-wells also ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). नाईट्रो-ग्लिसीन जैसे विस्फोटों द्वारा तेल कुओं के उद्दीपन की विधि, एक नई तकनीक नहीं है और कुछ समय से इसकी जानकारी है। चुम्बन शीलता में सुधार द्वारा, तेल-युक्त चट्टान से तेल के बहाव में सुधार करना इसका लक्ष्य है । कुंए में उद्दीपन, इसका प्राथमिक प्रयोग है लेकिन प्रक्रिया में उत्पन्न हुई गर्मी, कूप छिद्रण के पास बाधा डालने वाले मोम / एस्फाल्ट को पिघलाने / नर्म करने में लाभदायक हो सकती है। परन्तु मार्ग से मोम निकालने के लिये तकनीक इस्तेमाल नहीं की जाती है। आसाम के कुंओं में पाइपों के यान्त्रिक छीलन तथा गर्म-तेल के परिचालन से मोम निकाली जाती है। आसाम कुओं में नाईट्रो-ग्लिसीन तकनीक को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Government has been storing the precious gas to take out oil from those old oil-wells of Assam from which we are not getting oil. Whether it is a fact that in case we prepare liquid Ammonia from that gas, that would have been more profitable ? As a result of filling the gas, there is a loss of 50 per cent and the oil we get in return is uneconomical.

श्री दा० रा० चह्वाण : गैस का उपयोग तेल के कुओं पर दबाव डालने के लिये भी किया जाता है । एक विधि है जिसे तेल के कुओं में गैस परिचालित करने की विधि करते हैं । यदि उन पर दबाव डाला जाय तो तेल स्वत: निकल आता है । इस विधि के विकास का आशय तेल में बहाव लाना है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon'ble Minister has stated the process but my simple question was that as a result of filling gas there is a loss of 50 per cent and in view of this if we prepare liquid ammonia from that gas we could earn more profit ?

श्री दा०रा०चह्वाण: जो प्रश्न पूछा गया है उसका सम्बन्ध विधि मंत्रालय से है जिसका प्रयोग कुछ समय पहले किया जाता था अथवा उसका प्रयोग अमरीका में किया जाता है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : My supplementary question should be answered.

श्री दा० रा० चह्वाण : अनुपूरक प्रश्न का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जब उन्होंने दबाव डालने के लिये गैस के प्रयोग के बारे में प्रश्न पूछा था तो मैंने उसका उत्तर दिया था । मैंने पहले ही बता दिया है कि दो प्रकार की गैसें होती है एक का नाम एसोसिटटिड गैस है और दूसरी गैस वह है जो गैस क्षेत्रों से निकलती है । गैस क्षेत्रों से निकलने वाली गैस का विनियमन हो सकता है परन्तु जहां तक एसोसिएटिड गैस का सम्बन्ध है जो तेल के साथ निकलती है, उसमें से कुछ गैस यदि उसका प्रयोग न किया जाये तो वह भड़क उठेगी ।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether it is a fact that there is 13 per-cent of wax in crude oil of Assam ? The system of filling in the gas by which we want to take out crude oil, that wax stops the flow of oil. The wax can be melt away and crude oil can be taken by using the technique mentioned by me. If it is true then why shonld we not adopt that technique ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस विधि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तेल के कुछ कुओं से तेल स्वत: निकल रहा है । जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है इस प्रकार की बात वहां तेल सप्लाई करने वाले कुएं के सूख जाने की अभी कोई घटना नहीं हुई है, अत: उस प्रयोजन के लिये इस विधि का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल क्षेत्र का विकास कार्य वर्ष 1957 में आरम्भ किया था 20 वर्ष तक हम तेल प्राप्त करते रहे । यदि 20 वर्षों के बाद कोई ऐसी बात होती है । तभी विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता पड़ेगी ।

जहां तक आसाम का सम्बन्ध है जब कभी तेल के कुएं के मध्य भाग में एस्फाल्ट अथवा मोम होता है तो उसे गर्म तेल के परिचालन अथवा यांत्रिक छीलन द्वारा हटा दिया जाता है ।

श्री हेम बरुआ : डिगबोई, आसाम में तेल के कुएं सूख जाने के कारण क्या सरकार ने आसाम के कुछ अन्य भागों में उपलब्ध कच्चे तेल को डिगबोई तेल क्षेत्रों में भेजने का निर्णय किया है।

श्री दा० रा० चह्वाण : जहां तक डिगबोर्ड तेल क्षेत्रों का सम्बन्ध है, आसाम आयल कम्पनी वहां पर एक हजार से अधिक तेल के कुएं लगाये हैं। अब उनका उत्पादन 20,000 से 150,000 टन है। डिगबोई तेल शोधक कारखाने की क्षमता 5.25 है। जितने तेल की कमी है उतना तेल आयल इण्डिया कम्पनी सप्लाई कर रही है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न भिन्न है। आयल इण्डिया कम्पनी डिगबोई तेल शोधक कारखाने को इस लिये तेल सप्लाई कर रही है क्योंकि डिगबोई के तेल क्षेत्रों से तेल उपलब्ध नहीं है। विदेशी तेल शोधक कारखाने को फिर से चलाने का क्या प्रयोजन है।

श्री दा० रा० चह्वाण : इस शताब्दी के प्रथम दशक में डिगबोई तेलक्षेत्रों का विकास हुआ था जिनमें से सबसे पहला क्षेत्र 1901 में बना। तब से वहां पर कुएं खोदे जाते रहे हैं। जो तेल वहां पर उपलब्ध था वह अब कम हो गया है। (**व्यवधान**)

श्री रंगा : मन्त्री महोदय ने प्रश्न को समझा नहीं।

श्री दा० रा० चह्वाण : यदि वह प्रश्न के आशय को नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि तेल के उन कुओं को लेने से क्या लाभ है जिनकी मालिक विदेशी कम्पनियां हैं ?

श्री सु० कु० तापड़िया : मन्त्री महोदय को कुछ जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहना चाहिये। उनका उत्तर बिलकुल संगत है।

दामोदर घाटी निगम के बारे में समिति का गठन

*732. **डा० रानेन सेन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए अनेक समितियां बनाई थीं जिनके सदस्य उनके अपने अधिकारी गण थे जिसके परिणामस्वरूप इन समितियों में चर्चा न तो उद्देश्यपूर्ण, न ही उपयोगी और न ही लाभप्रद रही ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निगम के कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के हेतु उपयुक्त निर्देश-पद तथा एक विस्तृत आधार वाली एक ऐसी समिति नियुक्त करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम को निर्देश देने का है, जिसमें बाहर के लोग अर्थात् भाग लेने वाली सरकारों के प्रतिनिधि तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की मान्यताप्राप्त यूनियनों/संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० सरोजनी महिषी) (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). दामोदर घाटी निगम संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत्त-शासी संस्था है और केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार की भागी सरकारों के साथ सलाह करके इसके सदस्यों की नियुक्ति करती है। उन समितियों के अतिरिक्त जिनमें निगम के अपने ही अधिकारी हैं, निगम ने ऐसी समितियां भी बनाई हैं जिनमें ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो निगम की सेवा में नहीं हैं। इन समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से इस संस्था के कार्य संचालन में सुधार हुए हैं।

इस स्थिति को देखते हुए सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इस निगम के कार्य संचालन की जांच करने के लिए कोई और समिति गठित करने हेतु दामोदर घाटी निगम को कोई निदेश जारी किया जाए।

डा० रानेन सेन : क्या दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के संघों ने दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों अथवा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उस समिति में संघों के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये और यदि हां ; तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० सरोजिनी महिषी : दामोदर घाटी निगम संसद के अधिनियम द्वारा गठित 'एक स्वायत्तशासी संस्था है और समितियों में विभिन्न अधिकारी हैं और संघों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है।

डा० रानेन सेन : क्या उस समिति विशेष में सरकार ने संघों के किसी प्रतिनिधि को सम्मिलित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ? संघ मान्यताप्राप्त संस्था है।

डा० सरोजिनी महिषी : कई समितियां नियुक्त की गई है जैसे नायर समिति, बनर्जी समिति और चक्रवर्ती समिति और ये समितियां संघों के हितों का विशेष रूप से विचार करती रही हैं।

डा० रानेन सेन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कर्मचारियों के संघों ने इन समितियों में से किसी में अपने प्रतिनिधि सम्मिलित कराने के लिये अभ्यावेदन भेजा था ?

डा० सरोजिनी महिषी : नायर समिति जो वर्ष 1963 में निगम द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार गठित की गई थी, की सिफारिशें संघ की राय जानने के लिये उन्हें भेजी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। आप इसका अलग नोटिस दें। मेरे विचार में यह सामान्य प्रश्न नहीं है।

रूस और चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*733. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस और चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से देश में कोयले पर

आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए डा० चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक दल रूस और चकोस्लोवाकिया भेजा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डा० चक्रवर्ती ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिये गये हैं और इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिये उपकरण की सप्लाई की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये डा० चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक दल रूस तथा चैकोस्लोवाकिया मे गया था। दल ने सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये दौरा नहीं किया था।

(ख) जी हां।

(ग) रिपोर्ट में रूस तथा चैकोस्लोवाकिया से उपलब्ध होने वाले उपकरण की किस्म का तथा सम्बद्ध मामलों का जिकर है। यह सूचना परियोजनाओं के विदेशी मुद्रा अंश को पूरा करने के लिये पैटर्न का निर्णय करने के काम में लाई जायेगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : माननीय मंत्री का कहना है कि इस दल को सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये नहीं भेजा गया था। यदि ऐसा है तो इस दल को किस विचार से भेजा गया था ? जहां तक मुझे जानकारी है भारत को निकट भविष्य में उर्वरकों को आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मीठापुर परियोजना सहित जिन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है वे कई वर्ष तक उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी। इस बातको देखते हुए इस दल को भेजने की आवश्यकता ही क्या थी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वर्तमान संयंत्र .....

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : परियोजनाओं सहित।

श्री दा० रा० चह्वाण : जी हां तथा उन परियोजनाओं सहित जो निर्माणाधीन हैं अथवा जिन्हें क्रियान्वित किया जाना है; वे भारत की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकेंगी। चालू परियोजनाओं तथा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 21 लाख 64 हजार टन होगी जबकि योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार भारत को 30 लाख 7 हजार टन उर्वरक की आवश्यकता होगी। इसलिये उन्होंने सुझाव दिया है कि उत्पादन क्षमता को 30 लाख 75 हजार टन तक बढ़ा दिया जाये। कुछ पत्र भी तैयार किये गये हैं जिनके अनुसार उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाये जायें। पूर्वी योरूप के देशों में किस प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं और क्या उनका रुपये में भुगतान हो सकता है ; अन्य देशों में कौन सा सामान उपलब्ध हो सकता है क्योंकि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों में विदेशी मुद्रा के अंश की राशि 20 करोड़ रुपये से कम नहीं है, इन सब बातों का पता लगाने के लिये विदेशों में दल भेजने आवश्यक हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर मीठापुर संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी ? इस बात को देखते हुए कि इस वर्ष उर्वरकों का कम उपयोग किया गया है क्या सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना में निर्धारित उर्वरकों के लक्ष्य के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य ने मीठापुर परियोजना के सम्बन्ध में क्यों प्रश्न किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री ने जब इसका निर्देश किया तो आपने उसके लिए अनुमति दे दी किन्तु मुझे आप अब अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं सदस्य महोदय के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे रहा हूं । मेरे विचार से वह संगत प्रश्न है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : अध्यक्ष महोदय ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन-सा प्रश्न संगत है और कौन-सा असंगत ।

श्री रंगा : आपने श्री देवकीनन्दन पाटोदिया को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश करने से मना किया था किन्तु मंत्री महोदय को आपने अनुमति दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जब देखें कि प्रश्न संगत नहीं है, तो वह मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करा सकते हैं, उन्हें स्वयं ही ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री दा० रा० चह्वाण : जब कोई असंगत प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना होता है। इस प्रश्न का दूसरा भाग संगत है इसलिये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे आपके ध्यान में लाऊं। माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि उर्वरकों का उपयोग कम हुआ है, इस बात को देखते हुए क्या सरकार ने उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है । सभा की सूचना के लिये मैं कहना चाहता हूं कि मूलत: कुल उत्पादन क्षमता का लक्ष्य 50 लाख 1 हजार टन रखा गया था । अब इसे घटाकर 30 लाख 7 हजार टन कर दिया गया है । इसमें यही परिवर्तन किया गया है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह बात भी असंगत है ।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य स्वयं ही संगत-असंगत का निर्णय कर रहे हैं ।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOITCE QUESTION

Clash In Village Amarpur Diyara Thana Baxar (Bihar)

S.N.Q. No. 4. Shri Chandrika Prasad : Shri Chandra Jeet Yadav :
Shri Molahu Prasad : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a clash in village Amarpur Diyara, Thana Baxar,

District Arrah (Bihar) which is situated on the borders of Ballia district of Uttar Pradesh on account of demarcation of boundary of Bihar and Uttar Pradesh by the Central Government as a result of which some Harijans and persons belonging to backward classes were killed ;

(b) If so, the number of persons killed and Government's reaction thereto ;

(c) whether Government propose to give some compensation etc. to the families of deceased persons, and if not the reasons therefor ; and

(d) the reasons for the delay in implementing the recommendations of the Trivedi Commission and the time by which they are likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) : (a) and (b). According to available information, the tenants of Umarpur Diara were recognised as Battaidars in the course of recent land survey. These persons were already in cultivatory possession of the land from previous seasons and the landlords were trying unsuccessfully to oust them through litigation. It is reported that a mob organised by the landlords of Narhi, Ballia attacked these tenants resulting in the death of 10 persons and injuries to 12 persons of whom one died later in the hospital. None of those killed is reported to be a Harijan.

A criminal case has been registered and 23 accused have been arrested. 16 persons have been arrested by the Uttar Pradesh police in pursuance of requisition received from the Bihar Government. Sufficient police force with Magistrate were deputed to Umarpur Diara for maintaining law and order and to prevent occurrence of any further trouble.

(c) Latest position is being ascertaind from State Government.

(d) Further action on implementing the provisions of the Trivedi Commission incorporated in the Bihar and Uttar Pradesh. Alteration of Boundaries Act 1968 is held up as certain writ petitions are pending in Patna High Court.

Shri Chandrika Prasad : Mr. Speaker, Sir, according to the recommendations made by the Trivedi Commission some pillars had to be installed there. Some of them had actually been installed but were removed by some people. I would like to know whether all the pillars, as recommended by the Trivedi Commission have been installed ; if not, what are the reasons for that? What action is being taken against those who had removed the Pillars ?

Shri Vidya Charan Shukla : In order to streamline the job, we had also included that people working in the Office of the Surveyor General of India. Surveyor General of India had completed its job by settling those points where the pillars were to be installed. Work in the Ghagra sector has been completed. In the Ganga Sector, however, work is incomplete because certain places where the pillars were to be installed are under water. As I have told in my reply to the main question, work has been held up because of the writ petition in the Patna High Court. We ourselves are very anxious to complete the work as soon as possible so that this dispute may be totally eliminated.

Shri Chandrika Prasad : Five thousand acres out of this disputed land in Amardiara is no man's land. But the residents of that village and the State Government desires its settlement before transfer. May I know what steps Government proposes to take to check their efforts ?

Shri Vidya Charan Shukla : Demarcation of land is contained in the Act passed by the Parliament. Ist October had been fixed for the transfer of land but the physical transfer could not take place because of the writ petition filed in the High Court. We are

trying our best to solve the dispute; State Governments are also co-operating with us. Settlement of land falling in U. P. will be the responsibility of that Government but some provisions have been made in the Act according to the Bihar Tenancy Right. So we are fully alive to the question.

Shri Molahu Prasad: This Government is responsible for disputing every affair. Hon. Minister has stated that the recommendations of the Trivedi Commission could not be implemented because a writ petition had been filed against it. I would like to know as to when this petition was filed? How many people connected with the attack have been arrested?

The boundary dispute between the States can be likened to the Sino-Indian and Indo-Pak Border disputes. The boundary disputes between the States arise because of the rivers changing their course, with the result that people from across the rivers take possession of the land while those of this side pay the land revenue. May I know the names of the persons arrested in this connection as also the date by which the latest information will be made available? May I also know the time likely to be taken in pursuing the petition filed in the Patna High Court regarding the recommendations of the Trivedi Commission?

Shri Vidya Charan Shukla: The Hon. Member has asked the question from a strange angle. This dispute cannot be ascribed to the Government of India or any State Government....

Shri Molahu Prasad: The Central Government is always a mediator between the two States.

Shri Vidya Charan Shukla: The commission was set up to resolve the disputes arising from the river changing its course. We accepted the findings of the commission with the consultation of both the Governments and the Parliament passed the Bill on that basis. Now certain difficulties are felt in implementing that and there is no other difficulty. The writ petitions were filed by certain persons before 1st of October. Off hand I cannot tell the date thereof, but they filed the petition to forestall the transfer of land which was to take place on the 1st of October. I do not have the names of the persons arrested, but the State Governments have taken necessary action in the matter. I shall try to collect the latest information as early as possible.

Shri Nathu Ram Ahirwar: Ten Harijans who died.....

Shri Vidya Charan Shukla: None of them was a Harijan.

Shri Nathu Ram Ahirwar: May I know whether Government have given any financial assistance to the families of the deceased persons?

Shri Vidya Charan Shukla: I have already stated that I shall furnish the information after it has been collected from the State Governments.

Shri Sarjoo Pandey: This is not the solitary instance. Even earlier the landlords had attacked the cultivators and killed eleven persons and taken their 20 buffaloes into their illegal possession. There is mounting tension in the village and they can at any time attack and kill them. The cultivators of that area are so much terror-stricken that they dare not come out in the market and the police is also not taking any action. Is the Government aware that one person of Narhi village has been completely deprived of his land by the landlord and he was forced to leave the village? Do Government propose to take effective steps to

protect the cultivators of that area ? The Hon. Minister says that 32 persons are being proceeded against but all the Zamindars in the village are loitering about unchecked and the police is not apprehending them.

Shri Vidya Charan Shukla : As I have stated in the original reply, a magistrate has been deputed there with special police who will see to it that law and order is restored there. The second part of the question will be communicated to the State Government.

Shri K. N. Tiwary t The tenants of Bihar have filed a writ petition in the Patna High Court. Is it a fact that the U. P. authorities have ejected the farmers from their ancestral land lying between Arrah and Ballia who are now starving and which is root cause of the trouble.

Shri Vidya Charan Shukla : We have not received such reports. The fact is that under the demarcation of boundary arrangement, the area given to Bihar has the U. P. Tenancy Law in force and only the people of Bihar have the right to work there. We are not disturbing the settlement reached in regard to those areas which change according to the course of the rivers. We have been getting enuogh cooperation of both the State Government in this regard. This was a dispute between the tenants and the land lords for stalling which we have reached this settlement.

Shri Janeshwar Mishra : It is but natural that when any boundary dispute arises, the State Governments concerned take decision after taking into account the interests of their own States and take steps accordingly. So, when any such dispute arises beating or killing takes place, the police of U. P. and Bihar support the people of their own States. May I know whether the Central Gevernment deploy the Border Security Force or any other Central police there so long as this dispute remains unsettled ?

Shri Vidya Charan Shukla : It will be done when the situation warrants it. But the situation there does not warrant the posting of Central police there. Under the existing laws the Central Police has also to work under the State Police force. The State Government has made adequate arrangements on our behalf. If additional arrangements will be considered necessary, we shall certainly write to them.

श्री स० मो० बनर्जी : पिछले प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमन्त्रियों से बातचीत करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि त्रिवेदी आयोग के प्रतिवेदन पर दोनों राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ? उनके बीच विवाद उत्पन्न होने पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रतिवेदन पर केवल सम्बन्धित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों द्वारा ही विचार नहीं किया गया था अपितु उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं में भी उस पर चर्चा की गई थी । उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने प्रतिवेदन की स्वीकृति में एक प्रस्ताव पास किया था जबकि बिहार ने कोई प्रस्ताव पास किये बिना ही उस पर विचार किया । हमने विधान सभाओं की कार्यवाही का अध्ययन किया और यहां पर एक कानून पास किया जिसके द्वारा कुछ जमीनें बिहार से उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश से बिहार को स्थानान्तरित कर दी गई थीं । वह क्षेत्र नक्शे में भी सीमांकित कर दिया गया था । परन्तु वास्तविक सीमांकन भारत के महा सर्वेक्षक द्वारा किया गया था । अधिकतर क्षेत्रों में सीमांकन खम्भों के निशान लगा

दिये गये हैं ; विशेषकर घाघरा क्षेत्र में कुछ खम्भे लगा दिये गये हैं। गंगा क्षेत्र में कुछ खम्भे छोड़े जायेंगे जिसका प्रथम कारण यह है कि वे स्थान जहां ये खम्भे लगाये जाने हैं गंगा नदी के बहाव से डूबे हुए हैं और दूसरे पटना उच्च न्यायालय में एक लेख याचिका विचाराधीन है। इसके कारण उस क्षेत्र में जहां खम्भे लगाये जाने थे आगे सीमांकन नहीं किया जा सका। जैसे ही इस याचिका का फैसला हो जायेगा, हम इस मामले को पुनः राज्य सरकारों के साथ उठायेंगे और इस मामले का फैसला करेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : It is not a boundary dispute but a dispute arising out of the conflicting claims over land by the actual tillers of the soil. This practice of giving land on the basis of foodgrain levy in Bihar is the root cause of this dispute. I want to know what steps Government have taken to abolish this practice ?

Secondly, when the Government were already sensing that this kind of dispute was likely to crop up, why precautionary measures were not taken to forestall it ?

Shri Vidya Charan Shukla : The main cause of this dispute is that because of the changing course of the river the land sometimes falls under the jurisdiction of U. P. and sometimes under the jurisdiction of Bihar. So, the people cultivating the land there advance conflicting claims about ownership of that land. The police has already been posted there. But at every place the police arrangement was not adequate enough to prevent such happenings. As I have already stated in the original reply, a Special Police contingent along with a magistrate has now been sent to reinforce the police arrangement there. So far as the question of taking precautionary measures is concerned, if the State Governments had sensed such a trouble certainly police arrangements would have been made to cope with the situation there. It is therefore clear that they did not anticipate any trouble. Otherwise precautionary measures would have certainly been taken.

श्री हेम बरुआ : सीमा विवादों के कारण भारतीय राज्यों, आसाम और नागालैंड, के बीच सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं। क्या सरकार इन सीमा विवादों को हल करने के लिये एक स्थायी न्यायाधिकरण नियुक्त करेगा जैसी कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने सिफारिश की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक पेचीदा प्रश्न है। मैं प्रश्न काल में इसे नहीं निपटा सकता।

Shri Yogendra Sharma : The Bihar Vidhan Sabha had not approved the report of the Trivedi Commission whereas the U. P. Vidhan Sabha has approved it. The people of Bihar, especially the people of Umarpur Dehri, are against going under the jurisdiction of U. P. They have disapproved the Trivedi Commission report because this dispute will become a perennial dispute. If some land falls on the south of the Ganga because of the change in its course, it would be very difficult for the U. P. Police to maintain law and order there and the killing of tenants cannot be prevented. Therefore, unless the old practice is enforced there again, law and order cannot be maintained and there killings cannot be prevented.

Shri Vidya Charan Shukla : This is exactly what we are doing. Whether the lands belonging to U. P. might be transferred to Bihar or vice-versa. the demarcation of boundary was being made according to the old practice prevailing there and we want that to continue. We have made this provision in the law itself.

Shri Sheopujan Shastri: This incident occurred on 23rd October. When several farmers were ploughing the fields in the afternoon, some zamindars came across the Ganga and killed them. The bodies of 9 out of 11 were cut into pieces and thrown into the Ganga which have not been traced so far. One of the farmers killed belonged to Narhi Basti. His house and land in Narhi was forcibly occupied and his family was driven out of Narhi. Is the Hon. Minister in possession of this information ? The Ganga has two currents there. The Trivedi Commission has given the award that the main current of the Ganga will be the boundary between the two States. Beyond the secondary current lie these lands. According to that also they lie in this district and their survey has also been completed. Attempt is being made to forcibly transfer this land measuring about 10,000 acres. As one of the two advisors of the Bihar Government is a relative of these zamindars, these lands have wrongly been shown in Balia under this Award and the real culprits are not being apprehended. Is he in possession of these facts as well ?

Shri Vidya Charan Shukla : The detailed information which the Hon. Member has given out must be in possession of the State Governments. He also stated that something has wrongly been shown under the Award. But it is too late to point it out. The Lok Sabha has also passed it in the form of an enactment. Whatever has been done there is simply the enforcement of this law. So, it will not be proper to modify it now.

The allegation that he levelled against the Advisor is wholly unwarranted. His allegation has nothing to do with truth and he should not have made this accusation against the Advisor.

Shri Lakhan Lal Kapoor : Do Government propose to declare the piece of land under dispute between the States of Bihar and U. P. as a no man's land ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is no such proposal.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अधिशेष जल के उपयोग के लिये पंजाब तथा हरियाना की सरकारों के साथ बातचीत

*722. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 28 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुए नहरी जल करार की समाप्ति पर भारत को मिलने वाले अधिशेष जल के उपयोग के बारे में पंजाब तथा हरियाणा सरकार के साथ कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने 8-8-1969 को इस मामले पर पंजाब के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था जिन्होंने यह सूचित किया था कि पंजाब और हरियाणा सरकारों के सिंचाई व बिजली

मंत्री इस विवाद पर परस्पर विचार विमर्श करने के लिये 18-8-1969 को मिलने वाले हैं। तदनंतर, इस मामले पर 19-11-1969 को दिल्ली में हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श हुआ और उस समय उन्होंने यह कहा कि वे और पंजाब के मुख्य मंत्री इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिये मिले थे परन्तु कोई निर्णय न हो सका । इस बीच, हरियाणा सरकार ने इस मामले को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अधीन भारत सरकार को उनके विचारार्थ भेज दिया है ।

भारत में चिकित्सा शिक्षा

*723. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा को चिकित्सा अनुसंधान तथा चिकित्सा कालेजों के लिये उपकरणों तथा पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या नीतियों और अनुसंधान में अधिक अच्छे समन्वय के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी कोई संस्था स्थापित करने पर विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद को उनकी टिप्पणी हेतु भेज दिया गया है । यह समिति चिकित्सा परिषद की टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगी । तब यह रिपोर्ट आगे कार्यवाही के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी जायेगी ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने नवम्बर, 1969 में हुई अपनी अन्तिम बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और सिफारिश की कि इसे आगे विचार के लिए मन्त्रियों उप-कुलपतियों, अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के एक सम्मेलन में रखा जाय । सरकार को यह रिपोर्ट मिल जाने पर इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(ग) और (घ). उप-स्नातक चिकित्सा शिक्षा जिसमें मेडिकल कालेजों को अनुसंधान की सुविधाएं एवं उपस्करण देने की व्यवस्था भी सम्मिलित है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। चिकित्सा शिक्षा का स्तर तथा प्रशिक्षण पाठ्यचर्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है । केन्द्रीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से उप-स्नातक मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं विस्तार तथा स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

देती आ रही है। निजी मेडिकल कालेजों को भी सहायता दी गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अनुसंधान कार्य के लिये चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान देती आ रही है। मेडिकल कालेजों एवं संस्थाओं को आयातित उपकरण प्राप्त करने के लिये भी सहायता दी गई है।

(ङ) चिकित्सा शिक्षा के लिये विश्व विद्यालय अनुदान आयोग जैसा एक निकाय गठित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं पाया गया।

विभिन्न राज्यों में गांवों में मकानों के निर्माण कार्य में प्रगति

*730. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली तीन योजनाओं की अवधि में विभिन्न राज्यों में गांवों में मकानों के निर्माण कार्य में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है और ऐसे गैर-यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिनसे निर्धारित लक्ष्यों तथा वास्तविक निर्माण कार्य में बहुत बड़ा अन्तर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में गांवों में मकानों के निर्माण की ओर समुचित ध्यान दिया गया है और उन सब कमियों को दूर किया गया है जिनके कारण यह योजना तीन पंचवर्षीय योजनाओं में असफल रही थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जैसा कहा गया है कि उचित विकास नहीं हुआ यह सत्य है तथा योजनाओं और वास्तविक क्रियान्वयन में काफी अन्तर रहा है।

(ख) अगस्त, 1957 में इसके आरम्भ होने से ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम पर हुई कम प्रगति के मुख्य कारण आरम्भिक स्थापना सम्बन्धी तथा उसके व्यावहारिक रूप से क्रियान्वयन में कठिनाइयां, चीन और पाकिस्तान से हुए झगड़े तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना को अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता देना है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में साधनों की कमी के कारण आवास की व्यवस्था में परिणामस्वरूप बहुत कमी कर दी है तथा 'खण्ड ऋण' और 'खण्ड अनुदानों' में केन्द्रीय सहायता देने की प्रथा को लागू करने से यह निश्चित नहीं है कि चौथी योजना की अवधि में स्थिति में सुधार होगा।

पुतलियों पर आयात कर

*731. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों द्वारा भारत को भेजी जाने वाली पुतलियों पर आयात कर लगाया है, यदि वे पुतलियां भारतीय रैड क्रास को नहीं पहुंचतीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पुतलियों के आयात पर भविष्य में आयात कर न लगाये जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें विदेशों से आयात की गयी (आंख की) पुतलियों पर आयात शुल्क लगाया गया हो। भारतीय रेड क्रास तथा अन्य संगठनों द्वारा आयात की गई पुतलियों की कुछ पार्सलों को आयात शुल्क लगाये बिना आयात होने दिया गया क्योंकि वे ऐसे दान थे जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं था। आंख की पुतलियों को आयात शुल्क से छूट देने की एक अधिसूचना जारी की जा रही है।

ट्रैक्टरों के आयात के लिये पंजाब को विश्व बैंक द्वारा ऋण

*734. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये 600 करोड़ रुपये का ऋण दिये जाने की पंजाब की मांग के बारे में अध्ययन करने के लिये विश्व बैंक का एक दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बातचीत पूरी कर ली है ;

(ग) उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या वे ऐसा ऋण देने के लिये सहमत हो गये हैं ?

प्रधान मन्त्री वित्त मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). पंजाब में मशीनों से खेती करने से सम्बद्ध प्रायोजना का मूल्यांकन करने के लिये, विश्व बैंक का एक मिशन हाल में भारत आया था। इस प्रायोजना में ट्रैक्टरों और खेती के लिये आवश्यक विशेष प्रकार की मशीनें प्राप्त करना भी शामिल है। एक बार, तीन वर्षों में, 36 करोड़ रुपये के मूल्य के 20,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये वित्त प्रबन्ध किये जाने की संभावना पर विचार किया गया था, किन्तु मूल्यांकन करने वाले मिशन ने वास्तव में कम समय में पूरी होने वाली पहले से छोटी प्रायोजना पर विचार किया। मिशन अपना दौरा पूरा करके 10 दिसम्बर को भारत से वाशिंगटन के लिये रवाना हो गया और वहां पहुंचने पर वह अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष के सामने पेश कर देगा।

Foreign Exchange Reserve

*735. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there has been some further increase in the Foreign Exchange Reserve ;

(b) if not, the reasons which particularly stood in its way ; and

(c) the efforts being made to improve the position in regard thereto ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Government is keeping a close watch on the foreign exchange situation. Measures have been taken from time to time to promote exports and to encourage import substitution with a view to strengthening the foreign exchange position.

Trans-Yamuna Colonies in Delhi

*736. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of colonies out of all the Trans-Yamuna colonies in Delhi which have been authorised so far ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Development Authority have issued vacation notices to such Trans-Yamuna colonies in which fifty percent construction has already been done ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether Government are considering the question of amending the Delhi Master Plan with a view to authorise the said colonies ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) 45

(b) and (c). Another 43 unauthorised colonies are reported to exist in this area. Twelve of these fall in areas declared as "development areas" under the Delhi Development Act. The Delhi Development Authority has found that construction has been done without its prior permission after the declaration of the areas as 'development areas'. Notices had, therefore been issued to the concerned parties to show cause why the construction done unautorisedly should not be demolished.

(b) As a result of further consideration, the Delhi Development Authority has decided to prepare regularisation plans for 9 of these 12 colonies, as they conform to the land use pattern under the Master Plan. In the other 3 cases, where there is no such conformity, no proposal is under consideration for amending the Master Plan.

(e) Unauthorised colonies have come up in open violation of the law. Even so, Government have decided to consider regularisation to the extent possible of the unauthorised colonies that came up prior to 1st February, 1967.

हाल ही में आये तूफान से आन्ध्र प्रदेश को हुई हानि

*737. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आये तूफान से आन्ध्र प्रदेश को हुई हानि के बारे में कोई अन्तिम अनुमान लगाये गये हैं ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश को कुल कितनी हानि हुई और क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को तूफान सम्बन्धी राहत के रूप में कोई धन-राशि दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क)और (ख). नवम्बर, 1969 के चक्रवात से आन्ध्र प्रदेश में अनुमानत: 109.29 करोड़ रुपये की हानि हुई है। राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्य शुरू करने में समर्थ बनाने के लिये, भारत सरकार ने 2 करोड़ रुपये की रकम एतदर्थ आधार पर दे दी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को और अधिक सहायता की मात्रा उस केन्द्रीय दल की सिफारिश के आधार पर निर्धारित की जायेगी, जिसने इस राज्य ही में दौरा किया था।

बैंक, जीवन बीमा निगम तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में विषमता

*738. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक कर्मचारियों, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के वेतनमानों में बहुत विषमता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में भी बहुत ही विषमता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के वेतनमान समान करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विभिन्न संगठनों में प्रवर्तमान वेतनमानों में, तथा मंत्रालयों के कर्मचारियों के वेतनमानों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के कुछ प्रवर्गों के वेतनमानों में अन्तर है।

(ग) और (घ). जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों की तुलना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये पद भिन्न भिन्न संगठनों में हैं, इनके कार्यों की प्रकृति भिन्न है और उनके वेतनमानों का नियतन भिन्न शर्तों के अधीन होता है। केन्द्रीय सरकार के सचिवालयी कार्यालयों में और अधीनस्थ कार्यालयों में पदों के वेतनमान, द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, पदोन्नति के मार्गों आदि को यथोचित रूप से ध्यान में रखकर, निर्धारित किये गये हैं। इन पदों के वेतनमानों की समीक्षा नये वेतन आयोग द्वारा की जायेगी।

गोआ में बिड़ला उर्वरक कारखाने के लिए धनराशि

*739. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिड़ला बन्धुओं को गोआ स्थित उर्वरक कारखाने में

धन लगाने के लिये कूले फन्ड, बैंक आफ अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (विश्व बैंक) से ऋण प्राप्त करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त क्षेत्र के बारे में दत्त समिति की सिफारिश को देखते हुए सरकार द्वारा उस परियोजना के बारे में किये गये निर्णय का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) गोआ उर्वरक प्रायोजना के सम्बन्ध में, जिसे मेसर्स जुआरी एग्रो-केमिकल्स लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, बैंक आफ अमेरिका और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से विदेशी मुद्रा के ऋण लेने की मंजूरी दी गयी है और कूले निधि से रुपया ऋण प्राप्त करने के लिये 'अनापत्ति-पत्र' दे दिया गया है।

(ख) इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने की मांग

*740. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 और 6 अक्तूबर, 1969 को मोगा में पंजाब स्वर्णकार संघ का जो सम्मेलन हुआ था, क्या उसमें सरकार से स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि स्वर्णकारों को अनुसूचित जाति घोषित किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पंजाब स्वर्णकार संघ के मोगा सम्मेलन से सरकार को कोई ज्ञापन अथवा अन्य पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). ये सवाल नहीं उठते ।

दन्त चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण की कमी

*741. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्त-चिकित्सकों के लिये आवश्यक उपकरणों की बड़ी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उपकरणों का एक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) गत समय में उपकरणों की कुछ कमी बतलाई गई थी । तथापि निर्माता फर्मों

को संघटक पुर्जों के आयात के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं और आशा है कि उपकरणों का उत्पादन शीघ्र ही बढ़ जायेगा तथा उत्पादन में बढ़ोतरी होने से दन्त चिकित्सकों एवं दन्त संस्थानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी ।

(ख) इस समय कोई सर्वेक्षण करना न तो आवश्यक जान पड़ता है और न ही करने का विचार है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को विनियमित करना

*742. **श्री बलराज मधोक : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक संस्थाओं ने दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों से घिरे क्षेत्र को विकास-क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है ताकि इन बस्तियों को विनियमित तथा विकसित करने का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस प्रकार के कोई सुझाव सरकार अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन केवल उन क्षेत्रों को "विकसित क्षेत्र" घोषित किया जाता है जो वृहद योजना/क्षेत्रीय योजनाओं के अनुसार नियोजित विकास के लिये हैं ।

(ख) (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, सरकार का विचार है कि अनधिकृत बस्तियों के नियमतीकरण के उत्तरदायित्व में दिल्ली नगर निगम को भाग लेना चाहिये ।

पेय जल संसाधनों का उपयोग करना

*743. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खोज सम्बन्धी दौरे पर जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आये दो जल-भू-वैज्ञानिकों ने पेय-जल संसाधनों का उपयोग करने के लिये किये जा रहे भारतीय प्रयत्नों में अपनी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सहायता प्रस्ताव का लाभ उठाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है और सूचना एकत्र हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Taking over of Birla House, New Delhi

*744. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the time by which Government propose to take over the martyrdom place of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi ; and

(b) the amount of money required to be paid for the buildings ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). The matter is under discussion with the Birlas and Government expect to be able to reach a decision in the near future.

Compensation due from Pakistan in Respect of Land Submerged by Karna-Phuli Dam

*745. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has paid compensation to India in respect of the land submerged by the Karnaphuli Dam ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) the various dates when Pakistan was reminded in this regard and the replies received thereto ; and

(d) the action propsed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (d). Protests have been lodged by the Government of India from time to time against Pakistan's commissioning of the Karnafuli Project without prior agreement regarding the extent of the submergence of the Indian territory and the manner in which India should be compensated for the loss. The question has been raised not only in correspondence at Government level but also at various Indo-Pakistan meetings held so far. Pakistan has been avoiding a serious discussion in this respect. Government attach great importance to an early settlement of this issue and accordingly have insisted on the Government of Pakistan that the matter should be given serious consideration.

तीसरी तथा चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

*746. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनीतिक दलों ने यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत मिलनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ; और

(ग) यदि ऐसी कोई अन्तरिम राहत देने का प्रस्ताव नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव किया गया नहीं लगता।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि के लिये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता सूचकांक (आधार 1949=100) के बारह महीनों की औसत में प्रत्येक दस अंक की वृद्धि की प्रतिपूर्ति, मंहगाई भत्ता आयोग के फार्मूले के अनुसार, मंहगाई भत्ते को बढ़ाकर की जाती है। पिछली वृद्धि बारह महीनों के औसत सूचकांक 215 पर 1-9-68 में मंजूर की गई थी। जब यह सूचकांक 225 तक पहुंचेगा तभी अतिरिक्त वृद्धि देनी होगी। अक्तूबर, 1969 के लिये बारह महीनों का औसत सूचकांक 212.08 है जो सबसे बाद का उपलब्ध सूचकांक है।

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता

*747. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में कैंसर पहचान केन्द्र हाल में बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और क्या प्रशासी निकाय ने ऐसा करने की स्वीकृति दी है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस केन्द्र के बन्द हो जाने पर सैकड़ों लोग रोग-निदान सेवा से, जो बाहर के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, वंचित हो जायेंगे ; और

(घ) क्या इस पहचान केन्द्र को फिर से खोलने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जायेगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के प्रशासी निकाय ने चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र में कैंसर पहचान केन्द्र को चालू रखने के प्रश्न पर विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कैंसर की नियमित पहचान तथा निदान का काम निकटवर्ती चितरंजन कैंसर अस्पताल में किया जा रहा है, इस केन्द्र में भी इस काम को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) भाग (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम के बारे में लाल समिति का प्रतिवेदन

*748. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने लाल समिति के प्रतिवेदन तथा उसके अनुबन्धों पर, जिसमें सूचियां हैं, विचार किया है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम की वरिष्ठ सेवा समिति ने अपनी बैठकों के कार्यवाही-सारांश रखे हैं ;

(ग) क्या वरिष्ठ सेवा समिति द्वारा नियुक्तियों के बारे में कर्मचारियों में कोई असन्तोष है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) वरिष्ठ सेवा समिति ने कार्यवाही के विवरण की कोई पुस्तिका नहीं रखी। सेवा तथा बजट समिति ने उक्त समिति के कार्यों को अपने हाथ में लिया परन्तु उसने भी फरवरी 1962 तक कार्यवाही के विवरण की कोई पुस्तिका नहीं रखी।

(ग) और (घ). जिन अधिकारियों को अपने प्रवर्गीकरण से असन्तोष रहा, उन्होंने जीवन बीमा निगम को दरख्वास्तें कीं। निगम ने उन सब अभ्यावेदनों पर विचार किया और उनका यथोचित निर्णय किया।

मुद्रा तस्करी करने वालों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

*749. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के अस्तित्व की ओर दिलाया गया है जो जाली भारतीय मुद्रा बना रहा है और ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा फारस की खाड़ी के क्षेत्र में सक्रिय है ;

(ख) क्या इस जाली मुद्रा की बड़ी मात्रा में तस्करी न केवल भारत में हो रही है बल्कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तथा फारस की खाड़ी क्षेत्र में भी हो रही है ;

(ग) क्या इस गिरोह के दो व्यक्तियों को हाल में पाकिस्तान में पकड़ा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इसकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारत को कितनी हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सरकार ने पाकिस्तान स्थित अपने हाई कमीशन से पता लगाया है कि इस आशय की एक रिपोर्ट पाकिस्तान के एक उर्दू दैनिक में छपी थी। पंजाब पुलिस ने भी भारत-पाकिस्तान सीमा के पास सौ-सौ रुपये के 51 जाली नोट पकड़े हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार को और कोई सूचना नहीं है।

(घ) सीमा शुल्क विभाग के तथा राज्य पुलिस के अधिकारी, ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिये सदैव सतर्क रहते हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों को फिर से सावधान कर दिया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश में निर्मित मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग आरम्भ करना

*750. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कार्यों के लिये देश में निर्मित मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग आरम्भ किया है और यदि हां, तो किन-किन मशीनों तथा उपकरणों का;

(ख) क्या विदेशी उपकरणों का आयात अब भी किया जाता है और यदि हां, तो किन-किन उपकरणों का और किस मूल्य पर ; और

(ग) केवल भारत में बने उपकरणों के प्रयोग के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इस दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2454/69]**

भारत में विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन

4751. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख ब्रिटिश प्रकाशकों के शिष्ट मण्डल के नेता श्री जौन एटनबरो ने यह विचार व्यक्त किया है कि भारत में विदेशी पुस्तकों के प्रकाशन में बाधा आने का कारण यह है कि विदेशी लेखकों को प्राप्त होने वाले स्वामित्व पर अधिक कर लगाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अपनी नीति में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) आमतौर पर विदेशी लेखक किसी भारतीय कम्पनी को या तो सीधे ही कापीराइट दे देता है अथवा किसी विदेशी प्रकाशक कम्पनी को कापीराइट बेच देता है जो बाद में उस लेखक की कृति को भारत में प्रकाशित करने का कापीराइट किसी भारतीय प्रकाशक को दे देती है। पहली स्थिति में, आय कर की कटौती, विदेशी लेखक को देय रायल्टी में से स्रोत पर ही, 33 प्रतिशत की दर अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा देय रायल्टी की रकम पर लागू उपयुक्त दर, में से जो भी दर अधिक हो, उसके हिसाब से करनी होती है। इसके अतिरिक्त वास्तविक कर निर्धारण किये जाने पर लेखक पर, सीधे ही अथवा भारत में उसके एजेन्ट की मार्फत उसकी केवल भारतीय आय पर लागू दरों से कर लगाया जाता है और भारतीय आय पर कर की लागू दर की गणना करने के प्रयोजन तक के लिये उसकी विदेशी आय को हिसाब में नहीं लिया जाता।

जिस मामले में विदेशी लेखक, किसी विदेशी प्रकाशक कम्पनी को कापीराइट बेच देता है और तब वह कम्पनी कापीराइट किसी भारतीय प्रकाशक को दे देती है, तो उस मामले में, भारतीय प्रकाशक द्वारा रायल्टी उस विदेशी कम्पनी को देय होती है और यदि रायल्टी देने के करार को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है तो आय कर की कटौती, ऐसी कम्पनी की अन्य आय के सम्बन्ध में लागू 70 प्रतिशत की सामान्य दर के स्थान पर, 50 प्रतिशत की दर से स्रोत पर करनी होती है। यह दर व्यापक रूप से नियन्त्रित भारतीय कम्पनियों को प्राप्त होने वाली कापीराइट रायल्टियों को लागू होने वाली 55 प्रतिशत की दर से भी कम है। इसके अलावा, 50 प्रतिशत की यह दर, केवल रायल्टियों की ऐसी शुद्ध आय के सम्बन्ध में लागू होती है जिसमें से आमदनी के निमित्त किया गया सारा व्यय घटा दिया गया है, अर्थात् जिस मामले में रायल्टी का हिसाब वास्तविक तौर से बेची गई प्रतियों की संख्या के आधार पर लगाया जाता है और विदेशी कम्पनी द्वारा इस रायल्टी का कुछ भाग लेखक को दिया जाता है, जिस हालत में उस विदेशी कम्पनी को आय की संगणना करने में उस कम्पनी द्वारा लेखक को अदा की गई रकम घटा दी जा सकेगी।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Embankment on Tapti River

4752. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the embankment constructed on Tapti River near Jainabad village of Burhanpur will be submerged under water due to the dam being constructed on Tapti river near Hatnur village of Burhanpur Tehsil of Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether the residents of Jainabad or the areas across Tapti will have to face great difficulty to cross the river due to this ;

(c) if so, whether Government propose to take any action for raising the level of the said embankment ; and

(d) whether Government would also ask Maharashtra Government, which is constructing the dam on Tapti river near Hatnur village, to raise the level of the embankment near Jainabad ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). The Upper Tapti (Hatnur) project, proposed by the Government of Maharashtra, would affect the causeways near Hatnur and Jainabad. The Maharashtra and Madhya Pradesh Governments considered this matter and the Government of Maharashtra have agreed to bear, as part of the project cost, the expenditure involved in raising of the causeway near Hatnur and raising of the causeway near Jainabad or improving its end connections, as may be necessary.

Minerals Production in Madhya Pradesh

4753. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total production of minerals in Madhya Pradesh during 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the extent of the said production as against that of the last three years ;

(c) whether Government of India have under consideration any specific programme for increasing the mineral production in Madhya Pradesh ; and

(d) if so, details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b). The quantities of major minerals produced in Madhya Pradesh during the calendar years 1967 and 1968 together with the comparative figures of production during the past three years indicating the percentage increase and decrease are given in the **enclosed** statement. **[Placed in Library. See No. LT-2455/69]**

(c) and (d). Schemes for the development of iron ore deposits in Bailadila, diamond in Panna, bauxite in Bilaspur etc. in the State of Madhya Pradesh are being implemented.

Central Aid for Tawa and Sukata Projects in Madhya Pradesh

4754. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh have complained that despite their repeated requests Central Government have not made available requisite amount for completion of Tawa and Sukata Projects ;

(b) if so, whether Government have investigated the said complaint and if so, the outcome thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Irrigation Projects form part of the developmental Plan of the States and their Planning and implementation have to be undertaken by the States within their Plan ceilings. Beginning from the Fourth Plan, Central assistance to the States is in the form of block grants and loans without being tied to any individual head of development. However in order to ensure that the Plan priorities are generally maintained, the outlay on a few specified schemes are earmarked. The Planning Commission has accordingly approved an outlay of Rs. 300 lakhs on the Tawa Project during the year 1969-70.

The Sukata Project has not been approved by the Planning Commission so far.

Financial Assistance Asked for by M. P. Government for Development of their Urban Areas

4755. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sought special financial assistance for the development of their urban areas ;

(b) if so, the nature and extent therefor ; and

(c) the details of action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthi) : (a) to (c). No request for special financial assistance for development of their urban areas as such has been received

from the State Government. However, for the purpose of considering the constitution of a revolving fund for large scale acquisition and development of land and for construction of houses in self-generating manner, this Department called for proposals from State Governments in respect of specific projects that may be financed by the proposed revolving fund. The Government of Madhya Pradesh have sent a proposal for acquisition and development of about 400 acres of land in 5 places in the State and for construction of houses, at an estimated cost of about Rs. 320 lakhs. No decision has been taken on the proposal of the State Government as the question of setting up of a revolving fund has not yet been decided.

अल्योमिनियम कारखानों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरें

4756. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक टन अल्योनियम के उत्पादन में अनुमानत: कितनी बिजली खर्च होती है ;

(ख) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न अल्योनियम कारखानों में बिजली की दरें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ये दरें अन्तर्राष्ट्रीय दरों से अधिक हैं और यदि हां, तो सरकार उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिये क्या उपाय कर रही है ; और

(घ) कपड़ा उद्योग, इस्पात तथा रसायन उद्योगों की तुलना में अल्योमिनियम कारखाने में बिजली का लोड कितना होता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एक टन एल्यूमिनियम के उत्पादन पर बिजली की अनुमानित लागत फैक्टरी पर लागू होने वाली प्रति किलोवाट घंटा दर तथा उत्पादित एल्यूमिनियम के प्रत्येक टन पर बिजली की वास्तविक खपत पर निर्भर करती है ।

(ख) भारत में वर्तमान एल्यूमिनियम फैक्टरियों पर लागू बिजली की दरें दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2456/69]**

(ग) भारत में एल्यूमिनियम फैक्टरियों पर प्रभारित बिजली की दरें हंगरी, पोलैण्ड, जापान, आदि जैसे देशों द्वारा ली जा रही दरों से सामान्यत: अनुकूल रूप से तुलनीय हैं, जबकि ये दरें कनाडा, अमरीका, आदि जैसे देशों द्वारा ली जा रही दरों से तुलनात्मक रूप से ऊंची हैं ।

(घ) एल्यूमिनियम उद्योग में भार सामान्यत: 90-95 प्रतिशत के विस्तार में होता है । कपड़ा, इस्पात तथा रसायन उद्योगों में भार अनुमानत: निम्न प्रकार से होता है :

कपड़ा	50-60 प्रतिशत
इस्पात	65-75 प्रतिशत
रसायन	60-95 प्रतिशत

विदेशी मुद्रा कम्पनियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि को उनकी भारत में निर्यात-आय के साथ जोड़ना

4757. **श्री वि० नरसिम्हाराव :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :
श्री मयावन :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में कार्य कर रही विदेशी मुद्रा कम्पनियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि को उनकी निर्यात आय के साथ जोड़ने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) वर्ष 1968-69 में विदेशी कम्पनियों ने कुल कितनी रकम विदेश भेजी ; और

(घ) भारत में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी जाने वाली राशि को, उनकी निर्यात-आय से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन जो विदेशी कम्पनियां अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का निर्यात करने में समर्थ हैं, सरकार उन पर इस बात के लिये जोर देने का विचार कर रही है कि उन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा की जो सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुये, उन कम्पनियों को अपने निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए ।

(ग) और (घ). विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों ने लाभ और लाभांशों के रूप में 1968-69 में 37.3 करोड़ रुपये की रकम बाहर भेजी थी । इस प्रकार बाहर रकमें भेजने वाली कम्पनियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों की कुल संख्या लगभग 960 थी । इनमें विदेशी कम्पनियों की शाखाएं, उनकी सहायक कम्पनियां और अन्य नियन्त्रित रुपया कम्पनियां भी शामिल हैं ।

शिमला में एक दण्डाधीश द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एक डाक्टर के साथ हाथापाई

4758. **श्री वि० नरसिम्हाराव :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों की संस्था ने सरकार से शिमला में हुई एक घटना को, जिसमें एक दण्डाधीश ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एक डाक्टर के साथ हाथापाई की थी, गम्भीर घटना मानने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना के तथ्यों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों की एसोसिएशन के अध्यक्ष ने 25 अक्तूबर, 1969 की अर्द्ध रात्रि को एक मजिस्ट्रेट द्वारा शिमला में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एक डाक्टर पर कथित हमला करने के मामले में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की ।

(ख) से (घ). हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपायुक्त, शिमला को इस घटना की जांच करने का आदेश दिया है ।

कल्यानी, कलकत्ता में चिकित्सा कालेज की स्थापना

4759. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कल्यानी में एक चिकित्सा कालेज खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नौवहन कम्पनियों तथा नौवहन एजेन्टों द्वारा कदाचार

4760. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नौवहन कम्पनियों तथा नौवहन एजेन्टों द्वारा अपने कमीशन तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के एक अंश को विदेशों में अपने गुप्त बैंक लेखों में डालने के सम्बन्ध में किये जाने वाले कदाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या जिसके विरुद्ध शिकायत की गई थी उस फर्म के सम्बन्ध में, तथा अन्य फर्मों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा आरम्भ की गई जांच कार्यवाही अब तक पूरी की जा चुकी है ; और

(ग) इन जांच कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सरकार को एक संसद सदस्य से दिनांक 18 मार्च, 1969 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप लगाया गया

था कि भारत में जहाजरानी एजेन्ट और दलाल उनके द्वारा जलयानों के किराये से अर्जित विदेशी मुद्रा को पूरी रकम स्वदेश में नहीं लाते हैं। पत्र में दो फर्मों के विरुद्ध स्पष्ट आरोप थे। संसद सदस्य से यह पत्र प्राप्त होने के पहले भी, प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों ने एक पहले की सूचना के अनुसरण में बम्बई की इन दो फर्मों के स्थानों की तलाशी ली थी (इनमें से एक तो जलपोत को किराये पर चलाने वालों के दलालों की फर्म थी और दूसरी जहाजरानी एजेन्टों की) और बहुत से दस्तावेज पकड़े थे। पकड़े गये दस्तावेजों को छानबीन के आधार पर तथा आगे जांच करने बाद, के जलपोत किराये पर चलाने वालों के दलालों को फर्म को तीन नोटिस इस बात का कारण बताने के लिये जारी किये गये हैं कि विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाय और इन मामलों का न्याय-निर्णय किया जा रहा है। इन कारण बताओ नोटिसों में से एक, विदेशी मुद्रा की उनकी कमाई के एक भाग को अनधिकृत रूप से विदेश में रोके रहने के सम्बन्ध में था। लेकिन, जांच-पड़तालों से यह पता नहीं चल सका कि इस फर्म ने विदेश में अनधिकृत रूप से कोई बैंक खाता खोल रखा है।

जहाजरानी एजेन्टों की फर्म के विरुद्ध जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं हो पायी है। कुछ अन्य जहाजरानी कम्पनियों और जहाजरानी एजेन्टों के विरुद्ध भी जांच की जा रही है।

प्रवर्त्तन निदेशालय को मद्रास शाखा द्वारा चैकों वाले लिफाफों का पकड़ा जाना

4761. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय की मद्रास शाखा ने मद्रास हवाई पत्तन पर हाल ही में दो लिफाफे पकड़े हैं, जिनमें 3000 अमरीकी डालर के चैक थे तथा इनमें एक पर सिंगापुर की एक पार्टी का नाम तथा पता था और दूसरे पर कोलम्बो की किसी पार्टी का नाम तथा पता था ;

(ख) उन अमरीकी दानियों के नाम क्या हैं, जिनके फर्म प्रचारकों के नाम भेजे गये चैक विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करके जारी किये गये थे ; और प्रत्येक चैक की धन-राशि कितनी थी ;

(ग) मद्रास, कोट्टायम तथा कन्ननोर में कितने व्यक्तियों पर छापा मारा गया था, कितनों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके लेन-देन का स्वरूप क्या है और उनके पास से कितनी धनराशि जब्त की गई ; और

(घ) मद्रास, कोट्टायम, पलाई, एलप्पी तथा कोचीन में इनके मकानों पर छापे मारने से कितनी मुद्रा पकड़ी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). 25 अगस्त, 1969 को, मीनाम्बक्कम् हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दो लिफाफों को आगे जांच-पड़ताल के लिये रोक लिया, जिनमें से एक पर सिंगापुर की एक पार्टी का नाम तथा पता था और दूसरे पर कोलम्बो की एक पार्टी का नाम तथा पता था और इनमें कुल 3143 अमरीकी डालरों के

6 डालर चैक थे। इस मामले में तथा बम्बई में पकड़े गये एक अन्य मामले में भी बाद की कार्यवाही किये जाने के कारण 26 अगस्त तथा 9 सितम्बर, 1969 के बीच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मद्रास, गुंतूर, कोट्टायम, कोचीन, एलेप्पी, एर्नाकुलम्, पलाई तथा नगर क्वाइल में कई स्थानों की तलाशियां ली गईं। इन तलाशियों के दौरान कोई मुद्रा नहीं पकड़ी गई। किन्तु जिन स्थानों की तलाशी ली गई थी, उनमें से अनेक दस्तावेज बरामद किये गये। पांच व्यक्तियों को, जिन पर विदेशी मुद्रा की अनधिकृत खरीद तथा विक्रय करने का आरोप है, गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में आगे जांच-पड़ताल जारी है। इस स्थिति में, इन व्यक्तियों के नाम अथवा अन्य विवरणों को जाहिर करना, जांच-पड़ताल के हित में, वांछनीय नहीं होगा।

Transferring of Employees in the Ministry of Finance

4762. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have a general policy for tranferring the employees in the Ministry of Finance from one Section to another after a certain period;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the number of Section Officers in the various Sections of the Ministry (Secretariat proper), particularly in Administration, Cash, General, Co-ordination ete. Sections who have been posted in the same very Section for the last ten years;

(d) whether Government are considering the question of transferring them to other Sections; and

(e) if so, the time by which the concerned persons as referred to in part (c) of the question above would be transferred?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) and (b). There is no hard and fast rule regarding transfer of employees from one Section to another after a specific period. Periodical reviews of the cases of employees who have served in the same Section for long periods are however carried out and transfers effected where administratively necessary and feasible.

(c) One in Co-ordination Section, none in admidistration, Cash and General Sections, and nine in other Sections. This is a small percentage of the total number of Sections. This is a small percentage of the total number of Section Officers (about 4%).

(d) and (e). As stated above, the cases of these and other employees are reviewed periodically and transfers are effected as and when found possible.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नगर प्रतिकर भत्ते की दर में वृद्धि

4763. **श्री न० रा० देवघरे :**

श्री अविचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसकी संशोधित दरें क्या होंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जीवन-निर्वाह मूल्य में जो वृद्धि, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949=100) द्वारा प्रतिलक्षित होती है, उसकी प्रतिपूर्ति, महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि करके की जाती है और नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता विशालतर तथा महंगे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को केवल अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के तौर पर दिया जाता है ; इसलिये उसके संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों की पदावनति

4764. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों में से गत वर्ष 17 की तथा इस वर्ष 24 की पदावनतियां की गईं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आठ से दस वर्ष से भी अधिक की अवधि का अनुभव रखने वाले स्नातक सेक्शनल आफिसर्स की कार्य-कुशलता तथा अनुभव की परवाह किये बगैर 1969 में की गई अन्धाधुन्ध भर्ती किये जाने के परिणामस्वरूप अगले एक वर्ष में एक सौ अन्य सहायक इन्जीनियरों की पदावनतियां की जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हजारों इंजीनियरों में उदासीनता न पैदा हो और वे हस्तोत्साह न हों, इस उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं । 1968 के दौरान कोई परिवर्तन नहीं था । किन्तु 1969 के दौरान अभी तक 14 परिवर्तन हो चुके हैं ।

(ख) जी, नहीं । किन्तु कुछ परावर्तन हुए हैं, जिनकी ठीक संख्या इस समय नहीं बताई जा सकती ।

(ग) छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति आरक्षण के रूप में अतिरिक्त पदों के बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा इसमें कुछ सहायक इन्जीनियर समायोजित हो जायेंगे, जिन्हें अन्यथा परावर्तित होना पड़ता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों का अलग संवर्ग

4765. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० एम० आई० ई० पास ओवरसियरों की संस्था ने सरकार

से अभ्यावेदन किया है कि राजस्थान सरकार तथा अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों की तरह कनिष्ठ इन्जीनियरों का अलग संवर्ग बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो स्नातक ओवरसियरों का अलग संवर्ग बनाने के बारे में देरी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक यह संवर्ग बनाये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सुझाव की विस्तृत रूप से परीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया है कि स्नातकों के लिये एक कनिष्ठ इंजीनियरों का केडर, जिसमें ओवरसियरों की ड्यूटी अदा करना वांछनीय है, उचित नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेक्शनल आफिसर

4766. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ओवरसियर सरकार से इस विषय में अभ्यावेदन करते आ रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा काल में ए० एम० डी० की परीक्षा पास कर लेते हैं, उन्हें रेलवे मंत्रालय, डाक तथा तार विभाग और प्रतिरक्षा मंत्रालय आदि की भांति ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की भांति इनको उपयुक्त प्रोत्साहन देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किस तिथि तक ऐसा प्रोत्साहन दिये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ओवरसियर के पद का वेतनमान 180-10-290-ई० बी०-15 380 है, इसमें यह व्यवस्था है कि स्नातक (ग्रेजुएट) ओवरसियर का आरम्भ इस वेतनमान में 240 रुपये से होगा । उन डिप्लोमाधारी ओवरसियरों को जो कि सेवा के दौरान ए० एम० आई० ई० के खण्ड 'ए' तथा 'बी' उत्तीर्ण कर लेते हैं तथा 240 रुपये से कम वेतन ले रहे हैं, परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से 240 रुपये के स्तर पर ले आया जाता है । इसके अतिरिक्त वे यदि स्थाई हैं तो भी 5 वर्ष की सेवा के बाद सहायक इन्जीनियर के पद की पदोन्नति के लिये पात्र हो जाते हैं, जबकि डिप्लोमाधारी ओवरसियर केवल 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक इन्जीनियर के पद की पदोन्नति के पात्र होते हैं । इस प्रकार जो ओवरसियर ए० एम० आई० ई० के परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें समुचित प्रोत्साहन पहले ही से दिया जा रहा है ।

भारत सेवक समाज, बिहार को दी गई धनराशियां

4767. **श्री क० लकप्पा :**
श्री लखन लाल कपूर :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत सेवक समाज, बिहार को, उसके कार्यक्रम के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत बड़ी धनराशि दी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने भारत सेवक समाज, बिहार के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षा की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दी गई धनराशि को उचित कार्य, जिसके लिये उक्त धनराशि दी गई थी, पर खर्च किया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने भारत सेवक समाज की बिहार यूनिट को कोई ऋण उनके निर्माण कार्यक्रम के लिये नहीं दिया है। फिर भी, बिहार सरकार ने भारत सेवक समाज की बिहार यूनिट को गंडक तथा कोसी परियोजना के निर्माण कार्यक्रम के लिये, करार करके कुछ धनराशि दी है, जिसका ब्योरा नीचे दिया जाता है :

कोसी परियोजना	45,51,977.00 रुपये
गंडक परियोजना	7,42,302.00 रुपये

(ग) और (घ). भारत सेवक समाज की बिहार यूनिट के बिलों में से परियोजना अधिकारियों द्वारा अग्रिम ऋणों का समंजन किया गया है और कुछ धनराशि अब भी उनके निलंबित बिलों में से और/अथवा कानूनी पद्धति के द्वारा लेनी बाकी है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह रकम अग्रिम ऋण के रूप में दी गई थी और उसे उन कार्यों के चालू बिलों में से वसूल किया जाता था, जिनके लिए यह अग्रिम ऋण दिए गए थे।

Alleged Misbehaviour by Joint Director of C.G.H.S. Scheme

4768. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Joint Director of the Central Government Health Services Scheme uses abusive language for doctors and the staff of the C. G. H .S. Dispensaries during his inspection to the dispensaries ;

(b) whether it is also a fact that the said Joint Director angrily threw certain medicines

and other articles and damaged them during his recent visit to C. G. H. S. dispensaries at Ramakrishnapuram, Kidwai Nagar, Moti Bagh etc ; and

(c) if so, the action taken against him in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). There is no Joint Director for the Central Government Health Scheme. However, a complaint of this nature was received against an Officer of the Directorate General of Health Services and was enquired into. The Officer concerned expressed regret and the matter was closed.

नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयत्न

4769. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व मंत्री श्री के० दे० मालवीय के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो "पैट्रियट" में 22 अक्तूबर, 1969 को छपा है, जिसमें कहा गया है कि "हम तेल के नए क्षेत्रों को पता लगाने की ओर ध्यान न दिये अपने संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं और यद्यपि विदेशी मुद्रा के व्यय में वृद्धि होती जा रही है तथापि बम्बई में तेल खोजने से सम्बन्धित हमारे प्रयत्नों से इस राय की शीघ्र आवश्यकता का संकेत नहीं मिलता" ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). यह सच है कि गुजरात में अंकलेश्वर और आसाम नाहरकटिया जैसे क्षेत्रों से नियमित उत्पादन होने के समय से, देश के तेल भंडारों में संवर्धन छोड़े गये तेल क्षेत्रों की दरों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसा नई संरचनाओं का पता लगाने तथा व्यधन के लिये अन्वेषी प्रयत्नों में शिथिलता के कारण नहीं, बल्कि मुख्यत: नई मालूमात (उदाहरणार्थ गुजरात स्थित कथना, धोलका, बकरोल, अहमदाबाद, काडी तथा सुमासन संरचनाओं) में थोड़ा तेल मिलने तथा व्यक्त की गई बड़ी संरचनाओं में प्रतिकूल परिणामों के कारण हुआ है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्वेषी प्रयत्नों में सतत वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण करने वाले क्षेत्रीय दलों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हुई है। उनके कार्यकलापों को पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एवं अण्डमान द्वीप आदि नये क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात तथा आसाम के स्थापित तेलयुक्त क्षेत्रों के अन्वेषी व्यधन कार्य बढ़ा दिये गये हैं तथा कावेरी बेसिन, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चिमी बंगाल को मिलाकर नये क्षेत्रों में कार्य शुरू कर दिये गये हैं। भारतीय महाद्वीपीय मग्नतट का पता लगाने के लिये भी कदम उठा लिये गये हैं। खम्भात की खाड़ी, कोरोमण्डल तट से दूर तथा मग्नतट के अन्य क्षेत्रों में समुद्री भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे। मार्च, 1970 के अन्त तक खम्भात की खाड़ी में अल्यिाबेट पश्चिम संरचना पर व्यधन शुरू करने से संबंधित

कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है। तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा स्थिर प्लेटफार्म के इस्तेमाल से और रूस की विशेषज्ञ तथा तकनीकी सहायता से व्यधन किया जायेगा। बम्बई "हाई" पर गहरे पानी में व्यधन करने के लिये मोबाइल प्लेटफार्म की आवश्यकता होगी। अपनी नीति के अनुसार तेल की खोज में अपने विशेषज्ञ तथा कर्मकारों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिये, यह प्रस्तावित है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग यथावश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से एसिस्टिड ओनर ओपरेशन आधार पर गहरे पानी में व्यधन करेगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हमारे परिचालनों के लिये अति उपयुक्त किस्म के प्लेटफार्म तथा उपकरण, तकनीकी व्यक्तियों एवं वित्त के बारे में यू० के० के परामर्शदाताओं की एक सक्षम फर्म से पहले ही सलाह ले ली है। परामर्शदाताओं की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, एसिस्टिड ओनर आपरेशन आधारों पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने में रुचि प्रकट करने वाले विभिन्न विदेशी दलों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। जनवरी, 1970 तक पक्के प्रस्ताव प्राप्त हो जाने की आशा है। प्राप्त होते ही इन प्रस्तावों पर अति शीघ्र कार्यवाही की जायेगी, क्योंकि सरकार बम्बई "हाई" संरचना की पेट्रोलियम क्षमता के मूल्यांकन को उच्च महत्व तथा प्राथमिकता दे रही है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा में भर्ती

4770. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विभागीय अनुभवी अधिकारियों की तुलना में सीधी भर्ती वालों को अधिमान दिये जाने के क्या कारण हैं और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी एक और श्रेणी दो के पदों पर सीधी भर्ती की अर्हता के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने कितने प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : केन्द्रीय लोक निर्माण में सीधी भर्ती तथा विभागीय अधिकारियों दोनों की नियुक्ति भर्ती नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित कोटे के अनुसार की जाती है। कार्य के हित में, विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सेवा में उचित स्तर पर लाने के लिये सीधी भर्ती का आश्रय लिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ली गई प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती की जाती है। तदनुसार चुनाव के लिये प्राप्त अंकों की संख्या प्रति वर्ष भिन्न होती है।

तेल की खोज तथा उर्वरक उत्पादन कार्यक्रमों के लिए निर्बाध विदेशी मुद्रा का नियतन

4771. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने हाल ही में उनको यह आश्वासन दिया है कि

उनके मन्त्रालय के लिये पर्याप्त निर्बाध विदेशी मुद्रा का नियतन किया जायेगा जिससे वह तेल की खोज तथा उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्ति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की योजना क्या है तथा उन योजनाओं के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ; और

(ग) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित कर दी जायेंगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). प्रधान मन्त्री तथा पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक में तेल की खोज से सम्बन्धित योजनाओं की तथा उर्वरक कार्यक्रम के बारे में प्रगति पर पुनरीक्षण किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इन क्षेत्रों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं के लिये, विशेष रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल की खोज के कार्यक्रम में तीव्रता लाने के लिये और कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं की शीघ्र कार्यान्विति के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का तुरन्त प्रबन्ध करने के लिये उच्च प्राथमिकता आधारों पर कार्यवाही की जाये । यह भी निर्णय किया गया था। कि जहां तक संभव हो, परियोजनाओं के लिये आयातित उपकरण रुपया मुद्रा अदायगी प्रबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध करने के विभिन्न कदम शीघ्र उठाये जायें और शेष विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतें अन्य विदेशी सहायता संसाधनों से और नितान्त आवश्यक सीमा तक निर्बाध मुद्रा से पूरी करने के उपाय ढूंढने की स्थिति का कुछ समय बाद फिर से पुनरीक्षण किया जाये ।

इस अवस्था में यह निश्चित करना संभव नहीं है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतों की उपयुक्त व्यवस्था होने से योजनाएं वास्तविक रूप से कब कार्यान्वित की जा सकेंगी ।

रूसी दल की भूकम्पीय अभियान सम्बन्धी आंध्र प्रदेश की यात्रा

4772. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी दल ने भूकम्पीय अभियान के सम्बन्ध में वर्ष 1967 में आंध्र प्रदेश के तट की यात्रा की थी ;

(ख) क्या दल ने कोई प्रतिवेदन दिया था और यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ; और

(ग) सरकार ने अब तक कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). यह अनुमान है कि संदर्भ आंध्र प्रदेश के संलग्न अतटीय क्षेत्रों से सम्बन्धित है । रूसी अतटीय भूकम्पीय दल ने निजामपटम की खाड़ी, मसुलीपटम की खाड़ी और गोदावरी नदी के मुहाने के निकटवर्ती शेल्फ और कोकानद खाड़ी में मोटे तौर पर प्रादेशिक

भूकम्पीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया और नवम्बर, 1967 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की। रूसी भूकम्पीय दल को निजामपटम खाड़ी में एक संरचनात्मक नोक के चिह्न तथा कृष्णा नदी के मुहाने के दक्षिण में विपर्यास उपलब्ध हुआ। इसलिए उन्होंने संलग्न भूमि क्षेत्रों में और भूकम्पीय अन्वेषण की सिफारिश की। दल ने यह भी सिफारिश की, कि भूमि पर किये गये सर्वेक्षण के परिणामों के प्राप्त होने के बाद और तट-दूर भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जाने चाहिए। सभा-पटल पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आयोग के व्यापारिक हित में नहीं होगा।

(ग) निजामपटम की खाड़ी के संलग्न भूमि क्षेत्र में भूकम्पीय खोज पर्याप्त मात्रा में की गई है। कृष्ण डेल्टा में अब तक किये गये परावर्तन सर्वेक्षण से कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं गोदावरी डेल्टा के अमालपुरम क्षेत्र में किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों ने कोई लक्षण नहीं दर्शाये हैं। ज्योंहि क्षेत्र-पार सर्वेक्षणों के लिए भूमि उपलब्ध होगी, भूकम्पीय दल और अन्वेषण कार्यों को जारी रखेगा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आगे की कार्यवाही के रूप में अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन

4773. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आगे की कार्यवाही करने के लिये देश में समस्त आर्थिक हितों सम्बन्धी गोलमेज सम्मेलन बुलाने के बारे में हाल -ही में अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार को ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है।

महाराष्ट्र का सोने की तस्करी का मामला

4774. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस मामले की जांच पूरी कर ली है जिसमें महाराष्ट्र में होने वाले सोने की तस्करी के मामले में राजस्थान मन्त्रिमण्डल के कुछ वरिष्ठ सदस्यों का हाथ बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ; और

(ग) जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवतः प्रश्न का संकेत बम्बई के नैनमल पुजाजी शाह से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के एक

मामले की ओर है। इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिसमें राजस्थान सरकार का कोई मन्त्री ग्रस्त हो।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते।

आदर्श कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उधना से ज्ञापन

4775. **श्री उमानाथ :**
श्री नम्बियार :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में आदर्श कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य मांगे की गई हैं ; और

(ग) सरकार ने ज्ञापन के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य मांगें की गई थीं।

(1) चालू वर्ष में उर्वरकों पर लगाये गये 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क की छूट।

(2) उर्वरक के आयात पर पर्याप्त मूल आयात शुल्क होना चाहिये।

(3) यथार्थ मांग और देशीय उत्पादन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर फास्फेटिक उर्वरकों का आयात होना चाहिये।

(ग) मामले पर विचार हो रहा है। सरकार भारतीय उर्वरक संस्था (उर्वरकों के उत्पादकों की एक प्राइवेट संस्था) द्वारा किये गये अध्ययन के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कालाकोटे बिजली घर को अपने अधिकार में लेना

4776. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 अक्तूबर, 1968 के 'इकॉनौमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "केन्द्रीय सरकार कालाकोटे बिजली घर को अपने अधिकार में लेना चाहती है" ;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर के विद्युत मंत्री श्री ग्यासुद्दीन ने भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग (जी० एस० आई०) को जम्मू के कालाकोटे क्षेत्र में कोयले के भंडारों के बारे में गलत अनुमान लगाने के लिये दोषी ठहराया है उनके विचार से इसके कारण प्रस्तावित बिजली घर को स्थापित करने में कठिनाइयां हो रहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के विरुद्ध की गई शिकायत सच है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मामले की जांच हो रही है ।

बैंकों को चक्षुदान

4777. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने जीवन अथवा मृत्यु के बाद चक्षु बैंकों को अपनी आंखें दान में दीं ;

(ख) देश में कितनी व्यक्तियों को नई आंखें लगाई गई ; और

(ग) इन चक्षु बैंकों को आंख दान करने जैसे आदर्श कार्य के लिये लोगों को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). लगभग 2500 व्यक्तियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र के राष्ट्रीय नेत्र बैंक को अपने नेत्र देने का वचन दिया है । जिन व्यक्तियों की आंखें मृत्यु के बाद इस बैंक को दान में दी गई उनकी संख्या 215 है । इस केन्द्र में किये गये कोर्निया प्रतिरोपण के आपरेशनों की संख्या 267 है । देश के अन्य नेत्र बैंकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राष्ट्रीय नेत्र बैंक तथा राष्ट्रीय अन्धता निवारण संघ पहले ही दिल्ली तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में लोगों को स्वैच्छिक रूप से नेत्रदान करने के महत्व को समझा रहे हैं । आकाशवाणी और टेलीवीजन पर भी नेत्रदान को लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ।

Setting up of Coal-Based Fertilizer Factory in Hyderabad

4778. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision had been taken to set up a coal-based fertilizer factory in Hyderabad ;

(b) whether it is also a fact that after spending lakhs of rupees on its construction, it has since been decided to close it ;

(c) if so, the total expenditure so far incurred thereon ;

(d) the reasons for its closure ; and

(e) the action taken against Government officials and other responsible for rendering wrong advice in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): (a) to (d). There was no proposal to set up a coal based fertilizer factory in Hyderabad. A licence had, however, been granted to a private party for setting up a coal based fertilizer plant at Kothagudam in Andhra Pradesh. The party did not proceed with the implementation of the project and finally abandoned it. Government are not aware of the actual expenditure incurred by the party on this project before it was abandoned.

(e) Does not arise.

आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें

4779. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का संकेत केन्द्रीय सरकार की प्रायोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों की ओर है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969-74) के मसौदे के अनुसार, आंध्र प्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित प्रायोजनाएं मंजूर की जा चुकी है :—

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रामचन्द्रपुरम

(i) भाप टर्बाइन (ii) स्विचगियर प्रायोजना (iii) विस्तार और विविधीकरण

(2) भारत हैवी प्लेट एण्ड वेस्लस लिमिटेड

(3) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

(i) सूखी गोदी (डौक) (ii) विस्तार

(4) इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद (विस्तार) जिन अन्य केन्द्रीय प्रायोजनाओं के लिये राज्य सरकार ने अभ्यावेदन दिया है उनके स्थान के बारे में अभी निर्णय किये जाने हैं।

Export Cells in Commercial Banks

4780. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that special export cells have been set up in Commercial Banks ; and

(b) if so, the pace of progress achieved so far in the export trade as a result of the provision of these cells ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The State Bank of India and eight nationalised banks have made a beginning by opening Export Cells at some of their branches. The other nationalised banks have made special arrangements at their existing Foreign Exchange Departments at their branches to assist exporters with information. The foreign banks already have specialised staff in their Foreign Exchange Departments to guide exporters.

(b) The suggestion for opening of Export Cells to guide exporters was made by the Reserve Bank in April, 1969. It is difficult to isolate the progress achieved in export as a result of the setting up of these cells. In any case, it is too early to assess the progress achieved as a result of the opening of these Cells.

करारोपण की तुलना में विनियोजन

4781. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू बजट वर्ष में कुल कितना पूंजी निर्गम हुआ है और इस सम्बन्ध में गत वर्ष के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) विनियोजन को नियोजकों के विरुद्ध चालू बजट वर्ष में नये करारोपण तथा विधान पर आधारित करने के लिये क्या अनुसंधान किया गया है ;

(ग) विनियोजन के विकास पर हड़तालों, घेराव तथा दबाव डालने की अन्य गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पश्चिम बगाल में विनियोजन के इस वर्ष के आंकड़े क्या हैं तथा गत दो वर्षों की इसी अवधि के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1969 और 1968 में, अप्रैल से नवम्बर तक की अवधि में गैर-सरकारी कम्पनियों को पूंजी निर्गम के लिये जितनी रकमों की मंजूरी दी गयी उसका ब्योरा इस प्रकार है :—

	अप्रैल से नवम्बर तक (करोड़ रुपयों में)	
	1969	1968
प्रारम्भिक निर्गम	7.85	11.50
अतिरिक्त निर्गम	20.78	19.32
ऋण-पत्र	33.29	18.11
बोनस निर्गम	30.15	22.16
ऋण	3.54	16.11
	जोड़ 95.61	87.20

(ख) कर विषयक कानून, जनता के हित में बनाये जाते हैं और यह धारणा सही नहीं है कि ये कानून किसी के विरुद्ध बनाये जाते हैं।

(ग) हड़ताल, घेराव आदि भी उन बहुत से कारणों में से कुछ हैं जिनका प्रभाव निवेश के विस्तार पर पड़ता है और इन कारणों के प्रभावों को अलग कर के नहीं बताया जा सकता।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4782. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र में स्थित उद्योग इस समय पूर्ण क्षमता से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक उद्योग में कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है ; और

(ग) उक्त उद्योगों की क्षमता का पूरा प्रयोग न किये जाने अथवा दुरुपयोग किये जाने के क्या कारण हैं और राज्य के उद्योग पर समस्ततः इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). 1968-69 में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित उपक्रमों की क्षमता के उपयोग का ब्योरा इस प्रकार है :—

एकक का नाम	स्थापित क्षमता का प्रतिशत उपयोग
	1968-69
1. माइनिंग ऐण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	9
2. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	50
3. मिश्रित इस्पात संयंत्र	40
4. हिन्दुस्तान केबल्स	
(i) शुष्क क्रोड (ड्राई कोर) केबल्स	97
(ii) समाक्षीय केबल	42
(iii)प्लास्टिक के तार और केबल	32
5. गार्डन रीच वर्कशाप	
(i) जहाज निर्माण	70
(ii) जहाजों की मरम्मत	100
(iii)सामान्य इंजीनियरी	80

(ग) इन एककों में क्षमता के कम उपयोग के मुख्य कारण ये हैं : —

(1) श्रम सम्बन्धी असन्तोषजनक परिस्थितियां।

(2) कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों की कमी ।

(3) इन उद्यमों द्वारा तैयार की जाने वाली कुछ वस्तुओं की अपर्याप्त मांग ।

इन उपक्रमों में क्षमता के कम उपयोग का राज्य के उद्योगों पर पड़ने वाले समूचे प्रभाव का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

नसबन्दी आपरेशन

4783. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बेरोजगार, गरीब और आवारा व्यक्तियों पर किये गये नसबन्दी आपरेशन के बारे में केन्द्रीय सरकार को बहुत सी शिकायतें की गई हैं और इन में कहा गया है कि डाक्टर इसके लिये सरकार द्वारा निर्धारित 30 रुपये प्रति व्यक्ति के स्थान पर प्रति व्यक्ति दो रुपये देते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिब्बिया कालेज के प्रिन्सिपल, परिवार नियोजन केन्द्र ने यह स्वीकार किया है कि नसबन्दी के आपरेशन अविवाहित व्यक्तियों पर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा करने के लिये सम्बद्ध डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). इस अभिकथन की जांच की जा रही है ।

उड़ीसा के खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास

4784. **डा० रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खान क्षेत्रों में सड़क विकास के लिये साधन जुटाने के उद्देश्य से उस राज्य में निकाले जाने तथा वहां से बाहर भेजे जाने वाले खनिजों पर 10 प्रतिशत विशेष शुल्क लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। परन्तु, 29 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में खनिज सलाहकार बोर्ड की 16वीं बैठक में राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का सुझाव दिया गया था ।

(ख) खनिज सलाहकार बोर्ड की उपरि निर्देशित बैठक तथा बाद में 30 सितम्बर,

1969 को हुये राज्यों के खनन तथा भूविज्ञान मंत्रियों के सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि खनिज युक्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से खनिजों पर अतिरिक्त स्वामित्व लगाना वांछनीय नहीं होगा। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि वे खनिज-युक्त प्रदेशों में सड़कों के निर्माण के लिये विशेष प्रस्ताव बनाएं और विचार के लिये खान तथा धातु विभाग को भेजें।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा श्रीलंका में उर्वरक कारखाने की स्थापना

4785. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने श्रीलंका में एक बड़ा उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और कार्य किस तारीख तक आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). भारतीय उर्वरक निगम ने श्रीलंका में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में पेशकश भेजी है। पेशकश में सारी परियोजना का रुपांकन, इंजीनियरी, सिविल कार्यों की कार्यान्विति, निर्माण तथा चालू किया जाना शामिल है। श्रीलंका की स्टेट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन पेशकश पर विचार कर रही है।

पश्चिम जर्मनी के स्वयंसेवक

4786. **श्री मंगलाथुमाडोम** :
श्री क० लकप्पा :
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी के स्वयंसेवक भारत में किन-किन स्थानों पर नियुक्त हैं ;

(ख) उनकी संख्या कितनी है तथा उनका कार्य क्षेत्र क्या है ; और

(ग) क्या पश्चिमी जर्मनी के स्वयं सेवकों के कार्यकलाप शान्ति दल के स्वयं सेवकों के कार्यकलापों से भिन्न है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारत में पश्चिम जर्मनी के स्वयंसेवकों की संख्या उनके नियुक्ति स्थानों और कार्य क्षेत्रों का ब्योरा विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2457/69]**

(ग) विदेशी स्वयंसेवकों के सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य कुछ चुने हुये स्थानों पर विकास कार्यों के लिये हमारे मध्य-स्तरीय जनशक्ति साधनों में वृद्धि करना है। इन स्वयंसेवकों के कार्य-

क्षेत्र भिन्न-भिन्नअभिकरणों के कार्य-क्षेत्र के अनुसार समय-समय पर बदलते रहते हैं। इस समय, जर्मनी के स्वयंसेवक मुख्यत: व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी कार्यक्रमों में लगे हैं जबकि शान्ति दल (पीस कोर) के स्वयंसेवक मुख्यत: कृषि, शिक्षा और परिवार नियोजन का काम कर रहे हैं।

लोकटाक जल-विद्युत योजना

4787. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री योगेन्द्र शर्मा : **श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोकटाक जल-विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वह अपना कार्य करना कब आरम्भ कर देगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) लोकटक पन-बिजली परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित कार्य परिकल्पित हैं :-

(1) ईथाई में मणिपुर नदी पर एक 35 फुट (10.668 मीटर) ऊंचा बराज ;

(2) एक जल संवाहक प्रणाली, जिसमें एक 13,500 फुट (4114.8 मीटर) लम्बी, 12 फुट (3,657 मीटर) व्यास की खुली चैनल, जिसके अन्तिम छोर पर 4753-4753 फुट (1448.76-1448.76 मीटर) लम्बाई के दो अवधारक नल होंगे, शामिल हैं ;

(3) बाद में प्रतिष्ठापनार्थ एक तीसरे यूनिट के लिये व्यवस्था के साथ 35-35 मैगावाट के दो बिजली उत्पादन यूनिटों के प्रतिष्ठापन वाला एक बिजली उत्पादन केन्द्र ; और

(4) 132 के० वी० इम्फाल बदरपुर पारेषण पथ के साथ बिजली घर को मिलाने वाला एक 10 मील (16 किलोमीटर) लम्बा 32 के० वी० पारेषण पथ। परियोजना की अनुमानित लागत 10.25 करोड़ रुपये है और इसके 1973-74 तक चालू होने की सम्भावना है।

Reports of National Council of Applied Economic Research on Evaluation of Economic Situation

4788. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that National Council of Applied Economic Research has been set up for annual evaluation of economic situation of the country ;

(b) if so, the date on which the above said Council was set up along with the terms of reference and the number of study reports submitted to Government by this Council, and the terms of reference of the Council ; and

(c) the major recommendations of each of these reports, the language in which these reports have been brought out, the dates on which presented to Government their prices and the place where these are available ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). No, Sir. The NCAER is an independent organisation and was established in 1956 as a Society under the Societies Registration Act to undertake and promote research on economic and industrial problems and allied matters. The Council undertakes research projects either on its own or on sponsorship by the different Ministries of the Government of India, Planning Commission, State Governments and Public and Private Sector Organisations on payment of project fees. The Council also undertakes, from time to time, a review of the Indian economy as a part of its general work. The Government have not prescribed any terms of reference for the Council.

The Council submits its project reports direct to the sponsoring bodies. The reports are brought out in the English language. A list of the 169 publications of the Council up to December 1969, has been issued by it ; and the publications are available at the Council's office and leading book-sellers in India and abroad. Complimentary copies of all publications have been supplied from time to time to the Parliament Library.

मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध बागलकोट सीमेंट कम्पनी से सम्बन्धित आरोपों की जांच की मांग

4789. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री को एक संसद सदस्य से 4 अक्तूबर, 1969 को एक स्मरण पत्र दिया गया है जिसमें मैसूर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री (श्री निजलिंगप्पा) के विरुद्ध बागलकोट सीमेंट कम्पनी से सम्बन्धित आरोपों तथा कुछ वर्ष पूर्व मैसूर के विधायकों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करने की मांग की गई है ; और

(ख) इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य प्रधान मन्त्री को लिखे गये अपने 4 अक्तूबर 1969 के पत्र की ओर निर्देश कर रहे हैं ।

जहां तक मैसूर के कुछ विधायकों द्वारा मैसूर के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री एस० निजलिंगप्पा के विरुद्ध कुछ समय पहले लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री ने 22 फरवरी, 1965 को सभा में इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था । गृह मन्त्री ने भी 29 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2580 का उत्तर दिया था ।

बागलकोट सीमेंट कम्पनी सम्बन्धी आरोपों के बारे में 18 नवम्बर, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर में औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

भारतीय और विदेशी बैंकों की पूंजी

4790. **श्री भगवान दास :**
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्वामित्व वाले और भारत द्वारा नियन्त्रित बैंकों की कुल पूंजी कितनी है;

(ख) विदेशी स्वामित्व वाले और विदेशी नियंत्रण वाले बैंकों की कुल पूंजी कितनी है ; और

(ग) अमरीकी बैंकों को पी० एल० 480 निधि में से कितनी धन राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय स्वामित्व वाले और भारत द्वारा नियन्त्रित वाणिज्यिक बैंकों की 31 दिसम्बर, 1968 को कुल चुकता पूंजी 46.62 करोड़ रुपये थी ।

(ख) चूंकि भारत में काम कर रहे विदेशी बैंक, विदेशों में निगमित बैंकों की शाखाएं ही हैं, इसलिये भारत में उनके कारवार के संदर्भ में, उनकी कोई चुकता पूंजी नहीं होती है। परन्तु बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा II (3) की शर्तों के अनुसार उन्हें चुकता पूंजी के स्थान पर, रिजर्व बैंक के पास नकद रकम या भाररहित स्वीकृत प्रति भूतियां जमा करवानी पड़ती हैं । 31 मार्च, 1969 को ऐसी जमा राशियों की रकम 5.83 करोड़ रुपये थी ।

(ग) भारत में काम करने वाले तीन अमरीकी बैंकों के पास, अक्तूबर, 1969 के अन्त में, अमेरिका के राजदूतावास द्वारा जमा कराई गई पी० एल० 480 निधियों की 64.39 करोड़ रुपये की रकम थी ।

Payment of Salaries to Government Employees who Participated in the Strike of 19th September, 1968.

4791. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision in regard to the payment of salaries to those employees who took part in the strike of the 19th September, 1963 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reasons for not making the payment of salaries when all the formalities in this regard have been completed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). Under the rules, no pay and allowances are admissible to the Central Government servants who participated in the strike for the period of their unauthorised absence from duty. In the case of persons who were discharged and who were subsequently reinstated, the period of absence from duty from the date of discharge to the date of resumption of duty has been

treated **dies non.** As such, no pay and allowances will be admissible to the Government servants concerned for the aforesaid period. As regards officers who were under suspension, their pay and allowances for the period of suspension would on their re-instatement be regulated by the rules on the subject. Thus, the payment of salaries to the employees who participated in the strike is regulated by the existing rules on the subject.

मालगांव (महाराष्ट्र) में उत्पादन शुल्क का अपवंचन

4792. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मालगांव और मालगांव के आसपास हथकरघा से बने कपड़े और सूत आदि पर उत्पादन शुल्क का बड़े पैमाने पर अपवंचन किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादन-शुल्क अधिकारी भय के कारण गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र में कभी हथकरघों की संख्या और उनके द्वारा किये जाने वाले उत्पादन के बारे में जांच की है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। लगभग 15000 करघों में से, 1969 में विद्युत चालित 18 करघों सहित केवल 11 यूनिट बिना लाइसेन्स के चलते हुये पाए गए। मांड लगे सूत पर से, 1969 में शुल्क समाप्त कर दिया गया।

(ख) जी, नहीं। नियतकालिक सर्वेक्षण किये जाते हैं और अनधिकृत उत्पादन के मामले दर्ज किये जाते हैं। उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा कोई झूठी रिपोर्ट नहीं भेजी गई।

(ग) और (घ). बिना लाइसेन्स वाले करघों का पता लगाने के लिये, नियतकालिक सर्वेक्षण किये जाते हैं। उत्पादन और करघों की संख्या की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि सम्मिलित शुल्क योजना के अधीन उत्पादन का कोई रिकार्ड रखना आवश्यक नहीं होता और इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन की मात्रा की ओर ध्यान न देते हुए करघों की संख्या और सम्बन्धित अवधि के आधार पर एकमुश्त शुल्क लगा दिया जाता है। सभी यूनिटें सम्मिलित शुल्क के अधीन हैं और इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

बेरोजगार डाक्टर

4793. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों से बेरोजगार डाक्टरों की संख्या के बारे में पूरे पूरे अनुमान लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का हमारे जैसे उद्योग प्रधान देश में संतुलित योजना किस प्रकार बनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). देश में चिकित्सा सम्बन्धी जन शक्ति के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार सामान्य चिकित्सकों के लिये नौकरियों की कमी नहीं है भले ही विशेषज्ञों को कहां बिठाया जाय इसमें कुछ कठिनाई अनुभव की गई है। वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की निरन्तर कमी है और वहां की जनसंख्या के लिये डाक्टरों की न्यूनतम आवश्यकता भी कभी पूरी नहीं की जा सकती है।

जून 1969 तक देश के रोजगार कार्यालयों में 1231 डाक्टर पंजीकृत थे वैसे पंजीकरण स्वैच्छिक है और इन आंकड़ों में भी सम्मिलित हैं जिन्होंने और ऊंचे पदों के लिये पंजीकरण करवाया है। यहां डाक्टरों की बेरोजगारी का सूचक नहीं है।

(ग) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये प्लान स्कीमों के अनुकूल चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं।

पोंग बांध क्षेत्र से हटाये गये व्यक्तियों को मुआवजा

4794. **श्री विक्रमचन्द महाजन :**
श्री निहाल सिंह :
श्री अदिचन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के क्षेत्र से हटाये गये व्यक्तियों को कितना मुआवजा मंजूर किया गया और वास्तव में उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ;

(ख) बांध से हटाये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको कोई मुआवजा मंजूर नहीं किया गया ; और

(ग) उनका मुआवजा कब तक मंजूर कर दिया जायेगा और उसका भुगतान वास्तव में कब किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 456 पंचाट (अवार्ड) दिये गये हैं और 52 मामलों में कुल 40,70,113 रुपये की अदायगी हुई है। शेष पंचाटों के मुआवजे के लिये पूरी रकम हकदार व्यक्तियों को अदायगी करने के वास्ते भूमि अधिग्रहण अधिकारी को सौंप दी गई है।

(ख) 19,400 परिवारों के बारे में पंचाट नहीं दिये गये हैं क्योंकि उनकी भूमि का अधिग्रहण होना अभी बाकी है।

(ग) अगले तीन वर्षों में पंचाट और अदायगियां अधिकाधिक की जाएंगी।

अपने मजदूरों की मजदूरी में कटौती करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा प्रस्ताव

4795. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची, ने अक्तूबर, 1969 से सभी मजदूरों की मजूरियों में से 18 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से कटौती करने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये गये हैं ;

(ख) क्या कार्मिक संघों से कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो विरोध प्रकट करने वाली यूनियनें कौन सी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सामने उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां, मजदूरों को दिये जाने वाले परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते में 18 पैसे प्रतिदिन की कमी का कारण निर्वाह-व्यय सूचक का गिर जाना है तथा यह कोयला वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुरूप है ।

(ख) राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संघ तथा इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध कुछ यूनियनों ने इस कमी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा स्थिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट कर दी गई । इसके परिणामस्वरूप आन्दोलन का कार्यक्रम जिनका कुछ यूनियनों ने नोटिस दिया था, छोड़ दिया गया है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में अलुमीना तथा अलुमिनियम की आवश्यकता

4796. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलुमिनिया तथा अलुमिनियम का उत्पादन किन-किन कारखानों में हो रहा है तथा वे कारखाने राज्यवार कहां-कहां पर हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में अलुमिनिया तथा अलुमिनियम की कुल कितनी आवश्यकता होगी ;

(ग) देश में इन दोनों वस्तुओं की इस समय कुल कितनी क्षमता है ; और

(घ) क्या उनकी आवश्यकता तथा उपलब्धता के बीच कोई अन्तर है और यदि हां, तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव :) (क) देश में एल्यूमिनियम सिलों का उत्पादन करने वाले चार एकक हैं, जिनके पास उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके अपने अधिकार में एल्यूमिना-क्षमता है। इन एककों के राज्य अनुसार स्थापना स्थल नीचे बताए गए हैं :

कम्पनी का नाम	एकक का स्थापना स्थल
1. मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड।	रेनूकूट, जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)
2. मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।	(क) अलवेई, केरल। (ख) 1. उड़ीसा में हीराकुड स्थान पर प्रद्रावक। 2. बिहार के जिला रांची में मुरी स्थान पर एल्यूमिना संयंत्र। (ग) बेलगाम मैसूर।
3. मैसर्स मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड।	मेट्टूर (सलेम), तामिलनाडू।
4. एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।	आसनसोल, पश्चिम बंगाल।

(ख) चौथी योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये योजनाएं सुनिश्चित करने के संबंध में गठित अलौह-धातुएं विषयक आयोजन दल ने चौथी योजना के अन्त तक एल्यूमिनियम की घरेलू आवश्यकताओं का अनुमान 265,000 मैट्रिक टन तथा निर्यात के लिए अनुमान 40 से 50,000 मैट्रिक टन तक लगाया है। उपरोक्त मात्रा के एल्यूमिनियम के लिये एल्यूमिना की कुल आवश्यकता प्रतिवर्ष 610,000 से 630,000 मैट्रिक टन तक होगी।

(ग) और (घ). सभी एल्यूमिनियम उत्पादक एककों को उनके अपने संयंत्रों में भस्म एल्यूमिना की पर्याप्त मात्रा उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिये गये हुए हैं। एल्यूमिना का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अलग से अनुज्ञप्त नहीं किया जाता। मैसर्स इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के वेलगाम एकक ने उत्पादन अक्टूबर, 1969 में प्रारम्भ किया और एल्यूमिना संयंत्र जुलाई 1970 के अंत तक एल्यूमिना का नियमित उत्पादन प्रारम्भ करेगा। अतः अक्टूबर, 1969 से जुलाई, 1970 के अंत तक की बीच की अवधि में एल्यूमिना की आवश्यकता आंशिक रूप से आयातों द्वारा और आंशिक रूप से उन स्वदेशी एल्यूमिना उत्पादकों से पूरी की जायेगी जो एल्यूमिना की कुछ मात्रा छोड़ सकने में समर्थ हैं। एल्यूमिनियम धातु की क्रमिक रूप से बढ़ रही मांग के सम्बन्ध में आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुज्ञप्त/अनुमोदित की गई है।

कच्चा माल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा

4797. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केबल उद्योग के लिये अपेक्षित तांबा, सीसा, कागज आदि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है जिससे उद्योग को नुकसान हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आई० डी० ए० तथा जी० सी० ए० के अन्तर्गत कच्चा माल आयात करने के लिए केबल उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा नियत करने का विचार है ;

(ग) क्या खनिज पदार्थ तथा धातु व्यापार निगम को उसका आयात करने के लिये निगम को उसका आयात करने के लिये क्रयादेश के देने से पहले सलाह देने हेतु उद्योगपतियों तथा लौह अयस्क के व्यापारियों की एक सलाहकार समिति बनाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) विदेशी मुद्रा कब तक नियत कर दी जायगी तथा वर्ष 1969-70 के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). केवल उद्योग को कच्चे माल का आयात करने के लिये लाइसेंस 1969-70 की आयात व्यापार-नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक एककों को प्राप्त अधिकारों के अनुसार दिये जाते हैं। समय-समय पर जो वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं, उनके अनुसार कच्चे माल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा दी जाती है। भूतकाल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अन्तर्गत विभिन्न देशों द्वारा दिये जाने वाले आबद्ध ऋणों के माध्यम से तथा मुक्त विदेशी मुद्रा के माध्य से भी, कच्चे माल का आयात करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे।

(ग) अलौह धातुओं का आयात करने के लिए आर्डर दिये जाने से पहले, खनिज धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) को परामर्श देने के लिए कोई परामर्श समिति नियुक्त करने का विचार नहीं है।

(घ) केबल और तार उद्योग, प्राथमिकता-प्राप्त उन 59 उद्योगों में से एक है जिसे आवश्यकतानुसार, पिछली अवधि की खपत के आधार पर, कच्चे माल के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। इन उद्योगों के लिए, किसी विशेष अवधि के लिए, पहले से ही विदेशी मुद्रा नियत नहीं की जाती।

हिसार के एक वकील द्वारा स्थापित फर्जी फर्म

4798. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिसार के वकील, श्री गुलाब सिंह जैन द्वारा स्थापित उन फर्जी फर्मों के नाम क्या क्या हैं जिनका अब तक पता लगाया जा चुका है ; और

(ख) क्या वह उनके स्वीकारात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). हिताधिकारियों के कर-निर्धारण अभी भी बड़ी संख्या में बाकी पड़े हैं, इसलिये अब तक पता लगायी गयी फर्जी फर्मों के नाम बताना अथवा इकरारी बयान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना लोक हित में नहीं होगा।

भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को रोपड़, हरीके तथा फिरोजपुर बांधों का सौंपना

4799. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रोपड़ हरीके तथा फिरोजपुर बांधों को पंजाब सरकार से लेकर भाखड़ा कन्ट्रोल बोर्ड को सौंपने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मामले पर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक औपचारिक रूप से कोई फैसला नहीं किया गया है।

Nationalisation of Indian Banks in Pakistan

4800. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Pakistan has nationalized many Indian Banks and aquired their property and has formulated a scheme for settling the claims of Pakistani depositors out of the sale-proceeds of the houses of Indian bankers in Pakistan ; and

(b) if so, the complete details in this regard and also Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P.C. Sethi) : (a) and (b). As the House is aware, following the 1965 hostilities, the control of Indian banks and other establishments owned and run by Indians in Pakistan was taken over by the Government of Pakistan. According to the reports which recently appeared in certain Pakistani newspapers, East Pakistan Enemy Property Management Board, Dacca, have invited tenders from banking institutions for the sale of nine buildings of two Indian banks. One of the reports indicated that the sale proceeds are intended to be utilised for payment to resident depositors and to meet other liabilities of the the Indian banks. The Government of India have instructed the High Commission of India, Islamabad, to lodge a protest with the Government of Pakistan against the sale of the properties and to urge on the Government of Pakistan to immediatly stop the proposed sale on the ground that it would not only constitute a clear violation of the Tashkent Declaration but would also be illegal and contrary to the International Law and practice and that Government of India would not recognise any title to these properties either of the Pakistan Government or such individuals as may acquire these properties as a result of the sale. The Government of Pakistan have again been invited to start discussions on the subject of return of siezed properties in terms of Article VIII of the Tashkent Declaration.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षण

4801. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रयोगशाला-सहायकों तथा अन्य

कर्मचारियों को प्रशिक्षण की क्या सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ख) संस्थान में चिकित्सा प्रोफेसरों तथा अन्य शोधकर्ता अधिछात्रों, (रिसर्च फैलोज) को दी जाने वाली सचिवीय तथा अन्य सहायता में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रयोगशाला और अन्य स्टाफ के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं :

प्रयोगशाला स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

(1) निम्नलिखित विषयों में तकनीशियनों के प्रशिक्षण का डिप्लोमा कोर्स :

(1) चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक

(2) (क) श्रव्यतामापन (आडियोमीट्री)

(ख) रेडियोलाजी

(ग) आप्टोमीट्री तथा

(घ) आर्थोप्टिक्स ; में क्लीनिकी तकनीक

(3) इलेक्ट्रोनिक तकनीक

(2) विद्युत-चिकित्सा उपस्करणों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए तकनीशियनों का प्रशिक्षण ।

(3) इनके अतिरिक्त समस्त प्रयोगशाला-स्टाफ को सेवा काल में अपने-अपने विभागों में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

अन्य स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

कनिष्ठ शैक्षिक स्टाफ तथा अनुसंधान स्टाफ को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पंजीकरण कराने की सुविधा दी जाती है बशर्ते कि वे अपेक्षित योग्यता रखते हों। उन्हें, सेवा काल में अपने-अपने विभागों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

(क) इस संस्थान के प्रोफेसरों को अपेक्षित सचिवीय स्टाफ दिया गया है । शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए भी आवश्यक सुविधायें उन्हें उपलब्ध हैं।

इस संस्थान में कोई शोध कर्त्ता अधिछात्र नहीं है ।

राज्य वित्त निगमों के लिए समान ऋण नीति की आवश्यकता

4802. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य वित्त निगमों को कहा है कि वे समान ऋण नीति बनाने के उद्देश्य से अपनी ऋण नीति को शीघ्र तैयार करें ;

(ख) क्या इन निगमों ने वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अपनी व्यवस्था में कोई अदल-बदल की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। रिजर्व बैंक राज्यों के वित्तीय निगमों से लगातार यह आग्रह करता रहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों को और अपेक्षाकृत कम-विकसित क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करें।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, निगमों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशी सहायता का पूरा उपयोग न करना

4803. **श्री क० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऋण आयोजन न होने के कारण विदेशों से प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता का पूर्ण उपयोग करने में असफल रही है ; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि विदेशी सहायता का पूर्ण उपयोग हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) विदेशी सहायता के शीघ्र उपयोग के लिये अनेक कदम उठाए गये हैं। उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण कदम ये हैं :

(1) उपयोग की गति का समय-समय पर पुनर्विलोकन और समस्याओं का पता लगाना ; जहां आवश्यक हो उपयोगों, पुर्नियतनों आदि का पुन: कार्यक्रम बनाना विशेषकर गैर-परियोजना ऋणों के बारे में।

(2) परियोजना ऋणों के मामले में यह सुनिश्चित करना कि सहायता के लिये विचार विमर्श से पहले परियोजना तैयारी के स्तर में (अर्थात् तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता, इंजीनियरिंग आदि) काफी प्रगति हुई है।

(3) उन परियोजनाओं की प्रगति का पुनर्विलोकन जिनके लिये सहायता राशि नियत की जाती है।

(4) अधिक वित्तीय अधिकारों का दिया जाना।

(5) सहायता सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की ओर लगातार ध्यान देना।

(6) कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिये गैर-परियोजना ऋणों के विभिन्न साधनों के नियतन के बारे में डी० जी० टी० डी० के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना, ताकि मांग तथा उपलब्धता एक दूसरे के यथासंभव निकट आ सकें ।

केरल के आयकर विभाग में अपर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति

4804. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सर्किल में आयकर विभागों में अपर डिवीजन क्लर्कों से पर्यवेक्षी पदों पर पदोन्नत होने के अवसर पिछड़ी जातियों के लिये बिलकुल बन्द हो गये हैं क्योंकि इस प्रयोजन के लिये पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या समाज कल्याण विभाग से इस सम्बन्ध में सलाह ली गई है क्योंकि पिछड़ी जातियों के शासिल न किए जाने से इन कर्मचारियों में निराशा उत्पन्न हो गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों में पर्यवेक्षी पदों पर उच्च श्रेणी लिपिकों को तरक्की देने का काम, सभी जगहों पर तथा केरल राज्य में भी भारत सरकार के इस सम्बन्ध में प्रवर्तमान आदेशों के अनुसार नियमित है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस मामले में समाज कल्याण विभाग से परामर्श किया गया है और उस विभाग ने यह सलाह दी है कि यह आरक्षण इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से अधिसूचित की गयी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में ही लागू होता है, तथा किन्हीं "अन्य पिछड़ी जातियों" के मामले में लागू नहीं होता ।

राष्ट्रपति शासन के अधीन बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता

4805. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति शासन में बिहार सरकार को कुल कितनी सहायता, ऋण अथवा अनुदान दिया गया ;

(ख) किन निदेशक उद्देश्यों के लिये यह ऋण और सहायता दी गयी थी ; और

(ग) ऋण तथा अनुदान को लौटाने के सम्बन्ध में यदि कोई शर्तें हैं तो वे क्या हैं ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2458/69]** राज्य सरकारों को दिये गये ऋण ही वापस किये जाते हैं, अनुदान नहीं ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के शासन की घोषणा होने के बाद से बिहार सरकार को जो ऋण और अनुदान दिये गये हैं, वे चालू वित्त-वर्ष में राज्य को सामान्य रूप से देय सहायता का ही अंग हैं।

बिहार में कमला-बालान बांध

4806. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के दरभंगा जिले में मादेपुर खण्ड के अन्तर्गत प्रसाद गांव में पूर्वी कमला-बालान बांध की बाढ़ से होने वाले भूमि के कटाव से रक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष बाढ़ों के कारण प्रसाद ग्राम में पड़ने वाले कमला बालन तटबंध में कोई कटाव नहीं आया है । उस भाग में वर्तमान तटबंध को सुदृढ़ करने के लिये कार्रवाई की जा रही है और इसके बरसात से पहले पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

तेल, उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन में आत्म-निर्भरता

4807. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, देश में, तेल, उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में आत्म-पर्याप्त तथा आत्म निर्भरता बनाने के लिये कोई योजना बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) आवश्यक सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2459/69]**

सरकारी उपक्रमों में पूंजी विनियोजन

4808. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** :

श्री कार्तिक ओंराव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई तथा कितनी पूंजी का उपयोग किया ;

(ख) उन उपक्रमों के संचालन से कुल कितना मुनाफा हुआ, ऋणों पर कितना ब्याज देय था, कितना ह्रास हुआ तथा कितने प्रतिशत शुद्ध लाभ हुआ ; और

(ग) इन उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये वर्ष भर में क्या उपाय किये गये तथा उस अवधि में क्या अच्छे परिणाम निकले हैं, यदि परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सभी सरकारी उपक्रमों के वर्ष 1968-69 के संपूर्ण परीक्षित लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इनके उपलब्ध होने पर, सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी और उसे संसद की दोनों सभाओं की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये किये गए नये उपायों का ब्योरा "सरकारी क्षेत्र के उद्यम (पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजिज)" विषयक ज्ञापन में दिया गया था, जो 28 फरवरी, 1969 को बजट-पत्रों के साथ बांटा गया था। उनमें से मुख्य उपाय ये हैं :-

(1) सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को शक्तियों का और अधिक प्रत्यायोजन।

(2) उपयुक्त प्रबन्ध-प्रतिभा वाले व्यक्तियों को हासिल करने में सहायता देना और वैज्ञानिक प्रबन्ध विकास नीतियों पर अमल करना।

(3) आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी का अपनाया जाना।

(4) कार्य-सम्पादन का समय समय पर समीक्षा करना।

उपर्युक्त उपाय निरंतर चलने वाले हैं और उपक्रमों के कार्य संचालन पर उनके प्रभाव को अभी से आंकना जल्दबाजी होगी।

हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में जांच प्रतिवेदन

4809. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** 24 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1053 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बरौनी पाइप लाइन के मामले में की गई जांच का प्रतिवेदन अब तक मिल चुका है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आय-कर तथा सम्पत्ति कर के मामलों में अनिर्णीत अपीलें

4810. **श्री महेन्द्र मांझी :** **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री वि० नरसिम्हा राव : **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर तथा सम्पत्ति कर से सम्बन्धित ऐसे कुल कितने मामले हैं जो पिछले तीन वर्षों अथवा इससे अधिक की अवधि से अपीलें न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) इन मामलों में निर्णय करने में असाधारण विलम्ब होने के क्या विभिन्न कारण हैं ; और

(ग) उक्त व्यक्तियों से आय कर अधिकारियों द्वारा मूलत: निर्धारित कर-राशि के आधार पर कितनी धन-राशि प्राप्त की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). अपीलीय सहायक आय-कर आयुक्तों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के सामने पड़ी अपीलों के बारे में मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ; इसे इकट्ठी करके सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है और विषम अनुपात में समय और श्रम लगाये बिना इसे इकट्ठी नहीं किया जा सकता ।

खुले बाजार में चीनी का टैरिफ-मूल्य

4811. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1969 में बिकने वाली चीनी के खुले बाजार में टैरिफ-मूल्य का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 6 अक्तूबर 1969 तक लागू टैरिफ-मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल था । बाजार में खुले तौर से बेची जाने वाली चीनी के टैरिफ मूल्य की समय-समय पर समीक्षा करने के लिये नियुक्त अधिकारियों की समिति की सिफारिश पर ,उक्त मूल्य, 7-10-1969 से बढ़ाकर 170 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया । समिति के पास मूल्य सम्बन्धी जो जानकारी उपलब्ध थी उसके आधार पर सिफारिश की गयी कि टैरिफ मूल्य प्रति क्विंटल 170 रुपये पर नियत किया जाना चाहिये । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी ।

भारतीय उर्वरक निगम का सिन्दरी यूनिट द्वारा डीजल शन्टिंग इंजनों की खरीद

4812. **श्री ज्योतिमय बसु :** **श्री भगवान दास :**
श्री के० रमानी : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम (सिन्दरी यूनिट) ने डायनाक्राफ्ट मशीन प्राइवेट लिमिटेड, जुहु, बम्बई से क्रयादेश संख्या पी० ओ० एक्स आई-0067 (66) 5132 दिनांक 27 अक्तूबर, 1966 के अनुसार 5,45,694 रुपये की लागत से एक डीजल शन्टर इन्जन खरीदा था ;

(ख) यदि हां, तो वह किस अभिप्राय के लिये खरीदा था ;

(ग) क्या सरकार को शिकायत प्राप्त हुई कि उक्त मशीन खरीदने के बाद एक मशीन भी नहीं चली तथा ख़राब हो गई; और फिर भी कम्पनी को पूरी अदायगी कर दी गई है जब कि गारंटी की अवधि एक वर्ष थी; और

(घ) यदि हां, तो खरीद सम्बन्धी ब्योरा क्या है; (दो) भारतीय खाद्य निगम को हानि पहुंचाने वाली इस खरीद के कौन लोग उत्तरदायी है; तथा (तीन) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। लेकिन क्रयादेश दो डीजल शन्टिंग रेल-इंजनों के लिये था। प्रत्येक डीजल शन्टिंग रेल इन्जन का मूल्य 5 लाख रुपये अर्थात् कुल 10 लाख रुपये।

(ख) कारखाने के अन्दर वैगनों की शन्टिंग के लिये रेल इन्जन खरीदे गये हैं।

(ग) इन रेल-इन्जनों के परिचालन के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है। किन्तु भारतीय उर्वरक निगम ने बताया है कि इन रेल इन्जनों में बारम्बार खराबी होती है। मैसर्स डायनाक्राफ्ट त्रुटियों को दूर करने के लिये यत्न कर रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि गारण्टी की अवधि एक वर्ष है। प्रेषण की तारीख से लेकर यह केवल 6 महीनों के लिये है। और मैसर्स डायनाक्राफ्ट को पूरी अदायगी नहीं की गई है बल्कि अदायगी की शर्तों के अनुसार रेलवे रसीद के साथ 90 प्रतिशत अदा किया गया है। सारी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही फर्म को शेष अदायगी की जायेगी।

(घ) भाग (ग) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद जिले की कोयला खानों पर बकाया-कर

4813. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद जिले की ज्यादातर कोयला खानों की ओर विभिन्न करों तथा रायल्टीज के रूप में भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह दोषी कम्पनियों के नामों तथा प्रत्येक की ओर बकाया धन-राशि की एक सूची सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). माननीय सदस्य ने धनबाद जिले की कोयला खानों के बारे में सूचना मांगी है जिन्हें सरकार को विभिन्न करों तथा रायल्टियों के रूप में भारी रकम अदा करनी है । धनबाद जिले की जिन कोयला खानों को प्रत्यक्ष करों के रूप में केन्द्रीय सरकार को भारी रकम अदा करनी है, उनके सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । जिन कोयला खानों की ओर इस समय 50,000 रुपये अथवा उससे अधिक रकम बकाया है उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी । जहां तक रायल्टियों का सम्बन्ध है, वे राज्य सरकार को देय होती है और इसलिये मांगी सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

Shortage of Power in Uttar Pradesh During Fourth and Fifth Plans

4814. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister **of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the supply of power will be much less than its demand in Uttar Pradesh even by the end of the Fourth Plan and shortage of power will be still more during the Fifth Plan ; and

(b) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). At the end of Fourth Plan, on completion of the projects sanctioned already, the shortage of power will only be small. On the basis of a normal rate of growth the load demand is expected to rise to about 3420 MW by the end of 1978-79. To meet this additional demand of 1487 MW, the State Government have formulated the following schemes, aggregating an additional installed capacity of 2165, for implementation :

	Installed capacity (MW)
(1) Lakhwar H. E. Scheme	100
(2) Obra Thermal Extension Stage II.	600
(3) Biyasi H. E. Project	125
(4) Extensions to Panki Thermal Station	220
(5) Harduaganj Stage V	120
(6) Obra Thermal 'B' Power Station	1000
Total	2165 MW

New Method for Transmitting Electricity Through Gas

4815. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government propose to adopt the new method for transmitting electricity from the generator to the electric sub-station through gas instead of through copper wire as is being done by serveral other countries; and

(b) whether it is a fact that more electricity at lower cost can be made available through the aforesaid procedure and if so, the programme formulated to adopt this procedure in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Electric power can be transmitted only through conductors i.e., copper or aluminium wires. There is no method for transmitting power through gas. Gas (dried nitrogen at high pressure) is however, used as insulators in gas-filled cables for preventing ionisation at high voltages. The power is transmitted through the copper conductor forming the core of the gas-filled cable.

(b) Does not arise.

Use of crude oil for producing fertilizers

4816. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state whether it is a fact that entire crude oil can be used for manufacturing fertilizers and with the help of one ton crude oil fertilizers equal to one ton nitrogen can be produced and whether Government had set up any committee to look into it and if so, the decision taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan): Crude oil can be used for the manufacture of fertilizers, but when other more economical feedstocks such as naphtha or natural gas are available, these are generally preferred. A Committee to consider alternative feedstocks for use in the manufacture of fertilizers has recently been set up. The Committee's report is awaited.

Farm Income of Central Ministers

4817. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the present or the former Central Ministers have shown their farm income also in their Income-tax Returns; and

(b) if so, the names thereof and the areas of their farms and their income from the said farms separately?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) No, Sir. Tax on Agricultural income being a State subject, does not fall within the purview of Income-tax Act.

(b) In view of reply to part (a), question does not arise.

Rehabilitation of Jhuggi Dwellers in Delhi

4818. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of jhuggis in Delhi and the number out of them of those jhuggis whose dwellers have been rehabilitated ;

(b) the names of the areas where jhuggi dwellers were to be rehabilitated in other areas during the current year as also the number of those areas where from such jhuggi dwellers have been rehabilitated in other places;

(c) the reasons for which some of the jhuggi dwellers have not so far been rehabilitated and the time by which they are likely to be rehabilitated ; and

(d) the reasons for which Government have not so far paid to the Delhi Development Authority the expenditure likely to be incurred on those jhuggi dwellers who set up their jhuggis after 1960?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) In 1960, the number of Jhuggi dwellers was about 50,000. Inspite of rehabilitating some of them, the survey conducted in 1967 disclosed that there were still 1 lakh squatters. In all, about 38,997 Jhuggi dwellers have been rehabilitated.

(a) Tentative list of areas to be cleared during the current year and the list of colonies where squatters are being/will be accommodated are laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T.-2460/69].**

(c) Actual programme of clearance is determined by the Lt. Governor keeping in view the requirements of development and considerations of traffic safety etc.

(d) For J. J. R. Scheme, there is a budget provision of Rs. 90 lakhs during the current financial year. Against this provision, an amount of Rs. 62.50 lakhs has already been released. The release of the balance amount of Rs. 27.50 lakhs will be considered as soon as the auditing of the accounts of the D.D.A. in respect of J.J.R. Scheme is completed.

Funds for Housing in Delhi

4819. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the names of the States and the amount of house building grant utilised by each of them during last three years ;

(b) whether it is a fact that Delhi has utilised maximum of this amount as compared to other States in the country ; and

(c) if so, the amount required for solving the housing problem in Delhi and the additional amount Government would allocate for Delhi for this purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The information is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-2461/69].**

(b) Yes, Sir.

(c) The total requirement of funds for meeting the present shortage of housing in Delhi has not been worked out. In the draft Fourth Five Year Plan, a sum of Rs. 8.00 crores, has, however, been provided for housing in Delhi.

Extension of Irrigation Facilities Through Tubewells

4820. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount spent on the tubewells installed by private parties is much less than the amount spent by Government on irrigation of land per acre through canals and tubewells although sufficient quantity of water is made available to the farmer for irrigation ; and

(b) if so, the reason for not encouraging the extension of irrigation facilities through large scale private tubewell installation programme by inducing the farmers to invest their money on irrigation and also to bring more area under irrigation through the amount made available by Government for this purpose.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prashad) : (a) The Ministry of Food and Agriculture have indicated that it is not a fact that the cost per acre of private tubewells is lower than that of State tubewells. The average cost of a shallow tubewell drilled to a depth of 150 to 200 ft. installed by cultivator; from their own resources or from credit facilities available from institutions like Land Development Banks etc. comes to about Rs. 10,000 per well with the pumping arrangements. This does not include the outlay incurred on extension of power lines for the tubewells. The average area likely to be irrigated from such a tubewell comes to 13 crop acres per year. Thus, the average cost per acre works out to Rs. 800 for a private tubewell.

The average cost of a deep tubewell drilled to a depth of 600 to 1000 ft. installed by the Government comes to Rs. 1.15 lakhs (including cost of energisation of the tubewell) and this will irrigate an area of 250 crop acres per annum. Thus, the average cost per acre for a State tubewell comes to Rs. 460.

(b) The Ministry of Food and Agriculture have intimated that it is not a fact that the extension of irrigation facilities by a large scale private tubewell programme is not being encouraged. The total outlay contemplated on private minor irrigation works including private tubewells, etc. is of the order of Rs. 1300 crores during the Fourth Plan whereas the total outlay on State tubewells would be only about Rs. 60 to 70 crores during that period. It is estimated that about 3.75 lakh private tubewells will be installed whereas the State tubewells would be about 6,000.

The private works like dug-wells, private tubewells etc. have the advantage that they stimulate private investment, do not incur liability for operation and maintenance on the part of the Government and at the same time give greater satisfaction to the cultivators as they are assured of irrigation supply at their choice. They are also completed and utilised quickly. Hence, great emphasis is being laid on minor irrigation works by accellerating the programme of private works. On the other hand, State tubewells and other State works are essential to provide irrigation facilities to small farmers who cannot afford private works of their own. In several areas of the country State works are only means of irrigation. Hence, under minor irrigation programme, the policy is to encourage private works through institutional agencies like Land Development Banks, Commercial Banks, A. R. C. etc. and give priority to State works in allocation of plan sector funds.

गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कम्पनियों की ओर बकाया आय-कर

4821. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियां देश में काला बाजार तथा मुनाफाखोरी की गतिविधियां कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उर्वरक व्यापार में काला बाजार तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये विभिन्न उपाय करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में उन कम्पनियों ने कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया तथा उसे कितने मूल्य में बेचा ; और

(ङ) उस पर अभी तक कितना आयकर दिया गया है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक उर्वरक कम्पनी की ओर आयकर की कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

कुछ राज्यों में ग्रामीण गृह-निर्माण परियोजना की क्रियान्विति

4822. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन तीन योजनाओं की अवधि में ग्रामीण गृह-निर्माण योजना जम्मू तथा काश्मीर, अन्दमान तथा निकोबार गोआ, दमन और दीव, नेफा तथा चण्डीगढ़ में लागू नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजना लागू करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, तथापि, यह योजना केवल द्वितीय योजना की अवधि में आरम्भ की गई थी।

(ख) यद्यपि ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम इस विभाग द्वारा बनाई गई है किन्तु इसे राज्य क्षेत्र में शुमार किया जाता है, जिसकी आवश्यकताओं को राज्य सरकारों आदि को अपनी योजनाओं की अधिकतम सीमा में समायोजित करना पड़ता है। उनके द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उन्हें अपने विवेकानुकूल

निधियों को आवंटित करना होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू और काश्मीर तथा गोआ, डमन और ड्यू की सरकारें तथा नेफा और चंडीगढ़ के प्रशासनों के लिए यह सम्भव नहीं हो सका है कि अन्य मांगों की अपेक्षा में ग्रामीण आवास के निधियों के आवंटन को प्राथमिकता दें । इस योजना को अंडमान और निकोबार प्रशासन ने क्रियान्वित नहीं किया क्योंकि, ऐसी सूचना दी गई है कि उनके गांव इस योजना के क्रियान्वितीकरण के लिये भली प्रकार से उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इस दूरस्थ क्षेत्र में मकान बनाने के लिये भवन सामग्री बहुत मंहगी है ।

(ग) और (घ). जम्मू और काश्मीर तथा गोआ, डमन और ड्यू की सरकारों ने तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में थोड़ी व्यवस्था की है । चंडीगढ़ और नेफा प्रशासनों ने ऐसी व्यवस्था का किया जाना अभी सूचित नहीं किया है ।

ग्रामीण गृह-निर्माण परियोजना के अधीन गलियां तथा नालियां बनाने के कार्य में सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता

4823. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ग्रामीण गृह-निर्माण परियोजना के अधीन गांवों में गलियां तथा नालियां बनाने के काम में सुधार करने हेतु पर्याप्त बल दिया गया था तथा इस कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता दी गई थी;

(ख) इस उद्देश्य के लिये राज्य-वार कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गई तथा गलियां और नालियां बनाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई और कितनी धनराशि अप्रयुक्त रह गई ;

(ग) राज्यों द्वारा इस कार्य में कम रुचि लिये जाने के क्या कारण हैं तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के आउट-ले (व्यय) में से राज्य सरकारें उसका अनुमानत: छठा भाग नालियों के बनाने के खर्च में उपयोग कर सकती हैं । राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग इस प्रकार किये गये व्यय को केन्द्रीय अनुदान की कुल राशि में प्रतिबिम्बित किया जायेगा । ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत इस विशिष्ट कार्य-क्रम के लिये कोई अलग से नियतन नहीं किया गया है और न इस व्यय का विस्तृत विवरण अलग से उपलब्ध हैं ।

(ग) इस कार्य-क्रम में उचित प्रगति न होने का कारण राज्य योजनाओं में आवास के प्रति निम्न प्राथमिकता देना प्रतीत होता है। निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग द्वारा प्रवर्तित सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। चौथी योजना की अवधि में सभी विकास कार्य-क्रमों को जो राज्य क्षेत्र में आते हैं, केन्द्रीय सहायता (आवास सम्मिलित है) खंड ऋणों (ब्लाक लोन्स) और खंड अनुदानों (ब्लाक ग्रांट्स) के रूप में सामूहिक रूप से दी जाती है। कार्य-क्रमों को चलाना तथा 'खंड ऋणों' और 'खंड अनुदानों' में से उनके लिये निधियों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करता है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना का विकास

4824. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटा नागपुर तथा संथाल परगना जैसे सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये खर्च होने वाली राजस्व राशि की प्रतिशतता का अनुमान लगाने की संभावनाओं का पता लगा लिया है; और

(ख) बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना से कुल कितनी राजस्व राशि प्राप्त हुई है और इन क्षेत्रों के विकास पर हुए कुल राजस्व खर्च का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं का विकास

4825. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपलब्ध कृषि योग्य भूमि तथा किसी विशिष्ट क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न कारणों से सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास के लिये कोई मार्ग दर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं ;

(ख) क्या किसी क्षेत्र की सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं का उस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व से कोई सम्बन्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चौथी योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार उन सिंचाई परियोजनाओं को, जो पहले से निर्माणाधीन हैं, शीघ्र पूरा करने और पूर्ण हुई परियोजनाओं से लाभों के पूर्ण समुपयोजन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। विशेष राज्यों और विशेष नदी घाटियों में जल संसाधनों के दीर्घ-कालीन विकास की एक परिप्रेक्ष्यात्मक योजना को ध्यान में रखते हुए, नई सिंचाई स्कीमों की जांच की आवश्यकता है और भूमिगत जल संसाधनों के विकास तथा समेकित उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां सिंचित भूमि का प्रतिशतांश औसत से बहुत कम है।

बिजली योजना देश के प्रत्येक क्षेत्र में बिजली प्रणालियों के समेकित प्रचालन पर आधारित है। बिजली आवश्यकताओं का मूल्यांकन सम्पूर्ण क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर करने की आवश्यकता है और नई बिजली उत्पादन स्कीमों का चयन एक विशेष क्षेत्र के भार लक्षणों द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना है। और ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों से तथा विशेष रूप से सिंचाई पम्प सेटों के ऊर्जन से होने वाले लाभों को दृष्टि में रखते हुए, ग्राम विद्युतीकरण पर लागतों को इन कार्यक्रमों के साथ पूर्ण रूप से समन्वित करने और उनमें पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है।

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, किसी विशेष क्षेत्र में सिंचाई और बिजली सुविधाओं का विकास तथा विस्तार, उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक समुपयोजन से प्रमुखत: सम्बन्धित है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण पर व्यय

4826. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा उसका पृथक पृथक ब्योरा क्या है ;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कार्य कर रही विभिन्न स्वयंसेवी तथा सामाजिक संस्थाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा उसका पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्य के विभिन्न अंगों पर खर्च की गई धनराशि से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने सम्बन्धी कोई जांच व्यवस्था भी है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना के दो विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2462/69]**

(ग) कार्यान्वयन अधिकारियों अर्थात् राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस निमित्त निर्धारित अपनी तिमाही और छमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों के प्राप्त होने के संबंध में रिपोर्ट दी जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के साथ वार्षिक योजना पर चर्चा के समय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछड़े वर्ग के कल्याण के महानिदेशक का क्षेत्रीय संगठन भी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में परीक्षण-पड़ताल करता है।

प्रतिनियुक्ति पर रखे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों में असन्तोष

4827. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में प्रतिनियुक्ति पर रखे गये कर्मचारियों को वापिस न भेजने के निर्णय से हाल में बहुत रोष फैल गया है ; क्योंकि इससे उनके पदोन्नति के अवसर अवरुद्ध हो जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनियुक्ति किये गये कर्मचारियों के स्थान पर दामोदर घाटी के अपने कर्मचारियों को रखने की कोई योजना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर आये अफसरों से, उप सचिवों के दो पदों और भूमि संरक्षण के उपनिदेशक के एक पद को भरने के खिलाफ दामोदर घाटी निगम को विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। निगम ने यह निर्णय किया है कि जब तक दामोदर घाटी निगम के केडर के अफसर इन पदों पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पाये जाएं तब तक इन पदों को प्रतिनियुक्त पर आए अफसरों से भरा जाए।

दामोदर घाटी निगम के उप महाप्रबन्धक को अन्तिम अवकाश देने से इन्कारी

4828. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम प्रशासन ने राज्य सरकार से परामर्श किये बिना अपने उपमहाप्रबन्धक को, जो पश्चिम बंगाल से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं, सेवा निवृत्ति से पूर्व अन्तिम अवकाश देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर घोर आपत्ति उठाई थी ;

(ग) क्या इस उप महाप्रबन्धक का सेवा काल और आगे बढ़ाने के परिणाम स्वरूप दामोदर घाटी निगम हजारों रुपये का अतिरिक्त खर्च कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारी को अन्तिम अवकाश देने से इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). दामोदर घाटी निगम के उप महाप्रम्बन्धक ने, जो पश्चिम बंगाल सरकार से प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर आए हुए हैं, सेवानिवृति पूर्व छुट्टी के लिये आवेदन किया था। चूंकि निगम उन्हें तुरन्त ही छट्टी नहीं दे सकता था, इस लिये आवेदित छुट्टी जनहित की दृष्टि से नामंजूर कर दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह जानने की इच्छा प्रकट की कि इस मामले में राज्य सरकार की सलाह क्यों नहीं ली गई और दामोदर घाटी निगम ने स्थिति स्पष्ट करते हुए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को उत्तर भेज दिया है। इनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को प्राप्त करने के लिये निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। चूंकि राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर लिये हुए अधिकारियों के सम्बन्ध में निगम सम्बन्धित राज्य सरकारों को छुट्टी और पेन्शन सम्बन्धी अंशदान अदा करता है, इसलिये अधिकारी को छुट्टी अस्वीकार करने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों की दामोदर घाटी निगम में प्रतिनियुक्ति

4829. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम को सुचारु रूप से चलाने के लिये उच्च स्तरीय समन्वय के लिये बिहार तथा पश्चिम बंगाल के सदस्यों को बनाये रखने के संदर्भ में दामोदर घाटी निगम के वरिष्ठ प्रबन्ध पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्त करने के लिये बाहर से अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लेने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अखिल भारतीय सेवाओं से कुछ अधिकारी दामोदर घाटी निगम (जो अध्यक्ष और दो अन्शकालिक सदस्यों से गठित है) के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये निगम द्वारा ले लिये गये हैं ताकि उन्हें वे आवश्यक विशेषज्ञ मिल सकें जो कि निगम के अपने केडर के अधिकारियों में उपलब्ध नहीं हैं।

दामोदर घाटी निगम द्वारा नियुक्त नायर समिति का प्रतिवेदन

4830. **डा० रानेन सेन :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रसिद्ध विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और निगम के अपने वरिष्ठ प्रबन्धकों तथा वित्तीय तथा तकनीकी विशेषज्ञों को लेकर गठित नायर समिति ने अपनी मूल्यवान सिफारिशों से मुक्त अपना प्रतिवेदन दो/तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत कर दिया था और दामोदर घाटी निगम ने उनमें से अधिकतम सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी सिफारिशें हैं जो अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं ; और

(ग) वे क्या कारण हैं जिन्हें देखते हुये दामोदर घाटी निगम ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). नायर समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1967 में प्रस्तुत की थी। इसकी कुछ सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गईं। जबकि अन्य सिफारिशों की जांच हो रही थी, दो मान्य संघों (डी० वी० सी० स्टाफ एसोशिएशन और कर्मचारी संघ) ने इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन के प्रति विरोध प्रकट किया। निगम ने दोनों संघों को आश्वासन दिया कि इन सिफारिशों को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा जब तक संघों के साथ सलाह करके इनकी और जांच न कर ली जाए। दोनों संघों से रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्राप्त होने और उनके साथ विचार-विमर्श कर लेने के बाद इस समिति की सिफारिशों को और आगे क्रियान्वित किया जायेगा।

Average Income of Rich and Poor

4831. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the maximum average income of a poor and a rich in the country ;

(b) the steps taken by Government to reduce such a great difference between their income ; and

(c) the minimum and the maximum pay of a Government employee and the steps being taken by Goverment to remove this wide disparity ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Available data do not indicate the structure of income in the country. However, according to the 22nd round of the National Sample Survey the bottom 10 per cent of the population accounted for 3.2 per cent of total consumption expenditure in 1967-68, which on certain assumptions, gives a figure of annual per caput consumption expenditure of Rs. 158. Income tax statistics for the year 1966-67 indicate an average annual income of Rs. 9.9 lakhs in the highest bracket of individual incomes assessed to tax.

(b) One of the principal objectives of our development plans has been to reduce economic inequalities in the country and this is sought to be achieved through various institutional and fiscal devices. The expansion of the public sector reduces to a considerable degree the scope for further increases in inequalities. The existing disparities are also sought to be reduced through such fiscal and non-fiscal measures as levy of direct taxes, both on persons and their wealth, at progressive rates, high rates of indirect tax on articles consumed mainly by the well off sections of the population, expansion of employment opportunities, extension of the cooperative sector in industries and distributive trade, increased facilities for development of small scale and village industries, legislative measures to counter monopolistic and restrictive practices, expansion of social services and maintenance of a system of public distribution of essential commodities such as foodgrains etc. The nationalisation of banks is also intended, among other things, to meet the credit requirements of the weaker and hitherto neglected sections of the society. Government is also examining in all its aspects the question of imposing ceilings on urban property. The draft Fourth Plan indicates various programmes and policies to raise the living standards of the weaker sections of the population and to reduce regional disparities.

(c) The minimun pay and allowances of a Central Government employee belonging to Class IV amount to Rs. 141 per month and the maximum salary drawn by a non-ICS Secretary

in a Ministry is Rs. 3500/ per month. A Secretary belonging to ICS cadre gets Rs. 4000/- per month. Government has recently announced the setting up of a Pay Commission which is likely to enquire among other things, into the existing pay structure of Central Government employees.

औषधियों/भेषजों की चोरी को रोकने के लिये कार्यवाही

4832. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्वामित्व वाली औषध-निर्माता कम्पनियों तथा गैर-सरकारी कम्पनियों से औषध खरीदने के लिये नियत वार्षिक धनराशि की कितनी प्रतिशतता उनके मन्त्रालय को प्रति वर्ष दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खरीदी गई औषधियों में से लगभग 30 प्रतिशत औषधियां चोरी चली जाती हैं तथा उनका लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नहीं दी जातीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने औषधियों/भेषजों की चोरी रोकने के लिये कोई निश्चित उपाय किये हैं ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस समस्या का समाधान करने के लिये कार्यवाही करने में उनकी सहायता करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, तथा परिवार नियोजन,और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 की सूचना निम्नलिखित है :

	प्रतिशतता	
वर्ष	**सरकारी औषध निर्माणशालाएं**	**निजी संगठन**
67-68	7	93
68-69	8	92

(ख) जी नहीं, सरकार के ध्यान में छोटी-मोटी चोरियों के मामले आये हैं।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में चोरी के कुछ मामले जो सरकार के ध्यान में आये थे, पुलिस में दर्ज कर दिये गये थे। अन्य मामलों में विभागीय कार्यवाही करना उचित समझा गया । इन औषधालयों में चोरी रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. औषधालयों में स्टाक की जांच की व्यवस्था ठोस कर दी गई है और स्टाक जांचकर्ताओं द्वारा की जाने वाली जांचों की संख्या बढ़ा दी गई है।

2. सभी डिब्बों, शीशियों और कितनी ही गोलियों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का विशेष निशान लगा दिया जाता है ।

3. संशोधित लेखा परीक्षा प्रणालियां लागू कर दी गई हैं ।

4. जिन मामलों में अनियमितता या धोखादेही की आशंका समझी जाती है, उनमें विशेष पुलिस स्थापना की सहायता ली जाती है । औषधालयों में दवाइयों के उपयोग और वितरण में होने वाली अनियमितताओं के मामलों का और विशेषकर असली दवाओं की जगह नकली और घटिया दवाएं दिये जाने के कथित मामलों का पता लगाने में दिल्ली प्रशासन के औषध नियन्त्रण संगठन की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है । केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में दवाइयों की चोरी को रोकने के लिये चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य निरीक्षण कर्मचारी बहुधा जांच करते रहते हैं ।

(घ) इस प्रकार का कोई अनुरोध सरकार को नहीं मिला है । किन्तु इस वर्ष नवम्बर में भोपाल में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में यह मामला उठा था । यह मान लिया गया था कि अस्पतालों के लिये बनाई गई दवाओं के लिये निर्माताओं को विशेष प्रकार की पैकिंग के लिये कहा जाय ।

प्रस्तावित वेतन आयोग को निर्देशपद

4833. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वेतन आयोग गठित करने के अपने निर्णय के अनुसार वेतन आयोग के निर्देशपद तय कर चुकी है ;

(ख) क्या ये निर्देशपद तय करते समय कर्मचारी संघों की सहायता और सहयोग मांगा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो निर्देशपदों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सभी फेडेरेशनों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सभी संघों तथा संस्थाओं को, जो उपर्युक्त फेडेरेशनों में शामिल नहीं हैं और जिनका संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व है, लिखा गया है कि वे प्रस्तावित वेतन आयोग के निर्देशक पदों के बारे में सुझाव भेजें । जैसे ही सुझाव प्राप्त होंगे और उन पर विचार कर लिया जायेगा, वैसे ही निर्देश पदों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और उनकी घोषणा कर दी जायगी ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा सरकार को देय ऋण

4834. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी की ओर भारत सरकार का कुल कितना ऋण है;

(ख) इन ऋणों पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ;

(ग) वर्ष 1966 से लेकर अब तक ऋणों तथा ब्याज की कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(घ) वर्ष 1969 में मूलधन तथा ऋणों के ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को, 1954 में, 10 करोड़ रुपये का जो विशेष अग्रिम दिया गया था, उसमें से इस समय मूल धन के रूप में 356 लाख रुपया और पहली अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि के ब्याज की शेष राशि के रूप में 124.96 लाख रुपये की राशि बकाया है। 1966 के करार के अनुसार, उपर्युक्त रकमें 31 मार्च, 1972 तक कम्पनी द्वारा भारत सरकार को छमाही किस्तों में चुकायी जानी हैं।

(ख) 24 मई, 1954 के मूल करार के अनुसार, इस करार पर पहली जुलाई, 1958 तक या परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित इसके बाद की किसी तारीख तक कोई ब्याज नहीं दिया जाना था। अत: 30 जून, 1958 तक कोई ब्याज देय नहीं था। पहली जुलाई, 1958 से 31 मार्च, 1961 तक का ब्याज छोड़ दिया गया था। पहली अप्रैल, 1961 से कम्पनी के नाम बकाया रकमों पर, समय-समय पर प्रचलित बैंक दर के अनुसार देय ब्याज लिया जाना है।

(ग) और (घ). जिस तारीख से 1966 का करार लागू हुआ अर्थात् 31 जनवरी, 1966 से आज तक वापस की गयी कुल मूल रकम तथा ब्याज की अदा की गयी रकम का ब्योरा इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

	1966	1967	1968	1969	जोड़
1. मूल रकम की वापसी	500.00	—	—	144.00	644.00
2. पहली अप्रैल 1961 से 31 मार्च, 1965 तक के ब्याज की पिछली बकाया रकम की अदायगी	—	—	—	49.98	49.98
3. बकाया रकमों का चालू ब्याज	70.00	30.00	27.12	23.20	150.32
जोड़ :	570.00	30.00	27.12	217.18	844.30

नई दिल्ली में नवम्बर, 1969 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी समिति का विश्व सम्मेलन

4835. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां विश्व सम्मेलन 11 नवम्बर, 1969 को नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) कितने देशों ने उसमें भाग लिया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (सोसाइटी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेंट) का ग्यारहवां विश्व सम्मेलन नई दिल्ली में 14 से 17 नवम्बर, 1969 तक हुआ था ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वे विषय बताये गये हैं जिन पर इस सम्मेलन में विचार किया गया था ।

जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के नियमों में बताया गया है, यह संस्था एक अन्तर्राष्ट्रीय अलाभ सदस्यता संगठन है, जिसकी स्थापना आधुनिक समाजों में आर्थिक और तकनीकी विकास आदि विषयों से व्यावसायिक रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से की गई है, इसलिये सम्मेलन द्वारा कोई निश्चय किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सदस्यता व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये खुली है । यह सम्मेलन सरकारी तौर पर प्रायोजित नहीं था, इसलिए इस सम्मेलन में देशों के भाग लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

सम्मेलन का मुख्य विषय था "विकास सम्बन्धी प्रचलित विचारों को चुनौतियां ।" सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित छः गोलमेज गोष्ठियों में विचार किया गया :

1. क्या विकास के उद्देश्यों की फिर से परिभाषा करने की आवश्यकता है ?—गोलमेज गोष्ठी—क ।
2. "सहायता से ऊब" की चुनौती—गोलमेज़ गोष्ठी—ख ।
3. जनशक्ति, शिक्षा और विकास के सम्बन्ध में फिर से विचार—गोलमेज गोष्ठी—ग ।

4. विकास में सामाजिक सम्पर्क—गोलमेज गोष्ठी—घ ।

5. विकास के लिये राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अपेक्षाएं—गोलमेज गोष्ठी—ङ ।

6. विकास सम्बन्धी सिद्धान्तवादियों और नीति विशारदों को चुनौतियां—गोलमेज गोष्ठी—च ।

स्रोत : सम्मेलन के सचिवालय द्वारा जारी मुद्रित साहित्य ।

इटली से ऋण राहत सहायता

4836. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली ने अपनी ऋण राहत सहायता के अंश के रूप में भारत को 5.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) इस करार पर हस्ताक्षर होने के बाद इटली इस वर्ष भारत को कुल कितनी सहायता देगा और अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) 5.5 करोड़ रुपये के इस ऋण के अतिरिक्त इटली जो सहायता देगा, उसके बारे में अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है ।

खानों पर हुई हानि को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सहायता देने का प्रस्ताव

4837. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों पर हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये राष्ट्रीयखनिज विकास निगम को सहायता देने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लौह अयस्क प्रायोजनाओं पर हुई हानियों की क्षतिपूर्ति करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सहायता की प्रकृति तथा इसके दिये जाने की विधि का पता इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात ही लगेगा ।

विश्व बैंक के ब्याज की दर में वृद्धि

4838. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री मयाबन : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उधार देने की अपनी दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वृद्धि का भारत पर अधिकाधिक भार पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जुलाई, 1969 में विश्व बैंक ने 31 जुलाई, 1969 के बाद दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर को 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर देने का निश्चय किया था।

(ख) और (ग). चूंकि, भारत को विश्व बैंक समूह से मिलने वाली अधिकांश सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलती है और यह संस्था ऋणों पर ब्याज न लेकर उन पर केवल $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार ही लेती है, इसलिए विश्व बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाये जाने के फलस्वरूप, भारत पर काफी अधिक अतिरिक्त ऋण-भार पड़ने की सम्भावना नहीं है।

Irrigation Facilities in Rajasthan Through Pipes

4839. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether some foreign irrigation experts had suggested that irrigation facilities in Rajasthan could be increased by laying pipes there ;

(b) if so, whether Government have in their own way, ascertained as to how far this system would be suitable for Rajasthan ; and

(c) whether this system would also be adopted on experimental basis ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The views of any foreign experts have not been sought in this regard.

Irrigation canals built and maintained by Government carry large discharges and involve non-pressure flow. They are, therefore, built as open earthen channels, which are very inexpensive, compared with pipelines. These earthen channels are also lined where loss of water is to be avoided.

Recruitment of Staff for Banking Cell in the Ministry of Finance

4840. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has formulated any scheme for the recruitment of separate staff for setting up a Banking Cell in their Ministry ;

(b) whether the officer of the New Banking Department set up under the Ministry will be located in the Ministry itself or in separate building ; and

(c) in case it will be located in a separated building the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The procedure for recruitment of staff in the Department of Banking is similar to that followed in other Departments in this Ministry or in any other Ministry of the Government of India.

(b) The Department of Banking has been accommodated in a part of the building occupied by the Ministry of Finance.

(c) Does not arise.

Rehabilitation of Harijans by D.D.A. in Delhi

4841. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority had decided to rehabilitate the Harijans of Barsati Nullah between Jungpura and Nizamuddin in Humayunpur and Kailash Colony ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Development Authority have not so far allotted any place to the above said people ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The question of rehabilitation of Jhuggi dwellers arises only when the Jhuggis are removed from a particular area. Priority for clearance of any area and consequent rehabilitation of displaced persons depends on several factors, such as, urgency of development of the land, consideration of traffic safety etc.

There is no proposal, at present, for removal of Jhuggis from the area in question and, therefore, the question of allotment alternative site to these Jhuggi dwellers does not arise.

Closure of Palana Coal Mines in Rajasthan.

4842. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister for **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government propose to close the whole Palana coal mine on the pretext of fire in the said mine when arrears to the tune of 2.5 lakhs of rupees are yet to be paid to the workers in pursuance of the recommendation of the Wage Board ;

(b) the cause of said fire as found out by the Department of Mines Security in their enquiry ;

(c) whether it is also a fact that the workers of the Palana coal mines have filed a case in respect of Coal Wage Board in the Department of Labour of the Ministry ;

(d) if so, the further action being taken in connection with the said case ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao): (a) According to available information the mine is lying closed at present. The future plans of the State Government are not known but they have regretted inability to implement the Wage Board's recommendations at this stage.

(b) Information is being obtained.

(c) and (d). The workmen have raised a dispute about non-implementation of the Wage Board's recommendations. The matter is being processed.

Payment of Deposits in Punjab and Kashmir Bank Prior to Partition

4843. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the order issued by Government in regard to the payment of money deposited by the people in Punjab and Kashmir Bank prior to country's division:

(b) the reasons for which the Liquidators of the said Bank have not so far reached to any conclusion; and

(c) whether the Bank or its Liquidators have intimated the depositors about the time by which the payment of their money will be made?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). The bank is working under a scheme of arrangement which was sanctioned by the High Court at Simla in May, 1948 under Section 153 of the Indian Companies Act, 1913. The scheme as subsequently modified by the High Court in March 1955, interalia provides that of the amounts due as on the 15th August, 1947, 10% should be paid in the form of shares of the bank and also that such of the depositors as had not already withdrawn at least 25% of the deposits as they stood on the 15th August, 1947, should be paid an amount that would bring the total drawals to 25% of the said deposits, within a period of six month from the date of payment of compensation by Government in respect of properties left behind by the bank in Pakistan. The scheme also provides for further payment upto 5% of the total deposits as on 15th August, 1947, out of compensation, if any, on account of debts secured by mortgages of immovable property in West Pakistan, so as to bring the total amount paid, inclusive of value of shares allotted, to 40% in full settlement of the claims of the depositors against the Bank. The bank has already allotted shares to the extent of 10% and has also paid a sum of Rs. 17.15 lakhs against Rs 20 lakhs due on the basis of 25% of the deposits as on the 15th August, 1947. The bank has not yet been paid the full amount of compensation for want of realisation and full particulars about the claimants from whom payments are due to the bank. Intimation to the depositors of further payments would depend on the realisation of the remaining assets of the bank and it would be appreciated that it is not possible to fix any date-line.

Electricity, Connection for Tube-Wells Around Delhi

4844. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report that electricity connections are not being given for tube-wells to farmers to enable them to meet their requirements of irrigation in the villages around Delhi; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government is this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). In a report which appeared in newspaper on 25th November, 1969, it was alleged that farmers in the rural areas of Delhi were not given tube-well connections for six months. It is reported by the Delhi Electric Supply Undertaking that in this year during the period April-November, 7592 tubewells were energised and during the one month period from 26th October to 25th November, 292 tubewell connections were given and that all-out efforts are made to energise tubewells within the minimum possible time.

बिहार के मुख्य बिजली इंजीनियर के कृत्य

4845. **श्री सीताराम केसरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वर्तमान मुख्य बिजली इंजीनियर ने बिजली विभाग का कार्य संभाल लिया है और उन्होंने निर्माण डिवीजन की देखरेख कब से शुरू की है;

(ख) इस मुख्य बिजली इंजीनियर के अधीन कितने निर्माण डिवीजन और सबडिवीजन हैं;

(ग) वर्तमान मुख्य बिजली इंजीनियर निर्माण डिवीजन तथा सबडिवीजनल में निरीक्षणों के लिये किस-किस तारीख को गये थे;

(घ) यदि हां, तो मुख्य बिजली इंजीनियर ने कितनी निरीक्षण रिपोर्टें भेजी हैं और किस किस तारीख को भेजी हैं; और

(ङ) इन निरीक्षणों के दौरान किन-किन अनियमितताओं का पता लगा और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्तमान मुख्य बिजली अभियन्ता ने 4 नवम्बर, 1964 को बिहार सरकार के बिजली विभाग का कार्यभार सम्भाला था। अप्रैल, 1965 में उन्हें बिहार राज्य बिजली बोर्ड के मुख्य अभियन्ता के रूप में, नियुक्त किया गया। दिसम्बर, 1966 से उन्होंने बिहार सरकार के बिजली विभाग में, उसके मुख्य बिजली अभियन्ता और मुख्य बिजली निरीक्षण के रूप में, पूर्ण-कालिक कार्यभार संभाल लिया है।

(ख) निर्माण-कार्य क्षेत्र में, मुख्य बिजली अभियन्ता के अधीन 13 सबडिवीजन हैं, 4 डिवीजन और 1 सर्किल।

(ग) से (ङ). एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, मुख्य बिजली इंजीनियर से यह अपेक्षित है कि वह सर्किल आफिस का प्रति दो वर्ष में एक बार और प्रत्येक डिवीजनल आफिस का प्रति तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण करे। इस आदेश के अनुपालन में, निम्नलिखित निरीक्षण किये गये :—

पटना सर्किल	14-2-1969
पटना डिवीजन	20-5-1969
रांची डिवीजन	12-9-1969 और 13-9-1969
भागलपुर डिवीजन	24-3-1969 और 25-3-1969
मुजफ्फरपुर डिवीजन	2-6-1969

निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतियां सम्बन्धित अधिकारियों को और सरकार के सचिव को भेज दी गई थीं। इसके अलावा, मुख्य बिजली अभियन्ता ने कुछ तकनीकी तथा अन्य दोष बतलाये जिनमें से कुछ गम्भीर थे और उनका सम्बन्ध 18-9-1965 को बिजली अभियन्ता, निर्माण-कार्य, मुजफ्फरपुर द्वारा सामग्री के क्रय में हुई अनियमितताओं से था। उन्होंने प्रखण्डीय कार्यालय मुंघेर के कार्यालय में अनियमितताओं का और मई, 1967 में बिजली निर्माण-कार्य मण्डल के कार्यालय में क्रय-प्रणाली में गम्भीर अनियमितताओं का पता लगाया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर, एक बिजली अधीक्षण अभियन्ता और तीन बिजली अभियन्ताओं को मुअत्तिल कर दिया गया है।

बिहार बिजली विभाग के निर्माण डिवीजन में सामान (स्टोर्स) की खरीद

4846. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1957 से 1967 तक की अवधि में बिहार बिजली विभाग के निर्माण डिवीजन में सामान की खरीद के बारे में क्रयादेश अतिरिक्त इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट जारी कर रहे थे;

(ख) क्या यह बात वर्ष 1964 तथा 1967 के बीच अपने निरीक्षणों में मुख्य बिजली इंजीनियर के ध्यान में नहीं आई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उसने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये थे;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे; और

(ङ) क्या मुख्य बिजली इंजीनियर को इस बात का पता था कि सामान की खरीद के मामले में अतिरिक्त इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). चूंकि बिहार की राज्य सरकार के बिजली विभाग में अतिरिक्त इंजीनियर का कोई पद नहीं है, इसलिये संभवतः इस प्रश्न में विद्युत अधीक्षण अभियन्ता से आशय है। सामान्यतः विद्युत अधीक्षण अभियन्ता से भण्डार अधिगृहीत करने की अपेक्षा नहीं की जाती क्योंकि खरीदी जाने वाली अधिकांश वस्तुओं का मूल्य कार्यकारी अभियन्ताओं की सामर्थ्य के अन्तर्गत ही होता है। परन्तु कार्य के हित को देखते हुए वह भण्डारों को अधिगृहीत कर सकता है। भण्डार क्रय करने की प्रणाली की मुख्य विद्युत अभियन्ता ने मई, 1967 में जांच की थी और उसमें होने वाली अनियमितताओं के बारे में सरकार को सूचित किया था। 20 मई, 1967 को यह निर्देश जारी किये गये थे कि मुख्य अभियन्ता के पूर्व अनुमोदन के वगैर कोई भी भण्डार अधिगृहीत न किया जाये। नवम्बर, 1964 से, जब कि उसने पदभार संभाला था, मई, 1967 तक, जब इन अनियमितताओं का पता चला, अधिकांश समय में मुख्य विद्युत अभियन्ता बिजली विभाग की ओर पूरे समय ध्यान नहीं दे सका क्योंकि इस विभाग के साथ-साथ उसने बिजली बोर्ड के मुख्य विद्युत अभियन्ता का भी कार्यभार संभाला हुआ था। इन अनियमितताओं के लिये अधीक्षण अभियन्ता को मुअत्तिल कर दिया गया है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के गया तथा भागलपुर सर्किल और बिजली निर्माण डिवीजन की लेखा परीक्षा

4847. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के गया तथा भागलपुर सर्कल और बिजली विभाग के निर्माण डिवीजन, पटना के वर्ष 1966-67 के खर्च की विशेष रूप से लेखा-परीक्षा की गई थी क्योंकि उनके हिसाब-किताब में भारी अनियमितताएं पाई गई थीं;

(ख) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और पटना बिजली निर्माण डिवीजन के दो सर्कलों की लेखा-परीक्षा के क्या तुलनात्मक परिणाम निकले हैं; और

(ग) बाजार दरों की तुलना में किस सर्कल तथा डिवीजन में माल की खरीद दरें सबसे ऊंची थी और बाजार दरों से कितनी प्रतिशत अधिक थीं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में प्रशासनिक अधिकारी

4848. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में प्रशासनिक अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्वीकृति पदधारी हैं ;

(ख) निम्नतर पद-धारियों के लिये प्रशासनिक अधिकारों के पदों पर पदोन्नति के लिये क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में तीनों पर्यवेक्षी पदों पर पदोन्नति के लिये जिन स्थायी पदधारियों का समय आ गया है, वे इन सभी शर्तों को पूरी करते हैं ;

(घ) केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में अनुसूचित जातियों के कितने अनुसूचिवीय कर्मचारी हैं और क्या वे इस वर्ग का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करते हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के अनुसूचित जातियों के अनुसूचिवीय कर्मचारियों ने अपने मामले के सम्बन्ध में कभी अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो कितने अभ्यावेदन दिये हैं और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रशासनिक अधिकारी का पद योग्यता के अनुसार चुनाव के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और चुनाव के इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण

परीक्षणशाला में अधीक्षक (कार्यालयी) हों और जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा करली हो। तीन वर्ष की इस सीमा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके ढील दी जा सकती है।

(ग) अधीक्षक तथा हैडक्लर्क के इन तीन पर्यवेक्षी पदों में से केवल अधीक्षक ही पदोन्नति का हकदार है। जो व्यक्ति 16 दिसम्बर 1969 तक अधीक्षक के पद पर कार्य करता रहा था, उसने अधीक्षक के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। उसके मामले में इस शर्त में ढील देने के प्रश्न पर, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण परीक्षणशाला के कार्यालयी कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों के तीन व्यक्ति हैं। उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों, आशुलिपिकों, परीक्षण-शाला क्लर्कों इन्स्ट्मेण्ट मेकर तथा परीक्षणशाला परिचरों के लिये रखे जाने वाले सम्मिलित रोस्टर में अनुसूचित जातियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

(ङ) कार्यालयी कर्मचारी वर्ग के अनुसूचित जाति के दो सदस्यों ने (एक उच्च श्रेणी लिपिक तथा एक निम्न श्रेणी लिपिक) अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित एक स्थायी पद पर स्थायीकरण के लिये अभ्यावेदन दिया था। इन दोनों को 1964 में स्थायी बनाया जा चुका है। लेकिन निम्न श्रेणी लिपिक ने इस मामले में फिर से अभ्यावेदन दिया है और उसका अभ्यावेदन विचाराधीन है।

केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला खपाये गये फालतू कर्मचारी

4849. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यों फालतू सैल के जरिये केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में कोई कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और यदि हां, तो कितने और उनकी अर्हताएं क्या है ;

(ख) केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण प्रयोगशाला में नियुक्त होने से पहले उनमें से प्रत्येक कर्मचारी कितने वर्ष की सेवा कर चुका था ;

(ग) फालतू कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को उनकी पुरानी सेवा का लाभ दिया गया हैं ;

(घ) क्या कोई ऐसा मामला / मामले हैं जिनमें इन फालतू कर्मचारियों को पुरानी सेवा का कोई लाभ नहीं दिया गया और यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारी (वर्ग-वार) प्रभावित हुए हैं ; और

(ङ) क्या किसी विशेष व्यक्ति के मामले में कोई रियायत की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) दो निम्न श्रेणी लिपिकों को गृह-कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल के जरिये केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण परीक्षण-में नियुक्त किया गया है । वे दोनों मैट्रिक पास हैं ।

(ख) केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण परीक्षणशाला में नियुक्त होने से पहले इन दो में से एक ने तीन साल की सेवा पूरी कर ली थी और दूसरे ने 6 महीने की लगातार सेवा पूरी करली थी ।

(ग) से (ङ) (ऊपर (क) में उल्लिखित) फालतू सैल के जरिये नियुक्त किये गये दो निम्न श्रेणी लिपिकों के अलावा 10 अन्य व्यक्तियों को पुनः स्थापन तथा नियोजन महा निदेशक के जरिये केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण परीक्षण शाला में नियुक्त किया गया था । इन कुल 12 व्यक्तियों में से दो उच्च श्रेणी लिपिक थे और दो लेबोरेटरी एटेण्डेण्ट्स थे तथा इनमें से किसी को भी वरिष्ठता के उद्देश्य से पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया गया है । चार निम्न श्रेणी लिपिकों में से 1-3-1960 को नियुक्त किये गये केवल एक लिपिक को पिछली सेवा का लाभ दिया गया था । अन्य तीन को इस प्रकार का लाभ नहीं दिया गया क्योंकि उनकी नियुक्ति उस तारीख के बाद हुई जिस तारीख तक निम्न श्रेणी लिपिकों के वरिष्ठता सम्बन्धी सामान्य आदेश लागू होते थे । इसी प्रकार चार चपरासियों में से, 18-1-1960 को नियुक्ति किये गये दो चपरासियों को पिछली सेवा का लाभ दिया गया था लेकिन अन्य दो को इस प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी नियुक्ति उस तारीख के बाद हुई जिस तारीख तक चपरासियों के वरिष्ठता सम्बन्धी सामान्य आदेश लागू होते थे । चूंकि पहले नियुक्ति किये गये व्यक्ति बाद में नियुक्ति किये गये व्यक्तियों से हर प्रकार वरिष्ठ थे, इसलिये पहले नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को पिछली सेवा का लाभ देने से इन 12 व्यक्तियों में से किसी की भी परस्पर वरिष्ठता को प्रभावित नहीं किया है ।

Steps Taken to Increase Refining Capacity and Foreign Exchange Spent on Importing Petroleum Products

4850. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has to spend foreign exchange worth 45 crores of rupees every year for importing potroleum product while the refining capacity in the country remain unutilised ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to increase the refining capacity in the country and make the country self-sufficient in petroleum products ;

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The value of imported deficit petroleum products like aviation gasolene superior kerosene, furnace oil and lubricants in the previous two years were as follows :—

(Rupees in crores)

1967	..	39.01
1968	..	40.73

Approximately 75% of this foreign exchange expenditure is on import of aviation gasolenes, and lubricants, for which adequate manufacturing facilities are still not available in the country. The imports of furnace oil are marginal and undertaken to meet the short-term deficits. Kerosene deficits are made good by purchases against rupee payments. It is preferable and cheaper to import kerosene on rupee payment than import of additional crude sufficient to produce kerosene to the extent of the deficit.

(c) With the coming in on stream of the Madras Refinery, the **status quo** would continue till 1971-72 when the Haldia refinery would go on stream. Government has already assessed the need for increasing the refining capacity in India after 1973 and is considering advance action to create new refineries to meet the growing demand. In the matter of lubricants, two plants are already under construction and will go on stream early in 1970. With the completion of the Lube refinery in Haldia, the deficit in lube products would be only marginal. The demand for aviation gasolenes already small, will decline progressively in the coming years.

Meeting of Aid India Consortium

4851. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Aid India Consortium had been held in Stockholm on the 24th and 25th November, 1969 :

(b) if so, the conclusions arrived at in that meeting ; and

(c) the possibilities of the foreign aid likely to be received by India in the next year ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Yes, The meeting was held to review the problems and progress in India's Family Planning Programme and to discuss the possibility of further external assistance being provided to the Programme.

(b) The members of the Consortium discussed the Programme and welcomed the Government of India's determination to continue to give it the highest priority and commended its voluntary nature, the use of all available communications media and the emphasis on the need for the Programmes integration with maternal and child health. They also agreed that the programme could absorb substantial amounts of additional resources and recognised that if external assistance were to make a significant contribution, it would have to be available, in large part, to finance local currency expenditure.

(c) The USA had indicated that they would be prepared to give a special assistance of $ 50 million during the next few years by financing local currency expenditures of our Family Planning Programme. The UNICEF indicated their plan of providing $ 4 million for which they were approaching Sweden for financing the amount. While several other members of the Consortium indicated their interest in financing the Programme, they did not spell out the exact magnitude.

Primary Health Centres

4852. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of villages, state-wise, in which primary health centres have not been set up so far ;

(b) the number of villages state-wise, where there is no doctor in the primary health centres and reasons therefor ; and

(c) the time by which primary health centres would be set up and doctors provided in the said villages ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) There are 508 Development Blocks each comprising about 100 villages which are without primary health centres as on the 31st March, 1969.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2463/69].** There is a certain amount of reluctance on the part of the doctors to serve in the rural areas for reasons like poor communications, lack of educational facilities, and absence of suitable accommodation with basic amenities.

(c) It is proposed to complete the establishment of primary health centres in all the Development Blocks during the 4th Plan period. It is expected that medical officers will be posted in all the primary health centres during this period.

Effects of Smoking on Human Health

4853. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with the gradual increase in the consumption of cigarettes year after year, the cases of cancer and bronchitis are also increasing ;

(b) whether it is also a fact that it has been established by the research conducted in India and other countries that smokers are more vulnerable to serious disease like cancer and their death rate is also double as compared to that of non-smokers ; and

(c) the action taken by Government to bring down the consumption of cigarettes and to familiarise people with the evil effects of smoking ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The frequency of lung cancer is on the increase in our country as reported by Vishwanathan et al. (1962). It is seven times as Common in males than in females. Whether it is a reflection of the recent increase in the consumption of cigarettes in this country and also of male preponderance in the habit of cigarette smoking in India remains to be investigated.

(b) It has almost been established by the research conducted in foreign countries and in India that smokers are more vulnerable to serious diseases like cancer, coronary heart disease, chronic bronchitis and emphysema. The mortality ratio for cigarette smokers vis-a-vis non-smokers ranges in decending order from nearly 11 : 1 for cancer of the lung and bronchus to 1.3 : 1 for prostatic cancer.

(c) Government publicises the harmful effects of the use of tobacco as a part of its health education activities. Most State Governments have imposed a ban on smoking in cinema houses, theatre halls and auditoria. Legal provisions have also been made against juvenile smoking in some of the States.

Alleged Bungling in Supply of Seamless Pipes to Khetri Copper Project

4854. **Shri Molahu Prasad :** Will the Mihister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Khetri Copper Project authorities had placed order on the Hidustan

Construction and Commercial Corporation, Calcutta, for the purchase of seamless pipes worth Rs. 7 lakhs approximately and these pipes were inspected by the Mechanical Engineers of the Project and the pipes have been received in the project ;

(b) whether the pipes received under this order were seamless pipe or E.R.W. pipes and the difference in price per foot of these two types of pipes ;

(c) in case E. R. W. pipes have been received, whether price has been paid for seamless pipes and whether 80 per cent payment has already been made if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that Senior Mechanical Engineer, who inspected thcse pipes, has been personally benefited by this ; and

(e) whether the General Manager, Khetri and the former General Manager Bailadilla (N.M.D.C.) have written against him ; if so, the action proposed to be taken by Government in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagananath Rao): (a) to (e). Two orders, one for 600 metres of MS seamless pipes with couplings for Rs. 94, 464 and another for 4000 metres of Ms Seamless pipes for Rs.6,42,880 were placed on M/s. Hindustan Construction and Commercial Corporation, Calcutta. After inspection of the pipes by the Mechanical Engineer of the Project, the consignment of 600 metres of pipes against the first supply order was received in the Project in October, 1969. As on actual testing it was found that the pipes were not of seamless quality, these pipes were rejected and the firm was asked to replace these pipes by seamless pipes as per the specifications contained in the Purchase Contract. For this reason the second consignment of 4000 metres of pipes which had also reached was not taken delivery of. The rate for the seamless pipes on order is Rs. 157.44 per metre.

Against the first consignment of 600 metres of pipes received in the Project, 90% of the payment was made against the railway receipt and inspection note prior to taking delivery of the consignment as required under the Purchase Contract with the party.

In so far as the Senior Mechanical Engineer who inspected the pipes, is concerned both the General Manager, Bailadila Project and the General Manager, Khetri Project have made adverse remarks about his organisational and planning capabilities, these remarks have been communicated to him. The Company has, at present no information about any personal benefits derived by this officer for passing the pipes. The case is being handed over to the Special Police Establishment for enquiry.

Assessment of Property Tax

4855. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have advised the officers of the Assessment Section of the Central Board of Direct Taxes to count the big building constructed in the cities to help facilitate the correct assessment of Property-tax on the rich persons or companies constructing such buildings ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) Presumably, the question refers to assessments under the Wealth-tax Act, 1957. The Government have advised the Central Board of Direct Taxes to conduct a census of house properties in the different cities and towns, to check up whether there is any evasion of Wealth-tax.

(b) The Central Board of Direct Taxes have recently asked the Commissioners of Income-tax to conduct such a census in the major cities and towns, to begin with, during the current financial year, and to report the progress made by the end of April, 1970.

Colony for Labourers in Delhi

4856. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the labourers engaged in the construction of Government and private buildings and roads in the capital originally belong to Rajasthan ;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have not constructed any colony so far for the said labourers ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No survey in this regard has been made. Generally, however, a good number of such labourers come from Rajasthan.

(b) and (c). No Colony exclusively for labourers engaged on construction work has been built in Delhi. In terms of the contracts for the construction of Government buildings, the contractors are required to provide at their own cost a sufficient number of huts to accommodate the labourers.

For the squatters including labourers who have been squatting on Government and public lands, this Department formulated a Scheme known as Jhuggi and Jhonpri Removal Scheme, in the year 1960. The Scheme envisages allotment of developed residential plots/ camping sites of 25 sqaare yards each to such squatters as happen to be squatting on land which is required for immediate development. The eligible (i, e. pre-July 1960) squatters are provided with plots in regular Jhuggi and Jhonpri Colonies and the ineligible (i. e. post July 1960) squatters are taken to camping sites on the periphery of Delhi.

ईरान में अमोनिया का कारखाना

4857. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के संयुक्त स्वामित्व से ईरान में स्थापित किये जाने वाले अमोनिया के प्रस्तावित कारखाने के बारे में व्यवहारिता प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). सम्भाव्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस पर विचार हो रहा है। इसमें ईरान में संयुक्त उद्यम के रूप में दो आकारों के अर्थात 600 मीटरी टन प्रतिदिन तथा 1000 मीटरी टन प्रतिदिन के अमोनिया सन्यन्त्रों की स्थापना के तुलनात्मक लागत अध्ययनों का विवरण है। रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सिंचाई कार्यों के लिये समान दरें

4858. **श्री बासुदेवन नायर :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी खण्ड के सभी छः राज्यों में सिंचाई की समान दरें निर्धारित करने के लिये उन्होंने इस खण्ड के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रियों की हाल में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी ;

(ख) सरकार का विचार किस दर को समान दर निर्धारित करने का है ; और

(ग) क्या यह दर वर्तमान समय में लागू सबसे अधिक दर होगी अथवा सबसे कम अथवा औसतन दर है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जी, हां। विचार विमर्श के दौरान पता चला कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं के लिये पानी की प्रति एकड़ दरें कम हैं। तदनुसार, हरियाणा और पंजाब के मंत्रियों से स्लैब अनुरोध किया गया कि वे अपने राज्यों में इन दरों को प्रति एकड़ रु० 10 से 15 तक की स्लैब तक बढ़ाने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करें। राजस्थान के मन्त्री ने यह भी बतलाया कि राज्य सरकार पानी की दरों में उपयुक्त वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार के वेतन मान तथा सेवा की अन्य शर्तें लागू करना

4859. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने अपने कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार के वेतन-क्रम तथा इस निगम को चलाने के लिये अन्य प्रशासनिक आदेश तथा नियम अपना लिये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम का एक मंजूरी समिति गठित करने का विचार है जिसमें निगम के ही अधिकारी होंगे तथा जिसमें कुछ अधिकारियों के लिये, जो शीघ्र सेवा-निवृत्त होने वाले हैं पदों की व्यवस्था हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार में पाए जाने वाले समकक्ष पदों के लिए दामोदर घाटी निगम ने केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों को अपना लिया है। अन्य पदों के लिए निगम के अपने ही वेतनमान हैं। स्थानीय दशाओं के अनुकूल बनाने के लिए सरकार के प्रशासनिक आदेशों और नियमों में संशोधन करके उन्हें यथा-वश्यक रूप से, सामान्यतः अपना लिया गया है।

(ख) दामोदर घाटी निगम ने एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है जिसमें एक अध्यक्ष होगा और छः सदस्य होंगे, (इनमें तीन निगम के प्रतिनिधि होंगे और तीन कर्मचारियों के) । अध्यक्ष का और निगम का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चयन अभी तक नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंशधारियों को प्रतिकर

4860. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनके अंशधारियों को प्रतिकर का भुगतान करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ऐसा कब तक और किस प्रकार करने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अन्तरण तथा अभिग्रहण) अधिनियम, 1969 की दूसरी अनुसूची के साथ पठित, अधिनियम की धारा 6 से 9 तक में, उन भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों के लिये, जिनके उपक्रमों को अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है, मुआवजे की रकम के निर्धारण और उसकी अदायगी के सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है । इसलिये मुआवजे की अदायगी के लिये कोई अलग योजना तैयार करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विभिन्न मंत्रालयों में अपव्यय को रोकना

4861. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का व्यय प्रति वर्ष अत्यधिक बढ़ता जाता है और इसके लिये अतिरिक्त करारोपण से धन की व्यवस्था करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है कि अनावश्यक तथा बेकार का व्यय समाप्त किया जाये और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विभिन्न मंत्रालयों का व्यय बढ़ते जाने के कई कारण हैं, जैसे विकास कार्यक्रमों में वृद्धि, सुरक्षा, पुलिस, ऋणों पर ब्याज, करों का संग्रह जैसे अनिवार्य अथवा अत्यावश्यक क्षेत्रों की जरूरतें, एवं प्रशासनिक व्यय में वृद्धि आदि । बढ़ते हुए खर्च की पूर्ति के लिये अतिरिक्त साधन प्राप्त करने के उपायों में से एक उपाय अतिरिक्त कर लगाने का भी है ।

(ख) इस प्रकार के उपाय निरन्तर किये जाते हैं कि अनावश्यक तथा फिजूल खर्च को टाला जाय । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किये गये अधिक महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं :

बजट प्रस्तावों की विस्तारपूर्ण छानबीन ;

मंत्रालयों से सम्बद्ध वित्तीय सलाहकारों द्वारा व्यय पर नियन्त्रण ;

मंत्रालयों के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय परामर्श तन्त्र के कर्मचारियों में वृद्धि ; समय समय पर कर्मचारियों की संख्या की कर्मचारी निरीक्षण एकक तथा कार्य अध्ययन एककों द्वारा समीक्षा ।

प्रशासनिक व्यय में बचत करने के लिये भी समय समय पर कई उपाय किये जाते हैं । इन उपायों में से कुछ ये हैं : वेतनमानों के संशोधन पर रोक, कुछ वर्गों के पदों की भरती पर आंशिक रोक, आयात की गई मोटरगाड़ियों की खरीद पर प्रतिबन्ध, यात्रा भत्तों में कमी आदि ।

प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों द्वारा प्राप्त किया गया यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता

4862. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में यात्रा-भत्ता तथा मंहगाई भत्ते के रूप में प्रधान मंत्री समेत विभिन्न मन्त्रियों द्वारा कितनी राशि प्राप्त की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक को कितना वेतन दिया गया तथा उनकी अतिरिक्त आय का मूल्य क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में संबंधित मन्त्रियों के निजी स्टाफ पर कितनी राशि खर्च हुई तथा उनकी संख्या कितनी है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना सम्बन्धित मंत्रालयों से इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारी

4863. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों से किसी भी अधिकारी को किसी परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर नहीं लाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर बहुत सी नियुक्तियां की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना में संख्या सहित ऐसी नियुक्तियों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां ।

(ख) प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के मिलने के पश्चात् खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये केवल एक अधिकारी तथा चार सुरक्षा रक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त की गई हैं, क्योंकि उनका कार्य एक विशिष्ट प्रकृति का था। खेतड़ी तांबा प्रायोजना में प्रतिनियुक्त पर आए व्यक्तियों की संख्या केवल 21 है।

(ग) और (घ). खेतड़ी तांबा प्रायोजना में इस समय प्रतिनियुक्ति पर सभी कर्मचारियों के ब्योरे दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2464/69]** खेतड़ी तांबा प्रायोजना प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों पर अपनी निर्भरता घटाने के लिये कदम उठा रही है।

सियूल परियोजना की आय में हिमाचल प्रदेश सरकार का अंश

4864. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियूल परियोजना, चम्बा जिला की आय में हिमाचल प्रदेश सरकार का अंश कितना है ;

(ख) काम कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस परियोजना की अपेक्षा देश में अन्य परियोजनाओं में सस्ती दर पर बिजली तैयार की जायेगी और उस परियोजना की प्रति यूनिट लागत कितनी होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वरप्रसाद) : (क) सियूल परियोजना से बिजली के विक्रय से होने वाले शुद्ध लाभों में केन्द्र और हिमाचल प्रदेश सरकार का बराबर-बराबर हिस्सा होगा।

(ख) तैयारी के रूप में कार्य शुरू हो चुका है।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि सियूल परियोजना पर उत्पादन की लागत लगभग 1.75 पैसे प्रतियूनिट (लाभ रहित) होगी और इसकी तुलना निम्नलिखित परियोजनाओं में उत्पादन की लागत के साथ की जा सकती है :

परियोजना का नाम	**उत्पादन की लागत (लाभ रहित)**
मंचकुंड परियोजना	1.8 पैसे/यूनिट
शरावती परियोजना	1.9 पैसे/यूनिट
भाखड़ा-नंगल परियोजना	2.1 पैसे/यूनिट
कोयला परियोजना	2.3 पैसे/यूनिट

सियूल परियोजना चम्बा (हिमाचल प्रदेश) का निर्माण

4865. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियूल परियोजना, चम्बा जिला, हिमाचल प्रदेश की कुल निर्माण लागत कितनी है ; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और प्रति वर्ष कितनी बिजली तैयार होगी और प्रति यूनिट लागत क्या होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सियूल परियोजना पर लगभग 20.49 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है ।

(ख) इस परियोजना के 1973-74 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । अनुमानतः 10160 लाख यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होगा । उत्पादन पर 1.75 पैसे प्रति यूनिट लागत आने का अनुमान है ।

कुछ यूरोपीय देशों द्वारा नेत्र दान

4866. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ यूरोपीय देशों में भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये नेत्रदान करने का प्रस्ताव रखा है और सरकार इस सहायता को स्वीकार करने के लिये बहुत उत्सुक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन में रह रहे पंजाबियों द्वारा अपने राज्य (पंजाब) में विनियोजन

4867. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ब्रिटेन तथा अन्य देशों में रह रहे पंजाबी लोगों को अपनी कमाई अपने राज्य (पंजाब) में लगाने के लिये उत्साहित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कर संग्रह सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

4868. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर संग्रह तथा बकाया राशि की वसूली के मामलों के निपटारे

को सुव्यवस्थित करने के लिये प्रभावी उपायों के सुझाव देने के लिये प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों तथा निदेश-पद के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक उनकी घोषणा कर दी जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

उप-नियंत्रक मुद्रण मुख्यालय के पद का कार्यकाल

4869. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण,आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्यालय में मुद्रण उप-नियंत्रक को जनता से मिलने-जुलने का काम बहुत-सा रहता है ;

(ख) क्या इस प्रकार के विशिष्ट आदेश हैं कि अधिकारियों को ऐसे पदों पर तीन वर्ष से अधिक रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग में एक विशेष अधिकारी एक ही पद पर पांच वर्ष से अधिक तक रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां, किन्तु उप-नियंत्रक मुद्रण का पद 'सेन्सिटिव' पद नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अधिकारी को दूसरा कार्य सौंपने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Income-Tax due from Bihar

4870. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) the total amount of Income-tax outstanding in Bihar ;

(b) the details of the outstanding amount pertaining to the last three years ; and

(c) the action being taken to recover it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). As on 30th June, 1969, gross demand of Income-tax outstanding in the jurisdiction of Commissioner of Inoome-tax, Bihar was Rs. 10.80 crores. Similar information for the last three

years in respect of combined charge of Commissioner of Income-tax, Bihar and Orissa is available. The same is given below :—

C. I. T. Charge	Gross demand outstanding as on 31.3.1966	Gross demand outstanding as on 31.3.1967 (In crores of rupees)	Gross demand outstanding as on 31.3.1968
Bihar & Orissa	10.45	14.17	14.88

(c) All steps provided in law for realisation of outstanding taxes are being taken depending on the merits and circumstances of each case.

Tax due from Tatas, Dalmias and others in Bihar

4871. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of Income-tax is outstanding against Tatas, Dalmias, Shri Shanti Prasad Jain, Raja of Ramgarh, Coal Mine owners, Maharaja of Darbhanga, Birlas, owners of Bidi Godowns and Mica Mine owners in Bihar, if so, the details of amount outstanding against each of them separately ; and

(b) whether it is also a fact that Government have attached their property in order to recover the outstanding amount ; and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The requisite information is not readily available and is being collected in respect of (1) S/Shri Shanti Prasad Jain, Raja of Ramgarh and Maharaja of Darbhanga, (2) Concerns of Tatas, Dalmias and Birlas as mentioned in the Monopolies Commission Report who are assessed to tax in the charge of Commissioner of Income-tax, Bihar and against whom Icome-tax demand of Rs. 1 lakh or more is outstanding, at present and (3) Coal Mine owners, Bidi Manufacterers/ Traders and Mica Mine owners who are assessed to tax in the charge of Commissioner of Income-tax, Bihar and against whom income-tax demand of Rs. 1 lakh or more is outstanding, at pressnt. It will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Municipal Committee of Bihar

4872. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of Municipal Committee in Bihar ;

(b) the names of the Municipalties whose terms have been extended by the State Government and the period of extended term which they have completed ;

(c) the reasons for extending the term ;

(d) whether Government propose to hold elections of those Municipalties whose terms have been extended ; and

(e) if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) 53.

(b) to (e). The tenure of office of elected commissioners is for a period of 5 years as laid down under section 29(a) of the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922. Under Section

29(2) of the same Act, this term includes any period which may elapse between its expiry and the date of the first meeting of the body of commissioners newly elected and appointed. The election of Municipalties in Bihar wherever due had to be postponed due to emergency caused in the wake of external aggression in 1965 and further on account of general elections in 1667. It has been learnt that elections are due to be held in 44 municipalities. During 1967, the State Government decided to hold municipal elections on the basis of single seated wards. The municipalities in the States, however, had all plural seated wards. The work of splitting up plural seated wards into single seated wards has since been completed in most of the municipalties. As soon as electoral rolls are ready on the basis of single seated wards, the election programme will be drawn up by the State Government.

Alleged Misuse of Funds of Patna Development Trust

4873. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is much bungling and misuse of funds in the Patna Development Trust ;

(b) if so, whether it is a fact that Bihar Government had appointed an Enquiry Committee in this respect ;

(c) if so, whether it is a fact that Central Government have received the report of the said Committee ;

(d) if so, the main features thereof ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Some complaints have been made to this effect.

(b) Yes.

(c) No,

(d) and (e). Do not arise.

पानी के कुएं खोदने के लिये रिग

4874. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश और तामिलनाडु सरकारों ने पानी के कुंए खोदने के हेतु एक अमरीकी फर्म को रिगों के क्रयादेश दिये हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने देश में रिगों का निर्माण करने के लिये कदम उठाये हैं ताकि और अधिक राज्य पानी के कुंए खोदने का कार्य आरम्भ कर सकें ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार को यू० एस० ए० से 5 मीडियम ड्यूटी रोटरी रिगों के आयात के लिये 20.12 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई थी। राज्य

सरकार ने इनके लिये पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को आर्डर भेज दिया है। तमिलनाडु सरकार पानी के कुंए खोदने के लिये दो मीडियम ड्यूटी रोटरी रिग यू० एस० ए० से पहले ही आयात कर चुकी है।

(ख) पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान किये गये उपायों के परिणामस्वरूप, रिगों के (जिनमें मीडियम ड्यूटी डाइरेक्ट रिगें भी शामिल हैं) अपने ही देश में निर्माण के कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक रही है। गैर सरकारी क्षेत्र में पांच फर्मों को (नामश: मे० रिसायबिल वाटर सप्लाई सर्विस, लखनऊ, मे० आर० एन० गुप्ता एंड कं०, लुधियाना, मे० बोल्टास लि०, बम्बई, मे० क्रिस्टेनसन लांगईयर लि०, बम्बई और मे० किलिक इंडस्ट्रीज, बम्बई) इन रिगों के निर्माण के लिये लाइसेंस दे दिया गया है। हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची ने भी 2-3 प्रकार कीं रिगों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस विकास के परिणामस्वरूप, राज्यों की ड्रिलिंग रिगों की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति इस समय देशी निर्माण से हो रही है।

केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के चीफ केमिस्ट द्वारा नमूनों की परीक्षा

4875. **श्री सूरज भान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, दिल्ली 12 के चीफ केमिस्ट को उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में प्राप्त हुये विभिन्न वस्तुओं के नमूनों की ठीक प्रकार परीक्षा नहीं की जाती है और उनके बारे में गलत रिपोर्ट भेज दी जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार का भ्रष्टाचार होता है ;

(ख) (1) ओस्वाल वुलन मिल्स लिमिटेड नम्बर 3, लुधियाना से लिये गये "शोडी यार्न" के नमूने, जिनकी संख्या दिनांक 13 मई, 1969 सी० एल० डी०/संख्या 638 की और (2) त्रिभुवन कैमिकल्स, जयपुर से लिये गये शीशे का नमूना जिसकी संख्या दिनांक 22 जून, 1964 सी० एल० डी०/संख्या 1399 थी, के बारे में उक्त प्रयोगशाला की क्या रिपोर्ट थी ; और

(ग) क्या परीक्षण में उक्त नमूने पूरे समाप्त हो गये थे, अथवा उनका कुछ भाग सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सीमा-शुल्क को भेजा गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) (i) मेसर्स ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड, नम्बर 3, लुधियाना से लिये गये घटिया सूत के किसी भी नमूने की, जिसका नम्बर सी० एल० डी०/संख्या 638 दिनांक 13 मई, 1969 था, मुख्य रसायनज्ञ, केन्द्रीय राजस्व नियन्त्रण परीक्षणशाला, दिल्ली-12 द्वारा जांच नहीं की गई। लेकिन, मेसर्स ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड, नम्बर 3, लुधियाना के एक नमूने का परीक्षण किया गया था, जिसका नम्बर सी० एल० डी०/संख्या 638 दिनांक 13 मई, 1965 था और उसकी परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2473/69]**

(ii) मेसर्स त्रिभुवन केमीकल्स, जयपुर से लिये गये कांच के एक नमूने पर रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। नमूने का नम्बर सी० एल० डी०/संख्या 1399 दिनांक 22 जून, 1964 था।

(ग) नमूने का एक बड़ा अंश परीक्षण में इस्तेमाल किया गया और बहुत-सा थोड़ा अंश बाकी रह गया था। जिन मामलों में पार्टी नमूने के बाकी बचे अंश की वापसी के लिये विशेष रूप से कहती है, उन्हें अपने खर्च पर बाकी बचे अंश को वापस लेने का अधिकार दे दिया जाता है। जब ये बाकी बचे अंश वापिस नहीं किये जाने होते हैं और उनका मूल्य नगण्य होता है, तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। जिन मामलों में परीक्षण नमूनों की रिपोर्ट पार्टी द्वारा की गई घोषणा से मेल नहीं खाती, उनमें नमूनों के बाकी बचे अंश अनिवार्यतः सम्बन्धित सहायक समाहर्ता को वापिस किये जाते हैं।

Ayurvedic Hospital and Research Centres in Delhi

4876. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of patients who went in for Ayurvedic treatment and of the registered Ayurvedic Vaids in Delhi during each of the last three years ;

(b) whether it is fact that there is no big Ayurvedic Hospital and Research Centre in Delhi ;

(c) if so, whether Government have under consideration any scheme to set up such hospitals and Research Centres ;

(d) if, so the details thereof and if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) According to the information available, the number of patients who took Ayurvedic treatment in the various Ayurvedic dispensaries/hospitals in Delhi is as follows :

1.	Central Government Health Scheme.	1966-67	1,83,133
		1967-68	1,30,582
		1968-69	1,71,627
2.	N. D. M. C. Ayurvedic Dispensaries	1967	2,98,079
		1968	3,35,844
		1969 (up to November)	3,04,591

			Indoor	**Outdoor**
3.	Tibbia College Hospital, Delhi	1965-66	18,258	78,140
		1966-67	20,409	85,201
		1967-68	14,653	51,468

The number of the registered Ayurvedic Vaids in Delhi during the last three years is as indicated below :

1.1.67	1775
1.1.68	1851
1.1.69	1918

(b) There are three hospitals viz. Ayurvedic and Unani Tibbia College Hospital in Karol Bagh, the Ayurvedic Municipal Hospital in Balimaran, and Moolchand Kharati Lal Hospital in Lajpat Nagar. There is, however, no research centre in Delhi.

(c) No, Sir.

(d) Ayurvedic Research is being conducted at various Centres in the Country. As regards Ayurvedic hospitals, the existing facilities for treatment are not considered inadequate.

Harassment by customs officials Posing as excise duty officials at Bombay Railway Station

4877. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs Duty officials pose as Excise Duty officials on the Bombay Railway Station and indiscriminately harass the passengers there-by making them open their attache cases and beddings ;

(b) whether it is also a fact that the officials actually posted there neither wear badges nor carry any certificate with them and roam like ordinary persons and indulge in corruption ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to eradicate this corruption ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). It is not a fact that Customs Officials pose as Excise Officials on the Bombay Railway Station. However, one case where a non-official impersonated as a Customs official has come to notice recently.

Officials of the Central Excise and Customs Departments are occassionally posted at the Bombay Railway Station on anti-smuggling duties to check the baggage of suspects. There is no indiscriminate harassment of passengers. For detection work and for collection of intelligence the officers have to attend in plain Clothes. However all officers posted for anti-smuggling work carry with them their identity cards bearing photographs. No case of corruption concerning Customs and Central Excise Officials posted at the Bombay Railway Station has come to notice.

(d) Does not arise in view of reply to parts (a), (b) and (c).

दिल्ली में धौला कुंआं और नजफगढ़ रोड के बीच रिंग रोड पर बिजली लगाना

4878. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में धौला कुंआ और नजफगढ़ के बीच के रिंग रोड के भाग पर इस क्षेत्र में नई बस्तियों के विकास के कारण यातायात का दबाव बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिंग रोड के इस भाग में न तो सड़क पर रोशनी है और न ही इसे चौड़ा किया गया है, ताकि दो तरफा यातायात चल सके ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली संभरण उपक्रम ने इस सड़क पर बिजली लगाने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो रिंग रोड के इस भाग पर बिजली लगाने और इसे चौड़ा करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) रिंग रोड के इस सेक्शन को चौड़ा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इस सेक्शन की सड़क के एक भाग में बिजली लगाने का अनुमान जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय में परीक्षाधीन है ।

गांधी शताब्दी वर्ष में दिल्ली में हरिजन बस्तियों में नागरिक सुविधायें प्रदान करना

4879. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारायण और नजफगढ़ रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी बस्तियों तथा मथुरा रोड पर स्थित सनलाइट कालोनियों में रहने वाले लोगों में हरिजनों की प्रतिशतता अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजन बस्तियों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन बस्तियों में सुधार करने तथा उन्हें नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये गत वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इन बस्तियों में हरिजनों का प्रतिशत निर्धारित करने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के द्वारा उन्हें दी गई 10 लाख रुपये की राशि में से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम के द्वारा हरिजन बस्तियों के विकास की योजना आरम्भ की गई है ।

(ग) भाग (ख). में उल्लिखित योजना के अन्तर्गत, ईंट लगाने की व्यवस्था तथा नालियां शौचालय खण्ड का निर्माण, सड़क की रोशनी को लगाना तथा मेहतरों के क्वार्टरों के सुधार जैसे कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं ।

Irrigation Targets Fixed from the Water of Nagarjuna Sagar and Kosi Dams

4880. **Shri Om Prakash Tyagi** : **Shri Narain Swarup Sharma** :
Shri Ranjeet Singh : **Shri Ram Gopal Shalwale** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total hectares of land for which the irrigation target was fixed from the water of Nagarjuna Sagar Dam and Kosi Dam (Bihar) ;

(b) the total hectares of land being irrigated at present ;

(c) thc total number of dams built by Government ;

(d) the number of them in respect of which targets have been achieved ; and

(e) the reasons for which targets could not be achieved in respect of irrigation by other dams ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The total irrigation proposed from Nagarjunasagar Project, on its completion in all respects is 8.31 lakhs hectares and that from the eastern canal system of Kosi Project is 7 lakh hectares.

(b) By the end of 1969-70, an area of 3.30 lakhs hectares is anticipated to be irrigated under Nagarjunasagar Project. Under the Kosi Project, 2.60 lakh hectares is anticipated to be irrigated.

(c) to (e). Since the initiation of the Plans, 537 major and medium projects have been taken up for construction in the country. These projects are in all expected to cost over Rs, 2800 crores. About Rs. 1600 crores had been spent on these upto the end of 1968-69. 300 schemes had been completed and the others are in various stages of construction and some of them have also started yielding benefits. These schemes are expected to irrigate 46 million acres on their completion in all respects. Out of this total potential, over 20 million acres had been developed by 1968-69, and it is expected that another 10 to 12 million acres would be developed by the end of the Fourth Plan.

Seizure of Smuggled watches and other goods at Karamvala Village in Ahmedabad District.

4881. **Shri J. Sundar Lal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggled watches and other goods were seized in large quantity in Karamvala Village of District Walsad in Ahmedabad in the second half of August, 1969 ;

(b) if so, the value of goods seized ; and

(c) the number of persons against whom action was taken by Government in this connection as also the nature of action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) On 18th August, 1969 Anti-Corruption Bureau Officers of the State Government of Gujarat conducted a raid in a locked premises in village Karambeli in Bulsar District and seized 90 packages containing 17,714 wrist watches valued about Rs. 19 lakhs.

(c) No person has so far been arrested. Investigations are in progress.

Acceptance of Tender for Decoration of Shastri Bhavan, New Delhi

4882. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had invited tenders for the decoration of murals in Shastri Bhavan ;

(b) if so, the number of persons along with their names who submitted tenders in this regard ;

(c) whether it is also a fact that the person whose tender was accepted has affliations with some political party and his tender was accepted under pressure ; and

(d) whether Government propose to investigate the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The work of decoration of buildings including execution of murals is awarded on the recommendation of a Committee specially constituted by Government for this purpose. No tenders are invited for this type of artistic work. The work of decoration of Shastri Bhavan was also awarded on the recommendation of the Committee.

(c) Government are not aware of the political affiliations of the artist whose name was recommended by the Committee. The reply to the second part of the question is in the negative.

(d) Government do not consider that there is anything in this matter requiring investigation.

Seizure of gold Biscuits Bearing Foreign Markings at Gadarwara Railway Station of Itarsi-Jabalpur Section

4883. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some gold biscuits bearing foreign markings were seized at Gadarwara Railway Station of Itarsi-Jabalpur Section in September, 1969 ;

(b) if so, the number and value thereof ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). On 4th September, 1969 one hundred gold biscuits bearing foreign markings valued at about rupees two lakhs approximately at the Indian market price were seized at Gadarwara Railway Station on Itarsi-Jabalpur Section.

(c) Two persons have been arrested and are in judicial custody. Further proceedings are in progress.

Seizure of Smuggled Watches by Customs Authorities in Bombay

4884. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Customs Authorities had seized about 20,000 smuggled watches in Bombay in September, 1969 ; and

(b) if so, the value of the watches seized, the number of persons against whom action was taken in this regard and the nature of the action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) On 6th September, 1969, Customs officers of the Central Excise Collectorate, Bombay, seized 20 tins containing 17,997 foreign wrist watches valued at about Rs. 18.22 lakhs and 700 watch straps valued at about Rs. 10 thousand from an oil Tanker on Eastern Highway near Vikhroli. The Driver of the truck was arrested and subseqently released on bail by the magistrate. The case is under investigation.

Production of Nirodh in the Country

4885. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Shri Chand Goyal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total production of 'Nirodh' in the country during the financial years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the target fixed for their production during the financial year 1969-70 ; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be saved on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Work, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) 3.47 million pieces of Nirodh of acceptable quality were produced during 1967-68. Production figures for 1968-69 are not readily available.

(b) No target for production during 1969-70 has been fixed but it is expected that 66 million pieces of Nirodh will be produced during 1969-70 by the Hindustan Latex Factory alone.

(c) Rs. 59.58 lakhs in foreign exchange are likely to be saved during 1969-70.

Diamonds extracted at Panna Dimond Mines

4886. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jageshwar Yadav :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the value of diamonds mined in the Panna Diamond Mines during the last two years ;

(b) the total amount out of the said value paid to the persons who mined the said diamonds ; and

(c) the countries to which the said diamonds were exported and the profit earned by Government therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) The value of diamonds extracted from the Panna Diamond Mines of the National Mineral Development Corporation (Ramkheria and Majhaghawan) for the last two years is as follows :—

Year	Value (Rs. in lakhs)
1967-68	35
1968-69	33

(b) Mining is done by the National Mineral Development Corporation departmentally and there is, therefore, no payment made to any outside person excepting wages to the departmental employees.

(c) The National Mineral Development Corporation have not sold any of their diamonds abroad during the last three years. The Company has not made any profit in respect of this project which went into initial production in 1967-68. They incurred a loss of Rs. 18.26 lakhs in 1967-68 and Rs. 0.59 lakhs in 1968-69.

वेतन के "पैकेटों" के साथ निरोधों का वितरण

4887. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निरोधों की बिक्री को बढ़ाने के लिये किसी एक नई योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार प्रत्येक विवाहित दम्पत्ति को अपने वेतन के पैकेटों के साथ प्रति मास निरोध का एक पैकेट मिलेगा ; यदि हां, तो ऐसी योजना पर कितना खर्च आयेगा और प्रत्येक मास कितने निरोध वितरित किये जायंगे ।

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना पर इसलिये विचार किया गया है क्योंकि निरोधों की बिक्री बहुत कम हो गई है ; और

(ग) क्या सरकार उस विवाहित दम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो अपने वेतन के पैकेटों के साथ निरोध लेने से इंकार कर देंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । इस योजना पर कितना खर्च आयेगा, इसका तभी पता चलेगा जब इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

(ख) और (ग). जी नहीं ।

पंजाब में बारबिचुरेट की बिक्री

4888. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्टूबर, 1969 को चंडीगढ़ में पंजाब के समाज कल्याण मंत्री डा० भगत सिंह के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि औषधि विक्रेता भटिण्डा, संगरूर, फिरोजपुर तथा अमृतसर के जिलों में "बारबिचुरेट" को कामोत्तेजक की औषधि के रूप में नवयुवकों को बेच रहे हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य के लिये गम्भीर संकट पैदा हो गया है तथा सेना में सैनिकों की भर्ती के मामले में बहुत गम्भीर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि अंग्रेजी औषधि-विक्रेताओं के द्वारा दिल्ली और अन्य नगरों में भी स्कूल तथा कालेजों के छात्रों को इसी प्रकार की कामोत्तेजक औषधियों की गोलियां बिना किसी कठिनाई तथा बेरोक-टोक बेची जा रही हैं ; और

(ग) इस प्रकार के जघन्य व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को दिल्ली तथा अन्य शहरों में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) 'बारबिचुरेट' की बिक्री के नियंत्रण के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये :—

(1) बारबिचुरेट को औषध एवं अंगराग नियम, 1945 की अनुसूची एच० में सम्मिलित किया गया है और यह केवल पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे पर ही बेचा जा सकता है ।

(2) औषध विक्रेताओं को बारबिचुरेट की बिक्री का रिकार्ड एक प्रेस्क्रिपशन रजिस्टर में रखना पड़ता है जो औषध निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिये खुला रहता है ।

(3) व्यापारी को फुटकर अथवा थोक बिक्री के निमित्त रखी गई समस्त औषधियों की खरीद का रिकार्ड भी रखना होता है। पंजाब सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किये गये हैं ;

(1) इन औषधियों की गुप्त बिक्री को रोकने के लिये औषध निरीक्षकों ने पुलिस की सहायता से काफी छापे मारे हैं। राज्य औषध नियन्त्रण अधिकारियों, केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के अधिकारियों एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी आकस्मिक छापे मारे गये हैं ।

(2) इन औषधियों के हानिकर प्रभाव के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम भी राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों के माध्यम से किया गया है।

(3) औषध एवं अंगराग नियमों में दी गई पंजीकृत चिकित्सकों की परिभाषा से वैद्यों एवं हकीमों को पृथक करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) इस बुराई को समाप्त करने के लिये आगे क्या कारगर उपाय किये जायें, इस पर विचार करने के लिये चिकित्सक, उत्पादन शुल्क और पुलिस विभागों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई जा रही है।

श्री जगजीवन राम का आयकर विवरण

4889. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदौर में सम्वाददाता सम्मेलन में भाषण देते हुये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्र० चं० सेठी ने बताया था कि श्री जगजीवन राम के आय-कर के मामले में वित्त मंत्रालय को प्रत्यक्षतः कुछ नहीं करना था और समस्त निर्णय सम्बद्ध आय-कर अधिकारी को ही करना है ; और

(ख) श्री जगजीवन राम के मामले पर विचार करने वाले सम्बद्ध आय-कर अधिकारी की वरिष्ठता/दर्जा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मैंने इंदौर में यह कहा था कि कानून अपना काम करेगा ही और अलग-अलग मामलों में आदेश नहीं दिये जा सकते तथा मामले का निर्णय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही होना है।

(ख) श्री जगजीवन राम के आय-कर के मामले का कार्यकारी आयकर अधिकारी आय अधिकारी श्रेणी 1 का आयकर अधिकारी है।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ तेल शोधन करार

4890. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल शोधन करारों के अन्तर्गत विदेशी तेल कम्पनियों को अपने तेल-शोधन कारखानों में परिष्करण के लिये अपने साधनों से कच्चे तेल का आयात करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो इन करारों का पूर्ण पाठ क्या है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय इन करारों को रद्द करने अथवा कम से कम इनमें उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रहा है, ताकि गैर सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों को सप्लाई के हेतु सरकार कच्चे तेल का आयात कर सके ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) करारों के सम्बद्ध उद्धरणों (एक्सटैक्ट्स) का एक टिप्पण (नोट) सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल ० टी० 2465/69]**

(ग) और (घ). शोधनशाला करारों के संशोधन के बारे में सरकार ने कई अवसरों पर तेल कम्पनियों के साथ बातचीत की है परन्तु कोई सफलता नहीं मिली ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

4891. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अब भी अन्य विभागों से स्टेनोग्राफरों और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं उधार ले रखी हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या निगम में महत्वपूर्ण पदों पर सेवा निवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो क्या यह सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं है ; और

(ग) क्या खुले बाजार में नवयुवक योग्य अधिकारियों की कमी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

कूच बिहार में बाढ़ से मिट्टी कटाव को रोकने के लिये सुरक्षात्मक कार्रवाई

4892. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालेरझार, भेलाडंगा, राजरहाट जैसे क्षेत्रों में बाढ़ से मिट्टी कटाव को रोकने के लिए कुछ सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में कूच बिहार के लोगों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार की सलाह से कोई योजना तैयार को है ;

(ग) यदि हां, तो उसके लिये कितने धन की मंजूरी दी हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । बहरहाल, मालेरझार और भेलाडंगा क्षेत्रों का केंद्रीय सिंचाई व बिजली

मंत्री ने 15-9-1969 को निरीक्षण किया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि उचित सर्वेक्षण और माडल परीक्षण करने के पश्चात् नदी को इसके पहले मार्ग पर मोड़ने की सम्भाव्यता का अनुसंधान किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अभी तक कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

कैंसर के इलाज के लिये "आकाशबेल"

4893. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के इलाज के लिये "आकाशवेल" अथवा "अमरबेल" जैसी कुछ देसी जड़ी बूटियों पर कोई अनुसंधान किया गया है ;

(ख) क्या विदेशों में इसी प्रकार का अनुसंधान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो रोगियों पर कब इनका प्रभावी रूप में प्रयोग होने लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने "आकाशबेल" या "अमरबेल" (कसक्यूटा रिफलेक्सा रोक्सब) के कतिपय परीक्षण किये। इनमें कोई कैंसर निरोधी गुण नहीं पाया जा सका। आगे परीक्षण बन्द कर दिया गया।

कैंसर अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, बम्बई ने भी प्रतिरोप्य अर्बुद एल० 1210 और पी० 388 पर इस पौधे के सत्व का प्रयोग किया और पाया कि यह दोनों अर्बुद पद्धतियों पर कारगर नहीं हैं।

(ख) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता

4894. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में मैसूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) राज्य सरकार ने इसमें कितनी राशि का उपयोग किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में दी जाती है और विभिन्न प्लान-स्कीमों के लिए धन का नियतन करना राज्य

सरकारों का काम है। वैसे, चौथी योजना के प्रथम वर्ष में ग्राम जलपूर्तियोजनाओं के हेतु मैसूर राज्य के लिए 57.00 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।

(ख) इसका पता 31 मार्च, 1970 के पश्चात ही लगेगा जब चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् चौथी योजना का प्रथम वर्ष) समाप्त हो जायेगा।

राष्ट्रीय बचत संगठन के माध्यम से बचत की राशि जुटाने का अभियान

4895. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बैंकों में राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीय बचत संगठन के माध्यम से बचत की राशि जुटाने के अभियान को धक्का लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, छोटी बचतों से प्राप्त वास्तविक रकमों के आंकड़ों से पता चलता है कि इस अभियान को कोई धक्का नहीं लगा है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

उड़ीसा राज्य के सुरेन्द्रगढ़ जिले में लौह अयस्क निक्षेपों का पाया जाना

4896. **श्री नन्द कुमार सोमानी** :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के सुरेन्द्रगढ़ जिले में उत्तम किस्म के लौह अयस्क के एक बड़े निक्षेप का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा क्षेत्र में तेरह निक्षेपों में 58 प्रतिशत तथा इससे ऊपर की एफ० ई० औसत के साथ लौह अयस्क की 60 करोड़ मैट्रिक टन उपलभ्य राशियां सिद्ध की गई हैं। इन में से 63 प्रतिशत एफ० ई० के साथ 1640 लाख मैट्रिक टन संसाधित पिण्ड अयस्क के निक्षेपों के दुरह अयस्क प्रदेशों से प्रतिलभ्य हो सकने की संभावना है।

विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण

4897. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में लगाई गई विदेशी पूंजी का राष्ट्रीयकरण करने के लिये योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सरकार ऐसा करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई करने से हमें देश में पहले से ही लगी हुई परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिये अपने विदेशी मुद्रा के विरल साधनों को काम में लेना पड़ेगा ।

कलकत्ता में क्षय रोग

4898. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में क्षय रोग के रोगियों की प्रतिशतता जानने के लिये कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या अस्पतालों में रख कर तथा घरों पर रोगियों के इलाज की व्यवस्था आवश्यकतानुसार पर्याप्त है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) और (ख). जी हां, 1955-58 में किये गये राष्ट्रीय क्षय रोग नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कलकत्ता में प्रति हजार 16.73 व्यक्ति सक्रिय रेडियोलोजिकल टी० बी० से एवं प्रति हजार 6.39 व्यक्ति बैक्टीरियौलौजिकल पाजिटिव रोग से पीड़ित थे ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कलकत्ता में 31 टी० बी० क्लीनिक ऐसे हैं जो टी० बी० रोगियों को घरों में रख कर इलाज कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त शहर में 1331 टी० बी० पलंग हैं । आधुनिक क्षय निरोधी औषधियों की खोज से यह देखा गया है कि अधिकांश टी० बी० रोगियों का घरों पर रहते हुए ही कारगर इलाज किया जा सकता है । टी० बी० रोगियों के इलाज के लिये मौजूदा प्रबन्ध शहर की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिये काफी समझे जाते हैं ।

वित्त मंत्रालय में तकनीकी सहायक

4899. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ कर्मचारियों का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तकनीकी सहायक (विशेष अन्वेषक एकक) के पदों के लिए 1966 में चयन किया गया था और उनके परिवीक्षा काल की समाप्ति पर भी उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की पृथक-पृथक कितनी संख्या है ; और

(ग) पदोन्नति तथा वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में उनके हितों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1966 में दो तकनीकी सहायकों को यथासमय स्थायी बनाए जाने की संभावना वाले दो अस्थायी पदों पर भरती की गई थी जिनमें से एक अनुसूचित जाति का था तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति का था। स्थायी पदों के उपलब्ध होते ही, उनकी बारी आने पर, उनको स्थायी बनाये जाने पर विचार किया जाएगा ।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दोनों तकनीकी सहायकों की मौजूदा वरिष्ठता भरती नियमावली के उपबन्धों के अनुसार तथा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके निर्धारित की गई है । भरती नियमावली के अनुसार कनिष्ठ विश्लेषक के अगले उच्चतर ग्रेड में नियुक्तियां 40 प्रतिशत रिक्त स्थानों तक पदोन्नतियां करके की जाती हैं। ये पदोन्नतियां इस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा वाले तकनीकी सहायकों में से चुनाव द्वारा की जाती हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के इन दोनों तकनीकी सहायकों के मामलों पर, जब कभी भी उनके मामले विचाराधीन परिधि में आएंगे, इस ग्रेड में पदोन्नति कोटा वाले रिक्त पदों के लिए, यथोचित विचार किया जायेगा । चुनाव द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के रियायती श्रेणीकरण के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समितियों के मार्गदर्शन के लिए गृह मन्त्रालय ने आवश्यक आदेश पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया तथा शर्तों के सरलीकरण की योजना बनाना

4900. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गांवों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया तथा शर्तों को सरल बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). नैनीताल में 26 और 27 मई, 1969 को हुए, राज्यों के सिंचाई व बिजली मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के लिये विचार-विमर्श किया गया था। यह फैसला किया गया था कि अतिरिक्त धनराशि वाणिज्यिक बैंकों तथा जीवन बीमा निगम से अनुकूल शर्तों पर लेनी चाहिए और इन ऋणों के प्राप्त करने की पद्धतियों तथा तरीकों को सरल बनाना चाहिये। हाल में हुये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में, इन बैंकों से तथा जीवन बीमा निगम से आसान शर्तों पर ऋण के रूप में अतिरिक्त धनराशियां प्राप्त करने और इन ऋणों की प्राप्ति की पद्धतियों के सरलीकरण का मामला विचाराधीन है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की वित्त-व्यवस्था करने के मुख्य उद्देश्य से 25 जुलाई, 1969 से ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। यह निगम ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये ऋणों के देने की सरल पद्धतियों पर विचार कर रहा है।

Reservation of Residential Accommodation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government Employees

4901. **Shri P. M. Sayeed :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Singh Ayarwal : **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Mininter of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 50 on the 17th November, 1969 and state :

(a) whether the quota of 5 per cent in regard to allotment of Type I and Type II quarters from the general pool to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is reserved for the future allotment or it is 5 per cent of the total allotment of quarters made so far ;

(b) whether Government propose to allot Type I and Type II quarters to Scheduled Castes only until the reserved quota of 5 per cent of the total allotment is completed ; and

(c) whether he is aware of the fact that Scheduled Castes and Scheduled Tribes will not be benefited by this reserved quota of 5 per cent for future allotment because new construction is almost stopped ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The quota of 5% reserved in types I and II quarters from the general pool for allotment to Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees will be reckoned on the vacancies arising in the general pool at Delhi/New Delhi from time to time and will not be 5% of the total allotments of quarters made so far. In addition, employees who are senior enough to have become eligible for allotment in any of the types they are entitled to, will be given such allotment from the general pool quota.

(c) The construction of new Types I and II units in the general pool in Delhi/New Delhi is in progress and these units are likely to be made available for allotment during the year 1970-71. Besides, vacancies arise in these types out of the existing accommodation also.

कच्चे तेल का उत्पादन और शोधन

4902. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने अशोधित तेल का उत्पादन होता है और भारत के तेल शोधन कारखानों में कितने तेल का परिष्करण किया जाता है ; और

(ख) परिष्करण द्वारा कितना पेट्रोल, तेल तथा अन्य माल उपलब्ध होता है ?

पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) कच्चे तेल का उत्पादन तथा इसकी शोधन कारखानों में थ्रुपुट की वर्तमान मासिक औसत क्रमशः 555 और 1453 हजार मीटरी टन है ।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादकों का मासिक औसतन उत्पादन 1338 हजार मीटरी टन है ।

विटामिन 'सी' का उत्पादन

4903. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा में विटामिन 'सी' का उत्पादन होता है ; और

(ख) इस माल के उत्पादकों के नाम तथा पते क्या हैं और उनके द्वारा प्रतिवर्ष कितना उत्पादन किया जाता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). मैसर्स साराभाई एम० कैमीकल्स लि०, बरौदा, जो पहले मेसर्स साराभाई मर्क लि० के नाम से विख्यात थे, इस समय देश में विटामिन 'सी' के केवल उत्पादन-कर्ता हैं । पिछले कुछ सालों में उनका उत्पादन निम्न प्रकार है :

1966		132.01	मीटरी टन
1967		75.40	मीटरी टन
1968		28.17	मीटरी टन
1969	(जनवरी से अक्तूबर तक)	123.50	मीटरी टन

Discrimination in C. G. H. S. Dispensaries

4904. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the persons getting big salaries are provided better cure by Dispenaries run under the Central Government Health Scheme and that the said persons can jump the queue to meet the doctor ;

(b) whether it is a fact that the per capita expenditure incurred in the Dispensaries of Chankyapuri and other colonies housing high officers is more than that incurred in the Dispensaries in Sarojini Nagar etc. colonies housing the low salaried employees ;

(c) if so, the reasons for the said discrimination ; and

(d) whether Government propose to incur expenditure on medical treatment on per capita basis ;

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Under the Central Government Health Scheme treatment at the Dispensaries is provided according to the nature of the ailment and no discrimination is made. The queue system is enforced except in emergent cases. However employees drawing a monthly pay of Rs. 1200/- and above are entitled to have consultation by direct appointment with Specialists in the Hospitals.

(b) and (c). The higher expenditure in the dispensaries located in areas where Members of Parliament and higher paid Government employees reside is due to the clinical nature of the cases treated at these dispensaries.

Medical attendance and treatment are provided according to the clinical needs of each patient. It is not proposed to put any ceiling on the expenditure on individual patients since this will lead to hardship.

Memorial for Mahatma Gandhi at the Place of Assassination

4905. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any such decision in regard to the proposed memorial at the site where Mahatma Gandhi was assassinated so that the said memorial should be the symbol of national feelings and a temple of unity and equality wherefrom the country could get new light ;

(b) if so, whether Government have prepared any scheme to approach an architect to draw a plan in this respect coverig the entire area ;

(c) if so, the details there of ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No such decision has so far been taken nor have details of the suggested meomorial been worked out.

(b) and (c). Do not arise.

(d) The matter is still under discussion with the Birlas.

Admission to Safdarjang Hospital, New Delhi in November, 1969

4906. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of patients who came to Safdarjang Hospital, New Delhi from the 1st to 29th November, 1969 for operations ;

(b) the number out of them who were admitted to the Hospital on the dates issued to them and the number out of them who were issued next dates ;

(c) the number of patients out of those admitted on the appointed dates who had recommendations of the doctors ;

(d) the dates on which the patients admitted for operation for the same disease from the 1st to the 29th November, 1969, were discharged from the hospital ; and

(e) whether there is discrimination in discharging the patients also ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). Patients are admitted in the various Surgical Departments of the Safdarjang Hospital, New Delhi, depending on their condition and not merely on the recommendation of the referring doctors.

The type of information asked for is not maintained in the Hospital records. However, a statement regarding the number of out patients treated, the number of admissions made and the number of operations (Major and Minor) performed during the month of November, 1969, is attached. **[Placed in Library. See No. LT-2466/69]**

(e) No. Patients are discharged according to their physical condition.

विलिंग्डन अस्पताल में रोगियों को भरती करने का आधार

4907. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलिंग्डन अस्पताल में पुरानी बीमारियों वाले रोगियों को भरती नहीं किया जाता है और अमीर, संसद् सदस्यों और अन्य अधिकारियों को गरीब रोगियों की तुलना में वरीयता दी जाती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अमीरों और गरीबों को एक जैसी चिकित्सा सुविधाएं देने के लिये कुछ व्यवस्था करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दाखिलों के मामले में धनी एवं निर्धन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता तथा नाजुक एवं गम्भीर हालत के रोगियों को कुछ प्रकार के जीर्ण रोगियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है । जब अस्पताली उपचार आवश्यक होता है तो संसद् सदस्यों तथा अधिकारियों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार नर्सिंग होम में भर्ती किया जाता है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Behaviour of Doctors and Nurses Towards Patients in Safdarjang Hospital

4908. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a letter of Shri Ramjidas Kalyan to the

Editor, which appeared on page 4 of the daily 'Vir Arjun' dated the 28th November, 1969;

(b) if so, whether Government propose to enquire into the behaviour of the doctors and nurses of Safdarjang Hospital towards the patients and their authorised visitors; and

(c) whether Government also propose to conduct surprise checks to find out whether the doctors indulge in the theft of the food, fruits, medicines etc. supplied by Government for the patients, whether these things are supplied to the patients in the prescribed quantity and whether doctors supply more and better things to the patients who are known to them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir.

(b) The letter constitutes a general criticism of the working of the Safdarjang Hospital and contains some specific allegations. The letter have been enquired into and found to be without substance. There is a great pressure on the beds as well as on the outpatient departments. However, every effort is made to give the maximum satisfaction to the users of the Hospital, and any specific complaints that are made are looked into.

(c) Surprise checks are carried out by the Medical Superintendent.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की उड़ीसा में खोली गई नई शाखाएं

4909. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उड़ीसा में अपनी नयी शाखाएं खोली हैं ;

(ख) ये नई शाखायें कहां-कहां खोली गई हैं ; तथा उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में दासपल्ला, वाणपुर तथा रामपुर में शाखाएं खोली जायेंगी ; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मार्च, 1970 तक उड़ीसा में कुल कितनी नयी शाखाएं खोलने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है , जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद, उड़ीसा राज्य में खोले गये कार्यालयों का ब्योरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०- 2467/69]**

(ग) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने फिलहाल उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में दसपल्ला, वाणपुर और रणपुर नामक स्थानों पर कोई शाखा खोलने का प्रस्ताव नहीं किया है ।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में से चार बैंकों ने मार्च, 1970 तक उड़ीसा राज्य में 9 कार्यालय खोलने का निश्चय किया है और रिजर्व बैंक ने पहले ही इसके लिये लाइसेंस दे दिये हैं ।

ऐसिडों का आयात

4910. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से वर्ष 1968 तक, वर्षवार, मैलिक एनवाईड्राइड, ऐडिपिन ऐसिड और ऐलाजिनिक ऐसिड अथवा ऐलजिनेट का कितना आयात किया गया था ; और

(ख) आयातकों के नाम क्या हैं और उनका किन-किन देशों से आयात किया गया था ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र, जिसमें 1966-67 से 1968-69 की अवधि के दौरान वर्षवार आयात, देशों के नाम (जहां से आयात किया गया) दिये गये हैं, सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2468/69]** । आंकड़ों का संकलन देश-वार किया गया है, प्रत्येक आयातक के लिये नहीं ।

उर्वरक कारखाना, ट्राम्बे (बम्बई) में उर्वरकों का उत्पादन

4911. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक कारखाना, ट्राम्बे, (बम्बई) ने उर्वरकों का कितना उत्पादन किया है ; और

(ख) वहां उत्पादित उर्वरकों का उत्पादन मूल्य अन्य उर्वरक कारखानों के उत्पादन मूल्यों की तुलना में कितना कम या अधिक है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) नवम्बर, 1965 से (जब से संयंत्र में उत्पादन शुरू हुआ था) ट्राम्बे में विभिन्न उर्वरकों का वर्षवार उत्पादन निम्नप्रकार है :

	नवम्बर, 65 से मार्च, 66 तक	1966-67	1967-68	1968-69
यूरिया	8064	53188	57437	68508
नाइट्रोफोस्फेट 16:13:0	16392	70613	22355	—
सुफाला				
20:20:0	—	—	70652	94133
18:18:9	—	—	—	7655
15:15:15	—	—	—	6600

(ख) नाइट्रोफोस्फेट तथा सुफाला केवल ट्राम्बे में ही उत्पादित किये जाते हैं अतः अन्य कारखानों के उत्पादों से उनके मूल्यों की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक यूरिया का सम्बन्ध है, ट्राम्बे के अतिरिक्त सिन्द्री, गोरखपुर तथा नाम रूप स्थित सरकारी क्षेत्रीय

कारखानों में इसका उत्पादन होता है । गोरखपुर एवं नामरूप के कारखानों में केवल जनवरी, 1969 से ही व्यापारिक उत्पादन शुरू हुआ था और इसलिये, ट्राम्बे के लागत आंकड़ों की तुलना नामरूप तथा गोरखपुर के कारखानों की लागत से नहीं हो सकती है । सिन्द्री की तुलना में, ट्राम्बे में यूरिया की उत्पादन लागत लगभग 23 प्रतिशत अधिक है।

गैर-सरकारी क्षेत्रीय कारखानों द्वारा उत्पादित उर्वरकों की उत्पादन लागत का सरकार को पता नहीं है ।

उपक्रमों में कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति

4912. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में वस्तुतः प्रतिबन्ध है कि सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी उन गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों में नियुक्त नहीं जिनके साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि उन गैर-सरकारी फार्मों को दो वर्ष तक ठेके नहीं दिये जायेंगे जिनमें सरकारी क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार ने यह निर्णय किया है कि यदि किसी सरकारी उपक्रम का कोई उच्च प्रबन्धक (न केवल मुख्य प्रबन्धक) सेवा निवृत्त (रिटायर) होने के बाद किसी गैर-सरकारी फर्म में नौकरी कर लेता है तो उस अधिकारी के रिटायर होने के दो वर्ष बाद तक की अवधि के लिये, उस फर्म को सम्बद्ध उपक्रम के निदेशक-मण्डल की अनुमति के बिना, कोई ठेका नहीं दिया जाना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी तथा इसमें पंजाब का हिस्सा

4913. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जय सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रथम तीन पंच वर्षीय योजनाओं की अवधि में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल कितना धन लगाया है ;

(ख) पंजाब राज्य का प्रथम तीन योजनाओं की अवधि में इन उपक्रमों में कितना भाग है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार की चौथी योजना अवधि में नई औद्योगिक परियोजनाओं में कितना धन लगाने का विचार हैं तथा किन परि योजनाओं में ;

(घ) पंजाब में कौन सी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) चौथी योजना में किन नई औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित किया जाना है, जिनके स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पहली तीन आयोजनाओं की अवधियों में विभिन्न राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक प्रायोजनाओं में 1883.7 करोड़ रुपये की एक निश्चित राशि लगाई गई थी। इसमें से 32.2 करोड़ रुपये की रकम पंजाब में लगाई गई थी।

(ग) से (ङ). उन नई औद्योगिक योजनाओं पर जिन के स्थान का निर्णय पहले ही किया जा चुका है तथा जिनका चौथी आयोजना के मसौदे में उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले परिव्यय का ब्योरा अनुबन्ध I में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2469/69]** इन योजनाओं में से कोई भी योजना पंजाब में स्थित नहीं है। चौथी आयोजना की अवधि में, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली उन नयी औद्योगिक योजनाओं के परिव्यय का ब्योरा अनुबन्ध II में दिया गया है जिनके स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2469/69]**

ज्योतिष कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी

4914. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (सचिवालय) के कितने कर्मचारी ज्योतिष कार्य करते हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को कार्यालय में गोपनीय कार्य करना पड़ता है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या निगरानी रखती है कि इन सरकारी कर्मचारियों द्वारा ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के रूप में तथा अपने ग्राहकों को सलाह के रूप में सरकारी गोपनीय बातें प्रकट न की जाएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके बारे में यह ज्ञात हुआ हो कि वह ज्योतिष का कार्य करता है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

Posts of Translators in Revenue and Insurance Department

4915. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a test for recruitment to the posts of translators had been held in the Revenue and Insurance Department in the month of January, 1968 ;

(b) if so, the number of persons selected for appointment to the said posts on the basis of the said examination ;

(c) whether all the appointments to the posts of the translators after the said examination were made from amongst the persons selected therefor ;

(d) whether Government have received any complaints in regard to the appointments to the said posts ; and

(e) if so, the details thereof and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) A test for recruitment to the posts of Hindi Translators in the Department of Revenue and Insurance was held in the month of January, 1968. A supplementary test regarding the same was held in April, 1968.

(b) On the basis of the above two tests, seven persons were selected for appointment to the said posts.

(c) Yes, Sir.

(d) A complaint was received in regard to the appointment of one of the Translators.

(e) The complaint was to the effect that the said officer's appointment as Translator was not in accordance with the Recruitment Rules. Enquiries made revealed that the appointment was in order.

कोसी नहर परियोजना के लिये खरीदा गया माल

4916. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के अनुसार किसी नहर परियोजना के लिये खरीदे गये माल के लिये अधिक दाम दिये गये जबकि विशेषज्ञों द्वारा उस माल को घटिया किस्म का पाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने अगस्त, 1969 में रिपोर्ट दे दी थी परन्तु अब तक भी कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस कथित पुन-र्विनियोग का ब्योरा क्या है तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उचित कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पियरसन समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों को छोड़ने में देरी

4917. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पियरसन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतियां, जो विश्व बैंक ने

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के विश्व सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को पिछली जानकारी देने वाले पत्र के रूप में मुफ्त वितरण करने के लिये भेजी थी, सम्मेलन के आखिरी दिन भी उनको नहीं मिली थी, क्योंकि इन पुस्तकों को दिल्ली हवाई अड्डे के सीमाशुल्क अधिकारियों ने रोक लिया था, जहां ये प्रतियां सम्मेलन के दूसरे दिन पहुंची थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पुस्तकों को छोड़ने में विलम्ब करने के क्या कारण थे और भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विश्व बैंक द्वारा भेजी गई, श्री आर० चक्रवर्ती मार्फत अशोक होटल, नई दिल्ली, के नाम पुस्तकों की एक खेप जिसमें पियर्सन समिति की रिपोर्ट की प्रतियां थीं, 20 अक्तूबर 1969 को पालम हवाई अड्डे पर पहुंची । खेप की निकासी के लिये, आयात कर्ता की ओर से आगम-पत्र 15 नवम्बर, 1969 को पेश किया गया जबकि सम्मेलन पहले ही 14-11-69 को आरम्भ हो चुका था । लागत बीमा भाड़े सहित माल का मूल्य 12,734 रु० था और आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम तथा आदेश के उपबन्धों से ऐसे माल को कोई आम छूट नहीं थी, अतः आयात कर्ता के प्रतिनिधि को 15 नवम्बर, 1969 को ही, अर्थात, उसी दिन जिस दिन आगम-पत्र पेश किया गया था, सूचित कर दिया गया था कि आयात व्यापार नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया, सीमा-शुल्क निकासी अनुज्ञा-पत्र (परमिट) पेश किया जाना चाहिये । 18 नवम्बर को, जो सम्मेलन का अन्तिम दिन था, आयात कर्ता का प्रतिनिधि, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात के पास पहुंचा, जिन्होंने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के सम्बन्धित सदस्य के साथ मामले पर विचार विमर्श किया तथा 18 नवम्बर को पूर्वाह्न में मामले की अविलम्व्यता को ध्यान में रखते हुए सीमा-शुल्क निकासी सम्बन्धी परमिट की आवश्यकता का परित्याग करते हुए माल छोड़ देने के लिये टेलीफोन पर आदेश दिए । माल 18 नवम्बर, 1969 को छोड़ा गया । अतः, खेप की निकासी के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क अधिकारियों की ओर से कोई विलम्ब नहीं किया ।

Valuation of Prime Minister's Official Residence in New Delhi

4918. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2170 on the 1st December, 1969 and state the valuation of Prime Minister's official residence i. e. 1, Safdarjung Road as shown in Government documents as on the 1st April in 1966, 1967, 1968, 1969 and on the 31 st August 1969 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): The valuation of the Prime Minister's official residence, as shown in the Government records, as on the 1st April of 1966, 1967, 1968 and 1969 and on the 31st August, 1969, is given in the Statement placed on the Table of the House, together with the necessary explanatory notes.

Statement

Date	Book value of Land & Buildings, iucluding water supply, sanitary and electrical installations.
	Rs.
1.4.1966	67,945
1.4.1967	89,938
1.4.1968	91,543
1.4.1969	1,35,301
31.8.1969	1,43,872

Explanatory Notes

1. Out of the sum of Rs. 43,758 being the difference between the figures as on 1st April, 1968 and 1st April, 1969 respectively, a sum of Rs. 19,500 was the expenditure incurred on extra office accommodation and connected facilities provided to the Secretariat Office which has to be maintained at the official residence for convenience of public work.

The remaining expenditure relates to the provision of one extra bed-room and an attached bathroom.

The Prime Minister initially had only two bed-rooms available for her use and that of the family. The provision of the third bed-room was found to be essential to meet the minimum needs of the family.

2. Around half the increase between the figure as on 1st April, 1966 and 1st April, 1967 respectively (i. e. Rs. 11,600 or so) was either relatable to essential security arrangements or to meet the needs of the Secretariat Office maintained at the official residence.

3. Only a sum of Rs. 387.95 out of the total increase of Rs. 8,500 or so between the figures as on 1st April, 1969 and 31st August, 1969 respectively related to the residential wing in the use of the Prime Minister and her family. The balance constituting nearly the entire amount related either to the Secretariat portion, facilities necessary for security staff, the Reception Room for the visiting public etc.

Supply of Copies of Annual Reports of L. I. C. to M. Ps.

4919. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2179 on the 1st December, 1969 and state :

(a) whether the printed copies of the report were supplied to the Members of Parliament after they were laid on the Table of the House ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, the dates on which copies of various reports were supplied during 1967, 1968 and 1969 and the title of the report ?

The Minister of State in the Ministry of Supply and in the Ministry of Finance (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir.

(b) and (c). The statute does not require that copies of (i) the report on the activities of the Life Insurance Corporation of India and accounts for various years, and (ii) the valuation reports of the Life Insurance Corporation of India, should, after being laid on the Table of the House under Section 29 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, be furnished to the Members individually. However, apart from the copies of these reports laid on the Table of the House, additional copies thereof are being furnished to the Parliament Library for reference by the Members.

कटनी तथा अन्य स्थानों पर कच्चे लोहे के संयंत्र लगाने की योजना

4920. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तरगत मध्य प्रदेश के कटनी तथा अन्य स्थानों पर कच्चे लोहे के बड़े संयंत्र लगाने की कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक स्थान पर कितनी क्षमता का संयंत्र लगाया जायेगा तथा उन पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कटनी या किसी अन्य स्थान पर कच्चे लोहे के संयंत्र स्थापित करने की कोई योजनाएं इस समय विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

निषिद्ध पदार्थ रखने के अपराध में नई दिल्ली में पकड़े गये विदेशी

4921. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "चरस" तथा अन्य निषिद्ध पदार्थ रखने के अपराध में चालू वर्ष में दिल्ली में कितने विदेशी लोग गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) ऐसे कितने मामले विचाराधीन है ; और

(ग) इन विदेशियों से पकड़े गये पदार्थों का अनुमानित मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चरस तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं को अपने पास रखने के आरोप में दिल्ली में 23 विदेशी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ख) चार मामलों में अभी भी जांच पड़ताल जारी है । जिनमें 17,540 रुपये के मूल्य की वस्तुएं ग्रस्त हैं ।

(ग) 2,79,458 रुपये के मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं ।

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार वाली सम्पति पर गृह-कर निर्धारण

4922. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

श्री निहाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सम्पत्तियों

पर गृह-कर निर्धारण करने की प्रक्रिया के अनुसार किराये पर दी गई सम्पत्ति पर कर-निर्धारण के लिये मकान मालिक द्वारा वास्तव में लिये जाने वाले किराये को आधार माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में दिल्ली नगर निगम ने (क्षेत्रवार) इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम केन्द्रीय पुनर्वास विभाग द्वारा गृह-कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये निर्धारित गृह-कर से सहमत नहीं होता ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम ने कितने मामलों में पुनर्वास विभाग द्वारा निर्धारित किरायों को (जोनवार) स्वीकार नहीं किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई की एक फर्म के पास पाये गये रामपुर की बेगम के आभूषण

4923. **श्री इन्द्र जीत गुप्ता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई से एक जौहरी की दुकान पर मारे गये छापे में जो आभूषण पकड़े गये थे और जिन्हें उस फर्म ने रामपुर की वर्तमान बेगम (आफताब जपानी बेगम) के बताये थे, क्या उन्हें रामपुर की बेगम ने अपना मान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धन-कर अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की है ; और

(ग) इन आभूषणों का मूल्य कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और वह इकट्ठी की जा रही है । उसे यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट के दो बैचों को बाजार से वापिस लेना

4924. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स, पिम्परी द्वारा उत्पादित स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट के दो बैचों को कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अतिरिक्त चिकित्सा अधिकारी के एक निदेशानुसार बाजार से वापस ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) स्ट्रैप्टोमाइसिन के किन दो बैचों को बाजार से वापस लिया गया है, क्या पड़ताल योग्य अधिकारियों ने उनकी जांच पड़ताल की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). जी नहीं । लेकिन कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के एक डाक्टर से प्राप्त शिकायत पर, कि हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० द्वारा निर्मित स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट के दो बैचों में से प्रत्येक की एक शीशी पूर्णतया नहीं धुल सकी ; ड्रग्स कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र स्टेट, बम्बई ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० कारखाना में रखी इन बैचों की निर्देश शीशियां धुल गईं तथा कोई अपसामान्यता नहीं देखी गई ।

महाराष्ट्र ड्रग्ज कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाजार से इन बैचों के और नमूनों को लिया है और उनकी जांच के निलम्बन रहने तक, एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा कि इन दो बैचों से शीशियों के इस्तेमाल को रोका जाए तथा ऐसा ही किया गया है ।

इसी बीच में निर्देश शीशियों के हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० द्वारा किये गये परीक्षणों ने समस्त भेषजीय आवश्यकताओं की अनुरूपता दर्शायी है । लेकिन अनुर्वरता का परीक्षण जारी है । ड्रग्स कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई से रिपोर्ट की प्राप्ति पर तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० द्वारा अनुर्वरता पर किये जा रहे परीक्षण के परिणाम के आधार पर, इस विषय में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

नर्मदा नदी घाटी परियोजना के लिये चौथी योजना में धनराशि की व्यवस्था

4925. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी घाटी परियोजना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में केवल 10 करोड़ रुपये की ही राशि नियत की जाने के क्या कारण हैं, जबकि चौथी योजना में 105.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के बकाया काम पहले से शामिल हैं ; और

(ख) इस परियोजना का काम कब शुरू होने और कब उसके पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात राज्य में हाथ में ली हुई अन्य सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जब तक राज्यों में आपस में समझौता न हो जाए तब तक परियोजना के आकार-प्रकार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, योजना आयोग ने चौथी योजना के प्रारूप में गुजरात की नर्मदा परियोजना के लिये 10 करोड़ रुपये का प्रावधान निर्दिष्ट किया था ।

(ख) नर्मदा जल विवाद को अंतर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायनिर्णयन के लिये एक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया गया है, और परियोजना के कार्यान्वयन को न्यायाधिकरण के फैसले की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

भारत में बिजली की मांग में वार्षिक वृद्धि

4926. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन योजनाओं के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार भारत में बिजली की मांग में वार्षिक वृद्धि कितनी है और विद्युत योजनाओं के लिए उपलब्ध और औद्योगिक तथा कृषि विकास योजनाओं के लिये निर्धारित राशि और बिजली आदि से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जनसाधारण की बिजली की मांग को दृष्टि में रखते हुए आगामी कुछ वर्षों में बिजली की मांग में वास्तविक वार्षिक वृद्धि कितनी होने की आशा है और ये आंकड़े पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न विद्युत सम्भरण अभिकरणों द्वारा हाल ही में लगाये गये अनुमान के आंकड़ों की तुलता में कितनीकम हैं या अधिक हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : देश में बिजली की मांग में वृद्धि की वास्तविक दर निम्नलिखित है :

पहली योजना के दौरान	8.75% प्रति वर्ष
दूसरी योजना के दौरान	13.15% प्रति वर्ष
तीसरी योजना के दौरान	10.40% प्रति वर्ष
1966-67-1968-69 के दौरान	15.00% प्रति वर्ष

बिजली सम्बन्धी कार्यकारी दल ने, चौथी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा अन्य क्षेत्रों में परिकल्पित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, 1973-74 तक 185 लाख किलोवाट की मांग का अनुमान लगाया। इसका अर्थ यह होता है कि चौथी योजनावधि में मांग में वृद्धि की औसत दर 13.5% प्रतिवर्ष होगी।

पूर्वी क्षेत्र में बिजली के लिए मांगें और वृद्धि की दरें, जैसाकि बिजली सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है और जैसाकि पूर्वी क्षेत्र में बिजलो सप्लाई करने वाली विभिन्न एजेंसियों का अनुमान है, निम्नलिखित है :

राज्य/बिजली सप्लाई करने वाली एजेंसी	कार्यकारी दल द्वारा निर्धारित		पूर्वी क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने वाली एजेंसियों द्वारा अनुमानित मांग	
	1973-74 तक उच्चतम अनुमानित मांग	वार्षिक वृद्धि दर %	1973-74 तक उच्चतम अनुमानित मांग	वार्षिक वृद्धि दर %
बिहार	777	14.0	952	18.9
पश्चिम बंगाल	1288	7.4	1288	7.4
उड़ीसा	504	16.3	540	17.8
दामोदर घाटी निगम	918	20.0	979	21.7
	3487	12.9	3759	14.5

तरल अमोनिया के वितरण के लिये आसाम से दिल्ली तक पाइप-लाइन बिछाना

4927. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल अमोनिया के वितरण के लिये आसाम से दिल्ली तक एक पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान अलुमीनियम कारपोरेशन, रेणुकूट को बिजली देना

4928. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड हिन्दुस्तान अलुमीनियम कारपोरेशन, रेणुकूट को चार पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रहा है, जबकि अन्य राज्यों के बिजली बोर्ड विभिन्न अलुमीनियम कारखानों को बिजली 2 पैसे प्रति यूनिट या इससे भी कम दर पर दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड इस समय हिन्दुस्तान अलुमीनियम कारपोरेशन रेणुकूट को 132 के० बी० पर 55मैगावाट बिजली 1.997717 पैसे प्रति यूनिट की दर से सप्लाई कर रहा है ।

क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के कृत्य

4929. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों की कुछ वर्ष पूर्व स्थापना के समय इनके कृत्य क्या थे और अब परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाने के कारण क्या उनके कृत्यों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है ;

(ख) क्या इन बोर्डों को अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये कोई कार्यकारी अधिकार प्राप्त है और यदि नहीं तो केवल परामर्शदातृ शक्ति के सहारे महत्वपूर्ण कृत्यों को कैसे निभाया जा सकता है ;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड अब काम कर रहा है और क्या यह सच है कि उक्त बोर्ड के समक्ष उपस्थित जटिल समस्या को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने एक महत्वपूर्ण समिति

नियुक्त की थी और उसने उक्त बोर्ड को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की थी, और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) क्या उक्त बोर्ड के मुख्यालय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के निम्नलिखित कर्तव्य हैं :

(1) इस क्षेत्र में विद्युत विकास स्कीमों की प्रगति का पुनरवलोकन करना।

(2) इस क्षेत्र में विद्युत-प्रणालियों के समेकित प्रचालन को इस ढंग से आयोजित और सुनिश्चित करना कि उत्पादित और पारेषित बिजली की कुल मात्रा किसी भी समय इस क्षेत्र को समग्र रूप से यथासम्भव अधिकतम लाभ प्रदान करेगी।

(3) इस क्षेत्र में उत्पादन संयंत्रों के लिये समन्वित पूरी मरम्मत और रख-रखाव का कार्यक्रम तैयार करना।

(4) संघटक प्रणालियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रचालन-अनुसूचियों को निर्धारित करना।

(5) प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं से बची हुई बिजली की उपलब्ध मात्राओं को राज्यों के बीच समय-समय पर विनिमय हेतु निर्धारित करना।

(6) क्षेत्र के अंदर ही बिजली के विनिमयों को नियंत्रित करने के लिये उपयुक्त टैरिफ संरचना सुझाना।

(7) किसी अन्य संगत बात पर, उस पर उपयुक्त कार्रवाई हेतु, विचार करना।

चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप विधान के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक तो यह है कि क्षेत्रीय बिजली प्रणालियों के समेकित प्रचालन को लागू किया जाए, दूसरा यह कि क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को (जो इस समय केवल सलाहकारी संस्थाओं के रूप में हैं) क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों को चलाने का प्राधिकार भी सौंपा जाए, और तीसरा यह कि बिजली के अंतर्राज्यिक पारेषण और वितरण में समन्वय किया जाए।

पश्चिम बंगाल, बिहार और दामोदर घाटी निगम की विद्युत प्रणालियों के उत्पादन, पारेषण और वितरण सम्बन्धी पहलुओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ, एक सिफारिश यह भी की थी कि पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड को मजबूत बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र में बिजली प्रणालियों का समेकित प्रचालन हो सके। उन कर्तव्यों को सम्भालने के लिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना के रूप विधान के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित हैं पूर्वी क्षेत्रीय

बिजली बोर्ड और अन्य क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को मजबूत करने के संदर्भ में इस सिफारिश की जांच हो रही है। इस समय पूर्वी क्षेत्रीय बोर्ड का मुख्यालय पटना में है। इस बोर्ड ने (जो सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से गठित है) अपने मुख्यालय को यत्र-तत्र बदलते रहने के प्रस्ताव पर विचार किया और यह सिफारिश की कि मुख्यालय को उसी स्थान पर रखा जाए जहां क्षेत्रीय भार प्रेषण और नियंत्रण केन्द्र स्थिति हो। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि क्षेत्रीय भार प्रेषण और नियंत्रण केन्द्र कहां स्थित होगा।

चलचित्र कम्पनियों की ओर बकाया आयकर

4930. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिर हुसेन फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई, मनोरंजन पिक्चर्स कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली और जगत नौवल एग्जीबिटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली से चालू वर्ष में तथा गत तीन वर्षों में आयकर की कुल कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ख) इसी अवधि में उक्त फर्मों से आयकर के अतिरिक्त धन कर उपहार कर, उत्पादन शुल्क आदि के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(ग) इस समय इनकी ओर करों की कितनी राशि बकाया है और करों को कितनी राशि के विरुद्ध उन्होंने आपत्ति कर रखी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). कर निर्धारण वर्ष 1960-61 से, कम्पनियों द्वारा कोई धन-कर देय नहीं है। जहां तक सीमा शुल्क का सम्बन्ध है, सूचना अलग-अलग आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं के अनुसार नहीं रखी जाती है। आयकर, दानकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली तथा बम्बई में छविगृहों के मालिकों की ओर बकाया आयकर

4931. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तथा गत वर्ष न्यू देहली थियेटर्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली और नवकेतन इन्टरनेशनल फिल्म्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई से आयकर की कुल कितनी राशि वसूल की गई ;

(ख) उक्त कम्पनियों से इसी अवधि में आयकर के अतिरिक्त धन कर, उपहार कर, उत्पादन-शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ग) इस समय इन कम्पनियों की ओर बकाया कर राशि कितनी है और करों की कितनी राशि के विरुद्ध उन्होंने आपत्ति कर रखी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मौजूदा तथा पिछले वित्तीय वर्षों में मेसर्स न्यू दिल्ली थियेटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली से वसूल हुई आयकर की रकमें क्रमशः 27,904 रु० तथा 1,14,600 रुपये हैं। इन दो वर्षों के दौरान मेसर्स नवकेतन

इन्टरनेशनल फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई से आयकर की कोई रकम वसूल नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). कर-निर्धारण-वर्ष 1960-61 से कम्पनियों द्वारा कोई धन-कर देय नहीं है । जहां तक सीमा-शुल्क का सम्बन्ध है, व्यक्तिगत आयातकर्ताओं अथवा निर्यात-कर्ताओं के अनुसार सूचना नहीं रखी जाती है ।

मैसर्स न्यू दिल्ली थियेटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, न्यू दिल्ली तथा मेसर्स नवकेतन इन्टर-नेशनल फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई से दान-कर अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कोई रकम वसूल नहीं की गई है और न ही इन करों की कोई रकम इन कम्पनियों की ओर बकाया है ।

इन कम्पनियों की ओर आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है । इन कम्पनियों ने देय आयकर के सम्बन्ध में कोई आपत्तियां नहीं उठायी हैं ।

पार्श्व गायकों की ओर बकाया आयकर

4932. **श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुमारी लता मंगेशकर (पार्श्व गायिका), श्रीमती आशा भोंसले, मुहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, शंकर-जयकिशन तथा लक्ष्मीकान्त-प्यारेलाल से चालू वर्ष में और गत तीन वर्षों में कुल कितना आयकर वसूल किया गया है ;

(ख) उक्त अवधि में इन लोगों से आयकर के अतिरिक्त धनकर, उपहार कर तथा अन्य करों के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई है ; और

(ग) इनकी ओर इस समय करों की कितनी राशि बकाया है और कितनी कर-राशि के सम्बन्ध में उन्होंने आपत्ति पेश कर रखी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मांगी गयी सूचना नीचे दिये अनुसार है :

नाम	66-67	67-68	68-69	69-70
लता मंगेशकर	44,000	50,000	1,22,718	80,000
आशा भोंसले	27,106	43,658	52,500	25,366
मुहम्मद रफी	26,488	28,439	81,637	739
मुकेश	23,035	3,000	9,291	—
मन्ना डे	6,286	8,587	16,890	—
शंकर	1,01,390	57,580	94,559	—
जय किशन	1,03,174	6,000	1,04,463	5,518
लक्ष्मीकान्त	12,284	5,000	20,775	—
प्यारे लाल	5,865	5,000	17,396	—

(ख) केवल आशा भोंसले और मुहम्मद रफी ने धन-कर की अदायगी की है जो नीचे दिये अनुसार है :

आशा भोंसले	1,230 रुपये	1967-68 में
	800 रुपये	1966-67 में
मुहम्मद रफी	568 रुपये	1966-67 में
	515 रुपये	1967-68 में

शेष व्यक्तियों ने उपर्युक्त वर्षों के दौरान किसी भी अन्य प्रत्यक्ष-कर की अदायगी नहीं की है।

(ग) मांगी गयी सूचना नीचे दी गयी है :

नाम	बकाया रकम
1	2
	(रुपये)
लता मंगेशकर	35,802.88
आशा भोंसले	28,913.00
	1,354.61 (धन-कर)
मुहम्मद रफी	45.00 (धन-कर)
मुकेश	8,117.76
	76.00 (धन-कर)
मन्ना डे	1,849.00
शंकर	कुछ नहीं
जय किशन	5,531.00
प्यारेलाल शर्मा	40,862.00
के० लक्ष्मीकान्त	कुछ नहीं

उपर्युक्त फिल्मी व्यक्तियों में से, लता मंगेशकर के मामले को छोड़कर, किसी ने भी उनकी ओर बकाया करों के बिरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई है। लता मंगेशकर के मामले में बकाया मांगों के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की गयी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

4933. **श्री अदिचन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं कि उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पद सुरक्षित किये जायें;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका ब्योरा क्या है, और प्रत्येक बैंक में इन आदेशों का किस सीमा तक पालन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन बैंकों में इन जातियों के लोगों के लिये पद सुरक्षित करने का है; और

(घ) 31 जुलाई, 1969, को इन बैंकों में इन जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये खाली पद सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित उन नियमों को, जिनका पालन भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्कों और अधीनस्थ संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती करने के मामले में किया जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में भी यथा-शीघ्र लागू किये जाने की आशा है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी।

कंकरबाग, पटना में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए क्वार्टरों का आवंटन

4934. **श्री स० कुन्दू** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंकरबाग, पटना (बिहार) में मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बने क्वार्टर आवास बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जरूरत मन्द तथा अन्य लोगों को दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन नियमों का उल्लंघन करके कुछ क्वार्टर बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों के परिवार वालों के नाम आवंटित किये गये हैं; जिनके पास पटना में पहले से ही अपने मकान हैं; और

(ग) क्या कुछ क्वार्टर आगे किराये पर उठा दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). बिहार सरकार से वांछित सूचना मांगी गयी है। जब यह प्राप्त हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Loans to Farmers in Meerut District for Agricultural Schemes

4935. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Banks and the Societies advance loans for the installation of tube-wells and purchase of tractors for the agricultural schemes sponsored by the Central and State Governments in the country ;

(b) whether it is also a fact that refugees, ex-servicemen and landless persons covered by Gangakhadar Scheme, Hastinapur Mawana (Meerut), Uttar Pradesh are not getting loans for the aforesaid purpose from the Banks and Societies ;

(c) if so, the reasons therefor when the land there is quite fertile ; and

(d) if not, whether the Central Government propose to direct the Uttar Pradesh Government to extend credit facilities for the said scheme at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi): (a) The commercial banks as well as Central and Primary Land Development Banks advance loans to farmers for the installation of tubewells and purchase of tractors. Agricultural Development Schemes are generally prepared jointly by the Banks and the State Governments.

(b) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

भारतीय तेल निगम तेल शोधन प्रभाग और विपणन प्रभाग में उच्च पद

4936. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के तेल शोधन प्रभाग और विपणन विभाग में ऐसे कितने पद हैं जिनका मूल वेतन 750 रुपया या इससे अधिक है;

(ख) इन पदों पर ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारतीय तेल निगम में आने से पूर्व किसी गैर-सरकारी तेल कम्पनी में काम का अनुभव प्राप्त किया था; और

(ग) भारतीय तेल निगम में उन्हें जो वेतन मिलता है, वह गैर-सरकारी कम्पनियों में तत्समान पदों पर प्राप्त होने वाले वेतन से कितना कम या अधिक है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 685

(ख) 289

(ग) भारतीय तेल निगम में तत्समान पदों के लिए वेतन मान तुलना में कम है ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा रिहायशी मकानों तथा बस्तियों पर खर्च

4937. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी उपक्रमों में रिहायशी मकानों तथा बस्तियों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इस पूंजी-विनियोजन से वार्षिक आय कितनी है और उनके रखरखाव व मरम्मत आदि पर वार्षिक खर्च कितना है; और

(ग) कितनी परियोजनाओं में इस कार्य पर मूल अनुमान से अधिक धन खर्च हुआ है और कितना धन अधिक खर्च हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जैसा कि केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य की वर्ष 1967-68 (जो सबसे हाल का वर्ष है, जिसके सम्बन्ध में सभी उपक्रमों के सम्पूर्ण परीक्षित लेखे उपलब्ध हैं) की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, 31 मार्च, 1968 तक बस्तियों पर कुल 220 करोड़ रुपया खर्च हुआ था ।

उसी वर्ष इन बस्तियों के अनुरक्षण और प्रबन्ध पर 23.07 करोड़ रुपये का आवर्त्तक व्यय हुआ था, जबकि किराये के रूप में 5.69 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी ।

(ग) वास्तविक व्यय की मूल अनुमानों के साथ तुलना करना सभी मामलों में उचित नहीं होगा, क्योंकि मूल अनुमानों में कई बार उन्हें मंजूर किये जाने के बाद होने वाली इस प्रकार की घटनाओं के कारण संशोधन कर दिया जाता है जैसे शुरू में कल्पित सामाजिक अवस्थाओं से भिन्न सामाजिक परिस्थितियों का होना,सड़कों जल-निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक इमारतों आदि से संबंधित आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाना और मकानों की अतिरिक्त आवश्यकता पैदा हो जाना आदि आदि । फिर भी, इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये कि बस्तियों पर किया जाने वाला खर्च कम से कम हो, सरकार ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं । नये रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के सभी प्रस्तावों की बारीकी से जांच की जाती है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना के प्रति उदासीनता

4938. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो पक्ष रासायनिक उर्वरक कारखाने नहीं लगा पाये हैं अथवा जिनके कारखानों में उत्पादन शुरू नहीं किया है, उनके नाम और स्थान क्या हैं उनकी क्षमता कितनी है और उन्हें किस तारीख को लाइसेंस/आशय पत्र आदि दिये गये थे;

(ख) क्रियान्विति न होने के कारण उत्पादन अनुमानतः कितना कम हुआ है;

(ग) सम्बन्धित पक्षों ने इसके क्या कारण बताये हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि उर्वरक कारखाने लगाने के प्रति गैर-सरकारी क्षेत्र इस समय उदासीन हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र में पार्टियों के, जिन्हें जनवरी 1966 से उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिये लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये थे और जो अब तक अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सके हैं, नामों आदि का विवरण पत्र संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2470/69]**

(ख) प्रश्न स्पष्ट नहीं हैं । किन्तु यह अनुमान करते हुए कि यह 1968-69 से सम्बन्धित है, तो वर्ष 1968-69 में नाइट्रोजन के रूप में अनुमानित उत्पादन 550,000 मीटरी टन था और नाइट्रोजन के रूप में वास्तविक उत्पादन 545, 155 मीटरी टन था । उत्पादन में कमी का कारण उपरोक्त (क) में दी गई योजनाओं को कार्यान्वित न किया जाना नहीं था बल्कि यह कमी वर्तमान कारखानों में कम उत्पादन के कारण हुई ।

(घ) जी नहीं ।

मोम तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अधिक होना

4939. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयल लिमिटेड में विदेशी तेल कम्पनियों के शेयरों/हितों की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) क्या इण्डियन आयल लिमिटेड पेट्रोलियम उत्पाद अपने एजेंटों के माध्यम से बेचता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इण्डियन आयल द्वारा बेचे जाने वाले मोम का मूल्य लगभग 1000 रुपये प्रति टन है;

(घ) क्या बाजार से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल को छोड़कर) बहुत अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय तेल निगम लि० एक पूर्णतया सरकारी स्वामित्व उद्यम है ।

(ख) जी हां, दोनों तरीकों से अर्थात् एजेंटों और सीधे तौर से ।

(ग) सम्भवता, प्रश्न पैराफीन मोम से सम्बन्धित है । भारतीय तेल निगम इस उत्पाद को नहीं बेचती है ।

(घ) और (ङ). समस्त पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल के अलावा) के बारे में ऐसी कोई सामान्य शिकायत नहीं मिली है । जहां तक पैराफीन मोम का सम्बन्ध है, मैसर्स बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि० द्वारा पैराफीन मोम के अधिक मूल्य लेने के बारे में दिल्ली वैक्स कैण्डल मैनुफैक्चरियरस एस्सोसियेशन (रजिस्ट्रड), दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई थी । वर्तमान मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार मोम का विक्रय मूल्य निर्धारित नहीं करती है । फिर भी, मैसर्स बर्माशैल; दिल्ली को सप्लाई किये जा रहे मोम के मूल्य में लगभग 63 रुपये प्रति मीटरी टन कम करने को सहमत हुआ है ।

विदेश गये अधिकारी

4940. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने सरकारी कर्मचारी विदेश गये;

(ख) उनके नाम तथा पद क्या हैं;

(ग) उनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई; और

(घ) उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). जनवरी, 1969 से नवम्बर, 1969 तक की सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2471/69]**

भारत से बाहर चलचित्र फिल्माने के लिये भारतीय अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को विदेशी मुद्रा

4941. **श्री न० रा० देवघरे :**

श्री काशी नाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में भारतीय अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को विदेशों में चलचित्र फिल्माने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी; और

(ख) इन अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें फिल्म निर्माताओं को विदेशों में स्थान-विशेष की शूटिंग के लिए दी गई विदेशी मुद्रा की मंजूरियों का ब्योरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2472/69]** विदेशों को ले जाये जाने वाले दलों में शामिल अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को व्यक्तिगत रूप से कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती। दल के व्यक्तियों के स्थानीय व्यय की पूर्ति, फिल्म निर्माताओं द्वारा, उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा की रकम में से की जाती है कई बार, विदेशी पार्टियों के साथ किए गये करार के अन्तर्गत, स्थानीय व्यय की पूर्ति भी विदेशी सहयोगियों द्वारा की जाती है।

वन-संसाधन के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण कार्यालय तथा इसके दिल्ली में कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

4942. **श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन महा निरीक्षक, कृषि विभाग को वन संसाधन का विनियोजन पूर्व सर्वेक्षण का प्रधान कार्यालय मार्च, 1974 के अन्त तक दिल्ली में रखने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वन संसाधनों के विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के प्रधान कार्यालय और इस सरकारी संगठन के प्रधान कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों के लिये क्या कार्यालय तथा रिहायशी आवास दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार स्थायी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकानों से निकालने का है; जिन्हें पहले ही नियमित राजसम्पत्ति विभाग से नियमित आवास मिला हुआ है क्योंकि इन स्थायी सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग द्वारा वन संसाधनों के

विनियोजन-पूर्व सर्वेक्षण के प्रधान कार्यालय में जिसका कार्यालय कम से कम 1974 तक दिल्ली में रहेगा, प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां, कार्यालय का दिल्ली में स्थित होना इस शर्त पर अनुमोदित किया गया था कि परियोजना कार्यालय (प्रोजेक्ट आफिस) तथा उसके कर्मचारियों के लिये दिल्ली में सामान्य पूल वास में कोई कार्यालय-वास अथवा रिहायशी वास की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

(ख) सामान्य पूल वास से उस कार्यालय के लिए किसी कार्यालय वास की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने अपने स्वयं के प्रबन्ध से कार्यालय की आवश्यकताओं के लिए गैर सरकारी वास किराये पर लिया है। तथापि, उपरोक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्त हुए 4 सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसम्बर, 1969 तक सामान्य पूल से रिहायशी वास अपने पास बनाये रखने के लिये एक विशेष मामले के तौर पर, साधारण किराये की अदायगी पर अनुमति दी गई है।

(ग) प्रश्न विचाराधीन है।

High Price of Special Folders for Gandhi Coins

4943. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether tenders were invited for manufacturing special folders in which Gandhi coins are put on sale ;

(b) if so, whether the lowest tender was accepted or the folders were got manufactured on high price ;

(c) the amount paid therefor and the amount being charged from the customers ; and

(d) whether Government have received complaints to the effect that the price of the folders is high ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) As initial supplies of uncirculated sets of Mahatma Gandhi Centenary coins were required urgently, spot quotations were obtained by the Mint Master, Bombay for the purchase of plastic folders in the beginning and lowest quotation accepted by him. Thereafter, regular quotation were invited by him and lowest quotations accepted depending upon the acceptance of the sample and the supplies required.

(c) On the basis of the orders placed by the Bombay Mint so far, the aver. ge cost of the plastic folder is about Rs. 1.48 each. The folders form part of a set of uncirculated Mahatma Gandhi Centenary Coins of the denominations of Rs. 10, Re. 1. 50 paise and 20 paise and are not being charged for from the customers separately.

(d) No complaint that the price of the folder is high has been received but a few com plaints about the sale of the uncirculated coin sets at Rs. 20/-each have been received. It is a recognised numismatic practice for "uncirculated coins" which are issused directly from the Mints (unlike circulation coins which are issued through the bank of issue at face value) to be sold at a price higher than the face value to those who are interested in purchasing them.

राजस्थान नहर क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधाएं देना

4944. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान की वर्तमान सूखा की स्थिति ने राजस्थान नहर क्षेत्र और अन्य स्थानों में कार्य कर रहे हजारों श्रमिकों, उनके परिवारों के लोगों और बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या को सामने लाया है, जिनको रहने के लिये समुचित स्थल न मिलने के कारण कठोर सर्दी के कारण प्राय: ठण्ड लगती है और कई अन्य रोग लग जाते हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने यदि उनको कोई सहायता दी है तो क्या अथवा क्या सहायता देने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस मामले में अपेक्षित सुविधाएं देना राज्य सरकार का काम है। भारत सरकार को इस मामले में सहायता के लिये राज्य सरकार से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

कुवैत के सहयोग से पैट्रो-रासायनिक उपक्रमों की स्थापना

4945. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रो-रासायनिक उपक्रमों को आरम्भ करने के लिये कुवैत के साथ सहयोग सम्बन्धी करार करने का सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी नहीं। केवल एक प्रस्ताव विचाराधीन है जो कुवैत से आयातित अमोनिया के आधार पर उर्वरक कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित है ।

Sadatha Water Supply Project in Kangra Valley (H. P.)

4946. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have constructed Sadatha Water Supply Project in Kangra Valley in Himachal Pradesh, if so, expenditure incurred thereon and the amount of assistance received from foreign countries ;

(b) the classwise number of staff working on the Project and the details regarding their pay scales, allowances, etc.

(c) whether it is a fact that the staff appointed on pumps have to walk down a distnace of 10 to 15 miles in order to release water from other pumps and they are not paid any allowance for this purpose ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) Yes. The Sadatha Water Supply has been built at an expenditure of Rs. 16.33 lakhs. An assistance of Rs. 4.86 lakhs was received from the World Health Organisation.

(b) The staff employed on the project are :—

		Scale of Pay	Dearness Pay	Dearness Allowance
Pump driver	1 No.	Rs. 90-3-120	Rs. 40	Rs. 71
Assistant Pump Driver	1 No.	Rs. 42-½-52	Rs. 30	Rs. 71
Fitters	3 Nos.	Rs. 88-3-118	Rs. 40	Rs. 71
Fitter Coolies	2 Nos.	Rs. 30-½-35	Rs. 30	Rs. 71
Mali	1 No.	Rs. 30-½-35	Rs. 30	Rs. 71

(c) No. Only fitters and fitter helpers have to go for inspection of water distribution lines occassionally. They are paid the travelling allowances as per rules.

(d) Does not arise.

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों के नुस्खे पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों द्वारा औषधियां दी जाना

4947. **श्री निहाल सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालय अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिये बताई गई औषधियां नहीं देते हैं और न ही लाभ प्राप्तकर्ताओं को व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति ही की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों द्वारा ऐसी औषधियां देने अथवा लाभ प्राप्तकर्ताओं को व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उपचार के लिये मान्यता नहीं दी गई है । तथापि रोगियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों की सिफारिश पर तथा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक

के पूर्व स्वीकृति पर इस संस्था में भेजा जाता है। ऐसे मामलों में उपचार और औषधियों का समस्त खर्च इस योजना द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रबन्ध में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए भर्ती नियम

4948. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये छाती का घेरा पूरी तरह फैलाये जाने पर 84 सेंटीमीटर तथा कम से कम फैलाव 5 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शारीरिक योग्यता की उपरोक्त अर्हता न होने के कारण चयन के बाद भी सफलता प्राप्त बहुत से उम्मीदवार अनर्ह हो गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि 19 से 24 वर्ष तक के सभी उम्मीदवारों के लिये छाती फैलाव का समान स्तर निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त उच्च स्तर सैनिक अधिकारियों की भर्ती के लिये तर्क निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषमता को दूर करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) निम्नलिखित सेवाओं में प्रवेश पाने के लिये छाती की माप का मानक (पूर्णत: फुलाई हुई) पुरुष उम्मीदवारों के लिये 84 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिये 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव निर्धारित किया गया है।

(i) रेलवे इंजीनियरी सेवा (सिविल, विद्युत, यांत्रिक एवं सिगनल), परिवहन (यातायात एवं वाणिज्य विभाग), रेलवे सुरक्षा दल तथा नाविक कार्यालयों के पद समुद्रपार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पद।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा।

(iii) भारतीय वन सेवा।

अन्य केन्द्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं एवं अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), के लिए कोई निश्चित मान निर्धारित नहीं किये गये हैं। मेडिकल बोर्ड पर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में उनकी आयु और ऊंचाई के हिसाब से छाती की माप जितनी सर्वाधिक उपयुक्त समझें उतनी निर्धारित कर लें।

(ख) हो सकता है कि कुछ उम्मीदवार निर्धारित मान पूरा न करने के कारण डाक्टरी तौर पर अयोग्य घोषित किये गये हों।

(ग) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित सेवाओं के लिये ये मान इन सेवाओं में भर्ती के लिये निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं।

(घ) सेना अधिकारियों की भर्ती के लिये यह निर्धारित किया गया है कि उनकी सुगठित छाती होनी चाहिए और कम से कम फुलाव 5 सटीमीटर हो।

(ङ) छाती की माप के निर्धारित मानों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

Pay Scales of Daftries

4949. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6355 on the 14th April, 1969 and state :

(a) whether Government have collected requisite information in regard to the pay-scale of Rs. 75-1-85-2-95-3-110 given to the daftries of the former Housing and Rehabilitation Ministry and if so, the details thereof ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether it is also a fact that sanction for this pay scale is accorded by her Ministry and if so, the reasons for not implementing this pay-scale in all the Ministries and Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Yes, Sir. The scale of pay of Daftry in the Settlement Organisation under the late Ministry of Works, Housing and Rehabilitation is Rs. 75-95 only and there is no post of Daftry in that Organisation in the scale of Rs. 75-110.

(c) The scale of Rs. 95-3-110 shown against the post of Daftry in the statements on page 67 of Shri L. S. Chaudhri's Compilation of F. Rs. and S. Rs. is based on a typographical error and necessary corrigendum to the relevant order is being issued. The question of extending that scale to posts in other Ministries and offices does not, therefore, arise.

सरकारी स्टाफ कारों का दुरुपयोग

4950. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा स्टाफ कारों तथा निजी सहायकों, चपरासियों और स्टेनोग्राफरों की सेवाओं के दुरुपयोग किये जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इन कारों का प्रयोग खरीदारी, सैर-सपाटे और सिनेमाघर जाने के हेतु अधिकारियों की पत्नियों को ले जाने के लिये किया जाता है जब कि सरकारी काम परिवहन न उपलब्ध होने के कारण पड़ा रहता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उच्च अधिकारियों द्वारा स्टाफ कारों अथवा वैयक्तिक सहायकों, चपरासियों तथा आशुलिपिकों की सेवाओं के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सरकार को हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग). स्टाफ कार नियमावली में मनोरंजन अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, पार्टियों तथा आमोद यात्राओं आदि के लिये स्टाफ कार का प्रयोग करना वर्जित है। नियंत्रण अधिकारी को (जो अपर सचिव से निम्न दर्जे का अधिकारी नहीं होता है) स्टाफ कार के उचित प्रयोग, देखभाल तथा रख-रखाव के लिये और स्टाफ कार की यात्राओं का सामान्यत: इसी नियमावली के अनुसार नियमन करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। प्रत्येक मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी को भी, इन नियमों के अधीन, प्रत्येक गाड़ी के रोजनामचे (Log Book) की महीने में एक बार, यह देखने के लिये छानबीन करनी होती है कि स्टाफ गाड़ियों का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

आकाशवाणी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST ALL INDIA RADIO

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I am raising a question of breach of privilege against four persons. They are the Information and Broadcasting and Communications Minister, Shri Satya Narain Sinha, The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications Shri Inder Kumar Gujral, The Station Director of A. I. R. and Shri R. K. Birla, who is a member of this House.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझनूं) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा व्यवस्था का प्रश्न विषय-सूची की तीसरी मद से संबंधित है। विषय-सूची में मेरा नाम नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने मेरे नाम को शामिल करने के लिये आपसे अनुमति ली थी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना वह ऐसा कैसे कर सकते थे ? अत: व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye: The privilege issue has been raised because of the personal explanation made by Shri R. K. Birla. It was told at that time that no controversial issue should be raised in the name of personal explanation. In his explanation Shri Birla said that Estimates Committee had exonerated him in respect of Madhu Limaye's charges. Secondly he said that the Estimates Committee had complimented him. In fact the committee did not give him a clean chit and so the question of complimenting does not arise.

In my opinion it is a breach of privilege. He has violated the rule regarding personal explanation by raising a controversial issue.

I was shocked to hear A. I. R. Hindi Bulletin in which it was reported that Shri Birla made a personal explanation regarding the Estimates Committee report and that the Estimates Committee had exonerated Shri Birla from all the charges of Shri Madhu Limaye. I am, therefore, of the opinion that the matter against the Information and Broadcasting Minister and the Station Director should be referred to the committee of privileges.

So far as Shri R. K. Birla is concerned if he withdraws his statement, the matter may be treated as closed.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I was also bringing a privilege motion in this matter. I think the personal explanation made by Shri R. K. Birla was not proper. That was against the convention of the Parliament. I will request him to withdraw his statement and tender apology to the House. We also want that the bulletin broadcast by the A. I. R. should be laid on the Table of the House so that we could know the real wording thereof.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Shri R. K. Birla was allowed to make a personal explanation by you. It is a part of the record. If some portion, of the explanation was objectionable that ought to have been expunged. I want your clarification on it. Is it not an effort to involve you in the matter? So far as the motion against the Information and Broadcasting Minister is concerned I support Shri Madhu Limaye.

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : It was an omission from the news report broadcast on the 3rd instant. It was a mistake and I admit it. Such a mistake will not be committed in future.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : आकाशवाणी के बारे में मैंने भी विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है । आकाशवाणी यहां की कार्यवाही की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रसारित कर रहा है । इन मामलों में उन्हें भविष्य में और सतर्क होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बिड़ला, आप कृपया बैठ जायें और मामले को और अधिक जटिल न बनायें ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It will be a contempt of the House if the proceedings of the Parliament are prevented from being published in a proper manner in the press. News-papers have been prevented from publishing anything regarding the agreement between the Bennett Coleman and Co. and the Government. You have not given any ruling in the matter.

Mr. Speaker : I have got a privilege motion from Shri Madhu Limaye. Nothing can be said beyond that motion. The Hon. Minister has admitted his mistake and I think the matter should be closed now.

Shri Rabi Ray (Puri) : No reply has been given with regard to Shri Prakash Vir Shastri's Question.

Mr. Speaker : I have no objection if the Hon. Minister wants to say anything in this matter.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा दिया गया उदाहरण केवल एकमात्र उदाहरण नहीं है । अन्य बहुत से मामलों में भी प्रेस सेवा द्वारा प्रेस में समाचार प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई । आप प्रेस सेवा को इस बारे में सलाह दे सकते हैं । सम्बद्ध व्यक्तियों से ह मारा निवेदन है कि वे प्रेस को अपना कर्तव्य संतोषपूर्ण ढंग से करने दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सार्वजनिक जीवन और संसद से बहुत समय तक सम्बन्ध रहा है । आपको यह विदित ही है कि ऐसे भी अवसर होते हैं जब समाचार-पत्र नहीं होते और तब माननीय सदस्य न्यायसंगत ढंग से भाषण देते हैं ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : गत तीन दिनों से मैं आपका ध्यान पोरबन्दर में हुई गोलाबारी की ओर दिलाने का यत्न कर रहा हूं परन्तु आपने तो मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा।

केरल में स्थिति के बारे में
RE: SITUATION IN KERALA

श्री राममूर्ति (मदुरै) : आज मुझे इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री अ० कु० गोपालन से एक तार मिला है जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा केरल के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याचार किये जाने का समाचार दिया हुआ है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज आप एक सदस्य को उसको प्राप्त हुए तार के आधार पर प्रश्न उठाने की अनुमति दे रहे हैं। इस सभा की परम्परा क्या है? यह एक अनुचित बात है। सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से तार मिलते रहते हैं। क्या सभा ने तार के सम्बन्ध में कोई परम्परा कायम की है। केरल का यह गंभीर मामला है और वह वहां की वर्तमान सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रवि राय भी मेरे पास इस मामले को लेकर आये थे और मैंने उन्हें बता दिया था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग वहां के स्थानीय अधिकारी करते हैं अतएव भारत सरकार का इसमें कुछ हाथ नहीं है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। (**व्यवधान**)

श्री राममूर्ति : हम जानते हैं कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने इन्द्रप्रस्थ भवन में 19 सितम्बर को क्या किया था? चूंकि यह प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आती है अतएव राज्य सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती है। आप मेरी बात सुनिये। (**व्यवधान**)

श्री क० लकप्पा : आप इस प्रकार सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। आप हमें भी अपनी बात कहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो सही तरीके से उठाइये। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have to raise a point of order. The question is whether it comes under the purview of Central Government or the State Government. You give your ruling on it. The Hon. Members need not shout like this.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मेरे ध्यान में लाया गया था परन्तु मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मेरे विचार में उन्हें राज्य सरकार ने अपने यहां रखा है। इसके बावजूद भी यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसकी पुनः जांच कर सकता हूं। जब मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है तो इस तरह विवाद उठाने से क्या लाभ? (**व्यवधान**)

अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन और स्थावर सम्पति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966, की धारा 19 के अन्तर्गत, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान की स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2447/69]**

(2) स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952, की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4727 की एक प्रति, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2448/69]**

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (एक) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2449/69]

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) जी० एस० आर० 2468 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 2637, जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1969 (अंग्रेजी संस्करण) और 13 दिसम्बर, 1969 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 2996, जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 नवम्बर, 1969 (अंग्रेजी संस्करण) और 13 दिसम्बर, 1969 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2728 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० आर० 2729 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2450/69]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2660 की एक प्रति जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 (अंग्रेजी संस्करण), और 13 दिसम्बर, 1969 (हिन्दी संस्करण), के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2451/69]**

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 321 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेक्त के पैरा 33 में उल्लिखित मामलों में आयोग के परामर्श के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारणों का एक ज्ञापन।

(2) ऊपर संख्या 6 पर उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2452/69]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही—सारांश

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

केरल में स्थिति के बारे में—(जारी)
RE: SITUATION IN KERALA—(Contd.)

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है—**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि इस प्रकार जोर से बोलने से वह अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।

यदि तर्कसंगत बात न कहकर शोर मचाकर ही उद्देश्य पूरा हो सकता है तो मेरे विचार में वही सबसे अच्छा संसदविज्ञ होगा जो ज्यादा से ज्यादा जोर से बात कहे। मैं देख रहा हूं कि वह हर समय शोर मचाकर सभा के काम में विघ्न डाल रहे हैं।

श्री ए० श्रीधरन : आपने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी। मुझे बात कहने दीजिए·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। और दूसरा विषय तो लिया गया है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्या कुछ सदस्यों के चिल्लाने के कारण ही मुझे इसके लिये अनुमति नहीं दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए० श्रीधरन : राज्य सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को अपने काम के लिए लगाया है और ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी को यह कहने की अनुमति नहीं हो सकती है कि वह भारत के संविधान का उल्लंघन करेगा·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया है। क्या वे अब बैठ जायेंगे ?

श्री ए० श्रीधरन : मेरा यह कहना है कि यह पूर्णतः राज्य का विषय है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : सभा की प्रक्रिया यह है कि अध्यक्ष की बात मानी जाये। यदि अध्यक्ष महोदय किसी सदस्य को कोई प्रश्न उठाने की अनुमति देते हैं तो दूसरों को उसे सुनना चाहिए, न कि विघ्न डालना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी धारणा है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का ऐसा करना उसके कार्य-क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर श्री राममूर्ति ने इस पर पुनर्विचार करने को कहा है और मैं ऐसा करूंगा।

श्री ए० श्रीधरन : आपने इसको अस्वीकार कर दिया था। फिर आपका इस पर पुनर्विचार करने का क्या आधार है। केरल में विस्फोटक स्थिति है। वहां मार्क्सवादी उपद्रव कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि मार्क्सवादियों के दबाव में आकर इस पर पुनर्विचार करना ठीक नहीं है।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : आपने हमें अपने कक्ष में बुलाया था। उन्हें भी आपके कक्ष में जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी सदस्य मेरे कक्ष में आकर अपने विचार रख सकता है। मैं दोनों सदस्यों की बातों पर विचार करूंगा। यह एक पेचीदा मामला है अतः इस पर एकतरफा विचार नहीं होना चाहिए। मैं सभा को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात लोक-सभा एक बज कर पैंतिस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty-five minutes past thirteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा एक बजकर अड़तीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty-eight minutes past thirteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने बारहवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित

अवधियों के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :

श्री रामेश्वर राव

श्री बृजराज सिंह-कोटा

श्री हनुमन्तय्या

हिज हाइनेस महाराजा वृजेन्द्र सिंह, भरतपुर

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

53वां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं गंधक के आयात के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा मैसर्स ओवल इण्डस्ट्रीज, इनकारपोरेटिड, न्यूयार्क, के साथ किये गये ठेके के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : अगला विषय लेने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिये । दूसरे पक्ष वालों को काफी समय दिया गया है परन्तु हमें कोई प्रश्न उठाने का अवसर नहीं मिला है । मेरा प्रश्न 20 सितम्बर, 1969 के समाचार-पत्र "दि नेशनल हेराल्ड" में प्रकाशित, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रधान मंत्री को मारने के षड़यंत्र सम्बन्धी समाचार के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अभी दूसरे विषय पर विचार कर रहे हैं । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे समाप्त हो जाने दीजिये । मैं आपको समय आने पर अवसर दूंगा ।

सीमेंट विनियंत्रण के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: CEMENT DECONTROL

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि इस सदन के माननीय सदस्यों को विदित है कि मैंने 14 अप्रैल, 1969 को इस सदन में विद्यमान व्यवस्था को समाप्त करने तथा 1-1-70 से सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में सरकार के निर्णय पर कारण बताते हुए एक वक्तव्य दिया था । तब से सरकार को अनेक बड़े उत्पादकों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों तथा चैम्बर आफ कामर्स से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तथा भाड़े का

समकरण प्रबन्ध पर सीमेंट की बिक्री हेतु सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा विद्यमान व्यवस्था को जारी रखने के लिये आग्रह किया गया है। इन अभ्यावेदनों में दिये गये विभिन्न आधार खास तौर से विनियंत्रण के पश्चात मूल्य वृद्धि का होना विशेषतः कमी वाले क्षेत्रों में, सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने को सचेष्ट करते हैं। इन परिस्थितियों में, जब तक सरकार अभ्यावेदनों में निवेदित बातों पर अपना परीक्षण पूरा करती है, 31 दिसम्बर, 1969 के उपरान्त भी सीमेंट की बिक्री के लिये वर्तमान व्यवस्था गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त तथा फ्रेट पुलिंग व्यवस्था आदि सभी लागू रहेगी।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is quite improper. The Hon. Minister has said in his statement that control over the prices and distribution of cement would continue, but it has not been made clear what is the production capacity and what are the requirements of cement in the country. **(interruptions).**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि इस विषय पर परसों चर्चा की जायेगी और उस समय आपको पूरा अवसर मिलेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संसद 24 दिसम्बर, 1969 को स्थगित होने जा रही है और मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 31 दिसम्बर, 1969 के उपरान्त भी सीमेंट की बिक्री के लिए वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। अतः इस सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया जाये कि अन्तर सत्रावधि में इस व्यवस्था को भंग नहीं किया जायेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस विषय पर चर्चा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : परसों इस विषय पर चर्चा होगी। तब आप अपनी बातें कह सकते हैं।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : क्या सरकार 20 दिसम्बर, 1969 को नेशनल हेराल्ड में प्रकाशित प्रधान मंत्री का बध करने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तथाकथित षडयंत्र के समाचार के बारे में वक्तव्य देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Sometime back Central Government had fixed sugarcane price at Rs. 7.37 per quintal. But Bihar State Government has written a letter to Central Government to increase this rate to Rs. 9.00 per quintal. This question involves the interests of the farmers and the Hon. Minister must make a statement here. I had given a call attention notice in this regard which was not admitted. The Hon. Minister should make a statement on this matter.

उपाध्यक्ष महोदय : हम सीमेंट विनियंत्रण पर चर्चा कर रहे हैं और आप गन्ने की बात कर रहे हैं।

बिहार विनियोग विधेयक, 1969
BIHAR APPROPRIATION BILL, 1969

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान

तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रक्रिया नियमों के नियम 340 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित किया जाय । इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामला प्रेसट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा की गई सांकेतिक हड़ताल का है । इन कर्मचारियों की बोनस सम्बन्धी मांगों को उनके अधिकारियों ने ठुकरा दिया है । अतः मंत्री महोदय इस सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 341 के अन्तर्गत मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 341 के अन्तर्गत या तो आप प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रख सकते हैं । या फिर इसे नियम बाह्य घोषित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं । मैं इसे स्वीकार नहीं करता । यह परस्पर सम्बन्धित भी नहीं है । अतः इसे किसी अन्य उचित समय पर उठायें ।

अब प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : On a point of order. I want to oppose this.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस प्रश्न को सभा के मतदान के लिये रख चुका हूं । अब इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बिहार राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बिहार राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

गत शनिवार को बिहार राज्य की अनुदानों की मांगों पर पूर्ण रूप से वाद-विवाद किया गया था और निर्धारित समय से भी अधिक समय लगा था । इसलिए माननीय सदस्य अब बहुत कम समय लें, संक्षेप में बोलें ।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : Bihar State Government is reluctant to spend its share of 15 per cent on repairing the erosion caused in Mansi Rahimpur on the pretext that the expenditure thereof should be borne by the Ministties of Railways and Transport, which is not proper. In Khagaria Begusarai Tubewells have installed but power line has not been provided. So far Government formulated a scheme to provide tubewells in the flood hit areas so that the farmers may reap their crops before the onset of monsoon, but this scheme has not been implemented. Heavily damaged Pekant Dam and the embankments on Ganga, Gandak and Kosi rivers should be repaired before June positively. The Hon. Minister should clarify the position whether the 15 per cent of the expenses to be incurred on Khagaria and Mansi would be given to the Ministries of Railways and Transport.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Either there should be a popular Government in Bihar or the State Legislature should be dissolved. On the question of shortage of paper during the Fourth Five Year Plan, I may mention here that there are two paper Mills in the State. Government should take over The Ashoka Paper Mills and rehabilitate it and start it immediately.

Kosi Project is the only Western project in the country which was inaugurated thrice but the construction work has not yet been started. Government should pay attention to it.

University Grants Commission had recommended the setting up of Mithila University, but the present administration of Bihar has not submitted its report on this issue. Secondly, as for the Patna University, there have been student trouble, and other financial crisis which have affected some affiliated colleges. Either Government should give financial help or it should be taken over and should be made a Central University. This is an important issue and Government should consider this issue immediately before any agitation is started.

There has been strike in Jamshedpur for the last 35 days and the Hon. Minister had given an assurance to solve the crisis, but nothing has been done so far. The Hon. Minister appears to be helpless in this matter because of heavy pressure of the Tatas on the Government. This House had been assured that the employees and workers of the factory would not be victimised unnecssarily. But the strike is still going on and 150 employees have been suspended by the management. The issue should be referred to the Committee on Assurances immediately.

Shri Lakhan Lal Kapoor (Kishanganj) : There is President's rule in Bihar where the economic condition of the people is comparitively very bad. No steps have been taken for the development of Purnea and Saharsa Districts which are particularly Jute and Paddy producing areas and where economic exploitation of jute growers by the Mill owners is a regular feature. and it must stop. But Government have not taken any measures to safeguard their interests. Adequate irrigational facilities are not there in the area. Also, such basic facilities as drinking water are not available there. Transport facilities are not provided there. Village roads are in very bad shape and jute growers feel great difficulty in transporting their jute. Something should be done to improve their lot.

Coming to the method of extracting jute, I would like to suggest that some research should be done to introduce new methods as the present method is out dated and requires much labour.

It is a matter of regret that no relief was given to the people of Purnea district which was effected by heavy floods this year. Secondly, nothing has been done to distribute fallow

land among landless cultivators during the last twenty two years. Government should do the needful as early as possible.

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Sir, the Ashok Paper Mills should not be shifted from Bihar. The unemployment problem cannot be solved merely by the establishment of big mills. The Electricity Department of the State has levied a surcharge ranging from Rs. 90 to Rs. 300 on the small power operated agricultural machines installed by farmers which is a very heavy burben on them. The Government should abolish this surcharge.

Fallow lands should he distributed among the people belonging to Scheduled Castes and backward classes.

The problem of unemployment is very acute in the State. Government should, therefore, avoid taking any steps which might lead to further unemployment.

The lac industry at Hazaribagh and Ranchi was progressing well, but due to decline in the demand it is facing a crisis now and as such it is in a deteriorating condition. Government should come to the rescue of this industry so that it is revived.

There is acute shortage of water in Bihar. Government should give power connections for tube-wells to the farmers without any further delay.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The Madhubani district of Bihar, where crops have been destroyed due to severe drought, should be declared a deficit area at least, without any delay if the Government do not consider it to be a famine-stricken area.

The Ashok Paper Mills should not be shifted to Assam. It should remain in Bihar. In North Bihar mongoes and **leechi** fruit are grown in abundance. There is a very good scope for setting up of a canning industry in Madhubani or Muzaffarpur. Government should pay due attention to this demand.

The R. K. College in Madhubani has been functioning since 1940 but it has not yet been declared as a constituent College of Bihar University although some colleges which were started much later have been so declared. It is a matter of great regret that the legitimate demand of this College which is a premier educational institution of the area and is running in loss is being neglected. The education Minister should pay attention to this matter and see that it is declared as a Constituent College without further delay.

So far as these supplementary demands are concerned, we want an assurance that the money asked for would not be misused or misappropriated.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The cane growers in the Saran district of Bihar are on strike since 15th December. Their demands are that they should be given Rs. 15 per quintal for the cane supplied by them, payment to them should not be delayed and that the cane loaded vehicles should not be detained more than six hours. Since there is no popular Government in the State, the Central Government should consider their demands sympathetically.

The B. N. College and Science College of Patna is in delapidated condition and the condition of their laboratories is deplorable. All the instruments and equipments are very old and out-dated. Some financial assistance should be given to this college so that the laboratories could be modernised.

Government have set up many colonies in Patna. Patna Improvement Trust is a den of corruption. It indulges in irregularities. Government should make an inquiry into the working of this Trust.

In Shastri Nagar of Patna, thousands of Government employees live. But there is no High School for their children there. Several quarters are lying vacant there and a High School can be run very well in one of them. Government should fulfil the long-felt need of the people by according permission to start a High School there.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : झरिया और धनबाद जिलों में स्थिति गम्भीर है और कोयला खान मालिकों ने मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति टालने के लिये कानून और व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। वे लोगों को पीट रहे हैं और उन्होंने झरिया कोयला क्षेत्र में बाहर से 500 गुण्डे मंगाये हैं। प्रबन्धकों ने कर्मचारियों पर अचानक हमला किया है और पुलिस के साथ मिलकर वहां 500 गुंडे लगाये हैं ताकि वे पुराने स्थायी श्रमिकों से जो कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट की ठीक तथा शीघ्र क्रियान्विति के लिये जोर दे रहे हैं, छुट्टी पा जायें। हमारे दल के एक यूनियन नेता की मधुबनी कोयला खान में सभी के सामने निर्मम हत्या की गई है। हम चाहते हैं कि सरकार इस गुंडागर्दी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे और सरकार बताये कि वह इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : बिहार में बिजली की दर इतनी अधिक बढ़ा दी गई है कि उसका सिंचाई के लिये प्रयोग करना मुश्किल हो गया है। इसलिये, इन दरों में कमी की जानी चाहिए।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्यों ने कई बातें उठाई हैं और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। जहां तक गंगा बेसिन का सम्बन्ध है, जहां बाढ़े आ रही हैं और भूमि कटाव हो रहा है, मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता किन्तु मैं राज्य सरकार के पास उसके विचारार्थ जानकारी भेज दूंगा।

जहां तक जूट की प्रति एकड़ पैदावार के बारे में श्री भोगेन्द्र झा द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे बताया गया है कि उसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा चुका है।

जहां तक बिहार क्षेत्र में लाख उद्योग का सम्बन्ध है, यह योजना वहां दूसरी पंचवर्षीय योजना से चल रही है और चौथी योजना की अवधि में चलती रहेगी।

जहां तक बिहार में केनिंग उद्योग का सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार वहां आम, लीची, पपीता आदि फलों के प्रोसेसिंग के लिये उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पूर्णिया जिलों में चार प्रोसेसिंग कारखाने हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री रामावतार शास्त्री तथा ज्योतिर्मय बसु ने भी कुछ बातें उठाई हैं जिन पर मैं अपना टिप्पण लिखकर बिहार सरकार को विचारार्थ भेज दूंगा।

श्री योगेन्द्र शर्मा : गन्ने के मूल्य के बारे में मैं समझता हूं कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गन्ने का मूल्य 9 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित करने की सिफारिश की है, जबकि किसानों को इस समय केवल 7.27 रुपये मिल रहा है। क्या सरकार इस सिफारिश पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास होगी, मैं मालूम करूंगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) **:** मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विनियोग विधेयक या आय-व्ययक पर बिहार की विधान सभा में लगभग एक महीने तक विचार किया जाता किन्तु यहां पर इसे कितना समय दिया गया। इसे कुल एक घंटे का ससय दिया गया। क्या बिहार के साथ ऐसा व्यवहार उचित है ? मैं इसके लिये किसी अन्य को दोषी न मानकर बिहार के भाग्य और जनतन्त्र को ही दोषी ठहराता हूं।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) **:** इस मामले में हम श्री रंगा का समर्थन करते हैं। बिहार के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिए था।

श्री रंगा : मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ ? यह इसलिये नहीं हुआ कि वहां के विधायक ऐसा करना चाहते थे और वे मिलकर कोई सरकार बनाना नहीं चाहते थे। वहां पर विधायक मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। हरिहर सिंह के साथ बहुमत था और वह दूसरे दलों के सहयोग से सरकार बना सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेसियों को मिली-जुली सरकार के विचार को मान लेना चाहिए था। यदि बिहार में कांग्रेस के सहयोग से मिली-जुली सरकार बन गई होती तो बिहार विधान सभा में इस पर विस्तार से चर्चा की जाती। मांगों पर चर्चा के दौरान बिहार के लोगों की शिकायतों और आवश्यकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जाता, किन्तु ऐसा अवसर न मिल सका। इसका कारण यह है कि शासक कांग्रेस दल संगठन कांग्रेस के समीप न आ सका। यदि वे दोनों मिलकर मिली-जुली सरकार बना लेते तो बिहार में विधायकों को यह अवसर मिल जाता। अतः मैं कांग्रेस के दोनों गुटों पर यह आरोप लगाता हूं कि उन्होंने भारतीय जनतन्त्र को असफल बनाया है। मैं उन्हें अब भी यह परामर्श देता हूं कि वे एक दूसरे के समीप आकर तथा अन्य दलों के सहयोग से बिहार में मिली-जुली सरकार बनायें और लोगों को यथासम्भव अच्छा शासन प्रदान करें।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मिली-जुली सरकार तभी बन सकती है, यदि समस्याओं और सिद्धांतों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण एक-सा हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार राज्य की संचित निधि से वित्तीय वर्ष 1969-70 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the enacting formula and the long title were added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है इस विधेयक के माध्यम से भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में संशोधन किया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ आयोग द्वारा रेशम उद्योग के बारे में की गई सिफारिशों से सम्बन्धित सरकारी निर्णय को क्रियान्वित किया जा सकेगा। माननीय सदस्यों को पता है कि रेशम उद्योग को दिया गया संरक्षण 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने जा रहा है। टैरिक आयोग के रेशम उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्रतियां और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प की प्रति सभा-पटल पर रखे जा चुके हैं। टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन तथा रेशम उद्योग से सम्बन्धित सिफारिशों का सारांश सदस्यों में पहले ही वितरित किया जा चुका है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार ऐसे प्रत्येक विधेयक या संशोधन को जिसमें अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित बातों में से किसी एक के बारे में कोई उपबन्ध किया गया हो, प्रस्तुत करने या उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य होती है। इस विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के लिए तो राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त है किन्तु उस पर विचार किये जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं हैं। अतः इस विधेयक पर विचार उसी समय किया जा सकता है जबकि ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त हो जाये। मंत्री महोदय को पहले यह सिफारिश प्राप्त करनी चाहिए।

चौधरी राम सेवक : राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ली जा चुकी है। पहले से ही ऐसा होता रहा है। अतः मेरे विचार से व्यवस्था के प्रश्न में कोई औचित्य नहीं है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : जहां व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, वहां अब तक चली आ रही प्रथा को पूर्व उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर विचार करने से पूर्व राष्ट्रपति की अलग-अलग सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : मंत्री महोदय जिस ढंग से अब तक चली आ रही पद्धति को उद्धृत कर रहे हैं, मुझे उस पर आश्चर्य होता है। एक गलत पद्धति को ठीक करने के बजाय वह उसकी वकालत कर रहे हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से जो लिखा है, उसकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक नहीं है, यह तो संशोधन है। विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए तो राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त हो गई है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : आपसे अनुरोध है कि अपना विनिर्णय देने से पूर्व आप कुछ अन्य सदस्यों के तर्क भी सुन लें। अन्यथा आप कठिनाई में पड़ जायेंगे।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, it is clear from article 117 (1) that the recommendation of the President is required at both the stages i. e. at introduction stage and at moving stage. If Government want to move this Bill for consideration they have to seek the recommendation of the President again. The same practice is followed in case of amendment too. This time Government have obtained the recommendation of the President for introduction and not for consideration of this Bill. Hence I request that Government should be asked to seek President's recommendation for consideration of this Bill. Till then they should not be allowed to move it for consideration.

चौधरी राम सेवक : अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत हम विधेयक को पुरःस्थापित करने और उस पर विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक साथ ही सिफारिश प्राप्त करते रहे हैं।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उनके पास राष्ट्रपति की सिफारिश इस बात के लिए नहीं है कि विधेयक पर विचार किया जाये। पिछली पद्धति के

आधार पर संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उनका तर्क निराधार है और उसमें कोई सार नहीं है। अनुच्छेद 117 न केवल विधेयक पर बल्कि संशोधन पर भी लागू होता है। विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने तथा उस पर विचार किये जाने के लिए अलग-अलग सिफारिश की आवश्यकता होती है जबकि संशोधन को विचारार्थ रखने के लिए इस अनुमति की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था सरकार और अन्य सदस्य सभी के लिए है। कोई भी पीठासीन अधिकारी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। संविधान का उल्लंघन करने के अपराध को कोई भी क्षमा प्रदान नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : प्रक्रिया यह रही है कि विधेयक के लिये राष्ट्रपति की दो बार अनुमति नहीं ली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया है मेरा अभिप्राय यह है कि जो प्रक्रिया चल पड़ती है वह अन्ततः कानून का ही रूप धारण कर लेती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की अनुमति लेना एक अत्यन्त सामान्य औपचारिकता है। मेरे विचार से शायद ही इस सभा में कभी ऐसा हुआ हो कि उनकी अनुमति ली गई हो। अब हमें सभा का समय नहीं नष्ट करना चाहिये क्योंकि सभा के प्रत्येक मिनट का मूल्य 3000 रुपये होता है। औपचारिकताओं के चक्कर में पड़कर हमें सभा का मूल्यवान समय व्यर्थ नहीं करना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : जब हम संविधानुसार यहां किसी विधेयक पर विचार करते हैं तो हमें संविधान के अधीन बने उपबन्धों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का भी पालन करना होता है। कोई नियम संविधान का उल्लघन नहीं कर सकता। नियम 68 में लिखा है कि किसी विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की अनुमति, अस्वीकृति अथवा सिफारिश आदि के बारे में सम्बंधित मंत्री द्वारा सचिव को सूचना दी जानी चाहिये। नियम 348 यह स्पष्ट करता है कि किसी विधेयक की पुरः स्थापना, उस पर विचार, उसके सम्बन्ध में संशोधन आदि किस प्रकार प्रस्तुत किये जाएं। अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में उचित निर्देश देते हैं। संविधान की धारा 117 के अनुसार विधेयक को पुरः स्थापित करने अथवा प्रस्तुत करने का अभिप्राय ही यह होता है कि विधेयक पर विचार किया जाय। संविधान के उपबन्धों के अनुसार इसका यही अर्थ है।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : चर्चित विषय के बारे में नियम 348 लागू होता है जिसमें कहा गया है कि : "राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक, प्रस्ताव अनुदान की मांग या संशोधन की विषय वस्तु से सूचित किये जाने के बाद पुरः स्थापित किये जाने या संशोधन के प्रस्तुत किये जाने के लिये अपनी पूर्व मंजूरी प्रदान करता है अथवा सभा में विधेयक के पुरः स्थापित किये जाने या प्रस्ताव, अनुदान की मांग या संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की सिफारिश करता है अथवा सभा में विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता है।"

इसके साथ ही, धारा 117 का मनन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों बातों के लिये राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी चाहिये। मन्त्री महोदय पिछली प्रक्रिया का सहारा ले रहे हैं परन्तु सम्भव है इससे पूर्व ऐसा कोई प्रश्न ही न उठा हो। अब श्री मिश्र को यह बात सूझी है। अतः हमें ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिये जिसको बाद में सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर दे। फिर राष्ट्रपति कोई हजारों मील दूर तो नहीं हैं। विधेयक 24 घण्टे के बाद भी पेश किया जा सकता है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : According to Article 117 (1), it is quite essential to get President's recommendation in such matters. I have got a copy of The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1969. This is an amendment Bill but here also on page-5, it is written "The President, having been informed about the subject matter of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1969, has recommended to the House for the consideration of the Bill under Article 117 (3) of the Constitution."

It makes quite clear that there should be a clear recommendation from the President. Until it is obtained, the consideration of the Bill may be postponed.

Secondly, when there is ample staff and officers with the Government why are they not able to bring in a Bill which is complete in all respects ?

श्री रघुरामैया : किसी संशोधन को पुरःस्थापित नहीं किया जाता बल्कि उसे प्रस्तुत किया जाता है। धारा 117 (1) के अनुसार किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये या किसी संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होती है। इस सम्बन्ध में धारा 117 (3) लागू नहीं होती। यह धारा तो तब लागू होती है जब कि भारत की संचित निधि से कुछ खर्च करने का मामला हो। और उस सम्बन्ध में ऐसे खर्च की कोई बात नहीं हैं। अतः धारा 117 (1) के अधीन प्राप्त की गई सिफारिश ही काफी है।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : धारा 117 (1) में पुरःस्थापित (Introduced) तथा प्रस्ताव करना (move) दो शब्द दिये गये हैं तथा नियमों के अनुसार कैसे पुरःस्थापना की जाये, इसके बारे में नियम 74 में बताया गया है। पुरःस्थापना के पश्चात कोई भी प्रस्ताव पुरः स्थापना के लिये प्रस्तुत नहीं होता। अतः पुरःस्थापित करने तथा प्रस्ताव करने दोनों के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है।

संसदीय कार्य मंत्री ने नियम 348 का हवाला दिया है परन्तु उस नियम को अन्त तक नहीं पढ़ा। इसके अनुसार प्रत्येक कार्यवाही के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना अनिवार्य है। परन्तु यहां विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली गई है। अतः वह विधेयक को प्रस्तुत नही कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : सभा में मुख्य विषय यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिये तो राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की गई है परन्तु उस पर विचार करने के हेतु प्रस्तुत

करने की नहीं । अपना निर्णय देने के पूर्व मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस विधेयक से भारत की संचित निधि में से कोई खर्च होने की भी बात है ?

श्री रघुरामैया : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा का ध्यान धारा 117 (3) की ओर आकर्षित करता हूं जिसके अनुसार यदि विधेयक के अधिनियम बनने तथा लागू होने के परिणाम स्वरुप भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़ता है तो उसको विचारार्थ रखने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना जरूरी है । परन्तु सरकार ने स्पष्ट बताया है कि इस बारे में भारत की संचित निधि से कोई खर्च नहीं होगा । इस लिये विधेयक को विचारार्थ पेश करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

चौधरी राम सेवक (जालौन) : भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की पहली सूची मद 46 के अनुसार, कच्चे रेशम पर संरक्षण शुल्क की सांविधिक दर यथा मूल्य 60 प्रतिशत और 8 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम है । मूल्यांकन के समय, 6 जून, 1966 को यह शुल्क भारतीय टैरिफ अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन दी गई अधिसूचना द्वारा कम करके यथामूल्य 50 प्रतिशत और 8 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया गया था । जापान के कच्चे रेशम में भारी बढोतरी तथा फलत: आयात में कमी को दृष्टि में रखते हुये तथा देशी कच्चे रेशम की देश में भारी वृद्धि को देखते हुए 28 मार्च 1968 को एक और अधिसूचना जारी की की गई और कच्चे रेशम पर संरक्षण शुल्क को घटा दिया गया तथा इस पर बिना कोई अन्य विशिष्ट शुल्क लगाये यह दर यथा मूल्य 30 प्रतिशत कर दिया गया । उसी समय से कच्चे रेशम के आयात पर संरक्षण शुल्क की प्रभावी दर उसी स्तर पर चली आ रही है । टैरिफ आयोग ने शुल्क की उस प्रभावी दर पर संरक्षण जारी रखने की सिफारिश की है और इसके लिये आवश्यक व्यवस्था इस विधेयक में की गई है ।

रेशम उत्पादन उद्योग को संरक्षण देने वाली इस योजना के अन्तर्गत कच्चे रेशम के उत्पाद जैसे सिल्क यार्न, सिल्क, सिलाई धागा, सिल्क के वस्त्र तथा बचा हुआ रेशम आदि आते हैं सिल्क यार्न, तथा सिल्क वस्त्रों आदि की विभिन्न किस्मों पर संरक्षण शुल्क स्तरानुसार है ।

प्रशुल्क आयोग ने रेशम उत्पादन उद्योग के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में कुछ गौण सिफारिशें भी की हैं । उन सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों के बारे में संकल्प में घोषणा कर दी गई है तथा वह संकल्प पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है । इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा रही है । वर्तमान विधेयक में रेशम तथा रेशम उत्पादों को संरक्षण देना जारी रखने के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग की सिफारिशों को लागू करने की व्यवस्था की गई है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को विचारार्थ रखने का प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विद्यार्थियों और युवकों की मांगों के बारे में याचिका

PETITION RE : DEMANDS OF STUDENTS AND YOUTH

Shri Rabi Ray (Puri) : I present a petition signed by Shri Surendra Vikram and others regarding demands of students and youth.

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक—जारी

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : हमने संवैधानिक और अन्य मामलों पर काफी समय खर्च कर दिया है। इस विधेयक के लिये दो घण्टे का समय नियत किया गया है। सभी दल इस नियत समय के अन्दर ही अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करें।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : रेशम उत्पादन उद्योग एक अत्यावश्यक उद्योग है। देश में जो उत्पादन होता है वह बहुत कम है और इसका काफी मात्रा में आयात किया जा रहा हैं। टैरिफ आयोग ने आवश्यक जांच करने पर यह सिफारिश की है कि इसे संरक्षण की आवश्यकता है।

टैरिफ आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। यह आवश्यक है कि इस महत्वपूर्ण उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और विदेशों को स्पर्धा से इसको संरक्षण मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : टैरिफ आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है। परन्तु मुझे इस बात का बहुत दुख है कि टैरिफ आयोग के महत्व को कम किया गया है और सरकार ने इसको समुचित संरक्षण प्रदान नहीं किया है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि टैरिफ आयोग को एक भिन्न रूप दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि आयोग का नाम क्या रखा जाना चाहिये। मुख्य तो बात यह है कि टैरिफ आयोग के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिये। ताकि इसको दक्ष सेवा का राष्ट्र के हित में अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके।

सरकार को शिकायत है कि टैरिफ आयोग ने अपना प्रतिवेदन देने में काफी समय लगा दिया है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि आयोग अपनी कार्य-प्रणाली को सरल और कारगर बनाये और अपने अपेक्षित कर्मचारियों के साथ यह देखे कि उनके प्रतिवेदन शीघ्र निपटाये जाएं।

किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारण करते समय टैरिफ आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मशीनों को बदलने के लिये राशि नियत करे क्योंकि बहुत से उद्योग में

मशीनें पुरानी हो गई हैं और उनके बदलने की आवश्यकता है। टैरिफ आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जो पूंजी लगाई गई है उसको अच्छा लाभ मिले। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्योग का समुचित रूप से विकास हो और वह इस उद्योग का विस्तार करने के लिये लाभों को दोबारा विनियोजित करने में समर्थ हो। उस शासन में, जहां मुद्रा स्फीति होती है यह आवश्यक है कि टैरिफ आयोग वृद्धि सम्बन्धी उपबन्ध की भी व्यवस्था करे। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी वस्तु विशेष की कीमतों में जिसमें कच्चे माल और विभिन्न संघटकों की कीमतें आती हैं, वृद्धि होती हैं, उस समय जो कीमतें टैरिफ आयोग द्वारा मंजूर की जाती हैं उन्हें स्वतः बढ़ा देना चाहिये।

टैरिफ आयोग की समीक्षा समिति ने यह कहा है कि कीमतों पर सांविधिक नियंत्रण करते समय टैरिफ आयोग से सदैव परामर्श लिया जाना चाहिये। परन्तु कभी-कभी यह होता है कि कोई सरकारी विभाग कुछ पूर्व निर्धारित कीमतें लगाने का निर्णय ले लेता है और उसके बाद एक तदर्थ समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है। यह उस परम्परा सम्बन्धी वैध प्रक्रियाओं का उल्लंघन है जो कि स्थापित की गई है कि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सभी मामले टैरिफ आयोग को भेजे जायेंगे। यह ठीक नहीं है।

अब मैं टैरिफ आयोग के कृत्यों के बारे में दो मुख्य बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कार्य कुशलता से काम नहीं कर रहा है जिससे कीमतों में सभी ओर से वृद्धि हो रही है। संचालन व्यय अधिक होने के कारण अधिकतर सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं। यदि इन उपक्रमों को कुशलतापूर्वक कार्य करना है तो यह आवश्यक है कि उनकी कीमतों और व्यय पर समुचित रूप से नियंत्रण किया जाय। यह भी आवश्यक है कि टैरिफ आयोग द्वारा लागत घटाने के लिये सतर्कता अध्ययन किये जायं। सरकारी उपक्रम के उत्पादन की कीमतों का निर्धारण करने के मामले भी टैरिफ आयोग के सुपुर्द किये जा सकते हैं।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

टैरिफ आयोग ने चुने हुए औद्योगिक उत्पादनों के मूल्यों और लागतों के सम्बन्ध में जो अध्ययन किया था, योजना आयोग को उसको स्वीकार करना चाहिये। इससे सरकार को औद्योगिक उत्पादों, कच्चे माल और मध्यवर्ती माल की कीमतों के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण नीति बनाने में सहायता मिलेगी।

यह सिफारिश की गई है कि समवाय विधि विभाग को लागत सम्बन्धी लेखा परीक्षा निर्धारित करते समय टैरिफ आयोग से सलाह लेनी चाहिये। समवाय अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि चार्टर्ड ए काउन्टेंट के लिये योग्यता निर्धारित की जायेगी। परन्तु समवाय विधि विभाग ने पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से अभी तक कोई योग्यतायें निश्चित नहीं की हैं। सम्भवतः यह सोचा गया है कि लेखा परीक्षा का काम लागत लेखापालों को मिलना चाहिये। वास्तविकता यह है कि लागत लेखापालों का व्यवसाय उस सीमा तक विकसित नहीं

हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रबन्ध अभिकरण कुछ मामलों में अपने ही दलों से लागत लेखा परीक्षकों को ले लेते हैं और नाम मात्र के लिये ही लागत लेखा पाल फर्मों को नियुक्त करके उन्हें लागत लेखा परीक्षा का काम दे देते हैं। इस प्रकार से लागत लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यह देश के हित में है कि लागत लेखा परीक्षा का व्यवसाय उन्नतिशील हो।

पिछले कुछ वर्षों में रेशम कीट पालन उद्योग की उन्नति संतोषजनक नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि टैरिफ आयोग रेशम कीट पालन उद्योग को संरक्षण प्रदान करे और यह भी सुनिश्चित करे कि सरकार भारतीय रेशम कोषों की किस्म में सुधार करने के लिये प्रयत्न करे ताकि यह उद्योग अपने पूरे उत्कर्ष पर पहुंच सके और अच्छी किस्म का उत्पादन कर सके।

कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF SOME MEMBERS

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The Police resorted to Lathi Charge and manhandled women on a peaceful procession of Young Students before Parliament House. They have come from all over India to ventilate their demands. Their main demands were to grant franchise to every man who has attained the age of 18 years ; unemployment allowance to the unemployed people. These poor students have been beaten mercilessly and brutally by the police. Prohibitory orders under Section 144 which was promulgated in the area should be lifted and the people should be allowed to have peaceful demonstration. Judicial inquiry should be ordered into the police excesses on the students and the arrested students be set free atonce.

Shri George Fernandes (Bombay South) : Prohibitory orders under Section 144 should be lifted for ever from this area.

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : I want to give a new information. (**interruptions**)

Mr. Chairman : The House has been informed by the leader as well as deputy leader of your party, which has been recorded and the matter is before the House and the Hon. Minister.

Shri Ram Sewak Yadav : Shri Janeshwar Misra, M. P. has been manhandled and has been arrested.

Shri Arjun Singh Bhadoria : Police excesses on the poor demonstrators is an injustice to them ; and it will not be allowed to go.

Mr. Chairman : Nothing shall go on record, if the Hon. members would go on speaking like this.

Shrt Arjun Singh Bhadoria ; **

Shri Ram Sewak Yadav : Since an Hon'ble Member of Parliament has been manhandled and arrested the Hon. Minister of Parlimentary Affairs should provide the House with complete information regarding his injuiries etc.

Shri Arjun Singh Bhadoria : **

Mr. Chairman : Nothing will go on record.

**Not Recorded.

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक—जारी
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे देश के रेशम उद्योग को उचित संरक्षण मिला है। यह उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है। सहस्रों वर्षों से विश्व भर में भारतीय सिल्क का प्रयोग होता आ रहा है। अंग्रेजी शासन काल में फ्रांसीसी सिल्क लोगों में बहुत प्रिय थी और भारतीय सिल्क को लोग बहुत कम जानते थे। पर अब इस अन्तराल में भारत वासी ही नहीं अपितु विदेशी भी भारतीय सिल्क की सराहना करने लगे हैं। रेशम उत्पादन उद्योग को कुटीर उद्योग में परिणत करके इस उद्योग के लिये काश्मीर तथा मैसूर जैसे उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में इस उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए।

हमारी सिल्क की मांग हर जगह है और इसका अधिकतम निर्यात करने के लिये हमें इसका कम प्रयोग करना होगा। संसार भर में भारतीय सिल्क को प्रसिद्ध तथा लोक प्रिय बनाने के लिये हमें हर सम्भव कार्य करने चाहिये। इस उद्योग को वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : तटकर शुल्क आयोग की इस चेतावनी के बावजूद कि यदि रेशम पर से आयात शुल्क में कटौती की गई तो इससे न केवल इस उद्योग की वृद्धि में बाधा पड़ेगी अपितु इसका अस्तित्व ही प्रभावित हो जायेगा, सरकार ने फिर भी आयात शुल्क में भारी कटौती कर दी है।

अब देखना यह है कि इस कटौती से क्या इस उद्योग में कुछ प्रगति हुई है ? यह कटौती उचित नहीं है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण इस उद्योग को निरन्तर हानि हो रही है। तटकर शुल्क आयोग के अनुसार ही गत चार वर्षों में शहतूत के मूल्यों में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही श्रमिकों के वेतन भी बढ़े हैं। आयोग का यह भी अनुमान है कि विदेशी उद्योग की तुलना में हमारे उद्योग को 32 प्रतिशत की हानि हो रही है, और यह भी पता लगा है कि आयातित जापानी सिल्क का मूल्य स्वदेशी सिल्क के मूल्य से काफी कम है।

सच यह है कि आयातित मूल्य कम होते हुए भी बम्बई से वाराणसी तक आने में उसके मूल्य में 60 रुपये से 260 रुपये तक की वृद्धि हो जाती है। हमारा यह उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। जापान विश्व को 52 प्रतिशत रेशम भेजता है जबकि हमारा उत्पादन केवल पांच प्रतिशत है। उनका प्रति एकड़ रेशम का उत्पादन हमारे उत्पादन से पांच गुना है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जारी की गई कटौती का कोई औचित्य नहीं है। केवल समस्या का विस्तार से अध्ययन करने वाले जानते हैं कि सरकार उद्योग की हत्या कर रही है। जब कच्चे रेशम पर लगा शुल्क 50 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत किया गया था तो रेशम का मूल्य 200 रु० से 170 रु० हो गया था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आयात शुल्क में प्रस्तावित कटौती पर पुनर्विचार करें। मैंने एक संशोधन दिया है जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है जिसमें मैंने पुरानी दरों को लागू करने को कहा है।

मैं भी उद्योग की स्थिति सुधारने के पक्ष में हूं। सरकार टैरिफ आयोग के विविध सुझावों पर क्या कार्यवाही कर रही है। हमें अपने बेकार रेशम का निर्यात नहीं करना चाहिए। रेशम के उत्पादन के लिये काश्मीर उपयुक्त स्थान है परन्तु वहां रेशम का उत्पादन दिनों दिन घट रहा है। उन्होंने रेशम का मूल्य 3.50 रु० प्रति किलो रखा है जबकि मैसूर में 7 से 9 रुपये है और बंगाल में 5 से 7 रुपये केन्द्र को काश्मीर राज्य से निर्धारित दर पर लगे अंकुश को हटाने को कहना चाहिए जिससे उद्योग उन्नति कर सके।

शहतूत पर सिंचाई का अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसकी उपज चार गुनी बढ़ जाती है। मंत्रालय 11 करोड़ रुपया बोर्ड पर व्यय करता है। वे वर्षा पर निर्भर शहतूत के विशेषतः मैसूर राज्य के उद्यानों को उपदान क्यों नहीं देते।

पश्चिम बंगाल में अच्छे बीजों के उपयोग को विनियमित करने की आवश्यकता है।

परीक्षण केन्द्रों में रेशम के परीक्षण के लिये उचित उपकरणों का अभाव है। मैसूर के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य का उत्पादन घटा है। इस बारे में मंत्रालय क्या कर रहा है। इसके लिये विद्यमान संरक्षणों को बनाये रखने और टैरिफ आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है। हमें समझना चाहिए कि टैरिफ आयोग अन्तिम सांस ले रहा है। सरकार ने मूल्य आयोग की स्थापना की है जो अब मूल्यों के बारे में कार्य करेगा। सरकार की ओर से बताया गया था कि टैरिफ आयोग भी चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि सरकार ने नया आयोग इसीलिये नियुक्त किया है कि उसमें कुछ साम्यवादी लिये जा सकें जो मूल्यों को घटाकर सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगें।

मैं मंत्री महोदय से अपना संशोधन स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री वि० ना० शास्त्री (लखीमपुर): रेशम उद्योग एक अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हमें भारतीय रेशम के निर्यात के बारे में उल्लेख मिलते हैं। परन्तु कालीदास ने भारत में चीनी रेशम के उपयोग का उल्लेख किया है।

रेशम के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। भारतीय रेशम के परीक्षण के लिये कोई समान स्तर निर्धारित नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छे रेशम की विविध किस्में भारत द्वारा आयात की जाती हैं।

हमारे देश में रेशम बुनाई (स्पेन सिल्क) की केवल दो मिलें हैं ; एक मैसूर में और दूसरी आसाम में इनकी पूरी क्षमता का उपयोग इसीलिये नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के एक नियम के अनुसार आधे अवशिष्ट रेशम का विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। सरकार को आदेश देना चाहिए कि वह रेशम उन दो मिलों को दे दिया जाये।

चार किस्म के रेशम का उत्पादन होता है जबकि केवल मलबरी और टसर दो किस्म के रेशम के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। आसाम और बंगाल में इन्डी और मूंगा रेशमों का पर्याप्त उत्पादन होता है परन्तु भारत सरकार द्वारा उसके साथ भेद भाव किया जाता हैं।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरूत्ताणि) : टैरिफ आयोग की सिफारिशों में संरक्षणात्मक उपाय सुझाए गये हैं परन्तु उतने मात्र से ही सरकार को संतोष नहीं करना चाहिए। रेशम उद्योग, विशेषतः जहां तक दक्षिणी राज्यों का सम्बन्ध है अति प्राचीन उद्योग रहा है। जब मैं हथकरघा रेशम-उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में योरुप गया तब वहां मैंने खादी से बने रेशम की पर्याप्त मांग अनुभव की। कच्चे रेशम की कीमत पर कोई नियन्त्रण नहीं। भारत खादी द्वारा निर्मित रेशम का ही निर्यात कर सकता है। सरकार द्वारा सूचित किया गया कि रेशम का निर्यात 1968 में 2.68 करोड़ से बढ़कर जनवरी से सितम्बर, 1969 तक 8.8 करोड़ रुपये पहुंच गया। अभी भी काफी मांगे योरुपीय साझा-बाजार के देशों से मिल रही है जिन्होंने टैरिफ मुक्त कर दिया है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बुनकरों को सस्ते दामों में सूत मिल सके।

सरकार ने रेशमी सूत की आवश्यकताओं का ठीक मूल्यांकन नहीं किया। 1969 के लिये इसे 999 टन पर आंका गया था और 1974 तक इसके 1276 टन पहुंच जाने की सम्भावना है। इस पर भी सरकार ने देश में अधिक रेशम उत्पादन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की अपितु रेशम कीटों का आयात 7.01 किलों से घट कर 3.17 किलो रह गया है। रेशम-कीटों का पालन-पोषण करने वाले बहुत सी कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं। सरकार को विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों पर ध्यान देते हुये इन लोगों की मदद करनी चाहिए। सस्ते मूल्य पर बीज देने से रेशम के धागे का उत्पादन बढ़ सकेगा।

अन्त में मैं रेशम उद्योग के संरक्षण के लिये सरकार को बधाई देता हूं। सरकार को चाहिए कि रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिये व्यापक कार्यवाही की जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : टैरिफ बोर्ड ऐसी संस्था है जिस पर जनता को कुछ भी विश्वास नहीं है। यह एकाधिकारियों के प्रदर्शन कक्ष की तरह है। मैं आयोग की कुछ हास्यास्पद सिफारिशों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनमें कहा गया हैं कि संरक्षित उद्योगों को माल के उपभोक्ताओं से माल की कीमतों एवं किस्म के बारे में बार बार पूछा जाता है। वास्तव में हम समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया जाता। आयोग के सदस्य अपने लड़कों और सम्बन्धियों के लिये बड़े-बड़े उद्योगों में बड़े-बड़े पदों पर लगाने में सफल रहे हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षित पदार्थों के गुणों एवं मूल्यों से संतुष्ट हैं। वस्तुतः यह आयोग एक व्यर्थ की संस्था है जो एकाधिकारियों की सेवा के लिये कार्य करता है। अतः सरकार को प्रशुल्क आयोग के कार्य तथा पिछले 20 वर्ष से इससे सम्बन्धित व्यक्तियों के आचरण की जांच करनी चाहिये।

अब मैं रेशम-उद्योग को लेता हूं। सरकार की घोर असफलता के कारण इस उद्योग को काफी हानि पहुंची है। भारत में 32 लाख लोग रेशम-उद्योग में लगे हुये हैं फिर भी उत्पादन की दृष्टि से हमारा स्थान संसार में चौथा है। 1966 से लेकर अब तक इसके विकास की दर 2 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। हम अपना समस्त रद्दी रेशम बहुत ही कम मूल्य पर निर्यात कर देते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे यहां साफ करके कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिये।

हमारी रेशम की किस्म के बारे में इसमें कहा गया है कि इस सम्बन्ध में बहुत शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हमारी रेशम संसार में सबसे निचले स्तर की रेशम से भी घटिया है। मंत्री महोदय जनता के पैसे पर आनन्द करने वाले नौकरशाहों से घिरे रहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में गहरा अनुसंधान होना चाहिये और रेशम-उद्योग में सुधार के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये। रेशम-उद्योग में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक कि इस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जायेगा। बहरामपुर रेशमकीट अनुसंधान संस्थान के मजदूरों में बड़ा असंतोष है उनको जो आश्वासन दिया गया था कि राज्य के बाहर उनकी बदली नहीं की जायेगी, उस आश्वासन को भंग किया गया है। इस कारण मजदूरों में बड़ा असंतोष है यदि आप इस मानवीय पहलू की उपेक्षा करेंगे तो हमारा रेशम-उद्योग प्रगति नहीं कर सकता।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : सभापति महोदय, परिचालित की गई टिप्पणियों में कहा गया है कि 28 मार्च, 1968 से कच्चे रेशम पर संरक्षण शुल्क यथा मूल्य 30 प्रतिशत लगा दी गई है जब कि विधेयक में दी गई अधिनियम की प्रति में यह 60 प्रतिशत दिखाया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसको स्पष्ट करें।

इसके अतिरिक्त, संरक्षण प्रशुल्क का उद्देश्य उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध सहायता देना है। प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनुसार उद्योग को 32 प्रतिशत हानि हो रही है जब कि संरक्षण प्रशुल्क 30 प्रतिशत ही स्वीकार किया गया है। इस 2 प्रतिशत की कमी को पूरा न करने का क्या उद्देश्य है? हमारा उत्पादन मांग के मुकाबिले में लगभग 10 प्रतिशत ही है। यदि यही हालत चलती रही तो मांग किस प्रकार पूरी की जायेगी? यदि आयात द्वारा इस मांग को पूरा किया जाता है तो इसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। अतः यह सुझाव ठीक ही है कि हमें घरेलू उपभोग में कमी करनी चाहिये। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसा कि टसर आदि जिनको संरक्षण की तो आवश्यकता नहीं है किन्तु उनके निर्यात के लिये प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

रद्दी रेशम हम भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। यदि इसकी कताई को प्रोत्साहन दिया जाये तो हमें रद्दी रेशम निर्यात करके निर्मित उत्पाद आयात नहीं करने पड़ेंगे। हमारा रेशम उद्योग मुख्य रूप से एक घरेलू उद्योग है और इसमें लगभग 32 लाख व्यक्ति काम करते हैं। उन्हें रोजगार देने के लिये हमें अधिकाधिक कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहिये। सरकार जिस नीति का अनुसरण करती रही है उससे न तो उद्योग को ही लाभ पहुंचा है और नहीं श्रमिकों को।

एक अन्य विधेयक परिचालित किया गया है जिसका उद्देश्य प्रशुल्क अधिनियम को समाप्त करने का है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर यह संशोधन विधेयक क्यों लाया गया है। सरकार को अधिसूचना के द्वारा ही अधिनियम के अन्तर्गत कमी करने की शक्ति प्राप्त है। अतः संरक्षण का समर्थन करते हुए मैं संरक्षण के स्वरूप और विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : इस विधेयक में शुल्क सम्बन्धी सुझावों को छोड़कर रेशम उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने सम्बन्धी कोई सुझाव नहीं है। मेरे अपने क्षेत्र में इस कुटीर उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है और अधिकांश परिवार बेकार बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वहां कच्चे माल की भी कमी है।

इन बेकार बुनकरों को काम देने के लिये कुछ व्यापारियों ने उनके सामने प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्तावों के अनुसार बुनकर टसर और सिल्क तैयार करके देंगे और उनको कुछ मजूरी मिलेगी। इन लोगों की उपेक्षा के लिये मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं। हमारे देश में रेशम उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी है फिर न जाने क्यों सरकार कच्ची रेशम का निर्यात करती है? हमें अपने उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे अधिक लोगों को रोजगार दे सकें। यदि सरकार ने संरक्षण शुल्क में वृद्धि नहीं की तो बड़ी खतरनाक बात होगी।

मेरा अन्तिम सुझाव यह हैं कि सरकार द्वारा अनुसन्धान किया जाना चाहिये। प्रशुल्क आयोग के सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री ज्योतिमय बसु की बात से सहमत हूं कि इस आयोग ने केवल उद्योगपतियों के हितों की ओर ही ध्यान दिया है न कि श्रमिकों के हितों की ओर।

श्री सुदर्शनम (नरसारावपेट) : **हमारे देश में रेशम उद्योग का विशेष महत्व है। इस उद्योग से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। 1965-66 में इससे लगभग 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और गत वर्ष यह लगभग 8.5 करोड़ रुपये थी। जम्मू तथा काश्मीर में यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में है। इस उद्योग का विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है। रेशम उद्योग के बारे में अनुसन्धान के लिये और अधिक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस उद्योग को दी जाने वाली राशि बढ़ायी जानी चाहिये।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : First of all I would like to say something about the Tarrif policy. It is not as clear as it ought to be. Our Country is a member of commonwealth. We should get some concession from Britain. Now Britain is proposing to levy 15 percent duty on our exports to that country. It will have adverse effect on our export trade. I want to know the details of talks, that have taken place with the delegation of Britain. The UNCTAD had recommended to developed countries to increase imports from developing countries. Government should take action in this matter and take advantage in this regard.

There is a lot of confusion in our export policy regarding silk goods. Our embassies are doing nothing in this regard. We should streamline our propaganda machinery in Europe and America. More concessions should be given to silk industry. In other country upto date means of production are being put use to. We should also do likewise. We should modernise the means of production of Khadi also. New machinery should be made available to producers.

**मूल तेलुगू के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of original speech delivered in Telugu.

As regards protective duty on Silk there has been a revision on the basis of ad valoram price but there had not been any revision on the basis of kilogram. Therefore no benefit shall accrue to the silk industry. It can be useful if silk industry is given some incentive. I doubt very much if in this way they can help silk industry. I want the Hon. Minister to clarify these points.

In Bhagalpur in Bihar silk industry is being encouraged with Japanese collaboration. I want to know whether any surveys has been conducted in North Bihar for this industry? I want to know further whether this industry would be brought under cooperative sector? I welcome this Bill.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : I feel Government is spending too much on big industries and the small scale industries are being neglected. Silk industry is a very old industry in our country. Its growth has been slowed down. It is not good. There are about 32 lakh person engaged in this industry.

In Bhagalpur in Bihar silk industry has an important place. We should encourage it in other places also and stop the import of silk. I want to know the steps being taken by Government to encourage this industry.

It should be developed on the lines of small scale industries. The small producers of silk should be provided necessary protection. It will help in rapid expansion and development of this industry.

Government provides protection to certain other industries. I find that action has been taken to fix price-structure of alcohol also, but its price has not been fixed so far. Bihar Government has imposed a higher off take fee on alcohol. This high incidence of tax is providing disortions to the industry. I suggest that Tariff Commission should adopt a uniform policy for entire country in regard to the industries so that the distilleries in Bihar may be saved form closure.

The export of raw silk should be regulated so that we may be able to earn more foreign exchange.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे रेशम के निर्यात में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। हम इसमें और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। कुछ मिलों ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। अतः हमने कच्चे रेशम का निर्यात आरम्भ कर दिया। अब हम भागलपुर में एक और मिल की स्थापना करवा रहे हैं। यह मिल 1971 तक उत्पादन आरम्भ कर देगी।

रेशम के बारे में अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये गये। इस बारे में रेशम बोर्ड कार्यवाही कर रहा है। इन केन्द्रों के कार्य से अच्छे परिणाम प्राप्त होने की आशा है। चौथी योजना में अनुसन्धान कार्य पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। योजना के दौरान इसके लिये 88 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। सरकार इस उद्योग में 11 करोड़ रुपये लगाने पर विचार कर रही

है। इसमें से 2 करोड़ रुपये रेशम बोर्ड को दिये जायेंगे। और 9 करोड़ रुपये राज्यों को दिये जायेंगे। उत्पाद की मात्रा बढ़ाना और उसकी किस्म सुधारना राज्यों का कर्तव्य है। इस बारे में हम राज्यों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र ने पूछा था कि टैरिफ अधिनियम (प्रथम अनुसूची) में कच्ची रेशम पर शुल्क की वर्तमान दर को, जिसको अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर के लगाया गया था, सम्मिलित करने के लिये, संशोधन क्यों नहीं किया गया। उस धारा के अन्तर्गत अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। संसद में अधिक कार्य को देखते हुए इस प्रकार के संशोधन की कोई आव श्यकता न थी। अब यह संरक्षण 31-12-1969 को समाप्त हो रहा है, अतः संसद की अनुमति आवश्यक है और सांविधिक अनुसूची में 30 प्रतिशत की लागू दर सम्मिलित करने का यह हमारा पहला अवसर है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण यही है अन्यथा यह संरक्षण 31-12-1969 को समाप्त हो जायेगा।

टैरिफ आयोग मूल्य निश्चित करते समय सभी उचित बातों के लिये व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है। वह परिवर्तित परिस्थितियों पर भी समय-समय पर विचार करता रहता है।

जहां तक मूल्य कम करने के सम्बन्ध हैं, मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विकास मंत्रालय में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय किया और इसकी घोषणा कर दी गई है।

28 मार्च 1968 से 30 प्रतिशत की दर लागू करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाय तो और यदि संरक्षण पर्याप्त न रहे तो सरकार के पास संरक्षण शुल्क में वृद्धि करने के लिये टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4 (1) अधीन पर्याप्त शक्तियां हैं।

जहां तक मैसूर राज्य में सिंचाई की सुविधाओं का सम्बन्ध है, एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत शहतूत की खेती वाले क्षेत्र में पम्पसेट सहित 15,000 कुएं लगा दिये जायेंगे।

रद्दी रेशम का निर्यात इसलिये किया जाता है क्योंकि चन्नापत्तनम स्पन सिल्क मिल मैसूर तथा जग्गी रोड मिल आसाम में देश में पैदा किये जाने वाले रद्दी रेशम का आधा हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है। फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम देश में ही समस्त रद्दी रेशम का प्रयोग करें। इस प्रयोजन के लिये वर्तमान मिलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोबो प्रभु का केवल एक संशोधन है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह ठीक है कि आयात कम है। परन्तु टैरिफ आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि रेशम जैसे विलासमय उद्योग में इस कम मात्रा का भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी समय भी दर में वृद्धि की जा सकती है परन्तु इस समय तो इस उद्योग को बहुत घाटा हो रहा है। फिर भी मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सिल्क बोर्ड की स्थिति पर सावधानी से नजर रखने के लिये कहें। आयात में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि एक वैकल्पिक योजना लोगों के सामने है जिसके अनुसार वे रेशम के स्थान पर रसायनों का आयात कर सकते हैं और वे रसायनों का आयात कर रहे हैं। परन्तु यदि किसी कारण से उन्हें रसायन न मिले तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो जायेगी।

जहां तक रद्दी रेशम का प्रश्न है, टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार हमारे रेशम के कारखानों की 32 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है और रद्दी रेशम के निर्यात में कम से कम इस सीमा तक तो कमी करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

चौधरी राम सेवक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं अध्यक्ष पीठ के विनिर्णय को स्वीकार करता हूं परन्तु इस विनिर्णय का परिणाम यह हुआ है कि हमने राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, इस विधेयक पर सामान्य तथा खण्डवार चर्चा की है। कुछ समय पूर्व जब श्री लोबो प्रभु अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई थी क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति या सिफारिश नहीं दी थी। इसका परिणाम यह निकला कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना सभी खण्ड पारित हो गये। यह केवल प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितता ही नहीं है बल्कि संवैधानिक रूप से गैर-कानूनी हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 117 (1) के अधीन इस मामले को न्यायालय में उठायेगा तो हमें इसके परिणाम के लिये तैयार रहना चाहिए।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि सिल्क बोर्ड को बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरित करने सम्बन्धी सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया

जायेगा । सिल्क बोर्ड की सलाहकार समिति ने इस सम्बन्ध में कई संकल्प पारित किये हैं कि सिल्क बोर्ड देश के हित में बंगलौर से अच्छी प्रकार कार्य कर सकेगा । क्या सिल्क बोर्ड के मुख्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरित न करने का कोई विशेष कारण है ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I support this Bill. The duty is being reduced but I am afraid that the price of silk cloth will be also reduced. The Government should take care of the interests of consumers also.

We should increase production of silk in the country so that we need not import the same. In fact this industry is spread throughout the country and melburry and silk worms are also produced every where. It is therefore imperative that Government should help the silk industry and its workers. Government should extend his help and assistance to the small entrepreneurs.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
Ths Motion was adopted

आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक
ASSAM REORGANISATION (MEGHALAYA) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आसाम राज्य के अन्दर ही मेघालय नाम के एक स्वायत्तशासी राज्य के गठन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संविधान की छठीं अनुसूची के अधीन आसाम के जनजाति क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता प्राप्त है । परन्तु इस स्वायत्तता को पर्याप्त नहीं समझा जाता था और वहां के निवासी यह महसूस करते थे कि उन्हें अपनी राजनीतिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते । इस विचार को ध्यान में रखकर काफी बातचीत की गई और तत्पश्चात हम जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे उन्हें 11 सितम्बर, 1968 के वक्तव्य में सम्मिलित किया गया था । इस वक्तव्य में विचाराधीन योजना ब्योरे का भी उल्लेख किया गया था । इसी में आसाम राज्य के अन्तर्गत एक अलग स्वायत्त राज्य बना कर पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता देने का विचार व्यक्त किया गया है जिसको इस विधेयक में मेघालय नाम देने का विचार है । इस विचार को क्रियान्वित करने के लिये संविधान में संविधान (बाइसवां) संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा संशोधन करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा आसाम राज्य में एक स्वायत्त राज्य बनाने के लिये कानून बनाने की शक्ति संसद् को दी गई थी । इस कानून के पारित हो जाने से संसद् ने पुनर्गठन योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । सभा में जो दलीलें पेश की गई थीं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का प्रयोजन पुनर्गठन योजना में जो ब्योरेवार बातें हैं, उन्हें कार्य रूप देना है ।

इस योजना के अन्तर्गत जिस स्वायत्त राज्य की स्थापना की जानी है, उसे इस राज्य के बीच से ही बनाया जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह राज्य भी स्वायत्त राज्य की भांति ही कार्य करेगा। इस क्षेत्र में अन्य मामलों का जहां तक सम्बन्ध है, आसाम विधान मण्डल और सरकार के अधिकार पूर्ववत् बने रहेंगे। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में, संविधान के अन्तर्गत जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इस विधेयक की धाराएं भी वस्तुतः वैसी ही हैं। विधेयक के सभी खण्डों को व्याख्यात्मक टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं शीघ्रता से कुछ महत्वपूर्ण खण्डों की चर्चा कर दूं।

मेघालय के निर्माण संबंधी व्याख्या खण्ड 3 में की गई है। इसके अन्तर्गत संयुक्त खासी-जयन्तीया पहाड़ियां, जोवाई और गारो पहाड़ियां सम्मिलित की जायेंगी। उत्तरी कछार पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियों के स्वायत्त जिलों को भी कहा गया है कि वे चाहें तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु इसके लिये उन्हें अपनी-अपनी जिला परिषद के कुल सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों की अनुमति लेनी होगी।

श्री रंगा : क्या मिजोलैण्ड भी इसमें सम्मिलित हो सकेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अभी मिजोलैण्ड को सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री रंगा : कुछ समय बाद ऐसा किया जा सकता है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। विधेयक के खण्ड 11 के अनुसार मेघालय की एक विधान-सभा होगी जिसमें 35 से कम तथा 55 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उपरोक्त दो जिलों की इच्छा का पता न लगने के कारण सदस्यों की संख्या निश्चित करते समय इसमें गुंजाइश रख ली गई है जिससे इसमें बाद में आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कमी की जा सके।

इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण खण्ड 33 है जिसका संविधान की द्वितीय अनुसूची के साथ वाचन किये जाने से मेघालय की विधायिनी शक्तियों का पता चलता है। मेघालय की विधान-सभा को जिन स्थानों के संबंध में विधायिनी शक्तियां प्राप्त होंगी वहीं उसे कार्यपालिका शक्तियां भी प्राप्त होंगी। द्वितीय अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें 'क', 'ख', 'ग' तीन सूचियां दी गई हैं। सूची 'क' में राज्य सूची की कुछ मदें सम्मिलित हैं। सूची 'ख' में, संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत समवर्ती सूची की कुछ मदें सम्मिलित हैं। 'ग' सूची में उन बातों का उल्लेख हैं जिन पर आसाम विधान-सभा और मेघालय विधान-सभा दोनों का अधिकार होगा। वस्तुतः इस प्रकार नये राज्य की विधायिनी शक्तियों की व्याख्या की गई है।

खण्ड 5 में मेघालय की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है। खण्ड 51 और 52 में मेघालय के लिये पृथक संचित निधि और आकस्मिक निधि की व्यवस्था है। अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आसाम को इस समय दिये जाने वाले सहायक अनुदान और आयकर तथा संघीय उत्पादन शुल्क में से दिये जाने वाले भाग को आसाम तथा मेघालय के बीच बांट दिया जायेगा। यह व्यवस्था खण्ड 56 में की गई है। खण्ड 62 के अन्तर्गत अभी अस्थाई विधान-सभा की व्यवस्था

की गई है क्योंकि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन आदि किया जाना है। इतने कम समय में यह काम पूरा नहीं हो सकता। इस सभा के सदस्यों को जिला परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जायेगा।

शिलांग के संबंध में भी व्यवस्था की गई है। यह नगर आसाम तथा मेघालय दोनों राज्यों की राजधानी होगा। शिलांग क्षेत्र का काफी विकास किया जायेगा। दोनों राज्यों को समान हितों वाले मामलों के संबंध में परामर्श देने के लिये, खण्ड 63 में एक विशेष समिति के गठन की व्यवस्था है।

वर्तमान आसाम राज्य के दायित्वों तथा आस्तियों को दोनों राज्यों के बीच बांटने के लिये विधेयक की तृतीय अनुसूची में विस्तार से बताया गया है। मूलतः नीति यह है कि मेघालय के पास जो भी कार्य आये हैं, उनसे संबंधित सभी दायित्वों तथा आस्तियों को नये स्वायत्त राज्य को सौंप दिया जाये।

चतुर्थ अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। संविधान की छठी अनुसूची में जिला परिषदों के कार्यों में सुधार करने के लिये जो संशोधन किये गये हैं, उनका विवरण विधेयक की उपरोक्त अनुसूची में है। इस अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार दोनों में से कोई भी राज्य, परिषदों को अधिक अधिकार सौंप सकता है, विशेषकर कृषि, पशुओं की नस्ल सुधारने तथा ऐसे ही अन्य मामलों में यह अधिकार बढ़ाये जा सकते हैं। ऐसा करने का प्रयोजन यही है कि जिला परिषदों को स्थानीय विकास कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लगाया जाये।

इस विधेयक को देश में सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हुआ है और अधिकांश राजनीतिक दलों में इसके लिये सहमति हो गई थी। मुझे मालूम है कि जनसंघ ने इस संबंध में कुछ सन्देह व्यक्त किये हैं किन्तु मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि स्वायत्त राज्य की बात को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है, इसलिये पहाड़ी राज्य के निर्माण के लिये वे भी शुभ कामनाएं व्यक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, इस पर 15 फरवरी, 1970 तक राय जानने के लिये, परिचालित किया जाये।"

Shri Prakash Vir Shastri : I big to move :

"That the Bill to provide for the formation within the State of Assam of an autonomous State to be known as Meghalaya and for matters connected there with, be referred to a select Committee consisting of 16 members, namely :—

(1) Shri Dhireswar Kalita

(2) Shri Shiv Kumar Shastri

(3) Shri Shri Chand Goyal

(4) Shri Arjun Singh Bhadoria

(5) Shri Sheo Narain
(6) Shri Valmiki Chowdhary
(7) Shri Vidya Charan Shukla
(8) Shri Y. B. Chavan
(9) Shri Yogendra Sharma
(10) Shri Hem Barua
(11) Shri D. N. Patodia
(12) Shri Kanwar Lal Gupta
(13) Dr. Surya Prakash Puri
(14) Shri Ram Avtar Sharma
(15) Shri P. L. Barupal
(16) Shri Hem Raj

With instructions to report by the first day of the next Session."

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आसाम राज्य के अन्दर ही मेघालय नाम के स्वायत्तशासी राज्य के गठन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 21 सदस्य हों।" अर्थात्

(1) श्री रा० ढो० भंडारे
(2) श्री बूटा सिंह
(3) श्री यशवन्तराव चह्वाण
(4) चौधरी दलबीर सिंह
(5) श्री धीरेश्वर कलिता
(6) श्री कामेश्वर सिंह
(7) श्री स० कुन्दू
(8) श्री विक्रम चन्द महाजन
(9) श्रीमती शारदा मुकर्जी
(10) श्री नीतिराज सिंह चौधरी
(11) श्री देवकीनन्दन पाटोदिया
(12) श्री क० नारायणराव
(13) श्रीमती सुशीला रोहतगी
(14) श्री मु० यूनस सलीम
(15) श्रीमती सावित्री श्याम

(16) श्री वि० ना० शास्त्री

(17) श्री प्रकाशवीर शास्त्री

(18) श्री शिवनारायण

(19) श्री विद्याचरण शुक्ल

(20) श्री विश्वनाथन

(21) श्री श्रीचन्द गोयल

और इन्हें संसद् के आगामी सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।

श्री ओमप्रकाश त्यागी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, इस पर 28 फरवरी, 1970 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये एक घंटे का समय नियत किया गया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे यथासंभव संक्षिप्त रूप में भाषण दें।

Shri Prakash Vir Shastri : Members who have moved the amendments should be allowed to speak first.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तथा उसके संबंध में जो संशोधन राय जानने के लिये परिचालित किये जाने हैं और प्रवर समिति को सौंपे जाने हैं, वे सभा के समक्ष हैं। इस सम्बन्ध में कितना समय नियत किया जाये, इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया गया था और सभा द्वारा उसकी सिफारिश भी स्वीकार कर ली गयी है।

श्री बलराज मधोक : मैं स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। प्रारम्भ में इसके लिये 3 घंटे नियत किये गये थे। क्योंकि इस सम्बन्ध में जनसंघ को ही कुछ बोलना था और अन्य सभी ने विधेयक का समर्थन किया था इसलिये इस समय को घटाकर एक घंटा कर दिया गया ताकि केवल जनसंघ के सदस्य ही अपने विचार स्पष्ट कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभी को यथासम्भव संक्षिप्त रूप में बोलना चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं इस विधेयक के नाम का तो स्वागत करता हूं, परन्तु इसके उपबन्धों का मैं स्वागत नहीं कर सकता क्योंकि इससे संविधान की इस योजना का परित्याग किया जा रहा है कि एक संसद और राज्य होने चाहिये, संविधान निर्माताओं ने राज्य के अन्दर राज्य की कल्पना भी नहीं की थी।

मेरी दूसरी आपत्ति इस विधेयक पर यह है कि 6 पहाड़ी जिलों में से हम केवल तीन जिलों को ही इस नये प्रस्तावित एककों में मिला रहे हैं और केवल दो जिलों अर्थात उत्तरी कच्छार और मिकिर पहाड़ियों, को ही विलय का विकल्प दे रहे हैं और मिजो जिले को इसमें मिलने का विकल्प नहीं दे रहे हैं। मुझे आशंका है कि बाद में मिजों पहाड़ियों के निवासी अपना अलग स्वायत्तशासी राज्य की मांग करेंगे।

इस विधेयक में कुछ विचित्र उपबन्ध किये गये हैं। उदाहरण के लिये खंड 28 के अनुसार यदि कोई सदस्य अधिवेशन के दौरान दो महीने तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त माना जायेगा। मेरे विचार में यह उपबन्ध कठोर है जो अन्य कहीं भी नहीं पाया जाता। परन्तु आश्चर्य की बात है कि इसका उपबंध यहां किया जा रहा है। शिलांग को आसाम और मेघालय का मुख्यालय बनाया जा रहा हैं। मैं चेतावनी देता हूं कि यहां भी चंडीगढ़ की भांति विवाद उठ खड़ा होगा। यह अच्छा और बुद्धिमता पूर्ण कार्य होता यदि इसको एक ही राज्य का मुख्यालय बनाया जाता। आसाम और मेघालय राज्यों की विधान सभाओं की कार्यपालिका के कार्यों में विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसको सुलझाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा इसी कारण मैंने निवेदन किया था कि इस बारे में जनमत जानना चाहिये अथवा इसको संयुक्त समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। मेरा संशोधन इसी बात पर आधारित है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Three considerations weigh at the time of creating a new State, Firstly the new State should be economically viable, secondly, it has its own Language and thirdly whether it is desirable from strategic angle. Unfortunately all the three considerations are not helping in this case. The Government have acted in a desire to pacify certain parties. There is no reasonable basis which may prove helpful for the creation of the new State.

It is unfortunate that we did not listen to the arguments advanced by those persons who opposed this move. Hence it is my submission that this bill may be sent to the Select Committee for proper scrutiny. We had asked the Hon. Home Minister, when he had brought this bill, to send a Committee for on the spot examination of position before taking any decision. I want to remind that he himself had supported this point.

I want to say an important point that we are creating small States on our borders. Before doing this we should think whether these small States would prove strong enough from strategic point of view.

All these points are very important which merit serious consideration. If we make haste in passing this bill, many difficulties will arise in future. I therefore want that this bill may be sent to the Select Committee for consideration.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I have to raise a point of order. Please see Rule 70, which says that the Bill should be accompained by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating whether they are of normal or exceptional character.

You want to delegate power that appeals from the village courts should lie to regular courts and Governor is being empowered to supervise the District or regional Funds and also see how the money is to be distributed. In this way Clause 66(2) empowers the appropriate Government to adopt existing laws in order to facilitate their application in regard to autonomous State of Meghalaya. This power will be available for a period of two years from the appointed day.

All these powers are not normal. These powers should not have been delegated through rules. Provisions should have been made in the Bill itself, I want to know whether the power delegated to the appropriate Government can be given within rules without forming part of the Bill.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यायोजित अधिकार असाधारण है या नहीं। मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखता, सम्भवतः माननीय सदस्य कुछ अधिकारों से सहमत नहीं हैं। अतः वे इनको असाधारण समझते हैं, इस प्रकार तो मेरे लिये अधिकारों का प्रत्यायोजन करना बड़ा कठिन हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कोई अपवाद की या असाधारण बात नहीं देखता।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक का समर्थन करता हूं, मंत्री महोदय ने बताया है कि दोनों सदनों में इस विधेयक पर चर्चा हो चुकी है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया है, अतः इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विषयों के प्रत्यायोजन के बारे में निर्णय सभी संबंधित पक्षों की राय से ही किया गया है। अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में अधिक समय नहीं लगना चाहिये।

श्री श्री चन्द गोयल ने यह आशंका व्यक्त की है कि शिलांग को दोनों राज्यों की राजधानी बनाने से चंडीगढ़ जैसा विवाद उत्पन्न हो जायगा। मेघालय राज्य का निर्माण आसाम के अंदर किया गया है और विषयों का बंटवारा भी सहमति से ही किया गया है। अतः एक ही राजधानी शिलांग से दोनों राज्यों को चलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने योजना के सिद्धान्तों के बारे में प्रश्न उठाया है। संसद ने इस मामले में पहले ही निर्णय कर लिया है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा।

मैं सभा के सदस्यों से यह अपील करता हूं कि देश में स्वायत्तशासी राज्यों की व्यवस्था का जो नया प्रयोग किया जा रहा है उसे सफल बनाने में वे अपना सहयोग दें। आसाम और मेघालय राज्यों के लोगों से भी मैं यह अपील करता हूं कि वे भी इस प्रयोग को सफल बनाने में समझ से काम लें। मैं यह मानता हूं कि विधेयक के पारित हो जाने के बाद आसाम तथा मेघालय दोनों राज्यों के बीच जो मामले उठेंगे, उन्हें भी मैत्रीपूर्ण ढंग से हल कर लिया जायेगा। इसके साथ ही मैं सरकार के दूसरे प्रस्ताव का जिसमें पूर्वोत्तर परिषद गठित करने की व्यवस्था है, स्वागत करता हूं। उक्त परिषद में आसाम, मेघालय और अन्य पड़ोसी राज्य अपनी सुरक्षा और विकास सम्बन्धी समस्याओं के बारे में मिलकर विचार-विमर्श कर सकेंगे। मुझे आशा है इस बीच नागालैंड भी इस परिषद के लिए अपनी सहमति दे देगा। इस परिषद के माध्यम से सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकीकृत विकास हो सकेगा, जिससे न केवल इस पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि एक दृष्टि से इससे पूरे देश की सुरक्षा और विकास की व्यवस्था होगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ संशोधन भी आये हैं। मैंने संशोधनों को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी के संशोधनों को लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जायेगा तथा अन्य को प्रवर समिति को सौंपा जायेगा। अतः खंडों से सम्बद्ध संशोधन अगली बार लिए जायेंगे।

Shri Om Prakash Tayagi (Moradabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to clarify the stand of Jan Sangh in this respect. We do not oppose the move for safeguarding the interests of the tribal areas of Assam State, but we certainly oppose the way in which the Minister has brought this Bill. We agree with the move of uplifting the backward areas of Assam, but at the same time I would like to emphasize that the Government should see towards the welfare of all hill areas of India. There was agitation by Nagas and as a result Nagaland came into being ; there was agitation by Mizo people and as a result a separate Mizoram was formed and now in the same manner Meghalaya is coming into being. This policy of Government is wrong. This Bill will encourage the people to ask for separate states for their areas. If today a new state is being formed for only four lakh people, tomorrowdemand for seperate states will be made by the people at Chhota Nagpur and the people of Telangana. According to the present policy of the Government these people should be given separate states. Viewing this picture I would like to ask the Government to formulate a definite policy in this respect. If Government want to form Meghalaya, they should make it a full-fledged State. We do not favour the idea of the "State within the State".

The second point I would like to make is that Government are thursting Meghalaya State upon those people of hill areas who do not want it. There are two political parties in that aaea. The Hill People's Party has on experiment basis accepted the proposal of "State within the State" while the Democratic Hill People's Party has not accepted it. Government have included the Garo Hills too in this state and the people of Garo Hill area do not want to be included therein. They are not satisfied with this kind of set up. We are also of the opinion that either it should be a full-fledged state or a union territory. We also want the development of hill tribes of Assam but this Bill will not serve this purpose.

So I want that in order to know the opinion of all leaders of Hill tribes and the opinion of the Hill people, Government should appoint a Joint Select Committee and after taking into account their opinion they should bring a comprehensive Bill.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मुझे वे ही तर्क सुनकर आश्चर्य हुआ है, जिनका उत्तर मैं संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय दे चुका हूं। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने एक बात कही है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि एक बार मैंने कहा था कि यदि आवश्यक हो तो कुछ सदस्यों का एक दल वहां जाकर स्थिति का अध्ययन कर सकता है। विधेयक के पास हो जाने के बाद भी वे वहां जा सकते हैं और अब मेघालय राज्य की सरकार उनका स्वागत करेगी।

जहां तक सुरक्षा के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह दावा करता हूं कि सुरक्षा की समस्या का एक मात्र हल यह विधेयक है। लोगों की राजनीतिक इच्छा को दबाने से सुरक्षा को दृढ़ नहीं बनाया जा सकता।

श्रीमान्, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हम पीछे को क्यों हटें और जनमत जानने के लिये विधेयक को क्यों परिचालित किया जाये या उसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को क्यों सौंपा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

All the amendments were put and negatived

श्री बलराज मधोक : मैं भी विधेयक पर बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब बोलना चाहेंगे या विधेयक के तीसरे वाचन पर ।

श्री बलराज मधोक : मैं अभी बोलना चाहता हूं ।

श्री इ० के० नायनार : यह सामान्य चर्चा है । मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन-सी प्रक्रिया अपना रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं । श्री बलराज मधोक ।

श्री बलराज मधोक : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मुझे मंत्री महोदय के इस कथन पर दुख हुआ है कि विधेयक को जनमत के लिये परिचालित करने या प्रवर समिति को सौंपने की बात करना विधेयक को पारित करने में देरी करना है । हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है । जिस समय इस विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति में विचार किया जा रहा था उस समय भी हमने यह सुझाव दिया था कि इस पर गहन विचार किया जाये । इसपर गृह-कार्य मंत्री ने सुझाव दिया था कि ऐसा हम उस समय कर सकते हैं जब यह विधेयक सभा के समक्ष आयेगा । जो बात उन्हें उस समय ठीक लगती थी वही अब विलम्बकारी युक्ति दिखाई दे रही है ।

यह विधेयक अब पारित होने जा रहा है और हम इसका विरोध नहीं करना चाहते फिर भी मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आसाम में कई क्षेत्रीय इकाइयां है । आसाम की कुल जनसंख्या लगभग एक करोड़ है । पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या 13 लाख है । त्रिपुरा की जनसंख्या लगभग 32, लाख, मनीपुर की लगभग 8 लाख, मिजो क्षेत्र की लगभग $3\frac{1}{2}$ लाख है । नागालैण्ड की जनसंख्या लगभग 4 लाख है । इनमें से प्रत्येक इकाई का स्तर अलग-अलग है । मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र है । त्रिपुरा भी संघ राज्य क्षेत्र है । नागालैण्ड पूर्ण स्तर का राज्य है या कुछ मामलों में वह राज्य से भी अधिक है । आसाम एक राज्य है और मेघालय राज्य के अन्दर राज्य होगा ।

इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि यह समस्या का समाधान ठीक और स्थाई समाधान नहीं है । ऐसा समाधान उस समय किया जाता है जब कि समस्या को हल करने का इरादा न हो या वास्तविकता से बचना हो । दूसरी बात यह है कि यदि आप पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं को तृप्त करना चाहते हैं तो आपको उसे पूरे स्तर का राज्य बनाना चाहिये । उप-राज्य या 'राज्य के अन्तरगत राज्य' का विचार बिल्कुल गलत है । मुझे पूरा डर है कि एक दिन ऐसा होगा जब वे लोग पूरे स्तर के राज्य की मांग करेंगे । इसी आधार पर मैं यह मांग करता हूं कि कुछ दिन बाद उठने वाली समस्या का समाधान पहले ही कर दिया जाये और उसे पूर्ण स्तर का राज्य बना दिया जाये । आप समस्या को छः महीने या एक वर्ष के लिये टाल रहे हैं ।

एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्तर के राज्य रखना ठीक नहीं है। मेरे विचार से सबसे अच्छा समाधान तो यह है कि इसे संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाये जिससे उस क्षेत्र की सब इकाइयां एक ही स्तर की हो जाएं और उन सबको मिलाकर एक पूर्वीय परिषद बना दी जाये। इस व्यवस्था से वह सम्पूर्ण क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में हो जायेगा। सीमावर्ती क्षेत्र के लिये यह व्यवस्था उचित है क्योंकि उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की सुरक्षा आदि की दृष्टि से अधिकजिम्मेदारी होती हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि विधेयक के पास हो जाने के परिणाम स्वरूप जो उपराज्य बनेगा, उससे प्रस्तुत समस्या का समाधान तो होगा नहीं, बल्कि उससे अन्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मैं एक अन्य सुझाव यह देता हूं कि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र के पुनर्गठन के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये।

यह एक बहुत खतरनाक बात है कि हम राज्यों की प्रतिष्ठा को महत्व दे रहे हैं और केन्द्र अथवा समूचे देश की एकता के महत्व को कम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम है और वहां पर राज्य भी छोटे होने चाहिये परन्तु उनका गठन वैज्ञानिक आधारों पर किया जाना चाहिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के पास हो जाने के पश्चात भी समूचे पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। ऐसे आयोग के निर्देश पद बहुत व्यापक होने चाहिये। और इसको इस पूरी समस्या की जांच करनी चाहिये इस समस्या तथा तेलंगाना और विदर्भ जैसी समस्याओं का हल वैज्ञानिक ढंग से ही किया जाना चाहिये।

हमें एक दिन पूर्वोत्तर तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की समस्याओं के लिये भी ऐसा आयोग नियुक्त करना पड़ेगा। परन्तु मेरा निवेदन है कि इन समस्याओं का समाधान करते समय हमें समूचे देश की एकता को ध्यान में रखना होगा। अतः मैं चह्वाण साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने दल के हितों के कारण ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश को हानि हो। मुझे शंका है कि इस विधेयक से देश को हानि होगी और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को इच्छित लाभ नहीं मिलेगा।

मुझे आशा है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं सरकार उन पर विचार करेगी और आश्वासन देगी जिससे कि विधेयक पास करते समय हम यह महसूस करें कि इस समस्या पर सरकार के ये अन्तिम शब्द नहीं है और देश के हित को देखते हुये समस्या के स्थाई दल के लिये कोई प्रस्ताव सभा के समक्ष लाया जायेगा।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : भारत के साम्यवादी दल की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

इस विधेयक से आसाम के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मेरे विचार में आसाम के किसी भी राजनैतिक दल ने अभी तक इस विधेयक का विरोध नहीं किया है।

इस विधेयक से आसाम के पहाड़ी लोगों की पृथक्कता की प्रवृत्ति ठन्डी पड़ जायेगी और दूसरे वे मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर शान्ति से रहेंगे। मुझे आशा है दोनों ओर

से इस विधेयक के उपबन्धों का सहानुभूति तथा सूझबूझ से पालन किया जायेगा। सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न करने वाली भावनाओं की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये। यदि लेनदेन की भावना को स्वीकार कर लिया जाये तो मुझे आशा है कि इस विधेयक से आसाम तथा नये राज्य के लोग भारत के अन्य लोगों को विशेषकर उन भागों में जहां ऐसी ही परिस्थितियां हैं के लिये एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेंगे। यदि आवश्यक हो, तो बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना की समस्या के बारे में इस प्रकार का तजुर्बा किया जा सकता है।

इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि सभा भी इसका समर्थन करेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इस समस्या का जिस प्रकार लोकतंत्रात्मक ढंग से समाधान किया गया है उसके लिये मैं नेताओं को बधाई देता हूं।

यह एक ऐसा समाधान है जिससे सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। अतः भविष्य में भी किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये।

पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के निकट आना है, सद्भावना से एक दूसरे को समझना है और इस समस्या के हल को सफल बनाना है।

मुझे आशा है कि देश की ऐसी ही अन्य समस्याओं को भी इसी प्रकार हल किया जायेगा।

मुझे आशा हैं कि मेघालय के बहादुर लोग देश की सीमाओं की तथा एकता की रक्षा करेंगे।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि ऐसा समझौता हो गया है अन्यथा भावनाओं में तनाव उत्पन्न हो सकता था और स्थिति खराब हो सकती थी।

यदि सरकार सभी समस्याओं के बारे में शीघ्र निर्णय किया करे तो अनेक कठिनाइयों को रोका जा सकता है। सीमा विवादों के बारे में आयोगों के प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं परन्तु सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी प्रकार चण्डीगढ़ तथा अन्य मामलों की समस्याएं हैं। यदि आयोगों की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जाता तो लोगों के लिये इन निर्णयों को स्वीकार करना आसान होता। परन्तु एक अथवा दूसरे दल को संतुष्ट करने के हुआ प्रयत्न करने में सरकार ने प्रत्येक मामले में विलम्ब किया है जिसके फलस्वरूप तनाव उत्पन्न है। विधेयक के उपबन्धों की आमतौर पर संविधान से नकल की गई है ताकि वहां की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सके। मैं महसूस करता हूं कि लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिये यह एक अच्छा तरीका है। यदि किसी राज्य का प्रशासन पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा न करे तथा अच्छी तरह देखभाल करे तो मुझे आशा है कि पृथक राज्य की कोई मांग नहीं करेगा। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशासन चलाने वाले पिछड़े क्षेत्रों की परवाह नहीं करते और इस प्रकार पृथक राज्य की मांग होने लगती है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं गृह-कार्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है जिसपर सभी सहमत हैं। यह एक अच्छी बात है कि एक भी व्यक्ति ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया है।

संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में राष्ट्रपति के विवेक के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में विद्यमान इस त्रुटि को यदि दूर कर दिया जाता तो अच्छा था।

दूसरी अनुसूची के भाग 'ग' के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हो सकता है क्योंकि समवर्ती शक्तियां दोनों को दी गई हैं परन्तु यह नहीं बताया गया कि इनके बारे में पहल किसे करनी है। यदि इस बारे में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध बनाया जाता तो अधिक लाभ दायक होता।

खण्ड 65 में यह व्यवस्था की गई है कि आसाम सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से अधिकारियों का बटवारा कर सकती है। इस बात को सुनिश्चित नहीं किया गया है कि मेघालय पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अधिकारी न थोपे जांय।

अच्छा यह होता कि अधिकारियों के बंटवारे का मामला कुछ समय बाद, मेघालय राज्य पर ही छोड़ दिया जाता।

खण्ड 74 में स्थानीय स्वायत्तशासी सरकारों, पंचायतों आदि के बारे में व्यवस्था की गई हैं। मुझे डर है कि आदिम जाति क्षेत्रों की पंचायतों को समाप्त करना वहां के लोगों की मूल इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करना होगा। ये लोग यह अनुभव करेंगे कि आप द्वारा गठित नई पंचायतें, न्याय पंचायतें आदि ऐच्छिक उद्देश्य को पूरा न करेगी। वस्तुतः हम सभी देश में न्याय पंचायतों के विरुद्ध हैं तथा इन पंचायतों को वहां नहीं गठित किया जाना चाहिये जहां पहले से ही वर्तमान पंचायतें सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

हम और यह सभा इस विधेयक पर गर्व अनुभव करती है क्योंकि यह विधेयक उस क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय में विश्वास व्यक्त करता है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु आगे की ओर उठाया गया यह कदम पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं है। 1962-63 तथा 1967 के चुनावों के दौरान सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन ने एक अलग पर्वतीय राज्य की मांग की थी। काफी संघर्ष के पश्चात्, सरकार ने इस मांग को कुछ सीमा तक स्वीकार किया है परन्तु त्रिपुरा, मणिपुर तथा नेफा क्षेत्र की सभी समस्यायें अभी हल नहीं हुई हैं। नागालैंड को पूर्ण राज्य बनाने की बात पहले ही स्वीकार की जा चुकी है परन्तु पर्वतीय लोगों की एक अलग राज्य की मांग अभी भी मौजूद है।

भारत छोटी-बड़ी, विकसित-अविकसित आदि अनेक राष्ट्रीयताओं का देश है। यहां सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिये। एक पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना करने से असम

राज्य कमजोर नहीं पड़ेगा बल्कि इससे आसामी लोगों में परस्पर अधिक एकता बढ़ेगी तथा देश मजबूत होगा ।

साथ ही, जब तक हम यह सिद्धान्त न अपनायें कि आदिवासियों सहित सभी राष्ट्रीयता के लोगों को उनके भाषा और जन्म स्थान के हिसाब से भारतीय संघ के अधीन पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, हम आसाम के क्षेत्रों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को एकता के सूत्र में नहीं बांध सकते ।

इस उद्देश्य के लिये, असम राज्य के अन्दर ही इस स्वायत्तशासी राज्य का गठन एक नवीन तजुर्बा है । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इससे असमियों तथा आदिवासियों के मध्य एकता पैदा होगी ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कड्डलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं हालांकि यह विलम्ब से पेश हुआ है । यह विधेयक पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है जो कि काफी समय से एक अलग राज्य की स्थापना के लिये संघर्ष करते आ रहे हैं । श्री बलराज मधोक द्वारा व्यक्त इस विचार से भी मैं सहमत हूं कि यह विधेयक पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की केवल आधी मागों को ही पूरा करता है । गृह-कार्य मंत्री इस बारे में दूरदर्शिता से काम लें तथा एक पूर्ण राज्य की बजाय इसे केवल एक उप-राज्य बनाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर भी विचार कर लें । लोग नागालैंड के समान पूर्ण राज्य का गठन चाहते हैं । नागालैंड की जनसंख्या केवल चार लाख है फिर भी वह एक पूर्ण राज्य है परन्तु मणिपुर की जनसंख्या 8 लाख होने पर भी इसे पूर्ण-राज्य नहीं बनाया गया । इसी प्रकार इस विधेयक में मिजो पहाड़ियों को इस बात का फैसला करने की छूट नहीं दी गयी है कि यदि वे चाहें तो मेघालय के उप-राज्य में शामिल हो जायें जबकि अन्य जिलों के लिये यह व्यवस्था है । न जाने ऐसा करके के क्या कारण हैं ? यदि गृह-कार्य मंत्री इस बारे में गहराई से विचार करें की मिजो लोग हमारी सेना से क्यों टकरा रहे हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करें, तो नागा समस्या की तरह यह समस्या भी हल हो जायेगी । ऐसा न करने से वे लोग भी पृथक राज्य अवथा देश की मांग करने लगेंगे । इस विधेयक में मिजो क्षेत्रों को इस बात की छूट नहीं दी गई है कि यदि वे चाहें तो मेघालय राज्य में शामिल हो जायें ।

इसी प्रकार की कार्यवाही देश के अन्य भागों के बारे में भी करके परिणाम जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । तेलंगाना राज्य की मांग के बारे में भी यदि वहां के लोग स्वीकार करें तो मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश के अन्दर ही एक तेलंगाना उप राज्य बना कर देखें ।

शिलांग अब दो राज्यों की राजधानी है । कुछ दिन के बाद असम के लोग शिलांग को नहीं छोड़ना चाहेंगे । मैं तो कहूंगा कि शिलांग को मेघालय का एक अंग बनाया जाना चाहिए । असम, गौहटी को अपनी राजधानी बना ले । इससे यह समस्या स्थायी रूप से हल हो जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपनी यह इच्छा प्रकट करता हूं कि खासी, मिकिर तथा जैन्तियां पहाड़ियों के लिये एक पृथक पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिये ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बड़े परिश्रम तथा सब्र के बाद यहां आ सका है और साथ ही, इसके पारित होते ही हमारी क्षमता, सहिष्णुता तथा परस्पर सहयोग के बारे में किया जाने वाला सन्देह भी दूर हो जायेगा । इस विधेयक में निहित सिद्धान्त राष्ट्रीय महत्व के हैं ।

मुझे आश्चर्य है कि प्रगतिशील लोग भी यह समझते हैं कि किसी क्षेत्र के दो ही रूप हो सकते हैं—एक संघ राज्य-क्षेत्र तथा दूसरा राज्य । मुझे आशा है कि एक राज्य के अन्दर ही एक स्वायत्त-शासी राज्य का गठन का जो कदम उठाया गया है वह अवश्य ही प्रगतिशील सिद्ध होगा क्योंकि इससे केन्द्रीय सुरक्षा या प्राधिकरण के नाम पर नौकरशाही के राज्य की स्थापना नहीं हो सकेगी । यदि ऐसा हुआ तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र नौकरशाही का केन्द्र बन जायेगा । अत: हमें संघ राज्य क्षेत्रों के गठन के बारे में ही नहीं सोचना चाहिये । संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की बजाय हमें छोटे-छोटे स्वायत्तशासी राज्य बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । यही बात मैं नेफा तथा अन्य क्षेत्रों के बारे में भी कहूंगा ।

हमें विश्वास है कि मेघालय राज्य के गठन की व्यवस्था निश्चय ही सफल होगी । हम सभा को विश्वास दिलाते हैं कि हम इस संदर्भ में अपना पूरा सहयोग देंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : First of all, let me congratulate the people of Meghalaya and also the leaders of the APHLC who are now seeing the fulfilment of their struggle and the first step taken towards their goal. The Bill is a welcome measure.

While supporting this Bill, I would request the Government to adopt certain positive policy in regard to the North-eastern frontier region since it would solve many problems of that region.

Besides, the Government should give all democratic rights to the people of NEFA. NEFA is represented by only one member in the Parliament and people are demanding more representation. They should also get some local antonomy and early action in this regard is quite imperative. Quite a number of Hon. Members have spoken on the issue of Manipur and Tripura. I also want to indicate that if that issue is not settled at the earliest, the situation might get aggravated as it happend in Nagalaned some time ago. The Hon. Home Minister should take an early and effective steps in this behalf. You have given a State—Nagaland—to the Nagas of Assam, then why don't you accede to the demand of the Nagas of Manipur.

I know that Meghalaya is coming into existence but the people there should also be protected from undur exploitation by the foreign tea estates and oil companies. Why donot the Government nationalize those foreign concerns?

How do you propose to maintain the security of this border area? You should give a serious thought to this issue. The Government should think in terms giving all democratic rights to the people of this area and save them from the exploitation. The officers who visit that area indulge in malpractices and corruption. There are so many allegations against them. The Government should make necessary inquiries into this matter.

In the end, I once again congratulate the people of Meghalaya, and extend my support to this Bill.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : आसाम के अन्दर ही एक स्वायत्तशासी आदिम जातीय राज्य का निर्माण करने के आपके इस प्रशंसनीय प्रयास में आपसे अधिक प्रसन्न और कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपको गारो पर्वतीय जिले तथा संयुक्त खासी जयन्तिया पर्वतीय जिले में 7 लाख आदिम जाति के लोगों के लिये एक पृथक राज्य के निर्माण करने में सफलता मिली है। अतः छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के 42 लाख आदिम जातिय लोगों के लिये भी एक पृथक राज्य का निर्माण होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र पृथक राज्य के लिये अधिक उपयुक्त है।

इस नये राज्य के निर्माण से केवल 5 लाख ईसाई आदिम जातिय लोगों के हितों को देखा गया है, परन्तु जो गैर-ईसाई आदिम जातीय लोग हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं और लगभग 55.8 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रूढ़ियों को मानते चले आ रहे हैं और अशिक्षित हैं तथा अपना भला-बुरा भी नहीं सोच सकते उनके हितों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि विधान सभा में इनके लिये 55 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायें तो भी इस वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा। इस बात को सरकार के ध्यान में रखना चाहिए।

नागालैण्ड राज्य के आदिम जातियों के 44.33 प्रतिशत बहुत पिछड़े हुए हैं। गैरईसाई आदिम जातीय लोग वहां इतने निर्धन हैं कि वे ईसाई आदिम जातियों के लोगों की तुलना में मैट्रीक के बाद की छात्र वृत्ति का लाभ 3 प्रतिशत भी नहीं उठा पा रहे। ये लोग अब भी जंगलों में नंगे घूमते फिरते रहते हैं। सरकार ने अभी तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया है।

विधान सभा में इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लोकतन्त्र का अर्थ ही यही है कि देश में प्रत्येक नागरिक को अपने सम्मान तथा अपने अधिकारों की मांग करने का पूर्ण अधिकार हो, अन्यथा लोकतन्त्र दुर्बल वर्गों के लोगों के लिये परिहास मात्र बनकर रह जायेगा।

देश में कितने ही अन्य राज्यों का निर्माण हो सकता है, यह कोई चिंता की बात नहीं है। परन्तु छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के लिए पृथक राज्य का निर्माण होना परम आवश्यक है। उस क्षेत्र में कुल डेढ़ करोड़ की जन संख्या में से 42 लाख आदिम जातियों के लोग हैं। इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। अतः आप से मेरा निवेदन है कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के लिये पृथक राज्य के निर्माण हेतु आप सरकार पर राजनीतिक दबाव डालें।

* * **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम** (विशाखापत्तनम) : मैं गृह-कार्य मंत्री द्वारा इस नये राज्य के निर्माण के लिए प्रस्तुत किए गये विधेयक का समर्थन करता हूं। आसाम तथा मेघालय के नेताओं और लोगों के सहयोग और उनकी सदभावनाओं के कारण ही इस नये राज्य का निर्माण सम्भव हुआ है। जैसा कि गृह कार्य मंत्री ने बताया है, मैं आशा करता हूं कि इस सीमावर्ती राज्य के निवासी देश के इस भाग की सीमा की सुरक्षा करने में सदैव सतर्क रहेंगे और देश की

* * मूल तेलुगू के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised translation of English translation of the Original Speech delivered in Telugu.

रक्षा करने में भी सहायता करेंगे । इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आसाम तथा मेघालय के नेताओं और लोगों ने इस विवादास्पद मामले का समाधान करने में बहुत प्रशंसनीय पारस्परिक सहयोग तथा सहमति दिखाई है जिससे देश की संस्कृति तथा गौरव की रक्षा हुई है । आशा है यह अभिनव प्रयोग चलता रहेगा और वहां विकास तथा उन्नति का सूर्य सदा जाज्वल्यमाव रहेगा और लोगों को समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी । मैं सरकार के इस प्रयत्न का स्वागत करता हूं ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आसाम के दो जिलों से मेघालय के नाम से एक उप-राज्य का निर्माण करने के लिये आसाम राज्य का पुनर्गठन करने वाले इस विधेयक का मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों का पारस्परिक समझौता या सहमति कराने का ही एक आधार भूत उद्देश्य था, जिसके लिये यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है । परन्तु इस विधेयक में अनेक दोष और त्रुटियां हैं और इन कमियों का निवारण करने के लिये इस विधेयक पर पुनः विचार करने हेतु इसे संसद की संयुक्त समिति में भेजना चाहिए । जातिगत आधार पर किसी उप-राज्य का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए । क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो देश में अन्य राज्यों में कहीं अधिक संख्या में आदिम जातियों के लोग बसते हैं इन लोगों के बारे में आपका क्या विचार है ?

दूसरी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को आयकर अथवा सम्पत्ति कर नहीं देना पड़ता अतः इस विधेयक में कोई ऐसा उपबंध करना आवश्यक है जिससे कि इन लोगों को भी आयकर तथा सम्पत्ति कर देना पड़े और यह उपबन्ध मेघालय के लोगों पर भी लागू हो ।

यह कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है, परन्तु यह बात सच नहीं है । पाटस्कर आयोग ने आर्थिक शोषण के आरोप का खण्डन करते हुए उसे अस्वीकार किया है । पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, और स्कूलों तथा अस्पतालों आदि की सुविधाएं भी बहुत बढ़ी हैं । अतः वहां किसी प्रकार का भी आर्थिक शोषण नहीं हुआ है ।

जहां तक भाषा सम्बन्धी शोषण की बात कही गई है, यदि आसाम राज भाषा अधिनियम के उपबन्धों पर दृष्टि डाली जाये तो पता लग जायेगा कि वहां पर किसी प्रकार से भी भाषा सम्बन्धी शोषण नहीं हुआ है ।

संविधान की छटी अनुसूची में का मुख्य ध्येय पर्वतीय क्षेत्रों के अविकसित लोगों को मैदानी क्षेत्रों के विकसित लोगों के स्तर तक ऊंचा उठाकर इनमें और अधिक एकता की भावना पैदा करना है । इस अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वायत शासी पर्वतीय क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय परिषदें तथा जिला परिषदें हैं जो अभी भी विद्यमान हैं । जिला परिषदों को वैधानिक कार्यकारी तथा न्यायिक प्राधिकार प्राप्त हैं और मेघालय को भी सौंप दिये गये हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि वहां की जिला परिषदों और राज्य विधान सभा के लिये द्वितंत्रीय प्रशासन प्रणाली की

व्यवस्था की गई है जिसके कारण एक ही क्षेत्र के भीतर दो मुख्य मंत्री दो विधान परिषदें तथा दो विधान सभाओं की व्यवस्था होगी और इससे प्रशासनिक, भौगोलिक, न्यायिक तथा अन्य प्रकार की अनेक कठिनाइयां उलझने एवं समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। इस प्रकार की व्यवस्था से आसाम और मेघालय के मुख्य मंत्रियों के बीच स्थायी झगड़ा खड़ा हो जायेगा। ऐसी स्थिति में भी यदि यह विधेयक मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों में किसी प्रकार की सम्मति तथा सहयोग लाने में सफल होता है तो सरकार के इस निर्णय का स्वागत होगा न कि विधेयक का अतः इन विधेयक के समस्त उपबन्धों पर विचार करने के लिये इसे संसदीय संयुक्त प्रवर समिति को सौंपना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस बात का निर्णय कर चुके हैं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : यह बड़े सन्तोष की बात है कि इस विधेयक को सदन का सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है। परन्तु यह भी कहा गया है कि इस विधेयक को कार्यरूप देने में कठिनाइयां आयेंगी। इस सम्बन्ध में यह तो अवश्यम्भावी है कि एक प्रशासन के ही अन्तर्गत जब अन्य प्रशासन की व्यवस्था की जाती है तो कठिनाइयां तो आयेंगी ही। परन्तु यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसको हल न किया जा सके। इसके साथ कुछ सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है और उन पर हम अवश्य ही विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आसाम राज्य के अन्दर ही मेघालय नाम के एक स्वायत्तशासी राज्य के गठन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस खण्ड पर विचार करेंगे।

खण्ड 2

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं संशोधन संख्या 17, 20, 21, तथा 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम इस विधेयक पर कल खण्ड वार विचार कर सकते हैं, क्योंकि इसके तृतीय वाचन के दौरान बोलने का हम अपने पूर्ण अधिकार का प्रयोग करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। और इस पर जल्दबाजी में आज ही विचार करना और जल्दी में इसे पास नहीं करना चाहिये।

श्री सेझियान : चूंकि यह विधेयक राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया जायेगा, अत: इस विधेयक को शीघ्र से शीघ्र पास कराने में हमें सरकार की सहायता करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस पर यथेष्ट चर्चा करली है तथा इस विधेयक पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हैं, इसलिये मैं आप से सहयोग चाहता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इसमें कोई रुकावट उत्पन्न करना नहीं चाहता। इसे पास करा लिया जाये। इस पर हमारा भिन्न मत है और हम अपनी बात कह कर ही रहेंगे।

श्री रंगा : इतने अधिक खण्डों वाले इस विधेयक पर इस प्रकार विचार करने का यह तरीका ठीक नहीं है कि हम सबको कार्य मंत्रणा समिति की दया पर छोड़ दिया जाये और इस पर केवल एक घण्टे में ही विचार कर लिया जाए, जब कि वास्तव में इस विधेयक के लिये तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो समिति का निर्णय है।

श्री कंवर लाल गुप्त : परन्तु यह तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य तर्क-वितर्क करने पर उतारू हैं तो दूसरी बात है। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पर कोई चीज थोपी जाये। इस निर्णय को बदलना तो सदन पर निर्भर है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह बात हास्यास्पद प्रतीत होती हैं कि इस विधेयक की दो अवस्थाएं पांच मिनट में ही पूरी हो सकती हैं। यह तभी हो सकता है यदि इस विधेयक पर कोई चर्चा ही न की जाये। परन्तु मेरे विचार में यदि इस पर कल आधे घण्टे का समय लगा दिया जाये तो कोई हानि नहीं है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : वे इस विधेयक पर एक घण्टे में ही चर्चा समाप्त करने के लिये सहमत थे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : आधे घण्टे की चर्चा को कल तक के लिये स्थगित किया जा सकता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त : खण्डवार विचार पर तथा तीसरे वाचन पर एक घण्टे का समय लगेगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कल प्रश्न काल के बाद हम इस विधेयक पर चर्चा करेंगे।

** जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों में परिवर्तन

**CHANGES IN L. I. C. PREMIUM RATES

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वर्ष 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पूर्व बीमा कम्पनियों पर फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये जाते थे। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य कार्यकुशलता को बढ़ाना और प्रीमियम की दरों को काफी कम करना था।

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए]
Shri M. B. Rana in the Chair

बीमाधारियों को निश्चित आश्वासन दिया गया था कि यथाशीघ्र प्रीमियम को कम किया जायेगा। वर्ष 1956 से अब तक जीवन बीमा निगम के व्यापार में सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है। इस

**आधे घण्टे की चर्चा

**Half an hour discussion.

वृद्धि के कई कारण हैं। मृत्यु दर में भी कमी और मध्यमान आयु में वृद्धि होने के कारण दावों की संख्या बहुत कम हो गई है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां किसी वाणिज्यिक संगठन की होती तो उसने प्रीमियम की दरों में तत्काल कमी कर दी होती और उसके कार्य-संचालन की कुशलता में सुधार हो जाता। और वे [illegible] को अधिक लाभ पहुंचाते। परन्तु जीवन बीमा निगम का कारोबार बढ़ जाने से कार्य-कुशलता कम हो गई है। दावों का अनुपात कम हो गया है और खर्च का अनुपात बढ़ गया है।

प्रीमियम को कम करने के लिये नियुक्त सभी समितियों ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि मृत्यु दर कम हो गई है और मध्मान आयु बढ़ गई है। कारोबार में भी वृद्धि हो गई है। जीवन बीमा निगम के कार्य-संचालन में भी मितव्ययता की काफी गुंजाइश है। वर्ष 1961 में प्राक्कलन समिति ने एक निश्चित सिफारिश की थी कि प्रीमियम की दरें कम की जाये। वर्ष 1966 में जीवन बीमा निगम ने एक विभागीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति का मत था कि यद्यपि वे उपयुक्त समितियों के निष्कर्षो से सहमत हैं परन्तु वे प्रीमियम की दरों में कमी करने की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि वे भविष्य के खर्च में प्रत्याशित वृद्धि के लिये व्यवस्था करना चाहते हैं।

वर्ष 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रीमियम की दरें कम की जानी चाहिएं। मोरारका समिति ने भी इसी आशय की सिफारिश की है।

इन सब समितियों की इन सिफारिशों के बावजूद सरकार इस सम्बन्ध में अपना निर्णय स्थगित करती आ रही है। यदि 20 बीमा कम्पनियों के बीच प्रतियोगिता होती तो आज स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। परन्तु अब जीवन बीमा निगम पर सरकार का एकाधिकार है, इसलिये इसकी कार्य-कुशलता में कमी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाता। एक ओर व्यापार बढ़ गया है और दूसरी ओर जीवन बीमा निगम की सेवा अधिक खराब हो गई है। जीवन बीमा निगम में 25 प्रतिशत कर्मचारी फालतू हैं परन्तु फिर भी ठीक ढंग से रसीदें और स्मरणपत्र नहीं भेजे जाते। दावों को निपटारे में लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि जीवन बीमा निगम की निधियों को सरकारी क्षेत्र में लगाया जाना चाहिये। अब जीवन बीमा निगम अपने एजेन्टों द्वारा किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में मनमर्जी से नियम बनाने का विचार कर रहा है। एजेन्टों की संख्या 1.65 लाख है। जीवन बीमा निगम उनके सम्बन्ध में सभी प्रशासनिक शक्तियां प्रबन्धकों के देने का विचार कर रहा है जो उन्हें सेवा से निकाल भी सकेंगे।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सभी बातो को ध्यान रखेंगे और प्रीमियम की दरों को कम करने का निश्चित आश्वासन देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : जीवन बीमा निगम के प्राधिकारियों तथा सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधिक मूल्यों, अधिक व्यय तथा बढ़ते हुए मूल्यों के कारण वे प्रीमियम की दरों को कम नहीं कर सके। मेरे विचार में इस समस्या का समाधान जीवन बीमा निगम

का कारोबार बढ़ाकर किया जा सकता है और इस कार्य के लिये हमें एजेन्टों तथा विकास अधिकारियों को संतुष्ट रखना होगा। इस के लिये हिम्मति की कुछ सिफारिशें अच्छी है और वे कुछ एजेन्टों तथा विकास अधिकारियों के भी हैं। अतः क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने से पूर्व एजेन्टों तथा विकास अधिकारियों की मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जायेगा ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मोरारका समिति ने अपना प्रतिवेदन अप्रैल, 1968 में सरकार को दे दिया था किन्तु सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों पर अब तक निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : 8,500 Development Officers of L. I. C. have gone on strike on the 10th December, 1968 which betrays that there is simmering discontent among them. The heavy work load was the cause of this strike. The Development officers working in metropolitan like Bombay and Calcutta are equated with these in rural areas. I want to know whether Government have decided to work out the norms after taking into consideration the circumstances prevailing in different areas.

Secondly, inordinate delay is made in the Settlement of L. I. C. claims with the result that the dependents of the deceased persons have to suffer. I would like the Hon. Minister to assure the House that steps would be taken to ensure the payment of claims within six months positively :

श्री हिम्मत सिंहका : पहले प्रीमियम देने के बाद तुरन्त रसीद जारी कर दी जाती थी परन्तु अब बहुत-से मामलों में रसीदें बिलकुल भी नहीं भेजी जाती हैं, इसी प्रकार अब प्रीमियम के भुगतान के लिये पहले एक महीने पूर्व नोटिस भेजे जाते थे परन्तु अब नोटिस भी नहीं भेजे जा रहे हैं ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : कर्मचारी श्री भिडे के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सभी प्रकार के आरोप लगाते हैं। क्या सरकार इस बारे में जांच करने के लिये तैयार है ताकि सच्चाई सामने आ सके ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रा० के० खाडिलकर) : सरकार को प्राक्कलन समिति, लोक-लेखा समिति, मोरारका समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा जीवनांकिक बीमा प्रबन्ध समिति द्वारा प्रीमियम की दरों में कमी करने के बारे में की गई सिफारिशों की जानकारी है। जीवनांकिक बीमा प्रबन्ध समिति ने 4.72 प्रतिशत कमी करने की सिफारिश की है। हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि लाभप्रद पालिसियों को, जितना भी लाभ हो, बोनस के रूप में मिलना चाहिये। इसलिये हमारे सामने केवल अलाभप्रद पालिसियों की प्रीमियम की दरों में कमी करने का प्रश्न है।

मोरारका समिति की सिफारिश के बाद इस मामले पर फिर विचार किया गया था। जीवन बीमा निगम को इन बात की पूरी जानकारी है कि सभी लोगों की आम मांग है कि कम से कम अलाभप्रद पालिसियों के मामले प्रीमियम की दरें कम करने के कुछ न कुछ अवश्य

किया जाना चाहिये। इन सभी बातों पर विचार करते हुये हम भी यह अनुभव करते हैं कि हमें इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इसीलिये हमने जीवन बीमा निगम बोर्ड तथा अध्यक्ष को तदनुसार परामर्श दिया है। [illegible] किया है कि 1969 को जीवन बीमा निगम ने प्रीमियम की दरों में कोई कमी न करने और वे [illegible] रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय कैसे लिया है।

हमें निर्णय करना है चाहे जीवन बीमा निगम का निर्णय कुछ भी हो। सरकार का दृष्टिकोण अब भी यही है कि अलाभप्रद पालिसी की प्रीमियम की दर में कमी करना व्यावहारिक है, विशेष कर जीवन बीमा को लोक-प्रिय बनाने तथा व्यय को नियन्त्रित करने के लिये और अधिक प्रयत्न किया जाये। तथापि, यह बताना सम्भव नहीं है कि कमी कितनी की जायेगी क्योंकि वह भिन्न-भिन्न सारणियों, भिन्न-भिन्न आयु-वर्गों तथा भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये भिन्न-भिन्न होगी। परन्तु कमी जरूर की जायेगी, मैं यह आश्वासन देता हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि अगले महीने के मध्य तक हम अपना निर्णय अवश्य घोषित कर देंगे।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों तथा विकास अधिकारियों का प्रश्न उठाया गया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, जब विकास अधिकारियों ने हड़ताल की धमकी दी थी, तो मैंने उनके साथ विचार-विमर्श किया था, जो मुख्यतः कुछ मानदण्ड मानने के बारे में था। उन्होंने एक मानदण्ड माना है और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां मानदंड पूरे नहीं किये जा सकते, कुछ ढील अथवा परिवर्तन किये जायेंगे। उनके काम करने के नियमित समय नहीं होते और उन्हें किसी क्षेत्र विशेष में काम करना होता है। इस लिये उन्हें किसी स्वीकृत मानदण्ड पर चलना चाहिये। विकास अधिकारियों को अब स्थाई बनाया गया है। पहले उन्हें कमीशन मिलता था और वे स्थाई पदालि में नहीं थे। अब जब कि वे जीवन बीमा निगम के स्थाई कर्मचारी हो गये हैं, उन्हें भी अपना दायित्व निभाना चाहिये।

जहां तक एजेन्टों का सम्बन्ध है, उनके प्रतिनिधि भी मुझसे कल मिले थे और मैंने उनसे कहा है कि मैं उनकी शिकायतों के बारे में जांच करूंगा और बाद में हम इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे और यदि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो स्वभावता की जायेगी।

मानदण्ड के प्रश्न के बारे में कुछ विवाद का, यदि एक बार के मानदण्ड को स्वीकार कर लें तो बाद में हम इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हैं कि किन परिस्थितियों में उनको पूरा किया जा सकता है।

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : आपने कहा कि जब मानदण्ड स्वीकार किये जायेंगे। लेकिन उससे पहले, आपको उनको बताना चाहिये कि मानदण्डों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जायेगा।

श्री रा० के० खाडिलकर : वर्तमान योजना के अन्तर्गत पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है।

जहां तक मोरार का समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, हम उनकी जांच कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों के सम्बन्ध में कुछ ढांचे सम्बन्धी परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है, वे

डिवीजन कार्यालय को [illegible] बनाना चाहते हैं तथा अन्य और कई परिवर्तन भी करना चाहते हैं।

[illegible] र. 23 दिसम्बर [illegible] दावों के [illegible]

श्री वेणी शं[illegible] [illegible] के सम्बन्ध में आम कोई समय-सीमा निर्धारित कर[illegible]

श्री [illegible]डलकर : जहां तक दावों के निपटान का सम्बन्ध है, उनके बारे में [illegible] प्राप्त हुई हैं और बकाया राशि बढ़ती ही जा रही है, हम दावों के निपटान के बारे में कार्यवाही शीघ्रता से करेंगे। एक माननीय सदस्य ने गम्भीर बात कही है कि प्रीमियम के भुगतान के बाद रसीद 12 महीने बाद दी गई।

यह एक गम्भीर बात है क्योंकि जब तक पालिसी धारियों को रसीद नहीं मिलेगी दावों के निपटान में कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं इस विशिष्ट मामले की जांच कराऊंगा। मैं तो सोचता था कि इसमें एक या आधा महीना लगता होगा लेकिन यह तो बहुत असाधारण बात है। अतः माननीय सदस्य से मेरा यह अनुरोध है कि अगर उनके पास कुछ विवरण हो तो वे उसे मेरे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सम्बन्ध है, निगम के एक अधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप थे। उनके सम्बन्ध में हमने जांच की लेकिन उनमें कोई सार नहीं मिला।

जहां तक श्री भिंडे द्वारा एक बैठक में कुछ बातें कहीं जाने का सम्बन्ध है, वह बैठक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ कार्यकारियों तथा अन्य लोगों की थी, ऐसी स्थिति में कार्यकारी अधयक्ष अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने के लिये स्वतंत्र है, यह जीवन बीमा निगम पर बाध्य नहीं है, यह सरकार के मत को प्रतिबिम्बित नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : इसका औचित्य क्या है।

श्री रा० के० खाडिलकर : यह औचित्य का प्रश्न है। कभी-कभी यह सम्बन्धित व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है। परन्तु इसके साथ-साथ में यह भी कहूंगा कि अगर कार्यकारी को अपने विचारों को व्यक्त करने से रोका जायेगा तो अधिकांश के हित में यह वांछनीय नहीं होगा उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिये। उसे सरकार की नीति को ध्यान में रखना चाहिए, और अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्षों से ऐसी आशा की जाती है कि वे न केवल सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करें बल्कि यह भी समझने का प्रयत्न करें कि सामाजिक उद्देश्य क्या है और सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त कौन से हैं।

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि सर्वश्री जनेश्वर मिश्र, जे० एच० पटेल, अर्जुन सिंह भदौरिया तथा मधु लिमये की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सब डिवीजनल

मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली से अध्यक्ष महोदय को निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुए हैं :

(एक) लोक सभा के सदस्य, सर्वश्री [illegible] को पार्लियामेंट स्ट्रीट के क्षेत्र में [illegible] अन्तर्गत प्रख्यापित निषेधा-देशों का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत आज उस क्षेत्र में 3 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया।

(दो) लोक सभा के सदस्य सर्वश्री अर्जुन सिंह भदौरिया और मधु [illegible] भवन के सामने के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित निषेधादेशों का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत आज उस क्षेत्र में 3.45 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : कृपया उनको छुड़वाने का प्रयत्न कीजिये।

श्री सुरेन्द्रपाल द्विवेदी (केन्द्रपाड़) : क्या उनको छोड़ दिया गया है।

सभापति महोदय : मुझे इस समय की स्थिति मालूम नहीं है, उनको दण्डाधीश के सामने पेश किया गया था। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोकसभा, मंगलवार, 23 दिसम्बर, 1969/2 पौष, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 23, 1969/Pausa 2, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—1-4-70—340

P.L.S. 48. XXXV. 27. 69. (N)
340

© 1969 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1969 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.